ई-आश्वासन
भारत

आज़ादी का अमृत महोत्सव

हर एक काम देश के नाम

57वीं वार्षिक रिपोर्ट

2021-22

एमएसटीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
MSTC Limited
(A Govt. of India Enterprise)

सीआईएन/ CIN : L27320WB1964GOI026211

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया
माननीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री
(07.07.2022 से प्रभावी)

श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह
माननीय इस्पात मंत्री
(06.07.2022 तक)

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते
माननीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

श्री संजय कुमार सिंह
सचिव (इस्पात)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

विषय सूची

निगमित अवलोकन

निदेशक मंडल 2
प्रबंधन दल 3
कॉर्पोरेट सूचना 3
कॉर्पोरेट प्रोफाइल 4
हमारे परिचालन पदचिह्न 5
हमारे प्रमुख परियोजनाएं 6
हमारे नए निगमित कार्यालय का उद्घाटन 8
बीता हुआ वर्ष 9
अध्यक्षीय संदेश 14
प्रमुख निष्पादन 18

सांविधिक रिपोर्ट 21

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण 28
बोर्ड की रिपोर्ट 39
निगमित अभिशासन रिपोर्ट 59
व्यवसायिक दायित्व रिपोर्ट 66
सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट 70
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट 72
सहायक कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट 75
सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों/अवलोकनों पर प्रबंधन प्रत्युत्तर 76
प्रपत्र एओसी–1

वित्तीय विवरण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट **78**
सीएजी की टिप्पणियां **89**
तुलन पत्र 90
लाभ एवं हानि का विवरण 91
इक्विटी में बदलाव का विवरण 92
नकद प्रवाह का विवरण 93
वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां 94

समेकित वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 129
सीएजी की टिप्पणियां 139
तुलन पत्र 140
लाभ एवं हानि का विवरण 141
इक्विटी में बदलाव का विवरण 142
नकद प्रवाह का विवरण 143
वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां 144

निदेशक मंडल

श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्रीमती भानु कुमार
निदेशक (वाणिज्यिक)

श्री सुब्रत सरकार
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

श्रीमती रुचिका चौधरी गोविल
सरकारी नामांकित निदेशक

श्री अवधेश कुमार चौधरी
सरकारी नामांकित निदेशक

डॉ. वसंत अशोक पाटिल
स्वतंत्र निदेशक
(01.11.2021 के तत्काल प्रभाव से)

श्री आद्य प्रसाद पाण्डेय
स्वतंत्र निदेशक
(01.11.2021 के तत्काल प्रभाव से)

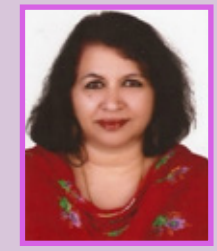

श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी
स्वतंत्र निदेशक
(13.12.2021 तक)

प्रबंधन दल

श्री सुरेश माधवन
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री चित्तरंजन गिरि
मुख्य महाप्रबंधक (सिस्टम्स)

श्री सुचित कुमार बर्णवाल
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

श्री सूर्य कांत
महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट नियोजन, कॉर्पोरेट संचार, राजभाषा)

श्री भास्कर मजुमदार
महाप्रबंधक (प्रशिक्षण)
(31.12.2021 तक)

श्री अजय कुमार राय
कंपनी सचित एवं अनुपालन अधिकारी

कॉर्पोरेट सूचना

कॉर्पोरेट पहचान सं. – L27320WB1964GOI026211

बैंकर्स

बैंक ऑफ बड़ौदा
बैंक ऑफ इंडिया
केनरा बैंक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
एचडीएफसी बैंक
इंडियन बैंक
इंडसइंड बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

सचिवीय लेखा परीक्षक

सीएस सौम्य ज्योति सील
अभ्यासरत कंपनी सचिव

पंजीयक एवं अंतरण अभिकर्ता

मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
अलंकित हाउस, 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110 055
दूरभाष सं.: +91-11-4254-1954/+ 91-11-4254 1234
ई–मेल: virenders@alankit.com/ saching@alankit.com
वेबसाइट: www.alankit.com

लेखा परीक्षक

मैसर्स एस. घोष एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखापाल

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय

प्लॉट नं. सीएफ–18/2, स्ट्रीट नं. 175, एक्शन एरिया 1सी, न्यू टाउन, कोलकाता–700156
दूरभाष: 91-33-2340-0000 ई–मेल: mstcindia@mstcindia.in
वेबसाइट: https://www.mstcindia.co.in, https://www.mstcecommerce.com

कॉर्पोरेट प्रोफाइल

कंपनी का संक्षिप्त विवरण

एमएसटीसी लिमिटेड, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक श्रेणी–I मिनी रत्न कंपनी, ई–नीलामी/ई–बिक्री ई–प्रोक्योरमेंट सेवा और अनुकूलित सॉफ्टवेयर/समाधान की पेशकश करने वाले विविध उद्योग खंड में ई–कॉमर्स से संबंधित सेवाएं प्रदान करने में लगी अग्रणी सीपीएसई में से एक है। कंपनी ई–नीलामी के संचालन में विभिन्न सरकारी एजेंसियों और मंत्रालयों के साथ भागीदारी करते हुए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए ई–नीलामी खंड में अग्रणी के रूप में उभरी है। एमएसटीसी ई–प्रोक्योरमेंट सेगमेंट में सेवाओं की व्यापक रेंज की पेशकश करने वाले प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है।

1964 में स्थापित, एमएसटीसी ने अपनी 57 वर्षों की यात्रा में खुद को एक छोटी कैनालाइज एजेंसी से एक बड़ी बहु–उत्पाद विविध कंपनी में बदल दिया है। एमएसटीसी ने लाभांश भुगतान और बोनस मुद्दों के माध्यम से समय के साथ अपने शेयरधारक की संपत्ति में काफी वृद्धि की है।

एमएसटीसी औद्योगिक उपयोग के लिए स्क्रैप के पुनर्चक्रण की सुविधा प्रदान करता है और इस प्रकार इनपुट लागत को कम करता है, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है और अंततः पर्यावरण की रक्षा करता है। कंपनी अपने सभी व्यावसायिक गतिविधियों में नैतिक व्यावसायिक सिद्धांतों, ई–गवर्नेंस, पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए प्रतिबद्ध है।

दृष्टि

- विश्व बाजार में ई–कॉमर्स की शीर्ष कंपनी बनना।
- ट्रेडिंग के क्षेत्र में एक प्रमुख विश्वसनीय और पारदर्शी कंपनी बनना।
- धारणीय और पर्यावरण के अनुकुल पुनर्चक्रण के माध्यम से अपशिष्ट संसाधनों से मूल्य सृजित करना।

ध्येय

- ई–कॉमर्स के व्यापक उपयोग से पारदर्शिता और बेहतर कीमत सुनिश्चित करना।
- परेशानी मुक्त और निष्पक्ष ई–कॉमर्स से ट्रेडिंग को शक्ति–सम्पन्न बनाना।
- धारणीय एवं पर्यावरण हितैषी पुर्नचक्रण को बल देना।
- निरंतर नवोन्मेष के माध्यम से अपने सभी स्टेक होल्डरों को वांछित मूल्य देना।
- निरंतर अपने कार्य–क्षेत्र में नए क्षेत्र की तलाश करना तथा अपनी सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार वृद्धि करना।

लक्ष्य

- ई–कॉमर्स की विश्वसनीय सुगम सेवा से विश्व स्तर पर सीमा–पार व्यवसाय को शक्ति–सम्पन्न बनाते हुए भारत के शेयर में वृद्धि करना।
- अपने व्यवसायिक सहयोगियों को त्वरित और कुशल सेवाएं प्रदान करते हुए अपने व्यवसाय के प्रति ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाना तथा ग्राहकों की संतुष्टि में महत्वपूर्ण–सकारात्मक योगदान करना।
- भारत और अन्य देशों के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों की लेनदेन एवं बेहतर कीमत पाने के लिए अपना सुरक्षित और पारदर्शी ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना।
- सक्षम, समर्पित और उत्प्रेरित कार्यबल का विकास करना।
- मेटल एवं वेस्ट रिसाइक्लिंग के क्षेत्र में तथा ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भावी व्यवसाय–वृद्धि के लिए ऐसी कंपनियों से संयुक्त उद्यम की कंपनी बनाना, जो इन उपक्रमों में समन्वयक की भूमिका निभाए।
- नियोजित पूंजी पर इष्टतम रिटर्न सुनिश्चित करने और नेट वर्थ पर 15% की वापसी हासिल करने के लिए उपरोक्त गतिविधियों को शुरू करना।
- रीसाइक्लिंग क्षमता निर्माण में निवेश कर और स्क्रैप के सुनियोजित निपटान के लिए अपना पारदर्शी प्लेटफॉर्म देते हुए देश में पुनर्नवीनीकरण मेटल और ई–वेस्ट वस्तुओं की मांग बनाना और उनकी आपूर्ति में वृद्धि करना।

हमारे परिचालन पदचिह्न

हमारे परिचालन पदचिह्न देश भर में लगभग हर राज्य में फैले हुए हैं। सभी कार्यालय हमारे प्रिंसिपल की सेवा करने और एक मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त के साथ राष्ट्रीय बाजार को पूरा करने के लिए एक रणनीतिक और भौगोलिक लाभ प्रदान करते हैं।

पंजीकृत निगमित कार्यालयः

मुख्यालय कोलकाता

क्षेत्रीय कार्यालयः

कोलकाता में ईआरओ
मुंबई में डब्ल्यूआरओ
चेन्नई में एसआरओ
नई दिल्ली में एनआरओ

शाखा कार्यालयः

बैंगलोर
भोपाल
भुवनेश्वर
चंडीगढ़
गुवाहाटी
हैदराबाद
जयपुर
लखनऊ
नागपुर
रायपुर
रांची
तिरुवनंतपुरम
वडोदरा
वाइजेंग
पटना (बिहार)

हमारे प्रमुख परियोजनाएं

स्पेक्ट्रम

दूरसंचार विभाग की ओर से 4जी एंड 5जी स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए नीलामी पोर्टल विकसित किया गया

डीईईपी (डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस) ई–बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन पोर्टल बिजली मंत्रालय की ओर से डिस्कॉम द्वारा शॉर्ट/मीडियम/लॉन्ग टर्म पर बिजली खरीद के लिए विकसित किया गया है।

उड़ान

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के क्षेत्रीय संपर्क योजना के लिए विकसित पोर्टल

ई–रकम किसानों के लिए अखिल भारतीय आधार पर उत्पादित कृषि को बेचने के लिए एक ई–प्लेटफॉर्म विकसित किया गया। पोर्टल एमएसटीसी और सेन्ट्रल वेयरहाउस कंपनी की एक संयुक्त पहल है।

ई–बिक्रय सरफेसी अधिनियम के तहत विभिन्न बैंकों की गिरवी रखी संपत्तियों की बिक्री के लिए आईबीए की ई–बिक्रय वेबसाइट के एक अभिन्न अंग के रूप में ई–नीलामी पोर्टल विकसित किया। पोर्टल का उपयोग सभी पीएसयू बैंकों द्वारा सरफेसी अधिनियम के तहत अपने एनपीए को संभावित खरीदारों के लिए एकल खिड़की (विंडो) के माध्यम से बेचने के लिए किया जाएगा।

कोयला ई–नीलामी सीआईएल/एससीसीएल द्वारा गैर–विनियमित क्षेत्रों के लिए कोयला लिंकेज के आवंटन के लिए ई–बिडिंग प्लेटफॉर्म विकसित

स्क्रैप नीलामी एमएसटीसी स्क्रैप, पुराने प्लांट और मशीनरी, ईएलवी के कटे हुए स्क्रैप आदि की बिक्री के लिए ई–नीलामी आयोजित करता है।

शक्ति (कोयला के दोहन और आवंटन के लिए योजना) एमएसटीसी ने विनियमित क्षेत्र के लिए कोयला लिंकेज के आवंटन के लिए ऑनलाइन योजना के निष्पादन के लिए एक टेलर मेड सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान किया।

जैविक खेती भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, की ओर से जैविक किसानों को पूरे भारत में प्रत्यक्ष बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए जैविक कृषि उत्पाद के लिए पोर्टल विकसित और लॉन्च किया।

पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आईटीडी पोर्टल

एमएसटीसी ने ओएनजीसी समूह के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात आयात के लिए एकीकृत व्यापार डेस्क (आईटीडी) के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया।

सीईपीआई के लिए नीलामी पोर्टल शत्रु संपत्तियों की नीलामी के लिए सीईपीआई (भारत के लिए शत्रु संपत्ति का संरक्षक) की ओर से एक नीलामी पोर्टल विकसित किया गया है।

पुनर्चक्रण एमएसटीसी अपने संयुक्त उद्यम महिंद्रा एमएसटीसी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ईएलवी और सफेद वस्तुओं के पुनर्चक्रण में इन्हें कटा हुआ स्क्रैप में परिवर्तित कर दिया।

हमारे नए निगमित कार्यालय
का उद्घाटन

एमएसटीसी के नए कारपोरेट भवन का उद्घाटन श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह, माननीय इस्पात मंत्री ने 26 अगस्त, 2021 को श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, माननीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री की उपस्थिति में किया।

स्मार्ट सिटी ऑफ न्यू टाउन, कोलकाता में स्थित नया कारपोरेट कार्यालय एक आईजीबीसी प्रमाणित ग्रीन बिल्डिंग, इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ स्टील इंटेंसिव स्ट्रक्चर और स्टेट–ऑफ–द–आर्ट–डेटा–सेंटर है।

बीता हुआ वर्ष

आम सभा

निदेशकगण और सीएस वीसी के माध्यम से 56वीं एजीएम में शामिल हुए

सीएमडी, डी (सी), सीएस 22.12.2021 को वीसी के माध्यम से आयोजित असाधारण आम बैठक के दौरान

स्थापना दिवस

एमएसटीसी स्थापना दिवस के दौरान सीएमडी, डी (सी), डी (एफ), सीवीओ अन्य गणमान्य व्यक्तियों और अधिकारियों के साथ

एमएसटीसी स्थापना दिवस के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम

गृह प्रवेश

सीएमडी, डी (सी) एमएसटीसी गृह प्रवेश पूजा के दौरान अन्य अधिकारियों के साथ

एमएसटीसी गृह प्रवेश पूजा के दौरान सीएमडी, डी (सी) अन्य अधिकारियों के साथ

वार्षिक पिकनिक

डी (सी), एमएसटीसी कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ वार्षिक पिकनिक पर सुंदरवन यात्रा के दौरान

सीएमडी एमएसटीसी कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ वार्षिक पिकनिक पर सुंदरवन यात्रा के दौरान

वार्षिक सामाजिक कार्यक्रम

सीएमडी डी (सी), डी (एफ), सीवीओ और अन्य की उपस्थिति में वार्षिक सामाजिक कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए

डी (सी) डायस पर मौजूद गणमान्य व्यक्तियों के साथ वार्षिक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान दर्शकों को संबोधित करते हुए

वार्षिक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुति देते विनोद राठौर

वार्षिक खेल

सीएमडी डी (सी), डी (एफ) और एमएसटीसी के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में वार्षिक खेल आयोजन का उद्घाटन करते हुए

वार्षिक खेल आयोजन में भाग लेते हुए एमएसटीसी के कर्मचारी

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

जिधरा प्राइमरी स्कूल, साउथ दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल में एमएसटीसी द्वारा अतिरिक्त कमरे का निर्माण सीएसआर के तहत पूरा किया गया

उत्क्रमिता मध्य विद्यालय, गिरिडीह, झारखंड में सीएसआर के तहत मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों का समापन

राजभाषा

माननीय इस्पात मंत्री से सीएमडी इस्पात राजभाषा पुरस्कार (तृतीय) प्राप्त करते हुए

राजभाषा

एमएसटीसी को वर्ष 2020–21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार (तीसरा) मिला

श्रीमती के. शीला, प्रबंधक नराकास विशाखापत्तनम से द्वितीय राजभाषा पुरस्कार प्राप्त करते हुए

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

सीएमडी सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के उद्घाटन समारोह में दीया जलाते हुए

कैंडललाइट विजिल मार्च सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के दौरान

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 में वॉकथॉन का आयोजन

अन्य कार्यक्रम

सीएमडी, माननीय इस्पात मंत्री को लाभांश चेक प्रस्तुत करते हुए – माननीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, इस्पात सचिव और अपर सचिव, इस्पात मंत्रालय की उपस्थिति में

सीएमडी, ओएनजीसी समूह के लिए आईटीडी पोर्टल के शुभारंभ के दौरान सभा को संबोधित करते हुए

अन्य कार्यक्रम

गुजरात के गांधीनगर में आयोजित निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान गुजरात सरकार और एमएमआरपीएल के बीच समझौता ज्ञापन का आदान–प्रदान

माननीय इस्पात मंत्री और माननीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के साथ निदेशकगण, सीवीओ और अन्य अधिकारी

एमएसटीसी के कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों के लिए कोविड–19 टीकाकरण अभियान

अध्यक्षीय संदेश

प्रिय हितधारकों,

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आपकी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है।

जैसा कि चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि जीवित रहनेवाली प्रजाति सबसे मजबूत नहीं है, न ही सबसे बुद्धिमान है, बल्कि वो जो परिवर्तन के लिए सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है।

पिछले 24 महीनों में कोविड–19, भौगोलिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आदि द्वारा हमें परखा गया है। हालांकि अपनी अटूट धैर्य की भावना के साथ हमने उन चुनौतियों को पार किया और अधिक ऊंचाइयों को हासिल किया। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि, एमएसटीसी टीम ने बड़े लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता के साथ इस दौरान अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक वृद्धि के उत्कृष्ट वर्ष में से एक, और कंपनी के इतिहास में सबसे उच्चतम पीएटी और पीबीटी रिकॉर्ड किया गया। वर्ष 2021–22 में एमएसटीसी ने उल्लेखनीय परिणामों को हासिल करने के लिए चुनौतियों का समाधान किया है।

हमें उम्मीद है कि, आने वाले वर्षों में विकास और उन्नति आपकी कंपनी को अपनी स्थिति में और सुधार करने में मदद करते रहेंगे।

आर्थिक और व्यावसायिक वातावरण

वित्तीय वर्ष 2021–22 बेहद अस्थिर और चुनौतीपूर्ण था। कोविड 19 के विनाशकारी प्रभाव ने मानव, समाज और अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव के कारण सभी को असुरक्षित कर दिया, हम अभी भी अपने दोस्तों और सहकर्मियों के खोने का शोक मना रहे हैं, जिन्होंने महामारी के कारण दम तोड़ दिया और हम अपने दोस्तों के सपनों को हासिल करने और कंपनी को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करने का संकल्प लेते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2020–21 में संकुचन के बाद, वर्ष 2021–22 में वास्तविक जीडीपी विस्तार देखा। लगभग सभी संकेतक यह बताते हैं कि, पहली तिमाही में "दूसरी लहर" हेतु आर्थिक प्रभाव वर्ष, 2020–21 में पूर्ण लॉकडाउन चरण के दौरान अनुभव की तुलना में बहुत कम था, भले ही इसका स्वास्थ्य पर प्रभाव अधिक गंभीर था।

पिछले वर्ष के दौरान, ई–कॉमर्स क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए कई नीतिगत पहलें की गई हैं, जो प्रतिभा तक पहुंच का विस्तार, रोजगार सृजन में वृद्धि, और इस क्षेत्र को विकास और नवाचार के अगले स्तर तक पहुंचायेंगी। दूरसंचार ऑपरेटरों और भारत सरकार द्वारा 4जी/5जी के लिए फाइबर नेटवर्क को चालू करने में निरंतर निवेश से भारत में ई–कॉमर्स को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी।

भारतीय ई–कॉमर्स बाजार के वर्ष 2020 में लगभग 46.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष, 2025 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। अपने डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से, भारत सरकार वर्ष, 2025 तक देश को एक ट्रिलियन डॉलर की ऑनलाइन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। वर्ष, 2021–22 ने दिखा दिया है कि, बी2बी ई–कॉमर्स का महत्त्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। यह सीधे तौर पर इस तथ्य से जुड़ा है कि, भारत ई–कॉमर्स का केंद्र बन गया है और पूरे भारत में अपने उत्पादों का लाभ उठाने के लिए व्यवसायों के साथ गतिविधियां तेजी से बी2बी

फर्मों/समर्थकों पर निर्भर हैं। बी2बी ई–कॉमर्स में वृद्धि का समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा क्योंकि यह अक्षमताओं को कम करता है और मूल्य श्रृंखला में मौजूद सभी इकाइयों के लिए बेहतर गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान;

वित्तीय वर्ष के दौरान सामना की गई बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, टीम ने दृढ़ संकल्प, समर्पण और उत्कृष्टता की इच्छा के साथ अथक रूप से काम किया है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा आश्चर्यजनक संख्या में उल्लेखनीय निष्पादन किया गया है। एमएसटीसी पिछले वर्ष की तुलना में कुल खरीद के संचालन से राजस्व में लगभग 23% की वृद्धि हासिल करने में सक्षम थी, कुल आय में 30% की वृद्धि हुई और पीबीटी में लगभग 90% की वृद्धि हुई। पीएटी में 98% की वृद्धि हुई जो कि कंपनी के लिए अब तक के सबसे अधिक लाभ के आंकड़े दर्ज करते हुए, वर्ष–दर–वर्ष लगभग दोगुना हो गई है। वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी;

- अपने मार्केटिंग और ई–कॉमर्स वर्टिकल के माध्यम से लेन–देन किए गए माल के मूल्य के मामले में 1348.04 बिलियन भारतीय रुपये को पार कर गई है जो कि वर्ष, 2020–21 में कारोबार किए गए सामानों के मूल्य से 4.51% अधिक है।
- 749.56 करोड़ रुपये की कुल आय दर्ज की है।
- कुल ई–कॉमर्स आय ₹ 202.77 करोड़ से ₹ 264.00 करोड़ तक बढ़ गई है।
- वित्तीय वर्ष के दौरान कुल ई–कॉमर्स व्यवसाय में लगभग 32.91% की वृद्धि दर्ज की गई है;
- वित्तीय वर्ष के दौरान कर पश्चात लाभ पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 101.07 करोड़ की तुलना में ₹ 200.08 करोड़ है और पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 114.68 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष के दौरान कर पूर्व लाभ ₹ 220.08 करोड़ रहा है जोकि मुख्य रूप से ई–कॉमर्स योगदान पर निर्भर रहा है।
- ₹ 8.50 प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया। इसके अलावा, बोर्ड ने ₹ 4.40 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश के भुगतान की भी सिफारिश की है जिसका भुगतान आगामी एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी के बाद किया जाएगा।

एमएसटीसी के फायदे

एमएसटीसी की ई–कॉमर्स में एक सेवा प्रदाता के रूप में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है एवं इस क्षेत्र में इसने बाजार में एक अग्रणी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भौतिक उपस्थिति और/या किसी अन्य विधि द्वारा संचालित किसी भी व्यावसायिक कार्यकलाप को ऑनलाइन कार्यकलापों में परिवर्तित करने की हमारी क्षमता ही हमारी प्रमुख शक्ति है। अधिकांश केंद्र/ सार्वजनिक सेवा उद्यम/ राज्य सरकार के विभागों और निजी क्षेत्र के संस्थानों के अपने उपभोक्ताओं को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं निर्बाध ई–कॉमर्स सेवायें प्रदान करने में इसकी अपनी विशिष्टता रही है।

एमएसटीसी ने अपने व्यवसाय क्षेत्रों में हमेशा ही पहला कदम उठाते हुए लाभ प्राप्त किया है।

सहायक कंपनी

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड कंपनी की 100% सहायक कंपनी है। वर्ष के दौरान, सहायक कंपनी का निष्पादन सराहनीय रहा है और इसने रिकॉर्ड लाभ कमाया है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, एफएसएनएल का कर पश्चात लाभ ₹ 40.36 करोड़ था जो पिछले वर्ष की तुलना में 77.42 प्रतिशत अधिक है।

एमएमआरपीएल के साथ श्रेडिंग प्लांट के लिए संयुक्त उद्यम

जैसाकि आप जानते हैं, हमारी कंपनी ने एमएमआरपीएल के माध्यम से संयुक्त उद्यम के जरिये रिसाइक्लिंग (पुनर्चक्रण) क्षेत्र में प्रवेश किया, ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला अधिकृत संग्रहण और निराकरण केंद्र स्थापित किया और बाद में चेन्नई और पुणे में भी ऐसे केंद्र स्थापित किये गये। यह पूरे भारत में अधिक संग्रहण और निराकरण केंद्र स्थापित करने का इरादा रखती है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि, एमएमआरपीएल ने प्री–ट्रैक्शन अवधि को पार कर लिया है और इसने परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है। कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 0.56 करोड़ के अपने पहले लाभ के आंकड़े प्रदर्शित किए हैं।

जब हम समेकित निष्पादन के बारे में बात करते हैं, तो एमएसटीसी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है क्योंकि इसके कर पूर्व लाभ में उल्लेखनीय रूप से 71% और कर पश्चात् लाभ में लगभग 76% की वृद्धि हुई है।

सीएसआर

मित्रों, आपका निरंतर विश्वास, प्रोत्साहन और समर्थन हमें अपने निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। हम बड़े पैमाने पर समुदायों और समाजों की आजीविका में सुधार लाने में अपनी भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं।

परिचालनीय उत्कर्षता

जैसा कि आप जानते हैं कि, आपकी कंपनी देश में एक प्रमुख स्टैंडअलोन ई–कॉमर्स कंपनी है। इस क्षेत्र में बिक्री एजेंसी व्यवसाय, कच्चे माल, खनिजों और अन्य वस्तुओं की ई–बिक्री, ई–खरीद आदि शामिल हैं। अनुकूलित ई–कॉमर्स समाधान एमएसटीसी के प्रमुख अभिनव व्यवसाय मॉडल के रूप में उभरे हैं। कंपनी द्वारा निष्पादित प्रमुख परिचालनीय गतिविधियां निम्नलिखित हैं;

- वर्ष, 2021–22 के दौरान 4 चरणों में वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के लिए बोली का आयोजन किया गया। 100 से अधिक कोयला खदानों की पेशकश की गई थी, जिनमें से 25 को वर्ष, 2021–22 के दौरान सफलतापूर्वक आवंटित किया गया था।
- ओएनजीसी और इसकी समूह कंपनियों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात और आयात के लिए एक ई–बोली पोर्टल विकसित किया।

- एनमी प्रॉपर्टीज की नीलामी के लिए भारत के लिए एनमी प्रॉपर्टी के अभिक्षक की ओर से एक नीलामी पोर्टल विकसित किया गया।
- हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड के लिए डिरोक गैस फील्ड से 1.25 एमएमएससीडी प्राकृतिक गैस के ऑफ टेक के लिए ई–बिडिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया गया। पूर्वोत्तर में प्राकृतिक गैस उद्योग के लिए बोली एक बड़ी सफलता थी। 1$ प्रति एमएमबीटीयू प्राप्त उच्चतम प्रीमियम था और गैस की पूरी मात्रा सफलतापूर्वक आवंटित किया गया।
- पहली बार ई–नीलामी के माध्यम से जिप्सम की बिक्री सफलतापूर्वक आयोजित की गई।

भावी दृष्टिकोण

एमएसटीसी मौजूदा और भविष्य के ग्राहकों को लॉजिस्टिक्स, मूल्यांकन परामर्श कार्य और निर्णय लेने के लिए प्रौद्योगिकी प्रेरित सहायता के मामले में अधिक मूल्य वर्धित सेवाएं देने का प्रयास कर रही है।

आपकी कंपनी अपने समाधान केंद्रित दृष्टिकोण के विश्वास के आधार पर, नई टेक्नोलॉजी की साइकिल की सवारी करते हुए, प्रगति की असीमित संभावनाएं देख रही है, जिसने इसे इसके उपभोक्ताओं के लिए उनका पसंदीदा परिवर्तन सहयोगी बनाया है।

खनिज और खनिज ब्लॉक

एमएसटीसी अपने बहुत ही अनुकूलित ई–कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से देश में कोयले के ब्लॉकों और सभी प्रमुख खनिज ब्लॉकों के आवंटन के लिए एक नामित एजेंसी है। देश के विभिन्न राज्यों में एमएसटीसी के ई–कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से लघु खनिज ब्लॉकों का आवंटन भी हो रहा है। इन ब्लॉकों से खनन किए जाने वाले खनिजों में ई–बिक्री की अपार संभावनाएं हैं।

ई–रिटेल सॉफ्टवेयर

एमएसटीसी ने तेल विपणन कंपनियों के लिए एक अद्वितीय एक्जिम पोर्टल विकसित करके अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ने सरकारी और निजी क्षेत्र के संगठनों, विशेष रूप से एमएसएमई को अद्वितीय समाधान प्रदान करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता विकसित की है। यह क्षेत्र भविष्य में एमएसटीसी के लिए एक महान अवसर और क्षमता रखता है।

निजी कंपनियों को लक्ष्य बनाना

एमएसटीसी निजी क्षेत्र द्वारा अप्रयुक्त ई–कॉमर्स व्यवसाय पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है और इस प्रगति में एमएसटीसी ने रिलायंस इंडस्ट्री, इंडस टॉवर टाटा पावर, एल एंड टी, जिंदल ग्रुप, वेदांता आदि जैसे कुछ बड़े नामों के साथ महत्त्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

दुनिया के कई हिस्सों में कोविड –19 के दीर्घकालीन प्रभाव, ब्याज दरों में वृद्धि, यूक्रेन में संकट, आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था अस्थिर बाजार के बीच एक नाजुक संतुलन पर टिकी हुई है और बढ़ती मुद्रास्फीति निकट अवधि के विकास की संभावनाओं पर भारी पड़ रही है। यह महसूस किया गया है कि, चालू वित्तीय वर्ष अस्थिर रहेगा और संगठन को इसका मुकाबला करने के लिए स्मार्ट तरीके विकसित करने की आवश्यकता होगी। हालाँकि, मेरा दृढ़ विश्वास है कि, डिजिटल परिवर्तन एक अभिन्न अंग है और निकट भविष्य में संगठन के विकास में यह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। हम यह सुनिश्चित करने के लिए भी विभिन्न कदम उठा रहे हैं कि, जब भी हमारे रास्ते में अवसर आए, हम दोनों हाथों से उस अवसर का लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहें।

अवसर

i) ई–कॉमर्सः एमएसटीसी देश में एक प्रमुख स्टैंडअलोन ई–कॉमर्स सेवा प्रदाता के रूप में उभरी है। भारत सरकार की प्रमुख परियोजनाओं सहित नए और विविध व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों में इसके प्रवेश के साथ, इस क्षेत्र में कई गुना बढ़ने की इसमें अपार संभावनाएं हैं।

il) एमएसटीसी सरकार और पीएसयू कारोबार को बनाए रखने की कोशिश के अलावा, निजी क्षेत्र में भी अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने का पुरजोर प्रयास कर रही है।

iii) पुनर्चक्रण क्षेत्रः संयुक्त उद्यम मार्ग के द्वारा एमएसटीसी पीपीपी मॉडल के माध्यम से ईएलवी क्षेत्र में पहल का नेतृत्व कर रही है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र, ई–कचरा और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में रिसाइकिलिंग प्लांट स्थापित करने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है जो एक उभरता हुआ क्षेत्र है।

iv) एमएसटीसी सर्कुलर (चक्रीय) अर्थव्यवस्था की दिशा में एक कदम के रूप में, रिसाइकिलिंग क्षेत्र में और अधिक क्षेत्रों में प्रवेश करने की संभावनाएं तलाश रही है।

सकंट

i) जीईएम पोर्टल – जोखिम में अवसर कम करना खरीद के लिए जीईएम पोर्टल का उपयोग करने के सरकार के निर्देश के साथ, सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की ई–खरीद में व्यवसाय प्रभावित होगा। ई–प्रोक्योरमेंट में काम का दायरा थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि किसी भी निगम के व्यवसाय का बड़ा प्रतिशत माल और सेवाओं की खरीद पर खर्च किया जाता है।

il) ट्रेडिंग व्यवसाय – एक नीतिगत मामले के रूप में, एमएसटीसी ने पारंपरिक ट्रेडिंग व्यवसाय में जोखिम की सीमा के कारण सुरक्षित कारोबार करने का निर्णय लिया है।

iii) साइबर हमले – इस प्रकार के संकट की दिनों–दिन बढ़ती आशंका को देखते हुए, साइबर हमलों के जोखिम हमेशा के लिए एक खतरा हैं। व्यावसायिक संचालन पर प्रभाव के अलावा, सुरक्षा उल्लंघन के परिणामस्वरूप प्रतिष्ठा को नुकसान, दंड और कानूनी और वित्तीय देनदारियां उत्पन्न हो सकती हैं।

iv) व्यवसाय मॉडल – आजकल प्रौद्योगिकियां ग्राहकों के दृष्टिकोण को बदल रही हैं, ग्राहकों के नए वर्ग बना रही हैं और इस प्रकार संगठन पर खुद को अपडेट रखने और ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप एक मॉडल विकसित करने के लिए एक चुनौती पैदा कर रही हैं।

निवेशक सेवाएं

कंपनी के शेयरों को दोनों डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल में अभौतिकीकृत कर दिया गया है। लगभग 64191 शेयरधारकों में से 43 शेयरधारक भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं। मैं शेष शेयरधारकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि, वे अपने शेयरों को अभौतिकीकृत करवाएं ताकि "दावारहित बोनस सस्पेंस खाता" में पड़े हुए बोनस शेयरों को संबंधित शेयरधारकों के डीमैट खाते में स्थानांतरित किया जा सके। इसके अलावा, इससे शेयरधारक समय पर लाभांश प्राप्त करने में भी सक्षम हो पायेंगे।

निगमित अभिशासन

आपकी कंपनी हमेशा निगमित अभिशासन अभ्यासों के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। कंपनी सीपीएसईस के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा तैयार किए गए निगमित अभिशासन पर सरकारी दिशानिर्देशों और सेबी (सूचीयन बाध्यता एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2015 का अनुपालन कर रही है। आपकी कंपनी अपने हितधारकों के अधिकतम लाभ के लिए लगातार काम कर रही है और इन दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने निगमित संचालन को इसके अनुरूप ढाला है। कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं स्थापित की हैं कि, उसके निदेशक मंडल को नीतियों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें और सभी हितधारकों के समग्र मूल्य को बढ़ाने में सक्षम रहें। आपकी कंपनी बदलते विधि–विधानों को अपनाने और उनका अनुपालन करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रही है और अपने नियंत्रण की सीमा तक कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों/मानदंडों का पालन करना जारी रखती है।

पुरस्कार एवं सम्मान

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी को इस्पात सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बीच राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तीसरा इस्पात राजभाषा सम्मान–2021 प्राप्त हुआ है।

मानव संसाधन

आपकी कंपनी ने हमेशा से ही अपने मानव संसाधन को सबसे महत्त्वपूर्ण संसाधन माना है और विभिन्न कर्मचारी लाभदायी कार्यक्रमों का संचालन करती रही है। हमारे औद्योगिक संबंध हमेशा सौहार्दपूर्ण और सहभागी रहे हैं। हमने भारत में कई शहरों में कार्यालय खोले हैं ताकि, हम अपने प्रिंसिपल्स और ग्राहकों तक आसानी से पहुंच सकें और अधिक व्यवसाय कर सकें।

आभारोक्ति

मैं माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री, माननीय इस्पात राज्य मंत्री, सचिव (इस्पात), अपर सचिव और एफए (इस्पात), अपर सचिव इस्पात और इस्पात, रक्षा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खनन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्रालय और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अन्य अधिकारियों, सभी राज्य सरकारों, विभिन्न केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी कंपनियों, बैंकर, शेयरधारक हमारे प्रिंसिपल और अन्य व्यक्तियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वर्ष के दौरान कंपनी को उन्होंने बहुमूल्य सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया। मैं सभी स्तरों पर विभिन्न कर्मचारियों द्वारा किए गए ईमानदार प्रयासों की भी सराहना करता हूं। मैं सभी हितधारकों, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं को आपकी कंपनी पर साल–दर–साल उनके द्वारा दिखाए गए भरोसे और विश्वास के लिए आभार व्यक्त करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि, हम अपने हितधारकों के लिए बेहतर मूल्य सृजन हेतु अपने प्रयास निरंतर जारी रखेंगे।

धन्यवाद,

जय हिन्द!

सुरेंद्र कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रमुख निष्पादन

संचालन से राजस्व
(₹ लाख में)

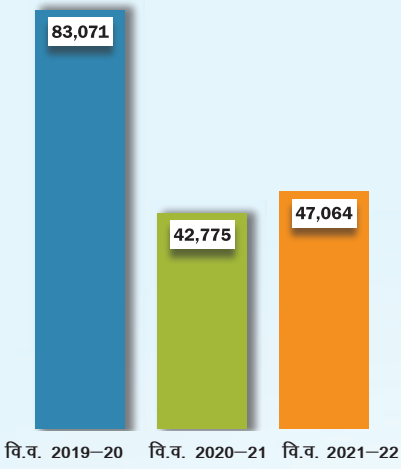

कर अदायगी के बाद लाभ
(₹ लाख में)

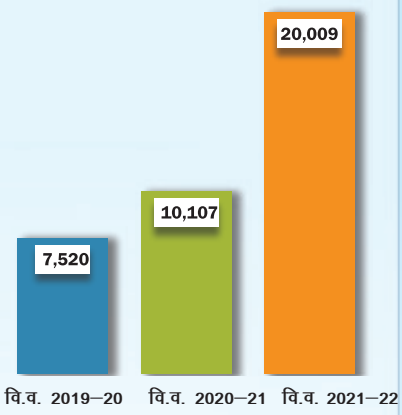

ईबीआईटीडीए
(₹ लाख में)

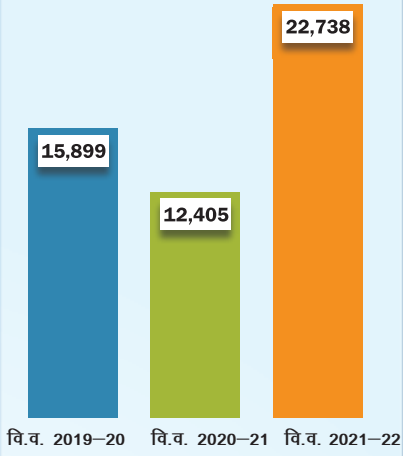

प्रति शेयर आय
(₹ लाख में)

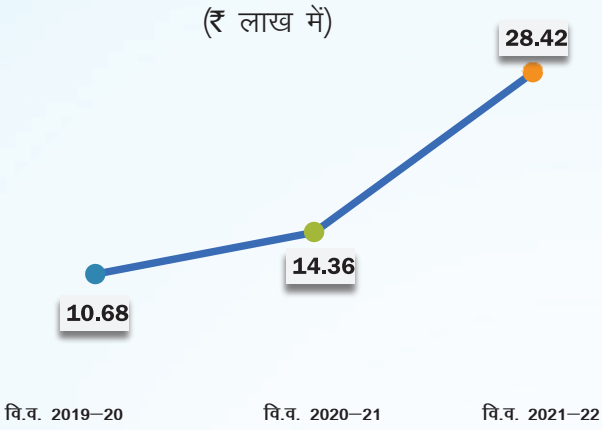

बाजार पूंजीकरण
(₹ लाख में)

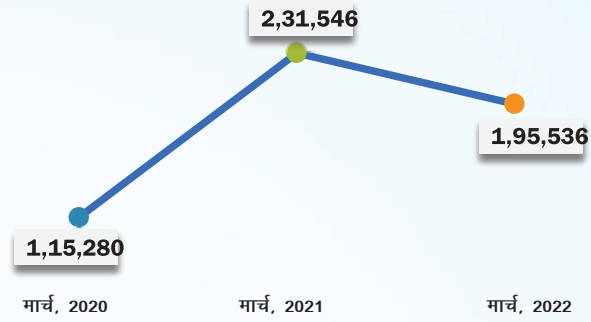

व्यवसाय की कुल मात्रा
(₹ लाख में)

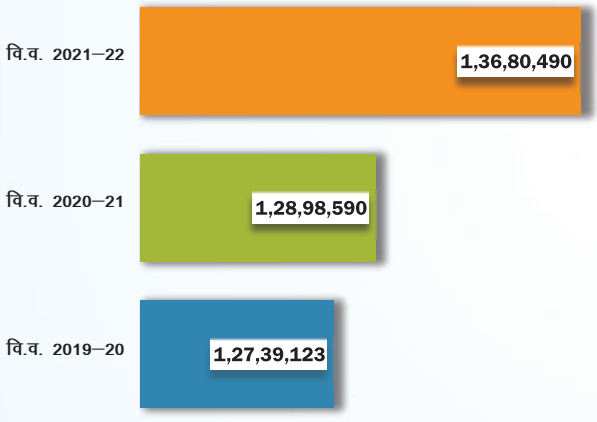

वित्त वर्ष 2021–22 में कारोबार की मात्रा
(₹ लाख में)

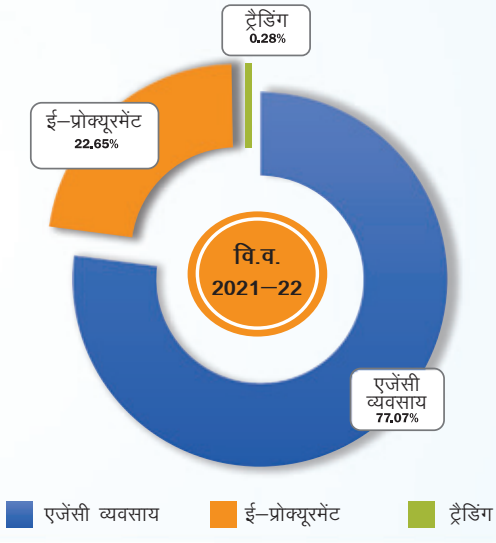

खंड के अनुसार व्यवसाय की मात्रा

(₹ लाख में)

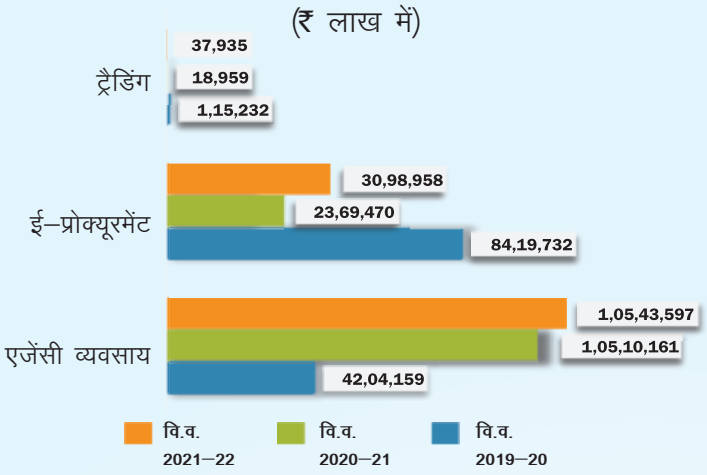

खंड के अनुसार राजस्व

(₹ लाख में)

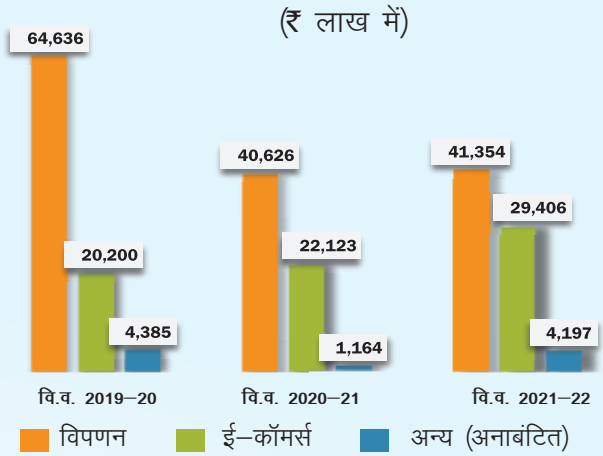

कर अदायगी के बाद समेकित लाभ

(₹ लाख में)

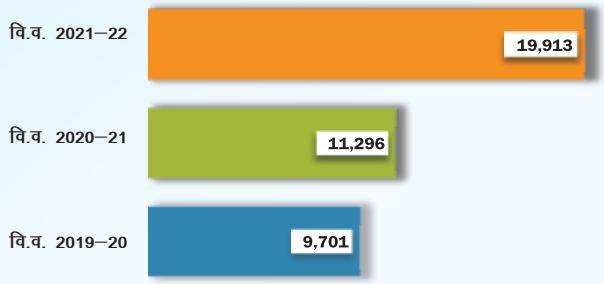

संचालन से समेकित राजस्व

(₹ लाख में)

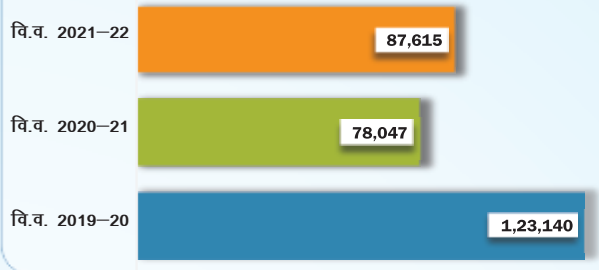

लाभांश दर

(₹ लाख में)

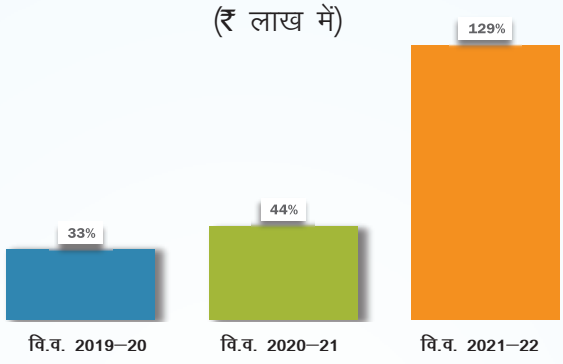

सहायक कंपनी का निष्पादन

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड

(₹ लाख में)

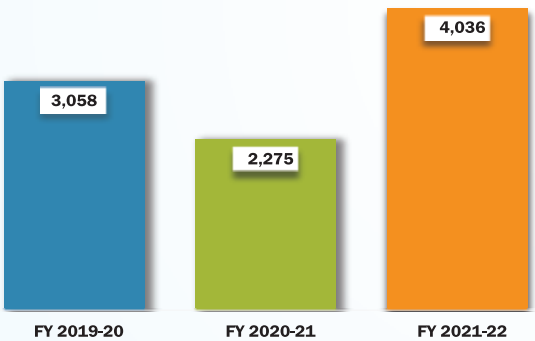

कर पश्चात लाभ

संयुक्त उद्यम का निष्पादन

महिंद्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्रा. लिमिटेड

(₹ लाख में)

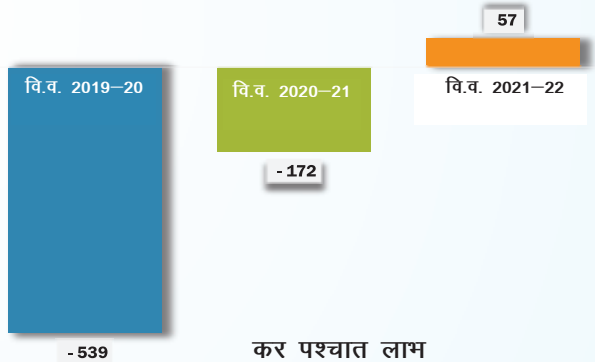

कर पश्चात लाभ

सांविधिक रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन

भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2020–21 के संकुचन के बाद वर्ष 2021–22 में वास्तविक जीडीपी विस्तार देखा गया। इसका तात्पर्य यह है कि समग्र आर्थिक गतिविधि पूर्व–महामारी के स्तरों से उबर चुकी है। लगभग सभी संकेतक बताते हैं कि पहली तिमाही में ''दूसरी लहर'' का आर्थिक प्रभाव 2020–21 के संपूर्ण लॉकडाउन चरण के दौरान अनुभव हुए प्रभाव की तुलना में बहुत कम था, हालांकि इसका स्वास्थ्य पर प्रभाव पहले से अधिक गंभीर था। अधिकांश आबादी को टीका लग जाने के कारण आर्थिक गति फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगी है और होने वाले आपूर्ति–पक्ष सुधारों के संभावित दीर्घावधि लाभों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022–23 में अच्छी जीडीपी वृद्धि दर्ज करने की बेहतर स्थिति में हैं।

पिछले वर्ष के दौरान, ई–कॉमर्स क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए कई नीतिगत पहल की गई हैं, जिसमें अन्य सेवा प्रदाता नियमों में छूट, दूरसंचार क्षेत्र सुधार और उपभोक्ता संरक्षण (ई–कॉमर्स) नियम, 2020 शामिल हैं। यह प्रतिभा तक पहुंच में उल्लेखनीय रूप से विस्तार करेगा, रोजगार सृजन में वृद्धि करेगा, और इस क्षेत्र को विकास और नवाचार के अगले स्तर तक पहुंचाएगा। 4जी/5जी के लिए फाइबर नेटवर्क को चालू करने में दूरसंचार ऑपरेटरों और भारत सरकार द्वारा निरंतर निवेश से भारत में ई–कॉमर्स को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

भारतीय ई–कॉमर्स बाजार के वर्ष 2020 के 46.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025 तक लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। भारत सरकार ने अपने 'डिजिटल इंडिया' अभियान के

भारत में ई–कॉमर्स उद्योग का आशुचित्र

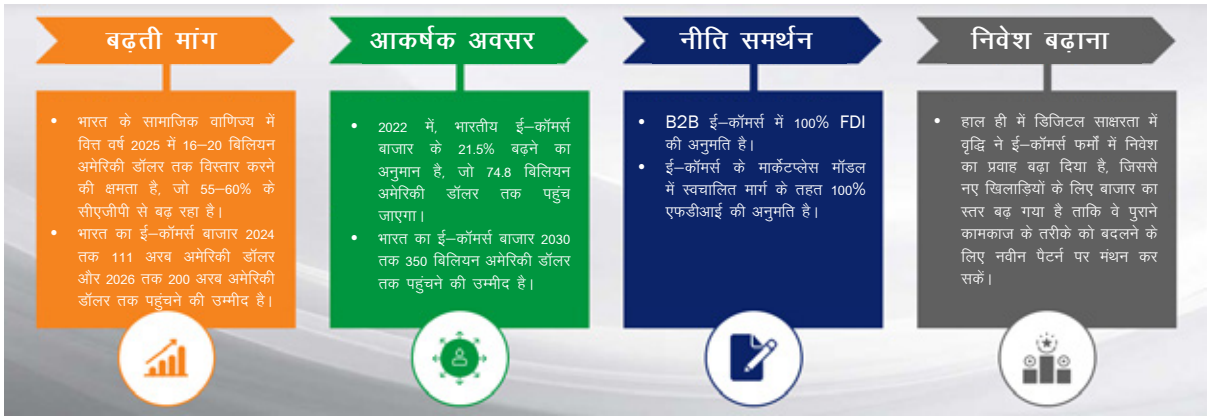

स्रोतः आईबीईएफ वेबसाइट

माध्यम से, वर्ष 2025 तक एक भारत की अर्थव्यवस्था को ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। साल 2021–22 ने दिखा दिया है कि बी2बी ई–कॉमर्स का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। यह सीधे तौर पर इस तथ्य से जुड़ा है कि अखिल भारतीय ई–कॉमर्स गतिविधियों के लिए एक केंद्र बन गया है, जहां व्यवसाय तेजी से अपने उत्पादों का लाभ उठाने के लिए बी 2 बी फर्मों / एनेबलर्स पर निर्भर हैं। बी2बी ई–कॉमर्स में वृद्धि का समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह अक्षमताओं को कम करता है और मूल्य श्रृंखला में मौजूद सभी के लिए बेहतर गुणवत्ता और मूल्य सुनिश्चित करता है।

भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट–अप इंडिया, स्किल इंडिया और नवोन्मेषण निधि जैसे विभिन्न पहलों की घोषणा की है। ऐसे कार्यक्रमों के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन से देश में ई–कॉमर्स के विकास को बल मिलने की संभावना है। ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खुदरा विक्रेताओं की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) कथित तौर पर कैटलॉगिंग के लिए प्रॉटोकॉल, विक्रेता खोज, डिजिटल कॉमर्स और कीमत की खोज के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) का उपयोग करने की योजना बना रहा है। विभाग का लक्ष्य देश और उसके नागरिकों के व्यापक हित में ई–कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र का अधिकतम उपयोग करने के लिए सभी बाजार की कंपनियों को समान अवसर प्रदान करना है।

भारत सरकार ने वर्ष 2021–22 में भारत में स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं, जैसे स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपेज नीति की घोषणा करना और वाणिज्यिक खनन की अनुमति देना। नतीजतन, नए उत्पादों के निर्माण में स्टील, एल्यूमीनियम और अन्य लौह और अलौह धातुओं के स्क्रैप का फिर से उपयोग किया जा सकता है। लौह स्क्रैप की खपत प्राथमिक और द्वितीयक इस्पात निर्माण दोनों क्षेत्रों में बढ़ेगी, और 2030 तक इसके लगभग 75 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुंचने का अनुमान है।

निजी क्षेत्र के लिए कोयला खनन को खोलना भी कोयला क्षेत्र का सबसे महत्वाकांक्षी सुधार है। यह कोयला उत्पादन में दक्षता और प्रतिस्पर्धा लाएगा, निवेश आकर्षित करेगा और इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी, और कोयला क्षेत्र में अधिक रोजगार पैदा करने में मदद करेगा। अब तक 28 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है।

इनमें से 27 कोयला खदानों की नीलामी निजी कंपनियों को की जा चुकी है।

तेजी से हो रही टीकाकरण, कड़े सामाजिक प्रतिबंधों में ढील और अभी भी सहायक राजकोषीय और मौद्रिक रुख के बीच, भारत की समग्र आर्थिक सुधार एक ठोस पथ पर है। 2021 में 9 प्रतिशत के विस्तार के बाद 2022 में सकल घरेलू उत्पाद में 6.7 प्रतिशत का विस्तार होने का अनुमान है। मजबूत निर्यात वृद्धि और सार्वजनिक निवेश आर्थिक गतिविधियों को रेखांकित करते हैं, लेकिन उच्च तेल की कीमतें और कोयले की कमी निकट अवधि में आर्थिक गतिविधियों में बाधा डाल सकती है। सुधार से परे समावेशी विकास में सहयोग हेतु निजी निवेश को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण रहेगा। भारत ने 2030 तक अक्षय स्रोतों से अपने ऊर्जा मिश्रण का 50 प्रतिशत प्राप्त करने और 2070 तक नेट–शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के प्रतिबद्धता के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

वैश्विक परिदृश्य

कोविड–19 महामारी के दो साल में म्यूटेंट रूपों के बार–बार आने वाली लहरों, आपूर्ति–श्रृंखला व्यवधानों और उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं दोनों में मुद्रास्फीति की वापसी के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता से ग्रस्त रहा है। इसके अलावा, अगले वर्ष के दौरान प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा चलनिधि की संभावित आहरण से भी वैश्विक पूंजी प्रवाह अधिक अस्थिर होने की संभावना है।

जैसा ही 2021 में विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, इसे सुपुर्दगी में देरी, कंटेनर की कमी और सेमीकंडक्टर चिप की कमी से लेकर आपूर्ति–पक्ष की गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के अनुसार, कोविड–19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अचानक गिरावट आई। लेकिन 2020 के अंत तक एक तेज वापसी हुई थी। कंटेनर व्यापार प्रवाह में सुधार, जो मुख्य रूप से पूर्व–पश्चिम कंटेनरीकृत व्यापार लेन पर था, लॉजिस्टिक ने चुनौतियों और बाधाओं की एक श्रृंखला तैयार की, इसके कारण दरों और कीमतों में वृद्धि हुई, देरी और रहने के समय में वृद्धि हुई, और सेवा विश्वसनीयता में कमी आई।

वर्ष 2021–22 की पहली छमाही में वैश्विक आर्थिक गतिविधि में तेजी देखी गई, जिसने विश्व व्यापार को अपने पूर्व–महामारी के शीर्ष से आगे बढ़ा दिया। इसे दर्शाते हुए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अनुमानित वैश्विक सुधार के अनुरूप 2021 में वस्तुओं और सेवाओं में वैश्विक व्यापार की मात्रा में 9.7 प्रतिशत की उच्च वृद्धि का अनुमान लगाया, जिसे 2022 के लिए 6.7 प्रतिशत कर दिया गया। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने भी 2021 में वैश्विक व्यापारिक व्यापार की मात्रा में वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को 10.8 प्रतिशत तक बढ़ा दिया और इसे 2022 में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया।

2021–22 में, वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति में तेजी आई क्योंकि अर्थव्यवस्थाओं के खुलने के साथ ही आर्थिक गतिविधि फिर से शुरू हो गई। कोविड–19 से संबंधित प्रोत्साहन खर्च, मुख्य रूप से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में परिवारों को विवेकाधीन हैंडआउट्स के रूप में, उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने वाली मांग के साथ, उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं दोनों में मुद्रास्फीति में तेजी आई। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, मुद्रास्फीति 2020 के 0.7 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में लगभग 3.1 प्रतिशत हो गई है। ऊर्जा, खाद्य, गैर–खाद्य वस्तुओं और इनपुट कीमतों में वृद्धि, आपूर्ति बाधाओं, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और दुनिया भर में बढ़ती माल ढुलाई लागत ने वर्ष के दौरान वैश्विक मुद्रास्फीति में वृद्धि की। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन और उसके सहयोगियों (ओपेक+) द्वारा अर्थव्यवस्थाओं में सुधार और आपूर्ति में कटौती से मांग में वृद्धि के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भी वर्ष के दौरान तेजी देखी गई।

हालांकि, कई उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन के लिए भारत द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों के कारण भारत में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति नवंबर 2021 में 4.9 प्रतिशत और दिसंबर 2021 में 5.6 प्रतिशत ही रही। ।

कोविड–19 महामारी से वैश्विक आर्थिक सुधार अस्थिर बाजार और बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच नाजुक संतुलन पर टिका है, जो काफी हद तक निकट अवधि के विकास की संभावनाओं पर निर्भर करता है। 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 5.5 प्रतिशत की गति से बढ़ी है, जो 2020 के 3.4 प्रतिशत तक संकुचन के बाद 1976 के बाद से उच्चतम विकास दर है। 2021 में विश्व सकल उत्पाद 2019 की तुलना में 1.9 प्रतिशत अधिक रहा, लेकिन अभी भी कोविड–19 से पहले के अनुमानित स्तर से 3.3 प्रतिशत नीचे है। 2021 में आउटपुट रिकवरी से पता चलता है कि बड़े पैमाने पर घरेलू खर्च किया गया है और फिर से निवेश की प्रक्रिया पटरी पर लौट आई है, जो दुनिया भर में लॉकडाउन के उपायों के बीच 2020 में एक डरावने स्तर पर आ गई थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2022 में 4 प्रतिशत और 2023 में 3.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो 2010 और 2019 के बीच प्रति वर्ष लगभग 3 प्रतिशत के आस–पास रही है।

कंपनी का व्यवसाय

एमएसटीसी के दो प्रमुख व्यवसाय हैं – पहला ई–कॉमर्स और दूसरा ट्रेडिंग। ई–कॉमर्स क्षेत्र में एक सेवा प्रदाता के रूप में एमएसटीसी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा यह इस क्षेत्र में सबसे अग्रणी है। अपने ग्राहकों को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं बाधारहित सेवाएं प्रदान करने की वजह से इसे केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, पीएसयू तथा कुछ निजी प्रतिष्ठानों में भी सेवा प्रदान करने का गौरव प्राप्त है।

क. ई–कॉमर्स व्यवसाय

एमएसटीसी देश का मुख्य एकल ई–कॉमर्स सेवा प्रदाता है। एमएसटीसी ने विभिन्न उत्पादों जैसे कि स्क्रैप, कोयला, लौह अयस्क, खनिज, कृषि/वन उत्पादों, फ्लाई एश इत्यादि में ई–कॉमर्स शुरू किया है। इसके अलावा, भूमि, भवन, अपार्टमेंट, बैंक के एनपीए एवं डीआरटी अधीन संपत्तियों, जैविक कृषि उपज आदि के ई–नीलामी का कार्य भी आरंभ किया गया है।

स्पेक्ट्रम नीलामियाँ, उ.प्र. में रेत खनन ब्लॉक की ई–नीलामी एवं आईओसीएल के एग्जिम उत्पाद, शराब की दुकान की लाइसेंस, बैंकों का एनपीए हाल के दिनों के प्रमुख कार्यकलाप रहे हैं।

कोयला एवं खनिज ब्लॉक (बड़े एवं लघु दोनों) की नियमित नीलामी के लिए पोर्टल का विकास, एमएसटीसी के ई–कॉमर्स सेवाओं में सरकार के विश्वास को प्रतिपादित करता है।

विक्रय एजेंसी व्यवसाय

दीर्घ समयावधि हेतु, एमएसटीसी बड़ी संख्या में सरकारी विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्क्रैप, अधिशेष भंडारों, पुराने संयंत्र एवं मशीनरी, ई–कचरा, खतरनाक सामग्रियों, परित्यक्त सामग्री इत्यादि के निपटान हेतु सेलिंग एजेंट के रूप में कार्य कर रही है। एमएसटीसी की प्रक्रिया विक्रेताओं को ऐसे निपटान की गतिविधियों से उनके वार्षिक राजस्व सृष्टि का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समर्थ कराती है। एमएसटीसी न्यूनतम मानव प्रयासों के साथ बोली कैटलॉग को तैयार करने से डिलीवरी ऑर्डर के जारी करने तक सेवाओं का परिपूर्ण पैकेज ऑफर करती है। निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्योग भी अपने स्क्रैप और अधिशेष भंडार के निपटान हेतु, एमएसटीसी की ई–नीलामी प्रणाली में भरोसा दिखा रहे हैं, ताकि उन्हें अच्छी आय प्राप्त हो सके।

ई–बिक्री

2004 में ई–निलामी के जरिए कोयला की बिक्री प्रारंभ हुई है, तब से एमएसटीसी सामग्रियों के विभिन्न विक्रेताओं को विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ई–नीलामी के विभिन्न मॉड्यूल विकसित कर रही है। कोयला के साथ ही एमएसटीसी अन्य खनिज यथा मैंगनीज अयस्क, लौह अयस्क, लिग्नाइट, क्रोम अयस्क, बॉक्साइट आदि तथा विविध अन्य उत्पादों मसलन पेट कोक, फ्लाइ एश आदि की बिक्री कर रही है। एमएसटीसी कई राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों में सभी प्रमुख खनिज ब्लॉक एवं लघु खनिज ब्लॉक के लिए मनोनीत एजेंसी है।

ई–खरीद

ई–खरीद में, एमएसटीसी गुणवत्ता आवश्कताओं के लिए अनिवार्य एसटीक्यूसी प्रमाणपत्र के समर्थन के साथ ई–निविदा एवं ई–रिवर्स नीलामी सेवाएँ प्रदान करती हैं। हालांकि, वित्त वर्ष 2013–14 में एमएसटीसी ने मामूली शुरुआत की, परंतु तदुनरांत वर्ष में इसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है एवं भविष्य में जबरदस्त वृद्धि के लिए तैयार है। यह पद्धति गुणवत्ता एवं सुरक्षा जाँचों के लिए एसटीक्यूसी द्वारा तैयार दिशा–निर्देशों का अनुपालन करती है। ई–खरीद समाधान का एक उन्नत उपयोगकर्ता के अनुकूल संस्करण लॉन्च किया गया था और वर्तमान में एसटीक्यूसी द्वारा प्रमाणन के अधीन है।

ई–समाधान

पिछले कुछ वर्षों में, एमएसटीसी ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के लिए कई प्रमुख ई–बोली पैकेज की डिलीवरी की है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान, इसे और मजबूत बनाते हुए ई–बोली समाधानों जैसे कि दीप, टीबीसीबी, शक्ति, ई–विक्रय पोर्टल आदि के लिए अपने विभिन्न प्लेटफार्मों में सुधार किया है।

एमएसटीसी ने जैविक खेती पोर्टल के विकास हेतु कृषि, सहयोग एवं कृषक कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफडब्ल्यू) के साथ सहयोग किया है जिसका उद्देश्य है देश में जैविक खेती की खपत और जैविक खाद्य पदार्थों की खपत को प्रोत्साहित करना। पिछले वित्त वर्ष के दौरान, एमएसटीसी ने डाक विभाग के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हुए ग्राहकों के घर तक जैविक खेती की उपज को पहुँचाने की पहल की है। अतएव, उत्पादाकों एवं गाहकों के बीच फासले को मिटाने की दिशा में यह एक महत्वपूण कदम है।

सरफेसी अधिनियम के अधीन विभिन्न बैंकों की गिरवी रखी संपत्तियों की बिक्री हेतु आईबीएम के ई–विक्रय वेबसाइट के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करने के लिए एमएसटीसी को ई–नीलामी पोर्टल विकसित करने की एजेंसी के रूप में इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) द्वारा नामित किया गया है। वित्त वर्ष के दौरान लगभग ₹ 5,36,421 लाख मूल्य की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 6,134 संपत्तियां बेची गई थी।

एमएसटीसी द्वारा विकसित कुछ उल्लेखनीय ई–समाधान निम्नानुसार हैं:

कोयला खान की नीलामियाँ: एमएसटीसी ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के साथ–साथ अन्य संबंधित अधिनियमों और संशोधनों के अनुसार कोयले की बिक्री (वाणिज्यिक खनन) के लिए कोयला मंत्रालय (भारत सरकार) के लिए पोर्टल विकसित और संचालित किया है। वाणिज्यिक कोयला खदान की नीलामी के लिए बोली 2021–22 के दौरान 4 चरणों के प्रयासों के साथ जारी रही। 100 से अधिक कोयला खदानों की पेशकश की गई थी, जिनमें से 25 को 2021–22 के दौरान सफलतापूर्वक आवंटित किया गया था।

पेट्रोलियम उद्योग के लिए एग्जिम पोर्टल: पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात और आयात के लिए ऑनलाइन बोली मंच का विकास किया गया है और इसकी डिलीवरी आईओसीएल को की गई है। एग्जिम पोर्टल पूरी तरह से चालू है और आईओसीएल विगत वित्त वर्ष के दौरान एग्जिम पोर्टल का उपयोग करना जारी रखा है। ओएनजीसी– मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के लिए भी एक अलग पोर्टल विकसित किया गया है। एमएसटीसी ने हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड के लिए प्राकृतिक गैस की बिक्री भी सफलतापूर्वक की।

ई–रकम (ई–राष्ट्रीय किसान कृषि मंडी) पोर्टल: एमएसटीडी लिमिटेड ने कृषि उत्पादों के व्यवसाय के लिए एक राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल – ई–रकम को आरंभ किया है। यह ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो मूल रूप से खाद्यान्न, सब्जियों, फल, मसालों और सभी कृषि संबंधी उत्पादों का व्यापार करता है एवं किसानों को ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जोड़ता है। इस प्लेटफॉर्म को सफल बनाने के लिए एमएसटीसी ने दाल, तिलहन एवं जौ बाजार के साथ ऐसे अन्य अनाजों में फॉरवर्ड ट्रेडिंग चालू किया है। यह पोर्टल बिचौलियों की बहु परतों को खत्म करेगा और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर समृद्ध उपज का वादा करने के अलावा किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद करेगा।

एलपीजी डीलरशिप के चयन के लिए ऑनलाइन ड्रा सिस्टम: ऑनलाइन ड्रा सिस्टम बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से पात्र आवेदकों में से आवेदकों का चयन करने की प्रक्रिया है। वर्तमान प्रणाली में, इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं और फिर इन उम्मीदवारों में से पात्र उम्मीदवारों को ड्रा में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। यह सॉफ्टवेयर ऑनलाइन ड्रॉ के संचालन के कार्यकलापों में उपयोग किया जाता है एवं स्क्रीन पर विजेताओं के नाम की घोषणा करती है। यह प्रणाली इस्तेमाल में बहुत आसान है और अधिकतम जटिल ड्रॉ के लिए भी तैयार हैं। कुल योग्य आवेदकों में से प्रत्येक बार केवल एक योग्य आवेदक के चयन द्वारा ऑनलाइन

कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ (ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ सिस्टम) के संचालन हेतु यादृच्छिक नंबर देने वाली कलन गणित (एल्गारिथम) के साथ इस अनुप्रयोग को विकसित किया गया है। एक बटन करे दबाने से यादृच्छिक क्रम में पूरे विवरण के साथ आवेदकों के नाम के प्रदर्शन के लिए शफलिंग की जाएगी। शफलिंग (उलट–पलट) करने की प्रक्रिया विज्युलाइजेशन प्रदर्शनी स्क्रीन पर की जाती है।

एमएसटीसी ने राजस्थान राज्य आबकारी विभाग की ओर से ई–नीलामी मोड के माध्यम से राजस्थान शराब दुकान लाइसेंसिंग अनुबंध सफलतापूर्वक संचालन किया है। इस नीलामी का आयोजन 34 जिलों के लिए किया गया था। इन जिलों में कुल दुकानों की संख्या 7665 है जिनकी नीलामी की गई थी।

एमएसटीसी ने आईओसीएल के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसमें थोक पीओएल (पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट) के लिए ट्रांसपोर्टरों को अंतिम रूप से तय किए जाने हेतु निविदा सह नीलामी/स्वतंत्र नीलामी मुहैया कराई जा सकती है। इस एप्लिकेशन में कई अत्याधुनिक प्रणालियाँ हैं, जैसे कि पूर्व निर्धारित नियमों पर आधारित स्व–मूल्यांकन एवं प्रावधानिक आवंटनों का निर्धारण जिसमें आरक्षित श्रेणियों आदि के लिए उपयुक्त आवंटन प्रदान किया गया है।

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ने 'गैस एक्सप्लोरेशन और सेलिंग एजेन्सीज' द्वारा ई–बोली गतिविधियों के संचालन हेतु एमएसटीसी को सेवा प्रदाताओं के रूप में सूचीबद्ध किया है। वर्तमान में, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड अपनी ई–बोली गतिविधियों के संचालन के लिए एमएसटीसी की सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ट्रान्समिशन सेवा प्रदाता (इंटरस्टेट/इंट्रास्टेट टीबीसीबी): विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 'ट्रांसमिशन सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देश' और ''ट्रांसमिशन परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देश'' अधिसूचित किया हैं। इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसरण में, बिड प्रोसेस कोऑर्डिनेटर, जैसे कि आरईसीटीपीसीएल और पीएफसीसीएल इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) परियोजनाओं के लिए एमएसटीसी की सेवाओं का उपयोग करते हुए कार्यकलापों का संचालन कर रहे हैं। इसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा परियोजनाएं भी शामिल हैं।

एमएसटीसी ने हाल ही में अपने संगठन की टीम द्वारा विकसित अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सामान्य स्क्रैप नीलामी में भाग लेने के लिए सभी बोलीदाताओं द्वारा ऐप का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही, इसका उपयोग विक्रेताओं और व्यवस्थापक द्वारा आरक्षित मूल्यों की प्रविष्टि, लाइव नीलामी देखने, नीलामी संबंधी रिपोर्ट देखने आदि जैसे संबद्ध कार्यों को करने के लिए किया जा सकता है। भविष्य में, अन्य सभी कार्यात्मकताओं और नीलामी के प्रकारों को शामिल करने के लिए ऐप का विस्तार किया जा रहा है जो एमएसटीसी पोर्टल के वेब संस्करण में उपलब्ध हैं।

एनटीपीसी के अपने विभिन्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एफजीडी (फ्लू गैस डिसल्फाराजेशन) प्लांट और कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट यूनिट की अन्य परियोजनाओं की स्थापना के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ एवं सुविधानुसार निर्मित एक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का विकास किया है। इसकी खरीद प्रक्रिया के तहत निविदा निकाली जाएगी, फिर रिवर्स ऑक्सन और मल्टीकरेंसी में बोली प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के कुल व्यवसाय परिमाण में ई–कॉमर्स का व्यवसाय लगभग 99.72% (वर्ष 2020–21 में 99.85%) है। कुल परिचालनीय आय में इसका योगदान 84.66 (वर्ष 2020–21 में 80.11%) है।

ख. ट्रेडिंग व्यवसाय

ट्रेडिंग व्यवसाय में, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान व्यवसाय के कुल परिमाण का 0.28% (2020–21 में 0.15%) की भागीदारी के साथ एमएसटीसी क्रेताओं की ओर से कच्ची सामग्री के क्रय हेतु एक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करता है और प्रतिशत आधार पर शुल्क प्रभारित करता है।

कंपनी के कुल परिचालनीय आय में इस व्यसाय का योगदान 1.28% (वर्ष 2020–21 में 1.65%) है।

यह प्रभाग वर्तमान में ग्राहक से 110% की बैंक गारंटी (बीजी) पर औद्योगिक कच्चे माल, परियोजना उपकरण आदि की खरीद के व्यवसाय में लगा हुआ है। जिन ग्राहकों ने बीजी सीमा को मंजूरी दी है, और उनका उपयोग अपनी परियोजनाओं के लिए या व्यापार के लिए कच्चे माल/वस्तुओं की खरीद के लिए कर सकते हैं। इस मॉडल में, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ग्राहक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खोले गए 110% बीजी द्वारा समर्थित ग्राहकों की ओर से खरीद की जाती है। घरेलू खरीद के लिए सुविधाकर्ता पद्धति में एलसी/आरटीजीएस के माध्यम से आपूर्तिकर्ता को भुगतान जारी किया जाता है। सामग्री सीधे ग्राहक को भेज दी जाती है जिसके चलते भंडारण की आवश्यकता नहीं रह जाती है जिसके परिणामस्वरूप गोदाम और संरक्षक प्रभार की बचत होती है। एमएसटीसी की समूची अवस्थिति ग्राहक द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी द्वारा संरक्षित रहती है।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान इस क्षेत्र से सेवा शुल्क ₹ 399 लाख का सेवा प्रभार अर्जित किया गया था। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान ट्रेडिंग डिवीजन का कुल निष्पादन ₹ 37,935 लाख रहा।

ग. पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग)

एमएसटीसी ने महिंद्रा इंटरट्रेड लिमिटेड के साथ अपने संयुक्त उद्यम, महिंद्रा एमएसटीसी रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड (एमएमआरपीएल) के माध्यम से एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स (ईएलवी) और व्हाइट गुड्स के वैज्ञानिक पुनर्चक्रण के लिए ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला अधिकृत संग्रहण और निराकरण केंद्र स्थापित किया है, जहाँ पर्यावरणीय उपयोग स्वरूप में प्रदूषण–मुक्त करने, विखंडित करने और धात्विक अंश को बेल में रूपांतरित करने के लिए ईएलवी का क्रय किया जाता है। एमएमआरपीएल ने चेन्नई और पुणे में संग्रह और निराकरण केंद्रों का संचालन किया है और चालू वित्तीय वर्ष में और अधिक संग्रह और निराकरण केंद्र स्थापित करने की योजना है। नई स्क्रैपेज नीति की शुरुआत के साथ, आने वाले वर्षों में एमएमआरपीएल का कारोबार बढ़ने की उम्मीद है।

भावी दृष्टिकोण

एमएसटीसी विशेष रूप से निर्मित अपने ई–कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से देश में कोयला ब्लॉकों और सभी प्रमुख खनिज ब्लॉकों के आवंटन के लिए एक नामित एजेंसी है। लघु खनिज ब्लॉकों का आवंटन देश के विभिन्न राज्यों में एमएसटीसी के ई–कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से भी हो रहा है। माइन डेवलपर–सह–ऑपरेटर का चयन ज्यादातर एमएसटीसी के ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, कोयले सहित सभी प्रमुख खनिजों की बिक्री एमएसटीसी के ई–नीलामी पोर्टल के माध्यम से की जा रही है, जिसमें बारबिल क्षेत्र में खनिज के दो खान शामिल नहीं हैं जो उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के संगम पर स्थित है।

एमएसटीसी का इरादा एकीकृत ई–कॉमर्स समाधान के लिए स्टार्टअप्स और छोटी सॉफ्टवेयर कंपनियों को जोड़ने का है।

हालांकि एमएसटीसी ने भारत में वन और कृषि क्षेत्र में प्रवेश किया है, लेकिन आक्रामक विपणन रणनीति और निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के माध्यम से भारत के विशाल बाजार में इसे अग्रणी भूमिका निभानी है। जैविक उपज और पूर्वोत्तर में प्राकृतिक रूप से उपजे कृषि–बागवानी उत्पाद जैसे उत्कृष्ट बाजार में पैठ जमाना एमएसटीसी का लक्ष्य है।

एमएसटीसी ने तेल विपणन कंपनियों के लिए एक एग्जिम पोर्टल विकसित करके खुद के लिए एक खास जगह बनाई है और इस प्रक्रिया के तहत एमएसटीसी ने सरकारी और निजी संगठनों विशेष रूप से एमएसएमई को ई–रिटेल सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता विकसित की है। इस क्षेत्र में एमएसटीसी के लिए भविष्य में अच्छा अवसर एवं संभावना विद्यमान है।

एमएसटीसी सरकारी एवं निजी कंपनियों के लिए एनपीए के रूप में चल और अचल संपत्तियों के लिए एनपीए नियमित नीलामी का संचालन कर रही है। परंतु एकल सेवा प्रदाता द्वारा एनपीए की बिक्री के समेकन हेतु बैंकों की ओर से हाल ही में उठाया गया कदम परिचालन में है।

एमएसटीसी निजी क्षेत्र से अनछुए ई–कॉमर्स व्यवसाय पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है और अपने इस प्रयास के तहत एमएसटीसी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडस टॉवर, टाटा पावर, वेदांत, जिंदल पावर लिमिटेड जैसे कुछ बड़े नामों के साथ स्वीकृति अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है।

एमएसटीसी सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में एक कदम के रूप में रीसाइक्लिंग क्षेत्र से और अधिक क्षेत्रों में प्रवेश करने की संभावनाएं तलाश रही है।

कतिपय प्रमुख अवसर जिस पर एमएसटीसी प्रयास कर रही है:

हाल ही में ई–नीलामी के जरिए बड़े एवं लघु खनिज ब्लॉकों की बिक्री हेतु सरकार की पहल भी एमएसटीसी के लिए अवसर की खुली खिड़की (विंडो) है एवं अधिकांश राज्य सरकारों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जो एमएसटीसी के राजस्व के लिए सकारात्मक परिणाम दे सकता है।

एमएसटीसी उत्तर प्रदेश मॉडल के अनुरूप अन्य राज्यों में बालू खनन ब्लॉक की ई–नीलामी के लिए प्रयास कर रही है।

राजस्थान सरकार ने रॉयल्टी संग्रह ठेका, अतिरिक्त रॉयल्टी संग्रह ठेका (ईआरसीसी), संभावित लाइसेंस–सह खनन लीज (पीएल सह–एमएल) और खनिजों हेतु खनन लीज की ई–नीलामी के लिए एमएसटीसी को नियुक्त किया है। एमएसटीसी राजस्थान में शराब की दुकानों के लाइसेंस की नीलामी पहल की सफलता से आशान्वित होकर अन्य राज्यों में भी इससे संबंधित संभावना तलाश कर रही है।

भारत सरकार ने एमएएसटीसी को उसके ई–कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से अपने विभिन्न महत्वपूर्ण अभिनव योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्य में शामिल किया है कुछ कार्यान्वित हो चुके हैं और कुछ आने वाले हैं। ऐसी ही एक योजना है ई–कॉमर्स मार्ग के जरिए सीपीएसई का विनिवेश और इसका नेतृत्व दीपम द्वारा किया जा रहा है।

एमएसटीसी ने सीमेंट, स्टील, स्पंज आयरन आदि जैसे अनियमित क्षेत्र हेतु कोल लिंकेज की सफलतापूर्वक ई–नीलामी आयोजित की है। कोल–लिंकेज की ई–नीलामी कोयला मंत्रालय द्वारा शक्ति योजना के तहत शुरू हुआ है।

आईओसीएल और ओएनजीसी के लिए एग्जिम उत्पादों के सफल पोर्टल ने अन्य ओएमसी के सार्वजनिक और निजी दोनों के लिए ऐसे पोर्टल के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है।

प्रचालन एवं निष्पादन के संबंध में वित्तीय मानदंडों पर चर्चा

निष्पादन

क) एजेंसी व्यवसाय

इस वर्ष एजेंसी व्यवसाय की कुल राशि ₹ 1,05,43,597 लाख है, जबकि वर्ष 2020–21 में यह राशि ₹ 1,05,10,161 लाख थी। वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 का विवरण निम्नानुसार है:

व्यवसाय क्षेत्र	व्यवसाय की मात्रा (₹ लाख में)	
	2021-22	**2020-21**
स्क्रैप की बिक्री	6,13,546	4,57,042
ई– बिक्री	74,72,976	84,91,038
कोयले की नीलामी	11,22,960	7,42,970
लौह अयस्क की ई–नीलामी	13,34,115	8,19,111
कुल (क):	**1,05,43,597**	**1,05,10,161**

ख) ई–खरीद

व्यवसाय क्षेत्र	व्यवसाय की मात्रा (₹ लाख में)	
	2021-22	**2020-21**
ई–खरीद	30,98,958	23,69,470
कुल (ख):	**30,98,958**	**23,69,470**
कुल (क + ख):	**1,36,42,555**	**1,28,79,631**

ग) ट्रेडिंग

इस वर्ष ट्रेडिंग विभाग के निष्पादन में व्यवसाय की कुल राशि ₹ 37,935 लाख है, जबकि वर्ष 2020–21 में यह राशि ₹ 18,959 लाख थी। वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 का विवरण निम्नानुसार है:

व्यवसाय क्षेत्र	व्यवसाय की मात्रा (₹ लाख में)	
	2021-22	**2020-21**
स्वदेशी सामग्रियां	37,935	18,959
कुल (ग):	**37,935**	**18,959**
महायोग (क + ख + ग):	**1,36,80,490**	**1,28,98,590**

जोखिम और चिंताएं

एजेंसी व्यवसाय

सेलिंग एजेंसी व्यवसाय में पारंपरिक जोखिम रहता है, क्योंकि प्रिंसिपल किसी भी समय अपना माल खुद बेचने का निर्णय ले सकता है। हाल के समय में प्रिंसिपल निविदा का सहारा ले रहे हैं और छोटी कंपनियां कम सेवा प्रभार कोट कर रही हैं क्योंकि उनकी संरचना में निवेश कम है और सीवीसी के दिशा–निर्देश और आईटी अधिनियम 2000 के प्रति उनको कोई दायित्व नहीं है। बहरहाल, गुणवत्ता और पारदर्शिता की वजह से एमएसटीसी इस क्षेत्र में अपने अधिकांश व्यवसाय को कायम रखे हुए है। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते एमएसटीसी के लिए यह अनिवार्य है कि वह सीवीसी के दिशा–निर्देशों, आईटी अधिनियम, 2000 के निर्देशों का तथा एसटीक्यूसी के लेखा परीक्षण की आवश्यकताओं से संबंधित दिशा–निर्देशों का पालन करें। इसके लिए एमएसटीसी को सिस्टम की संरचना में बड़ी राशि का निवेश करना पड़ता है, लेकिन निजी कंपनियों के ऊपर इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, अगर सरकारी विभाग तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने टेंडर दस्तावेज में सेवा प्रदाता के लिए सीवीसी के दिशा–निर्देशों के पालन की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं करते हैं तो एमएसटीसी के लिए कार्य आदेश पाना कठिन होता जाएगा, क्योंकि निजी कंपनियों के पास अपर्याप्त संरचना है और उनके लिए कम सेवा दर कोट करना मुमकिन होता है।

ट्रेडिंग व्यवसाय (बीजी समर्थित)

वर्तमान में एमएसटीसी ग्राहकों से मूल्य के 110% की बैंक गारंटी की रसीद के तहत सामग्री प्राप्त कर रही है जो बैंक गारंटी द्वारा समर्थित अपेक्षाकृत जोखिम मुक्त है।

मुकदमेबाजी का जोखिम

कंपनी के परिचालन के परिमाण और भौगोलिक प्रसार को देखते हुए, वाणिज्यिक मतभेदों, बौद्धिक संपदा अधिकारों के कथित उल्लंघन और रोजगार संबंधी मामलों से मुकदमेबाजी जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। विभिन्न देशों में यह जोखिम व्यवसाय में अंतर्निहित रहता है और उद्योग से जुड़ी अन्य कंपनियों को इस प्रकार के जोखिम का सामना करना पड़ता है। कानूनी लागत और प्रबंधन का ध्यान तोड़ने के अलावा, मुकदमेबाजी से मीडिया में नकारात्मक भावनाएं पनपती है और प्रतिष्ठा पर आंच आती है। प्रतिकूल निर्णयों के परिणामस्वरूप वास्तविक नुकसान हो सकता है। इसके अलावा, कुछ अदालती आदेशों से यह भी देखा गया है कि किसी भी कॉर्पोरेट इकाई के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही के मामले में, बीजी भी शून्य और अमान्य हो जाते हैं। इससे बीजी समर्थित खरीद प्रक्रिया में बड़ा जोखिम हो सकता है।

आंकड़ों को सुरक्षित रखने के कानूनों का उल्लंघन

आंकड़ों की गोपनीयता और व्यक्तिगत आंकड़ों की सुरक्षा पूरे विश्व में निरंतर बढ़ती चिंता का विषय बन गया है। कई देश व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने डेटा गोपनीयता नियम बना रहे हैं। डेटा सुरक्षा कानूनों या सुरक्षा उल्लंघनों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप वास्तविक देनदारियां, जुर्माना या दंड भरना पड़ सकता है और प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचता है।

साइबर हमले

इस प्रकार के संकट की दिनों–दिन बढ़ती आशंका को देखते हुए साइबर हमले का जोखिम हमेशा के लिए बना रहता है। व्यवसाय परिचालनों को प्रभावित करने के अलावा, सुरक्षा उल्लंघन से प्रतिष्ठा पर आंच, दंड और कानूनी एवं वित्तीय देनदारियां उत्पन्न हो सकती हैं।

व्यवसाय मॉडल की चुनौतियां

तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों से प्रौद्योगिकी के प्रयोग स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है, जिससे नई श्रेणी के क्रेता तैयार हो रहे हैं जिससे संपूर्ण नए व्यवसाय मॉडल की उत्पत्ति हुई है एवं नए प्रकार के प्रतियोगी सामने आए हैं। ग्राहकों की अपेक्षाओं पर कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए कंपनी की दक्षता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। ऐसा न कर पाने से बाजार की भागीदारी में कमी आ सकती है एवं व्यवसाय का विकास प्रभावित हो सकता है।

बौद्धिक संपदा (आईपी) का अतिक्रमण एवं लीकेज

तीसरे पक्ष की आईपी के अतिक्रमण का जोखिम संभावित देयताएं उत्पन्न कर सकता है। मुकदमेबाजी बढ़ा सकता है एवं प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है और स्वामित्व अधिकार, आय और मूल्य में कमी आती है।

गवर्मेंट ई–मार्केटप्लेस के कारण प्रतिस्पर्धा

खरीद के लिए जीईएम पोर्टल का उपयोग करने के सरकार के निर्देश के साथ, आम वस्तुओं और सेवाओं की ई–खरीद में व्यवसाय प्रभावित होगा। ई–खरीद में काम का दायरा थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि किसी भी निगम के व्यवसाय का बड़ा प्रतिशत माल और सेवाओं की खरीद पर खर्च किया जाता है। इसके अलावा, जीईएम आने वाले दिनों में अपनी ई–नीलामी सेवाओं को लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने एमएसटीसी को सभी संपत्ति बिक्री उद्देश्यों के लिए जीईएम को प्रदान की गई समान स्थिति के लिए व्यय विभाग को एक पत्र लिखने के लिए विस्तार से औचित्य के साथ इस्पात मंत्रालय से संपर्क किया है।

कोविड–19 का प्रभाव

टीकाकरण के कारण रोग की गंभीरता कम हो गई है, लेकिन आगे लहरों और अत्यधिक संचरित और विषाणुजनित रूप के उभरने का खतरा है।

जोखिम, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता

व्यापार के लिए एमएसटीसी में जोखिम प्रबंधन नीति वर्ष 2008–09 में शुरू की गई थी। नीति को अंतिम बार 05 अप्रैल, 2018 को संशोधित किया गया है। एमएसटीसी यह सुनिश्चित करता है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कंपनी की जोखिम उठाने की क्षमता के भीतर कार्य करती है। कंपनी ने अब व्यापार के जोखिम भरे मॉडलों को व्यापार में बंद कर दिया है।

मेसर्स रे एंड कं. (एफआरएनः 313124ई) और मेसर्स एम.सी. भंडारी एंड कं. (एफआरएनः 303002ई), सनदी लेखापाल को इस वर्ष के लिए कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु नियुक्त किया गया था और उनके प्रतिवेदन को प्रबंधन के समक्ष नियमित अंतराल पर रखा जाता है एवं महत्वपूर्ण मुद्दों के संक्षिप्त विवरण को लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है। लेखा परीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कार्यों की समीक्षा करती है और समिति की अनुशंसाओं को निदेशक मंडल के समक्ष पेश किया जाता है और निदेशक मंडल के विवेचना के अनुसार लागू होते हैं। लेखा परीक्षा समिति विभिन्न वित्तीय विवरणों के जोखिम विश्लेषण एवं नियंत्रण के लिए कार्य करती है।

ऊर्जा और संसाधनों का संरक्षण

एमएसटीसी मुख्य रूप से विभिन्न उपभोक्ताओं से स्क्रैप सामग्री विशेषतः फेरस स्क्रैप की बिक्री का और इन स्क्रैप की रीसाइक्लिंग का व्यापार करती है। इस प्रकार, एमएसटीसी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्रदूषकों में कमी, लौह स्क्रैप को दोबारा इस्तेमाल करने योग्य फेरस स्क्रैप के पुनः चक्रण द्वारा ऊर्जा के संरक्षण के लिए काम करती है। इस प्रकार एमएसटीसी एक रीसाइक्लिंग कंपनी है जो सुविधाओं को समेकित करती है एवं क्रेता द्वारा प्रक्रिया के बाद पुनः व्यवहार के लिए विभिन्न प्रकार के स्क्रैप की नीलामी करती है।

प्रमुख वित्तीय अनुपात

प्रमुख अनुपात	वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2020–21	% में परिवर्तन	अंतर के कारण/टिप्पणियां
देनदार का कारोबार अनुपात	0.83	0.44	90.30	मुख्य रूप से व्यापार प्राप्तियों में कमी के कारण देनदार कारोबार अनुपात में वृद्धि हुई है।
मालसूची (इनवेंटरी) कारोबार	-	-	-	लागू नहीं
ब्याज व्याप्ति अनुपात	86.92	18.01	382.72	परिचालन लाभ में वृद्धि और वित्त लागत में कमी के कारण।
वर्तमान अनुपात	1.09	1.01	8.20	कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं
ऋण इक्विटी अनुपात	0.32	0.43	-26.16	कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी उधारी कम की है।
प्रचालनगत लाभ मार्जिन (%)	48.31	29.00	66.59	मुख्य रूप से ई–कॉमर्स व्यवसाय में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष की तुलना में परिचालन लाभ मार्जिन में सुधार हुआ है।
शुद्ध लाभ मार्जिन (%)	42.51	23.63	79.92	मुख्य रूप से ई–कॉमर्स व्यवसाय में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष की तुलना में शुद्ध लाभ मार्जिन में सुधार हुआ है।
शुद्ध मूल्य पर रिटर्न (%)	42.98	28.47	50.96	पिछले वर्ष की तुलना में इक्विटी पर प्रतिलाभ में सुधार हुआ है, जिसका मुख्य कारण व्यवसाय में वृद्धि के कारण लाभ में वृद्धि हुई है।

सचेतक अभियुक्ति

''प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण'' कंपनी के प्रक्षेपण तथा आकलन के तहत अभियुक्ति है। वास्तविक परिणाम ऐसे प्रक्षेपण से भिन्न हो सकते हैं और यह आर्थिक स्थिति एवं संबंधित देशी एवं विदेशी बाजार में उद्योग मांग पर निर्भर करती है। राजकोषीय विनियमों और अन्य आकस्मिक कारकों सहित सरकारी विनियम भी प्रेक्षपण और आकलन को प्रभावित कर सकते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन : 08643406]

स्थानः कोलकाता
तिथिः 25 मई, 2022

बोर्ड की रिपोर्ट

सेवा में,
शेयरधारकगण
एमएसटीसी लिमिटेड

निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के कारोबार और प्रचालन संबंधित 57वीं वार्षिक रिपोर्ट और उसके साथ लेखा परीक्षित वित्तीय लेख, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मत को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कंपनी की वित्तीय उपलब्धियाँ

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कर पश्चात लाभ ₹20,009 लाख है, जबकि पिछले वर्ष में यह ₹10,107 लाख थी। पिछले वर्ष के ₹11,468 लाख की तुलना में इस वर्ष कर पूर्व लाभ ₹22,008 लाख रही। कंपनी ने कुल ₹74,957 लाख का राजस्व दर्ज किया है। कुल ई–कॉमर्स आय 20277 लाख रुपये से बढ़कर ₹26,400 लाख हो गई है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 और 2020–21 के लिए कंपनी के एकल वित्तीय परिणाम नीचे दिए गए हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	2021-22	2020-21
कुल आय	74,957	63,913
कर पूर्व लाभ (हानि)	22,008	11,468
कर	1,999	1,361
कर पश्चात लाभ	20,009	10,107
प्रदत्त पूंजी (इक्विटी)	7,040	7,040
आरक्षित निधि	39,508	28,456
लाभांश (%)	129%*	44%
कर पूर्व लाभ प्रति कर्मचारी	69.87	34.23
प्रति शेयर आय (रु.) (अंकित मूल्य रु. 10/–)	28.42	14.36

*(लाभांश (%) में पहला अंतरिम लाभांश @ 20%, दूसरा अंतरिम लाभांश @ 65% और अंतिम लाभांश @ 44% शामिल है)

परिचालनीय उपलब्धियाँ:

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने अपने विपणन और ई–कॉमर्स घटकों के माध्यम से लेन–देन किए गए सामानों के मूल्य के मामले में 1,36,80,490 लाख रुपये को पार कर लिया है जो कि 2020–21 में कारोबार किए गए सामानों के मूल्य से 6.06% अधिक है। अन्य परिचालन संबंधी मुख्य बातें इस प्रकार हैं;

वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉक नीलामी: 2021–22 के दौरान 4 चरणों में वाणिज्यिक कोयला खदान की नीलामी के लिए बोली के प्रयास किए गए। 100 से अधिक कोयला खदानों की पेशकश की गई थी, जिनमें से 25 को 2021–22 के दौरान सफलतापूर्वक आवंटित किया गया था।

ओएनजीसी समूह की कंपनियों के लिए निर्यात और आयात पोर्टल: एमएसटीसी ने ओएनजीसी और उसकी समूह कंपनियों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात और आयात के लिए एक ई–बोली पोर्टल विकसित की। इस पोर्टल ने ओएनजीसी और इसकी समूह कंपनियों की निर्यात और आयात प्रक्रिया को बेहतर बनाया है।

प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए नीलामी पोर्टल: हिन्दुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड के लिए डिरोक गैस फील्ड से 1.25 एमएमएससीडी प्राकृतिक गैस की खरीद के लिए ई–बिडिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। पूर्वोत्तर में प्राकृतिक गैस उद्योग के लिए बोली एक बड़ी सफलता थी। प्राप्त उच्चतम प्रीमियम 1$ प्रति एमएमबीटीयू था और गैस की पूरी मात्रा सफलतापूर्वक आवंटित की गई थी।

सीईपीआई के लिए नीलामी पोर्टल: शत्रु संपत्तियों की नीलामी के लिए सीईपीआई (भारत में शत्रु संपत्ति अभिरक) की ओर से एक नीलामी पोर्टल विकसित किया गया है।

एमएसटीसी द्वारा पहली बार ई–नीलामी के माध्यम से जिप्सम की सफलतापूर्वक बिक्री की गई।

लाभांश

वर्ष के दौरान, कंपनी ने प्रति शेयर ₹ 2.00 का पहला अंतरिम लाभांश और प्रति शेयर ₹ 6.50 का दूसरा अंतरिम लाभांश का भुगतान किया। इसके अलावा, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए ₹ 4.40 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जिससे वर्ष के लिए कुल लाभांश ₹ 12.90 प्रति शेयर के साथ कुल भुगतान ₹ 9,081.60 लाख हो गया है। लाभांश उन शेयरधारकों को देय है जिनके नाम बुक क्लोजर/रिकॉर्ड तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं। वर्ष के लिए घोषित/अनुशंसित लाभांश कंपनी की लाभांश वितरण नीति के अनुसार हैं। कंपनी द्वारा निरूपित लाभांश वितरण नीति बेवलिंक https://www.mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/newpolicy/DIVIDENDDISTRIBUTIONPOLICY.pdf. पर प्राप्त किया जा सकता है।

आरक्षित निधियाँ

31 मार्च, 2022 को सामान्य आरक्षित निधि ₹ 39,508 लाख है।

शेयर पूँजी में परिवर्तन

31 मार्च, 2022 को आपकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 15,000.00 लाख है, जिसे ₹ 10.00 के 1,500.00 लाख इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

पंजीकृत कार्यालय का स्थानांतरण

वित्त वर्ष के दौरान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 225सी, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता–700020 से स्थानांतरित होकर दिनांक 26 अगस्त, 2021 से प्लॉट नं. सीएफ–18/2, स्ट्रीट नं. 175, एक्शन एरिया आईसी,

न्यू टाउन, कोलकाता 700156, पश्चिम बंगाल हो गया है। 26 अगस्त, 2021 को एमएसटीसी लिमिटेड के नए पंजीकृत कार्यालय का उद्घाटन माननीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने माननीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते की उपस्थिति में किया।

यह 11 मंजिला इमारत सिल्वर रेटिंग वाली 'हरित भवन' है। जीवनचक्र की लागत और पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ और सुरक्षित निर्माण को ध्यान में रखते हुए, एमएसटीसी का कॉर्पोरेट भवन कंक्रीट के न्यूनतम उपयोग के साथ एक इस्पात गहन संरचना है।

निदेशकों की दायित्वशीलता का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसरण में निदेशक मंडल ने बताया है कि:

क) वार्षिक लेखा तैयार करते वक्त प्रयोजनीय भारतीय लेखा मानकों (आइएनडी–एएस) का पूरी तरह से अनुपालन किया गया है एवं जहां इन मानकों से हटकर कार्रवई की गई है वहाँ उसके साथ समुचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

ख) निदेशकों ने इस तरह की लेखा नीतियों को चुना है और बराबर अनुरण किया है एवं इस तरह से निर्णय और प्राक्कलन तैयार किए हैं, जो युक्तिपूर्ण और तर्कसंगत हैं एवं जिनसे कंपनी के 31 मार्च, 2022 के कार्यकलापों एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के लाभ की सही और सटीक तस्वीर प्रकट होती है।

ग) निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा हेतु एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने व पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्डों के अनुरक्षण हेतु उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा है।

घ) निदेशकों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए जारी कारोबार के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।

ङ) निदेशकों ने कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्देशित किया है एवं इन प्रणालियों ने उचित एवं प्रभावी ढंग से कार्य किया है।

च) निदेशकों ने प्रयोज्य सभी कानूनी प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए उचित प्रणाली तैयार की है एवं इन सभी प्रणालियों ने उचित एवं प्रभावी ढंग से कार्य किया है।

निदेशकगण एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्रीमती भानु कुमार, निदेशक (वाणिज्यिक) और श्री सुब्रत सरकार, निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक हैं। श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में और कंपनी के 50:50 संयुक्त उद्यम महिंद्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड (एमएमआरपीएल) के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। श्रीमती भानु कुमार एफएसएनएल के निदेशक के रूप में भी कार्य कर रही हैं। श्री सुब्रत सरकार एमएमआरपीएल के निदेशक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी (डीआईएनः 00028647), स्वतंत्र निदेशक 13 दिसंबर, 2021 से बोर्ड की सदस्य नहीं रही हैं। श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी द्वारा कंपनी को प्रदान किए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग के लिए बोर्ड ने अपना आभार व्यक्त किया है। बोर्ड से अपनी सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप वह लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति और हितधारक संबंध समिति की अध्यक्ष भी नहीं रह गई हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान श्री आद्य प्रसाद पाण्डेय (डीआईएनः 09347851) और डॉ. वसंत अशोक पाटिल (डीआईएनः 09352913) को 1 नवंबर, 2021 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उपरोक्त स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए 22 दिसंबर, 2021 को आयोजित कंपनी की असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त की गई थी।

श्री सुब्रत सरकार (डीआईएन : 08290021) निदेशक (वित्त) रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहें हैं एवं योग्य होने के नाते पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दिया है। निदेशकों ने कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में उनकी पुनःनियुक्ति की सिफारिश की है।

कंपनी ने सभी स्वतंत्र निदेशकों से आवश्यक घोषणा और प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, जिसमें पुष्टि की गई है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ उपं प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत स्वतंत्र निदेशकों के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।

वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक का आयोजन किया गया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधानों के अनुसार एक सूचीबद्ध इकाई को बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तरीके को दर्शाने वाला एक विवरण शामिल करना होगा। हालांकि, उक्त प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं क्योंकि निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है।

आगामी एजीएम में नियुक्त और पुनःनियुक्ति किए जाने के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त विवरण निगमित अभिशासन रिपोर्ट खंड में दिया गया है। इस रिपोर्ट की तिथि को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण इस प्रकार है;

क्र. सं.	केएमपी	पदनाम
1.	श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्रीमती भानु कुमार	निदेशक (वाणिज्यिक)
3.	श्री सुब्रत सरकार	निदेशक (वित्त) और सीएफओ
4.	श्री अजय कुमार राय	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

एक निदेशक की योग्यताएँ, सकारात्मक विशेषताएँ एवं स्वतंत्रता तथा धारा 178(3) में प्रदत्त अन्य विषय–वस्तुओं के निर्धारण हेतु मानदंड समेत निदेशकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक पर नीति के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(ई) के प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं।

संबंधित पक्ष लेन–देन

वित्तीय वर्ष के दौरान सभी संबंधित पक्ष के लेन–देन जो दर्ज हुए थे, वे संबंधित पक्ष के आधार पर थे एवं व्यवसाय के सामान्य क्रम में रहे थे। अतएव, कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन के अनुसार धारा 188 का प्रावधन लागू नहीं है। सभी संबंधित पक्ष लेनदेन का वर्णन वित्तीय विवरण में लेखा की टिप्पणियों में किया गया है।

इसलिए प्रपत्र एओसी–2 में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसके अलावा, निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या अन्य निर्दिष्ट व्यक्तियों के साथ कोई संबंधित पार्टी के लेनदेन नहीं हुए थे, जिनका कंपनी के हित पर कोई संभावी संघर्ष हो सकता है। संबंधित पक्ष के सारे लेनदेन अनुमोदन के लिए लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखे गए हैं।

कंपनी की एक संबंधित पक्ष लेनदेन नीति है और इसे कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर अपलोड किया गया है।

वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष लेनदेन का वर्णन वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 37 में दिया गया है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय से संबंधित विवरण इस रिपोर्ट के **अनलग्नक–I** में दिया गया है।

निगमित अभिशासन रिपोर्ट

निगमित अभिशासन पर अनुपालन प्रमाण पत्र के साथ निगमित अभिशासन रिपोर्ट पर अलग–अलग विवरण **अनुलग्नक–II** के रूप में संलग्न हैं और निदेशक मंडल की इस रिपोर्ट का अंश माना जाएगा।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट निदेशक मंडल की इस रिपोर्ट का अंश माना जाएगा।

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट यहाँ **अनुलग्नक–III** के रूप में संलग्न किया जाता है एवं निदेशक मंडल की इस रिपोर्ट का अंश माना जाएगा।

वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट https://www.mstcindia.co.in/content/AnnualReturns.aspx पर उपलब्ध है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

सामाजिक उत्थान के लिए कंपनी गंभीर रूप से प्रतिबद्ध है। कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप, कंपनी ने एक सीएसआर समिति का गठन किया है जो सरकार के दिशानिर्देश और कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार कार्य करती है। कंपनी की सीएसआर नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है एवं यह कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वर्ष के दौरान, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के कर पूर्व नकारात्मक औसत लाभ के कारण, कंपनी पर कोई सीएसआर दायित्व नहीं है, लेकिन सीएसआर समिति और निदेशक मंडल ने विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2018–19 में शुरू की गई कुछ परियोजनाओं से संबंधित लंबित कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सीएसआर बजट के रूप में ₹ 23,98,968/– स्वीकृत किए हैं।

कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के अंतर्गत अपेक्षित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक**–IV के रूप में संलग्न है।

सचिवीय लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुपालन में, श्री सौम्या ज्योति सील (सदस्यता संख्या – एफ9766), अभ्यासरत कंपनी सचिव नियुक्त को वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। सचिवीय लेखापरीक्षक की निर्धारित रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक**–V के रूप में संलग्न है।

सचिवीय लेखा परीक्षक ने निम्नलिखित का अवलोकन किया है;

1. कंपनी के निदेशक मंडल और उसकी समितियों के गठन के संबंध में समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान स्वतंत्र महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशक की संख्या में कमी है। हालांकि 13 नवंबर, 2021 के तत्काल प्रभाव से समितियों में स्वतंत्र निदेशक की कमी को पूरा किया गया और 31 मार्च, 2022 तक समितियों में स्वतंत्र निदेशकों की कोई कमी नहीं है।

   इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है एवं न तो बोर्ड और न ही कंपनी के पास स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार है क्योंकि सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने का अधिकार भारत सरकार के पास है।

कंपनी की गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनी अर्थात फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी बोर्ड की रिपोर्ट का अंश माना जाता है और **अनुलग्नक**–VI के रूप में संलग्न है। एफएसएनएल की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने मैसर्स एस घोष एंड कंपनी एलएलपी, सनदी लेखापाल (एफआरएनः 302184ई) को वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न है। लेखापरीक्षकों की टिप्पणी/अवलोकन पर प्रबंधन के प्रत्युत्तर बोर्ड की रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक VII** के साथ दिए गए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (कैग) के मत

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अनुसार कंपनी के वार्षिक लेख पर कैग के मत बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा माना जाएगा।

बोर्ड की बैठकों की संख्या

वित्त वर्ष 2021– 22 के दौरान बोर्ड की नौ बैठकें हुई। वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या का विवरण निगम अभिशासन रिपोर्ट का भाग माना जाएगा।

निदेशकों की अयोग्यता

अधिनियम की धारा 164(2) और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 14(1) के अनुसार, सभी निदेशकों ने सूचित किया है कि वे निदेशक होने से किसी भी अयोग्यता से मुक्त हैं।

निदेशकों द्वारा ब्याज की सूचना

अधिनियम की धारा 184(1) एवं कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 9(1) और सेबी के लागू प्रावधानों के अनुसार, सभी निदेशकों ने हित की सूचना प्रदान की है।

बोर्ड की समितियां

एमएसटीसी ने बोर्ड की पांच समितियों अर्थात लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। जिसका विवरण निगमित अभिशान रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं एवं इसके अंतर्गत बने नियमों के साथ पठित अनुसार एवं सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 18 के अनुसार कंपनी के पास एक बोर्ड स्तरीय लेखा परीक्षा समिति है, जिसके बारे में विवरण निगमित अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है। इसके अलावा, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां निदेशक मंडल ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 135(1) के अनुपालन में, कंपनी ने अध्यक्ष के रूप में श्री आद्य प्रसाद पांडे, स्वतंत्र निदेशक, सदस्यगण के रूप में डॉ. वसंत अशोक पाटिल, स्वतंत्र निदेशक, श्री अवधेश कुमार चौधरी, सरकार द्वारा नामित निदेशक और श्री सुब्रत सरकार, निदेशक (वित्त के साथ बोर्ड की सीएसआर समिति का गठन किया था।

सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड कंपनी की 100% सहायक कंपनी है। वित्तीय परिणाम नीचे दिए गए हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	2021-22	2020-21
कुल आय	41,539	36,497
कर पूर्व लाभ/(हानि)	5,418	3,206
कर पश्चात लाभ/(हानि)	4,036	2,275

कंपनी (लेखा) नियमों के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 129(3) के अनुपालन में फॉर्म एओसी–1 में सहायक कंपनी के संबंध में विस्तृत जानकारी **अनुलग्नक VIII** के रूप में वार्षिक रिपोर्ट का अंश माना जाएगा।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (''सीसीईए''), भारत सरकार ने 27 अक्टूबर, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण के माध्यम से एफएसएनएल में एमएसटीसी के माध्यम से धारित संपूर्ण इक्विटी शेयरधारिता के विनिवेश के लिए अपनी 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी। भारत सरकार ने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय (''दीपम'') के माध्यम से दीपम और एमएसटीसी को सलाह देने के लिए लेनदेन सलाहकार और कानूनी सलाहकार का चयन किया है। एमएसटीसी के शेयरधारकों ने भी एफएसएनएल के रणनीतिक विनिवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

भारत सरकार ने पहले ही प्रस्तावित रणनीतिक विनिवेश के लिए इच्छुक बोलीदाताओं (आईबी) से वैश्विक रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की है।

महिंद्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्रा. लिमिटेड

एमएसटीसी ने महिंद्रा इंटरट्रेड लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम अनुबंध (जेवीए) किया और संयुक्त उद्यम कंपनी ''महिन्द्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्रा.लि.'' का गठन किया। एमएसटीसी ने इस जेवी के जरिए नोएडा, चेन्नई और पुणे में भारत के सर्वप्रथम अधिकृत डिस्मैंटलिंग एवं कलेक्शन सेंटर की स्थापना की एवं चार और कलेक्शन एवं डिस्मैंटलिंग केंद्रों की स्थापना की योजना है। रिसाइक्लिंग प्रचालनों से कंपनी के

उत्पादन को मार्केट में अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी को ₹ 1,748 लाख की आय हुई है जबकि पिछली वर्ष यह आंकड़ा ₹ 988 लाख था।

समेकित वित्तीय परिणाम

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार, आपकी कंपनी ने अपनी सहायक और संयुक्त उद्यम सहित समूह के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किया है।

समेकित वित्तीय परिणामों का सार इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

विवरण	2021-22	2020-21
कुल आय	1,12,333	99,408
कर पूर्व लाभ/(हानि)	23,294	13,588
कर	3,381	2,292
कर पश्चात लाभ	19,913	11,296
प्रदत्त पूंजी (इक्विटी)	7,040	7,040
आरक्षित निधि	58,368	48,755
करपूर्व लाभ प्रति कर्मचारी	73.95	40.56
प्रति शेयर आय (₹) (अंकित मूल्य ₹ 10/–)	28.29	16.05

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले (यदि कोई हो) भौतिक परिवर्तन एवं वचनबद्धताएँ

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक परिवर्तन और वचनद्धताएं नहीं हैं जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष और बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख के बीच घटी हैं।

नियामकों, अदालतों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश का विवरण

नियामकों, अदालतों और न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है जो चालू संस्था की वस्तुस्थिति एवं भविष्य में कंपनी के प्रचालन को प्रभावित करें।

ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत शामिल ऋण, गारंटी और निवेश के विवरण वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में दिए गए हैं।

सार्वजनिक जमा

आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कोई जमा स्वीकार नहीं की है।

डीपीई अनुदेशों और नीतियों का अनुपालन

लोक उद्यम विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों और नीतियों का आपकी कंपनी द्वारा अनुपालन किया जाता है।

सचिवीय मानकों का अनुपालन

आपकी कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी के पास निर्धारित नीतियों के अनुपालन में इसके व्यवसाय के कुशल संचालन, इसकी परिसंपत्तियों की सलामती, धोखाधड़ी एवं त्रुटि की रोकथाम एवं पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता तथा यथा समय विश्वसनीय वित्तीय सूचना प्रस्तुत करने की सुनिश्चितता हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था है जो कंपनी के प्रचालन के अनुरूप है।

मेसर्स रे एंड कंपनी (एफआरएनः 313124ई) और मेसर्स एम.सी. भंडारी एंड कंपनी (एफआरएनः 303002ई) वर्ष के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक थे और उनकी रिपोर्ट नियमित अंतराल पर प्रबंधन के समक्ष रखी जाती है और महत्वपूर्ण मुद्दों का सारांश विवरण लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है।

सिस्टम्स

एमएसटीसी की आईटी संरचना विश्व के 2,00,000 से अधिक ग्राहकों के लिए देश में अत्याधुनिक और गतिशील ई–कॉमर्स सेवाओं को सुरक्षित एवं पारदर्शी तरीके से करने में सक्षम है।

एमएसटीसी का आईटी विभाग शक्तिशाली आरआईएससी आधारित आईबीएम पावर सीरीज सर्वर से सुसज्जित है यह अधिक प्रोसेसिंग पावर की क्षमता रखता है और दस हजार से अधिक समवर्ती उपयोकर्ताओं को सेवा प्रदान कर सकता है। यह सर्वर अत्यधिक ऊर्जा कुशल हैं जिससे बिजली की बचत होती है और ये सर्वर हमारे हितधारकों मसलन प्रिंसिपल, बोलीदाताओं और अन्य उपयोगकर्ताओं को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्तता और उच्च उपलब्धता डिजास्टर रिकवरी पद्धति के साथ संचालन में हैं।

कोलकाता डेटा सेंटर के तर्ज पर ही मुंबई डिजास्टर रिकवरी साइट की भी स्थापना की गई है।

एमएसटीसी सूचना सुरक्षा मामलों के प्रति सचेत है। अधिकतम सुरक्षा प्राप्त करने के लिए विभिन्न ओईएम नेक्स्ट जेनरेशन फायरवॉल, इंट्रूज़न

प्रिवेंशन सिस्टम (आईपीएस), मैनेज्ड डिस्ट्रिब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस (एमडीडीओएस), एसएसएल आदि की स्थापना करके सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखी है।

अति आवश्यक सुरक्षा विशेषताएं 'राइट वन्स मीडिया' जो एक गैर–संपादन योग्य हस्तक्षेपरहित मीडिया पर लेखा–परीक्षा प्रभावों को अभिग्रहीत करती है, यह एमएसटीसी की ई–कॉमर्स पद्धति की खास विशेषता रही है।

एसएसएल एन्क्रिप्शन

एसएसएल (सिक्योर सॉकेट लेयर) एक वेब सर्वर और क्लाइंट एंड ब्राउजर के बीच एक एन्क्रिप्टेड लिंक स्थापित करने के लिए मानक सुरक्षा तकनीक है। यह लिंक सुनिश्चित करता है कि वेब सर्वर और ब्राउज़र के बीच आदान–प्रदान होने वाले सभी डेटा निजी और अभिन्न बने रहें। हमने अपने वेब सर्वर में टीएलएस 1.2 और उससे अधिक के प्रवर्तन के साथ 256–बिट एसएसएल कार्यान्वित किया है।

सभी नेटवर्क उपकरणों मसल राउटर, स्विच सिस्को/चेकप्वाइंट से हैं और यह आईपीवी6 में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सुरक्षा तंत्र जैसे फायरवॉल एवं आईपीएस अनधिकृत हस्तक्षेप को रोकने के लिए लगाया गया है।

आवधिक एप्लिकेशन सुरक्षा परीक्षण एसटीक्यूसी, भारत सरकार के विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। एमएसटीसी एसटीक्यूसी द्व ारा अतिक्रमण, जोखिम और प्रदर्शन जाँच के जरिए समयावधि सुरक्षा सुनिश्चित करता है। एमएसटीसी अपना व्यावसायिक परिचालन पूर्ण समर्पित 155.52 एमबीपीएस आईएलएल के जरिए करती है एवं डेटा सिंक्रनाइज़ेशन के लिए डीसी और डीआर के बीच पॉइंट–टू–पॉइंट (पी2पी) कनेक्टिविटी के साथ है एवं भिन्न प्रदाता गृहित एक अतिरिक्त आईएलएल कनेक्टिविटी भी है।

एमएसटीसी ने ई–निविदा, ई–रिवर्स नीलामी, एल1 मैचिंग के साथ ई–रिवर्स नीलामी और कई अन्य मॉडलों के साथ एक आंतरिक ब्राउज़र स्वतंत्र ई–प्रोक्योरमेंट समाधान विकसित किया है। सामान्य वित्तीय नियमों, सीवीसी दिशा–निर्देशों, आईटी अधिनियम 2000 एवं इसके वर्ष 2008 के संशोधन इस ई–प्रोक्योरमेंट एप्लिकेशन में शामिल किए गए हैं और उक्त सेवा को एसटीक्यूसी द्वारा प्रमाणित किया गया है। ई–प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर का उन्नत संस्करण एसटीक्यूसी द्वारा प्रमाणन के अधीन है।

एमएसटीसी सर्वर कोलकाता में वर्ष भर अनवरत कार्यशील है। सिस्टम विभाग योग्य पेशेवरों से सुसज्जित है जो कि लगातार अद्यतन प्रौद्योगिकी के प्रशिक्षण के साथ दक्षता को उन्नत करते हैं।

एमएसटीसी का सिस्टम विभाग एसटीक्यूसी द्वारा आईएसओ 27001:20 13 द्वारा प्रमाणित है।

एमएसटीसी ई–कॉमर्स विभाग भी आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता से प्रमाणित है।

एमएसटीसी ई–कॉमर्स सीएमएमआई लेवल–3 डेव को मूल्यांकित किया गया है।

वर्ष 2021–22 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

एमएसटीसी ई–कॉमर्स सिस्टम एसटीक्यूसी द्वारा आईएसओ 27001:20 13 प्रमाणित है और 27 अगस्त, 2023 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन) तक वैध है।

दो स्तरों (परिधि और सर्वर साइड) पर दो अलग–अलग ओईएम चेकपॉइंट और सिस्को नेक्स्ट जेनरेशन फ़ायरवॉल द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।

मानकों के अनुसार आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन भी प्रबंधन किया गया है और यह प्रमाणपत्र 9 दिसंबर, 2023 तक वैध है।

एमएसटीसी सिस्टम्स डिवीजन सीएमएमआई लेवल 3 है जिसे अप्रग्रेड किया जा रहा है।

डेटा से जुड़े कार्यकलापों के बेहतर प्रबंधन एवं निगरानी के लिए इम्पर्वा राइट–वन्स मैनेजमेंट डिवाइस (नए डिवाइस द्वारा ईओएल डिवाइस को बदला गया) की व्यवस्था की गई है।

राजस्थान राज्य आबकारी विभाग लिकर शॉप लीजिंग नीलामी के लिए जरूरत अनुसार निर्मित ई–कॉमर्स समाधान का पुनरुद्धार किया गया है और प्रसारित किया गया है जहाँ बड़े पैमाने पर भागीदारी एवं दर वृद्धि देखी गई है।

एमएसटीसी की आंतरिक जावा टीम ने वाणिज्यिक खनन के लिए स्पेक्ट्रम ऑक्शन पोर्टल, कोयला ब्लॉक नीलामी पोर्टल, एचएसआईआईडीसी ई–नीलामी पोर्टल, वाणिज्यिक खनन के लिए आईटी टीडीएस कार्यान्वयन, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित एएल/डीओ, राजस्थान लिकर शॉप लाइसेंसिंग ऑक्शन पोर्टल, मेघालय कोयला योजना कार्यान्वयन, बैंकों के एनपीए के लिए एकीकृत नीलामी पोर्टल आदि जैसे कई जरूरत अनुसार ईकॉमर्स समाधानों को विकसित और कार्यान्वित किया है।

एमएसटीसी के निजी संगठन डॉट नेट टीम ने एमएसटीसी नॉलेज मैनेजमेंट पोर्टल पर आंतरिक कर्मचारियों हेतु एमएसटीसी कोविड डेशबोर्ड मॉड्यूल एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल, हिंदी वेब पत्रिका ''संगति'', 110% समर्थित मार्केटिंग एप्लिकेशन, वीएमवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ई–ऑफिस और एफएसएनएल एचआरएमएस, एमएसटीसी ई–ऑफिस एप्लिकेशन में हिंदी का समावेश आदि जैसे कई जरूरत अनुसार समाधानों को विकसित और कार्यान्वित किया है।

एमएसटीसी डाटा सेंटर को किराए पर स्थिति कार्यालय तीसरी मंजिल 225सी एजेसी बोस रोड कोलकाता 700020 से 6 अगस्त, 2021 को गली नंबर 175, प्लॉट नंबर सीएफ 18/2, एक्शन एरिया 1 सी, न्यूटाउन, कोलकाता – 700156 में अपने नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित कर दिया गया था। 2021–22 के दौरान कनेक्टिविटी के लिए डाउनटाइम को कम करने के लिए विभिन्न आईएसपी से माध्यमिक आईएलएल, वेब एप्लिकेशन फायरवॉल और एनआईसी मेल सेवाओं के साथ लिंक लोड बैलेंसर को भी लागू किया गया है।

एमएसटीसी ने एनटीपीसी और उसके संयुक्त उद्यमों के थर्मल पावर स्टेशनों से तालाब की राख का सिंगल विंडो निपटान शुरू किया जो पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देता है।

एमएसटीसी की आंतरिक जावा टीम ने 2021–22 के दौरान कई जरूरत अनुसार ईकॉमर्स समाधान विकसित और कार्यान्वित किए। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए प्रमुख विकासों में से एक एमआरपीएल–ओएनजीसी एक्जिम पोर्टल था। एमएसटीसी ने दीपम द्व ारा परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए एक समर्पित पोर्टल भी विकसित किया है। एनटीपीसी पावर स्टेशनों पर एफजीडी संयंत्रों को चालू करने के लिए एक अनुकूलित ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल भी 2021–22 के दौरान चालू किया गया।

एमएसटीसी ने अपने सामान्य नीलामी बोलीदाताओं के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया जिसका उद्घाटन माननीय इस्पात मंत्री ने 26 अगस्त 2021 को किया था।

वित्त वर्ष 2021–22 में, एमएसटीसी ने ई–कॉमर्स के संचालन पर सेवा शुल्क से ₹ 26,913 लाख (पिछले वर्ष ₹ 20,277 लाख) की आय की।

2021–22 में, एमएसटीसी ने सामान्य ई–नीलामी, कोयला ई–नीलामी और ई–प्रोक्योरमेंट के लिए अपने पोर्टल के माध्यम से 52,017 नीलामी/कार्यक्रमों को पूरा किया था।

एमएसटीसी ने प्रक्रिया के अधिक स्वचालन और मानवीय हस्तक्षेप को कम करने पर जोर दिया है। इस दिशा में एक प्रमुख विकास मजबूत ई–पेमेंट गेटवे का विकास था जो संचालन की पारदर्शिता और बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करता है।

वित्त वर्ष 2021–22 में, एमएसटीसी ने जीईएम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की है और इस तरह की खरीद प्रतिशत वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान की गई कुल खरीद का 54.42% है।

एमओयू का निष्पादन

वर्ष 2021–22 के लिए निष्पादन मानदंड एवं लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 22 फरवरी, 2022 को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सचिव (इस्पात मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षर किया गया। कंपनी के एमओयू का लक्ष्य साल दर साल ज्यादा चुनौतियों एवं मुश्किलों से भरा है। हालांकि, कंपनी अपनी पिछली सभी उपलब्धियों से आगे बढ़ते हुए अपने कार्य–निष्पादन को निरंतर नई ऊँचाईयों पर पहुँचने के लिए प्रयत्नशील रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए निष्पादन का रेटिंग मूल्यांकन किया जा रहा है।

इस वर्ष (वित्त वर्ष 2021–22) समेकित वित्तीय परिणामों पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसटीसी के वित्तीय मानकों का मूल्यांकन एक समूह के रूप में किया जाएगा जिसमें पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यानी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड और 50:50 जेवी कंपनी यानी महिंद्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

मानव संसाधन विकास (मा.सं.वि.)

एमएसटीसी लिमिटेड ने अपने मानव संसाधन को हमेशा से सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना है। व्यवसाय के परिमाण में वृद्धि आने एवं कंपनी से कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति होने के साथ–साथ कार्यपालक संवर्ग में लेटरल एंट्री शुरू की गई है। वर्ष 2021–22 के दौरान सीधी भर्ती के माध्यम से कुल 3 व्यक्ति हमारी कंपनी से जुड़े हैं।

चूंकि हम एक जनोन्मुखी कंपनी हैं, इसलिए प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों का विकास मानव संसाधन गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। कंपनी में उच्च स्तरीय भूमिका निभाने के लिए दक्षता निर्माण पर जोर दिया गया। कंपनी ने क्षमता वृद्धि और कौशल विकास के विषयों पर भारत में उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 124 अधिकारियों को प्रशिक्षित दिया है। संगठन में कर्मचारियों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने एवं समझ–बूझ, सहयोग, टीम भावना एवं नेतृत्व की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की विषय–वस्तु चुने गए थे। अभी तक कुल 124 कार्यपालकों में से 84 कार्यपालकों को उनकी क्षमताओं के विकास के लिए आंतरिक रूप से प्रशिक्षित किया गया।

कमजोर वर्गों का कल्याण

सरकार की नीतियों और कार्य प्रक्रियाओं के अनुसरण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण, छूट, रियायत आदि के संबंध में समय–समय पर जारी राष्ट्रपति के निर्देशों का विधिवत पालन किया गया। कमजोर वर्गों के संबंध में भर्ती और पदोन्नति से संबंधित मामलों में निर्देशों का विधिवत पालन किया गया है। वर्ष के दौरान गठित सभी विभागीय पदोन्नति समितियों और चयन समितियों (भर्ती के मामले में) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि थे।

वर्ष के दौरान, कंपनी के 9 एसटी, 16 एससी, 32 ओबीसी और 6 पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को आंतरिक और संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया गया था। इसके अलावा, एमएसटीसी एससी/एसटी कर्मचारी परिषद को हर संभव सहयोग और सहायता प्रदान की गई, जो मुख्य रूप से कंपनी के आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करती है।

नारी सशक्तिकरण

एमएसटीसी वुमेन इन पब्लिक सेक्टर (डब्ल्यूआईपीएस) फोरम का एक आजीवन नैगमिक सदस्य है और महिला कर्मचारियों को डब्ल्यूआईपीएस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में नामांकित किया गया था। एमएसटीसी के सभी कार्यालयों में गठित आंतरिक शिकायत समितियां सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। समितियों द्वारा समय–समय पर बैठकें और शिकायत निवारण, जागरूकता कार्यक्रम आदि भी आयोजित किए जाते हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण

कार्यस्थल में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं निवारण हेतु एमएसटीसी ने कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार एक तंत्र की स्थापना की है। कंपनी की सभी महिला कर्मचारियों की शिकायत, यदि कोई है, पर आवश्यक सहायता प्रदान करने एवं निपटान के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। सभी कर्मचारी (स्थाई, आउटसोर्स, प्रशिक्षु आदि) इस नीति के अंतर्गत शामिल हैं। कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।

(क) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्याः शून्य

(ख) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्याः उपलब्ध नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष 2021–22 के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्याः शून्य

31 मार्च, 2022 को एमएसटीसी के कार्यबल के आंकड़े

	प्र.का.	ईआरओ	पटना	रांची	गुवाहाटी	एनआरओ	रायपुर	जयपुर	चंडीगढ़	डब्ल्यूआरओ	नागपुर	एसआरओ	बेंगलुरू	त्रिवेंद्रम	विजाग	भोपाल	वड़ोदरा	हैदराबाद	भुवनेश्वर	लखनऊ	**कुल**
कार्यपालक	90*	9	3	3	3	13	6	7	8	13	1	11	11	7	6	6	8	6	5	9	**225**
गैर–कार्यपालक	25	7	0	1	0	9	1	1	0	10	0	5	6	3	10	1	7	2	0	2	**90**

*एमएमआरपीएल में तैनात एक अधिकारी सहित

31 मार्च 2022 को अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग की स्थिति

समूह	कुल	अनु. जाति (%)	अनु. जनजाति (%)	अन्य पिछड़ा वर्ग (%)	दिव्यांग (%)
क	225	32(14.22)	16(7.11)	59(26.22)	7(3.11)
ख	4	1(25.00)	शून्य	शून्य	शून्य
ग	81	13(16.04)	3(3.70)	23(28.39)	2(2.46)
घ	5	2(40.00)	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**315**	**48(15.23)**	**19(6.03)**	**82(26.03)**	**9(2.85)**

31 मार्च 2022 को पुरुष/महिला कार्मिक की स्थिति

समूह	पुरुष	महिला	कुल
कार्यपालक	185	40	225
गैर–कार्यपालक	77	13	90
कुल	262	53	315

कोविड–19

वित्तीय वर्ष 2021–22 दूसरा वर्ष था जब कोविड–19 महामारी ने देश के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन को प्रभावित करना जारी रखा। यह एमएसटीसी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों सहित सभी के लिए एक बहुत ही कठिन और परीक्षा भरा समय था। कोविड–19 ने मानव जीवन के लगभग हर पहलू को इस तरह से बदल दिया जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। महामारी के कारण आर्थिक पक्ष को अभूतपूर्व झटका लगा। प्रतिबंधित आवाजाही और बाधित आपूर्ति व्यवस्थाओं के कारण परिचालन संबंधी चुनौतियां बढ़ गई। जैसे–जैसे कोविड–19 मामले तेजी से बढ़ते रहे, अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट आई। हमारा ध्यान अपने लोगों की सेहत और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर था।

एमएसटीसी एक ज्ञान आधारित कंपनी होने के नाते अपने कर्मचारियों को अपनी मुख्य संपत्ति मानती है। पिछले साल की तरह ही, महामारी के प्रसार में वृद्धि के साथ, एमएसटीसी ने अपने सभी कार्यालयों को अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न उपायों को लागू करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किए। यात्रा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदंडों के पहलुओं को कवर करते हुए समय–समय पर विभिन्न परामर्श जारी किए गए। कोरोना वायरस पर एक सलाहकार गाइड, काम से यात्रा के लिए दिशा–निर्देश और अद्यतन कार्यालय शिष्टाचार जारी किए गए। इसके अलावा कंपनी ने अपने कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों, संविदा कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को कोविड–19 से बचाने के लिए टीकाकरण शिविरों का आयोजन किया। कंपनी ने अपने सभी कार्यालयों में कार्यबल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देशों / विनियमों / दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

इसके अलावा, जो कर्मचारी कोविड से प्रभावित थे, वे वापस तंदरूस्त हो जाएं इसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सहायता, चिकित्सा सुविधाएं और सहायता प्रदान की गई। जरूरतमंद कर्मचारियों के परिवारों को भी मदद पहुंचाई गई। कोविड के कारण एक कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, कंपनी ने परिवार के सदस्यों को विशेष अनुग्रह राशि का भुगतान करने की मंजूरी दी थी।

विश्व स्तर पर और भारत में कोविड–19 की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण, कंपनी के प्रबंधन ने कोविड–19 की दूसरी लहर के कारण व्यापार और वित्तीय जोखिमों पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव का प्रारंभिक मूल्यांकन किया है, और प्रबंधन को कंपनी की क्षमता में मध्यम से दीर्घावधि जोखिम के बढ़ने और अपनी उत्तरदायित्वों को पूरा करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती नहीं दिख रही है।

आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों सहित अधिकांश कर्मचारियों को पूरी तरह से टीका लग चुका है।

शिकायत निवारण तंत्र

एमएसटीसी में जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ हैं। संगठन के क्षेत्रों और शाखाओं में कुल आठ (08) प्रकोष्ठ हैं और प्रधान कार्यालय में एक जन शिकायत अधिकारी और नोडल प्राधिकारी हैं। कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in. पर शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा है। एमएसटीसी ने जन शिकायतों की ऑनलाइन प्राप्ति और निपटान के लिए केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआर एमएस) भी लागू की है, ताकि शिकायत को तुरंत सुलझाया जा सके और मामले को सुलझाने के लिए कार्रवाई की जा सके। कुछ शिकायतें डाक से भी प्राप्त होती हैं। संगठन के बाहर और कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों के समाधान और निवारण के लिए कार्रवाई की जाती है।

प्रकोष्ठों के अलावा प्रधान कार्यालय में एक शिकायत समिति का भी गठन किया गया है। शिकायत समिति संबंधित विभाग/क्षेत्र/शाखा से प्राप्त शिकायतों और टिप्पणियों की जांच के बाद सिफारिशें करती है।

मामलों की समीक्षा के लिए समय–समय पर शिकायत समिति की बैठक होती है। कंपनी के केंद्रीकृत सीपीजीआर एमएस और जन शिकायत साइट की निगरानी प्रधान कार्यालय द्वारा नियमित रूप से की जाती है।

01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए जन शिकायतों का विवरण इस प्रकार है:

शिकायत के प्रकार	01 अप्रैल, 2021 को बकाया शिकायतें	2021–22 में दाखिल शिकायतें	2021–22 में निवारण की गई शिकायतें	31 मार्च, 2022 को बकाया शिकायतें
जन शिकायतें	03	41	41	03

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आपकी कंपनी ने डीओपीटी द्वारा प्रारंभ किए गए ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के साथ संगठित किया है और पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सभी आवेदनों/निवेदन का निपटान यथा https://rtionline.gov.in. के माध्यम से किया गया। एमएसटीसी के सभी कार्यालयों में प्राप्त आरटीआई आवेदनों और अपीलों को संसाधित करने के लिए आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया। कंपनी के विभिन्न स्थानों पर प्राप्त आरटीआई आवेदनों को प्रभावी ढंग से संसाधित करने के लिए एमएसटीसी, प्रधान कार्यालय में एक पारदर्शिता अधिकारी, एक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, एक सीपीआईओ, एक नोडल अधिकारी और प्रत्येक क्षेत्र/शाखा में एक पीआईओ है।

सभी तिमाही रिपोर्ट सीआईसी की साइट पर ऑनलाइन अपलोड कर दी गई है। 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान ऑनलाइन और डाक के माध्यम से कुल 106 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए हैं। कुल 14 प्रथम अपीलें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 93 आरटीआई आवेदनों और 14 प्रथम अपीलों का निपटारा किया जा चुका है। शेष आरटीआई आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।

राजभाषा

कंपनी की सभी इकाइयों में राजभाषा के प्रचार और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इस संबंध में हुई प्रगति की लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है।

राजभाषा के प्रचार हेतु प्रयासः

आपकी कंपनी में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां की गई हैं:

(क) हिंदी टाइपिंग और ऑफिस 365 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

(ख) हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ई–ऑफिस सॉफ्टवेयर का विकास

(ग) ''हिंदी शिक्षण– अतीत, वर्तमान और भविष्य'' पर हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

(घ) पहली हिंदी मल्टीमीडिया हिंदी पत्रिका – ''राजभाषा संगती'' का प्रकाशन।

(ङ) राजभाषा प्रोत्साहन योजनाओं को अद्यतन किया गया।

(च) रचनात्मक रचना के लिए राजभाषा रचना पुरस्कार की घोषणा।

(छ) उप प्रबंधक (राजभाषा) को ''अभिव्यक्ति'' (टॉलिक की पत्रिका, पीएसयू–कोलकाता) की संपादकीय टीम में शामिल किया गया।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने 3 मार्च, 2022 को मदुरै, तमिलनाडु में इस्पात मंत्रालय द्वारा आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया।

अखिल भारतीय एमएसटीसी कार्यालयों के बीच ''ई–राजभाषा त्रिमास–2021'' का आयोजन ऑनलाइन किया गया। इस दौरान प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में हिन्दी प्रतियोगिता एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया।

राजभाषा पुरस्कारः

एमएसटीसी को इस्पात सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बीच राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए इस्पात राजभाषा सम्मान–2021 (तीसरा) प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने 3 मार्च, 2022 को मदुरै, तमिलनाडु में इस्पात मंत्रालय द्वारा आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में यह पुरस्कार प्राप्त किया।

सतर्कता तंत्र

एक संगठन की सफलता नैतिक मूल्यों को अपनाने और यह सुनिश्चित करने में निहित है कि ये हर समय संगठन की नीतियों और प्रथाओं में बने रहें। संगठन के कामकाज में भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण, पारदर्शिता, दक्षता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की अध्यक्षता में एमएसटीसी की सतर्कता तंत्र ने भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों को संस्थागत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीवीओ और सतर्कता तंत्र राष्ट्र की सबसे बड़ी सांविधिक भ्रष्टाचार–रोधी निकाय, सीवीसी की विस्तारित अंश के रूप में कार्य करता है। सतर्कता विभाग सतर्कता संबंधी मामलों पर संगठन और अन्य भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों जैसे सीबीआई, राज्य सरकारों की भ्रष्टाचार विरोधी शाखाओं (एसीबी) और प्रशासनिक मंत्रालय आदि के बीच एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है।

एमएसटीसी सतर्कता पारदर्शी प्रणाली और प्रक्रियाओं के लिए प्रणालीगत परिवर्तनों और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर जोर देती है, जिससे संगठनात्मक प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। प्राप्त शिकायतों को जहां कहीं आवश्यक था जांच की गई और जैसा उचित समझा गया वहां प्रणाली में सुधार/अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए आवश्यक सुझावों की सिफारिश दी गई।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ इस प्रकार हैं;

(क) 69 शिकायतों में से 61 का निपटारा कर दिया गया।

(ख) सतर्कता विभाग द्वारा 9 औचक जांच और निरीक्षण किए गए।

(ग) कर्मचारियों के संपत्ति रिटर्न के लगभग 30% की जांच की गई।

(घ) 21 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच की गई और 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(ङ) 6 प्रणाली अध्ययन किए गए और व्हिसल ब्लोअर तंत्र/सतर्क नीति, सतर्कता मंजूरी/स्थिति, सीडीए नियम, स्क्रैप ई–नीलामी पोर्टल में बोलीदाता/विक्रेता के लॉगिन के सुरक्षा पहलुओं, एचआरएमएस नीति पर सतर्कता टिप्पणियों/सिफारिशों को लागू किया गया है।

(च) सतर्कता विभाग विभिन्न प्रक्रियाओं/नीतियों/नियमों का अध्ययन करता है और परीक्षण के आधार पर प्रबंधन को व्यवस्था में सुधार का सुझाव देता है। प्रबंधन कार्यान्वयन के लिए सिफारिशों पर विचार करता है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताहः एमएसटीसी के सभी कार्यालयों में ''स्वतंत्र भारत@75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता'' विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2021 को मनाया गया। साथ ही, संगठन की वेबसाइट में प्रदर्शित करने के साथ–साथ वॉकथॉन और कैंडललाइट विजिल मार्च का आयोजन करके व्हिसल ब्लोअर तंत्र और पीआईडीपीआई पहल का व्यापक प्रचार किया गया। इस वर्ष आंतरिक सतर्कता विवरणिका ''जागृत'' का तीसरा अंक जारी किया गया। कॉर्पोरेट कार्यालय और पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों के बीच जागरूकता प्रसार हेतु थीम पर स्किट प्ले का आयोजन किया गया था। एमएसटीसी कर्मचारियों और उनके बच्चों (पति/पत्नी और बच्चों) को शामिल करते हुए निबंध, स्लोगन और चित्रकला प्रतियोगिताओं जैसी प्रतियोगिताएं भी ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की गईं। एमएसटीसी के कर्मचारियों के लिए एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित की गई। कॉलेज संस्थानों के लिए कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज, कोलकाता में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और स्कूली छात्रों के लिए साल्ट लेक स्कूल, कोलकाता में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन आयोजनों में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।

अपनी 150वीं रिपोर्ट में पटल (राज्य सभा) पर रखे गए पत्रों पर समिति द्वारा की गई सिफारिशों का अनुपालनः

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान शुरू किए गए/निपटाए गए मामलों का विवरणः

– 31 मार्च, 2021 तक लंबित मामलों की संख्याः 3

– 2021–22 के दौरान शुरू किए गए मामलों की संख्याः 2

– 31 मार्च, 2022 तक लंबित मामलों की संख्याः 2

लंबित मामले की प्रकृतिः भर्ती में अनियमितताएं।

– अधिकारी शामिलः जांच जारी है।

– जारी चार्जशीट : उपलब्ध नहीं

– अनुशासनिक कार्यवाही : उपलब्ध नहीं

अभिस्वीकृति

निदेशक मंडल वर्ष के दौरान कंपनी को दिए गए मूल्यवान सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री, माननीय इस्पात राज्य मंत्री, सचिव (इस्पात), अपर सचिव और एफए (इस्पात), एवं इस्पात मंत्रालय के अन्य अधिकारियों, रक्षा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खनन मंत्रालय, नागर विमानन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्रालय एवं विभिन्नअन्य केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों, विभिन्न केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी कंपनियां, बैंकर, हमारे प्रिंसिपल एवं अन्य लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। निदेशकगण अपने सभी हितधारकों, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के प्रति साल–दर–साल कंपनी के प्रति दिखाए गए भरोसे एवं विश्वास के लिए उनके आभारी हैं।

निदेशकगण कोविड–19 महामारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों के लिए शोक व्यक्त करते हैं एवं इस महामारी से लड़नें अपने जीवन एवं अपनी सुरक्षा को जोखिम में डालनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आभारी है एवं सम्मान प्रकट कर रहे हैं।

आपके निदेशकगण, कर्मचारियों की लगनशीलता और परिश्रम की भी हार्दिक सराहना करते हैं, जिसकी बदौलत कंपनी का उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन सुनिश्चित हुआ है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन : 08643406,

स्थानः कोलकाता
तिथिः 25 मई, 2022

अनुलग्नकः I

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समाविष्ट, विदेशी विनिमय आय और व्यय का विवरण।

ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समाविष्ट

कंपनी ने अपने सर्वर को नवीनतम आईबीएम पावर सीरीज सर्वर में अपग्रेड किया है जिसमें बहुत कम बिजली की खपत होती है और ऊर्जा का संरक्षण होता है। सूचना प्रौद्योगिकी उन्मुख कंपनी होने के नाते, तकनीकी सुधार एमएसटीसी में एक नियमित प्रक्रिया है और आपकी कंपनी द्वारा इस लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल किया गया है।

विदेशी मुद्रा आय एवं खर्च

वर्ष 2021–22 के साथ–साथ पिछले वर्ष यानी 2020–21 के दौरान कंपनी की कोई विदेशी मुद्रा आय और विदेशी मुद्रा व्यय नहीं हुई है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन : 08643406,

स्थानः कोलकाता
तिथिः 25 मई, 2022

अनुलग्नकः II

निगमित अभिशासन रिपोर्ट

निगमित अभिशासन का तात्पर्य है कि किस तरह से कंपनी संचालित है, जो सुनिश्चित करे कि इसके सभी हितधारक अपनी आय और परिसंपत्तियों में उचित हिस्सा पा सकें। अच्छे निगमित शासन का अर्थ है कि कानूनी, नैतिक एवं पारदर्शी तरीके से व्यवसाय को चलाने में कंपनी की वचनबद्धता – एक ऐसी निष्ठा एवं भावना जो एकदम ऊपरी स्तर से शुरू हो एवं पूरे संगठन में व्याप्त रहे। एक अच्छा निगमित शासन केवल विश्वसनीयता एवं भरोसे के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि विकास, संपोषण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए रणनीतिक प्रबंधन के अंश के रूप में भी जरुरी है। निगमित शासन स्टॉक मार्केट में विश्वास स्थापित करने में मदद करता है और इस प्रकार एक संपूर्ण आर्थिक परिवेश में सहयोग मिलता है एवं निवेश/ निवेशक के लिए आकर्षक परिवेश प्राप्त होता है।

निगमित अभिशासन पर एमएसटीसी की धारणा

कंपनी के उद्देश्यों को हासिल करने का वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रभावशाली निगमित अभिशासन के अभ्यास आपकी कंपनी के बुनियादी प्रबंधन सिद्धांत रहे हैं।

हितधारकों द्वारा कंपनी के प्रबंधन पर जताये गये भरोसे को बरकरार रखने के उद्देश्य से एमएसटीसी अपने प्रबंधन के हर स्तर पर पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के लिए संपूर्ण प्रयत्नशील रहता है।

एमएसटीसी व्यवसाय के दौरान उच्च मूल्य मानदंड, मूल्य प्रतिबद्ध ता, पारदर्शिता तथा वाणिज्यिक संविदाओं के बीच उचित तत्परता एवं सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के अनुसरण की अभिलाषा रखता है।

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन एवं श्रेणी

एमएसटीसी के बोर्ड में कार्यपालक (पूर्णकालिक निदेशकगण) एवं गैर–कार्यपालक निदेशकगण (जिसमें स्वतंत्र निदेशकगण एवं सरकारी नामित निदेशकगण) शामिल हैं। स्वतंत्र निदेशक प्रतिष्टित व्यक्ति हैं, जिनके पास अर्थव्यवस्था, प्रशासन आदि के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है।

31 मार्च, 2022 तक, एमएसटीसी के निदेशक मंडल में 7 निदेशक शामिल हैं जिसमें 3 कार्यपालक निदेशकगण (पूर्णकालिक निदेशक) और 4 गैर–कार्यपालक निदेशकगण शामिल हैं, जिनमें से 2 स्वतंत्र निदेशक हैं और 2 सरकार के नामित निदेशकगण हैं। निदेशक मंडल में 2 महिला निदेशकगण शामिल हैं। सेबी एलओडीआर, 2015 में निर्धारित कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक समिति एवं निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल के प्रमुख कौशल/ सक्षमता की निम्नलिखित सूची को चिन्हित किया है:

- कार्यपालक नेतृत्व
- अभिशासन अनुभव
- रणनीति/ जोखिम प्रबंधन
- वित्तीय कुशाग्रता
- क्षेत्रीय/डोमेन ज्ञान
- विपणन जानकारी
- नीति मूल्यांकन और संस्कृति विकास

कौशल एवं इसका विवरण	श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता	श्रीमती भानु कुमार	श्री सुब्रत सरकार	श्रीमती रुचिका चौधरी गोविल	श्री अवधेश चौधरी	श्री आद्य प्रसाद पांडेय	श्री वसंत अशोक पाटिल
बड़े उद्यम को चलाने में नेतृत्व का अनुभव	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
नियामक परिदृश्य के बदलाव को समझने में अभिशासन का अनुभव	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
व्यवसाय की कार्यनीतियों एवं जोखिम प्रबंधन तैयार करने का अनुभव	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
वित्त एवं लेखांकन अनुभव	✓	✓	✓	✓	✓	×	×
विविध परिस्थितियों एवं दशाओं में ग्राहक एवं उपभोक्ता की अंतरदृष्टि को समझना	✓	✓	✓	×	×	×	×
ई–कॉमर्स की कार्यप्रणाली के निरीक्षण एवं उद्योग में डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग का अनुभव	✓	✓	✓	×	×	×	×
नीति मूल्यांकन एवं संस्कृति विकास के निरीक्षण में अनुभव	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

निदेशक मंडल का गठन निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	श्रेणी	31–03–2022 को भारत में निगमित अन्य कंपनियों में निदेशक पद एवं समिति पदों की सं.			कंपनी में धारित शेयरों की सं.
		निदेशक पद	समितियों के सदस्य**	समितियों की अध्यक्षता**	
श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2	.	.	160*
श्रीमती भानु कुमार	पूर्णकालिक निदेशक (वाणिज्यिक)	1	.	.	160*
श्री सुब्रत सरकार	पूर्णकालिक निदेशक (वित्त)	1	.	.	160*
श्रीमती रुचिका चौधरी गोविल	सरकारी नामित निदेशक (गैर–कार्यपालक)	1	1	.	शून्य
श्री अवधेश कुमार चौधरी	सरकारी नामित निदेशक (गैर–कार्यपालक)	.	.	.	160*
श्री आद्य प्रसाद पांडेय (01.11.2021 से)	गैर–कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक	.	.	.	शून्य
डॉ. वसंत अशोक पाटिल (01.11.2021 से)	गैर–कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक	.	.	.	.शून्य
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी (13.12.2021 तक)	गैर–कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक	.	.	.	शून्य

टिप्पणी:

* भारत के राष्ट्रपति के नॉमिनी के रूप में निदेशकगण शेयर धारित किये हुए हैं।

** सूचीकरण विनियमों के विनियम 26 के अनुसार सभी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में लेखा परीक्षा समिति एवं हितधारक संबंध समिति में केवल सदस्यता/अध्यक्षता पर विचार किया गया है।

बोर्ड की बैठक

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, बोर्ड की 9 (नौ) बैठकों का आयोजन 21 मई, 2021, 25 जून, 2021, 12 अगस्त, 2021, 26 अगस्त, 2021, 21 अक्टूबर, 2021, 22 अक्टूबर, 2021, 12 नवंबर, 2021, 27 दिसंबर, 2021 और 11 फरवरी, 2022 को किया गया। दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं था।

वर्ष 2021–22 के दौरान निदेशकों द्वारा उपस्थित बोर्ड की बैठकों की संख्या समेत बोर्ड के गठन एवं संबंधित विषय–वस्तुओं के संबंध में सूचीयन नियमनों की अनुसूची V के अधीन प्रकट किये जाने के लिए अपेक्षित सूचना को अंतिम वार्षिक साधारण बैठक में उनकी उपस्थिति के अनुरूप नीचे तालिका में दिया गया है: –

निदेशक का नाम	श्रेणी	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	बैठक में निदेशकों की उपस्थिति	क्या 28.09.2021 को आयोजित अंतिम एजीएम में उपस्थित हुए
श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	9	9	हाँ
श्रीमती भानु कुमार	पूर्णकालिक निदेशक (वाणिज्यिक)	9	9	हाँ
श्री सुब्रत सरकार	पूर्णकालिक निदेशक (वित्त)	9	9	हाँ
श्रीमती रुचिका चौधरी गोविल	सरकारी नामित निदेशक (गैर–कार्यपालक)	9	9	नहीं
श्री अवधेश कुमार चौधरी	सरकारी नामित निदेशक (गैर–कार्यपालक)	9	9	हाँ
श्री आद्य प्रसाद पांडेय (01.11.2021 से)	गैर–कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक	3	3	लागू नहीं
डॉ. वसंत अशोक पाटिल (01.11.2021 से)	गैर–कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक	3	3	लागू नहीं
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी (13.12.2021 तक)	गैर–कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक	7	7	हाँ

टिप्पणीः

1. श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी 13 दिसंबर, 2021 से प्रभावी रूप से स्वतंत्र निदेशक नहीं रही।
2. श्री आद्य प्रसाद पांडेय और डॉ वसंत अशोक पाटिल को 01 नवंबर, 2021 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
3. कोई भी निदेशक उन सभी कंपनियों में 10 से अधिक समितियों का सदस्य या 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है, जिनमें वे विनियम 26(1) (क) और (ख) के अनुसार निदेशक हैं।
4. निदेशकगण एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।
5. कंपनी के सभी प्रयोज्य कानूनों की अनुपालन रिपोर्ट की समय–समय पर समीक्षा करने में निदेशक मंडल को सक्षम बनाने हेतु कंपनी के पास समुचित प्रणाली है।
6. सेबी सूचीकरण विनियमों की **अनुसूची II** भाग ए में उल्लेखित के अनुसार सूचना को बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।
7. जोखिम आकलन एवं न्यूनीकरण के बारे में निदेशक मंडल के सदस्यों को सूचित करने के लिए कंपनी के पास कार्य–प्रक्रियाएं मौजूद हैं।
8. श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता, श्री सुब्रत सरकार, श्रीमती भानु कुमार और श्री अवधेश कुमार चौधरी, जिनके प्रत्येक के पास भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में 160 शेयर हैं को छोड़कर किसी अन्य निदेशक के पास कंपनी के शेयर नहीं है।
9. आपकी कंपनी के किसी भी निदेशक ने किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक पद को इस समय धारण नहीं किया हुआ है।

स्वतंत्र निदेशकों को उनकी भूमिकाओं, अधिकारों, उत्तरदायित्वों, व्यवसाय मॉडल, कंपनी द्वारा परिचालित उद्योग की प्रकृति आदि से परिचित रखने के लिए, कंपनी ने विभिन्न परिचित कार्यक्रम आयोजित किए हैं. इन परिचय कार्यक्रम का विवरण कंपनी की वेबसाइट https://www.mstcindia.co.in/content/BODComm.aspx में दिया गया है।

आगामी एजीएम में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों की संक्षिप्त जानकारी।

श्री सुब्रत सरकार

सुब्रत सरकार, उम्र बावन (52) वर्ष कंपनी के निदेशक (वित्त) और सीएफओ हैं। उन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ साइंस (ऑनर्स) में डिग्री हासिल की है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट सदस्य हैं। उनके पास वित्त और लेखा में चौबीस (24) वर्षों का अनुभव है। एमएसटीसी में शामिल होने से पहले, वे सरकार मित्र एंड मित्र, सनदी लेखापाल के साथ एक भागीदार के रूप में जुड़े हुए थे। वे मई 2001 से कंपनी से जुड़े हुए हैं।

बोर्ड की समितियां

बोर्ड की समितियां कंपनी के अभिशासन ढांचे में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और कंपनी की चिंता–फ़िक्र से जुड़े क्षेत्र/कार्यकलापों के निष्पादन के लिए इनका गठन किया गया है एवं इनकी बारीक समीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। बोर्ड के औपचारिक अनुमोदन के अधीन बोर्ड की समितियों की स्थापना की जाती है, जो स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करती हैं, जो एक अच्छे निगमित अभिशासन अभ्यास के अंश के तौर पर बोर्ड के सदस्यों द्वारा निष्पादन करने के लिए अपेक्षित है। समितियों द्वारा इनकी जिम्मेदारियों के निष्पादन को बोर्ड निरीक्षण करता है एवं उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। संबंधित समितियों के अध्यक्ष समिति की बैठकों में हुई चर्चा का संक्षिप्त विवरण बोर्ड को सूचित करता है। सभी समितियों की बैठक के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष समीक्षा के लिए रखे जाते हैं।

एमएसटीसी ने बोर्ड की पांच समितियों यथा लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

i) लेखा परीक्षा समिति

संदर्भ की शर्तें

लेखा परीक्षा के संदर्भ की शर्तें सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्कता), विनियमन 2015 के नियम 18 के तहत ऑडिट कमेटी के लिए निर्दिष्ट मामलों के साथ–साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में ऑडिट कमेटी की भूमिका और समीक्षा की समीक्षा के अलावा शामिल है। लेखा परीक्षा समिति द्वारा दी गई जानकारी सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्कता), विनियम 2015 की **अनुसूची II** के भाग सी के तहत निर्धारित है।

लेखा परीक्षा समिति से संबंधित निगमित अभिशासन पर डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देश को भी लेखा परीक्षा समिति पालन करती है। लेखा परीक्षा समिति की संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में उल्लिखित विषयवस्तुओं को संरक्षित करती है, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1) निम्नलिखित से संबंधित इसके निरीक्षण कार्यों में बोर्ड को सहयोग देना:
   - क) लेखापरीक्षित और अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में निहित प्रकटीकरणों की गुणवत्ता और सत्यनिष्ठा;
   - ख) कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन;
   - ग) बाहरी लेखा परीक्षकों की योग्यताएं, अनुभव, निष्पादन और स्वतंत्रता;
   - घ) समय–समय पर स्थापित आंतरिक नियंत्रणों की ईमानदारी; तथा
   - ङ) कंपनी के निवेश।
2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में उल्लिखित या बोर्ड द्वारा इसे संदर्भित विषय–वस्तुओं के संबंध में जांच– पड़ताल करना एवं इस प्रयोजन के लिए इसके पास कंपनी के अभिलेखों में संलग्न सूचना को पूर्ण रूप से प्राप्त करने का अधिकार होगा एवं जरूरत पड़ने पर बाहरी पेशेवर सलाह प्राप्त करना।

3) इसके संदर्भ की शर्तों के भीतर किसी भी कार्यकलाप की जांच करना।

4) कर्मचारियों सहित किसी भी स्रोत से सूचना प्राप्त करना।

5) यदि आवश्यक हो तो बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।

6) यदि आवश्यक हो तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी व्यक्तियों की सेवा सुनिश्चित करना।

7) व्हिसल ब्लोअर (सचेतकों) को संरक्षित करना।

8) लेखा परीक्षा समिति की भूमिका में निम्नलिखित शामिल होंगे:

क) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण एवं इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन, जिससे सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय हैं।

ख) अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही/छमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।

ग) अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ, वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करना, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में:

i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के खंड (3) (ग) के तहत निदेशक दायित्व विवरण में शामिल किये जाने के लिए अपेक्षित विषयवस्तु, जो बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जायेगी;

ii) लेखांकन नीतियों और अभ्यासों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और इसके कारण;

iii) प्रबंधन द्वारा लिए गये निर्णय के आधार पर आकलनों से सन्निहित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ;

iv) लेखा परीक्षकों की खोज–बीन के फलस्वरूप वित्तीय विवरणियों में किये गये महत्त्वपूर्ण समायोजन;

v) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन;

vi) वित्तीय विवरण से संबंधित अपेक्षित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;

vii) किसी भी संबंधित पक्ष के लेनदेन का प्रकटीकरण; तथा

viii) लेखा परीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में योग्यताएँ।

9) लेखा परीक्षा (एँ)

क) आंतरिक लेखा परीक्षा :

- प्रबंधन के साथ, आंतरिक लेखा परीक्षकों (बाहरी फर्मों) के प्रदर्शन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा।
- आंतरिक लेखा परीक्षा (निजी संगठन) कार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्तता के साथ आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कवरेज एवं ऐसी लेखा परीक्षा की समीक्षा।
- महत्त्वपूर्ण जांच परिणामों पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और अनुवर्ती कार्रवाई।
- लेखापरीक्षा और अन्य सेवाओं, यदि कोई हो, के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और शुल्क के निर्धारण के बारे में बोर्ड को सिफारिश देना।

ख) सांविधिक लेखा परीक्षा और शाखा लेखा परीक्षा:

- लेखा परीक्षा की प्रकृति एवं परिधि के बारे में लेखा परीक्षा से पूर्व एवं लेखा परीक्षा के बाद की चर्चा पर सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं शाखा लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा – ताकि चिंता के विषय से अवगत हो सकें।
- किसी भी महत्त्वपूर्ण जांच परिणाम पर सांविधिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और अनुवर्ती कार्रवाई।
- सांविधिक और शाखा लेखा परीक्षा शुल्क को निर्धारित करने के लिए बोर्ड से सिफारिश करना।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवा (लेखा परीक्षा के अलावा) के लिए भुगतान का अनुमोदन।

ग) लागत लेखा परीक्षा एवं कर लेखा परीक्षा:

लागत लेखा परीक्षकों एवं कर लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पुनः नियुक्ति एवं जरूरत पड़ने पर प्रतिस्थापन या बर्खास्तगी तथा लेखा परीक्षा शुल्क के निर्धारण एवं नियुक्ति की अन्य शर्तों के बारे में बोर्ड को सिफारिश देना।

10) लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और निष्पादन और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावकारिता की समीक्षा और निगरानी।

11) लागत लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के साथ इसमें संलग्न हर आरक्षण या योग्यता पर संपूर्ण जानकारी एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा और बोर्ड के पास विचार हेतु रिपोर्ट की सिफारिश करना।

12) स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संपर्क का एक खुला अवसर प्रदान करना।

13) कवरेज की संपूर्णता, अनावश्यक प्रयासों में कमी, और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वय की समीक्षा।

14) स्वतंत्र लेखा परीक्षकों और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा:

क) कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रणों और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, और

ख) स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक के संबंधित जांच–परिणामों और सिफारिशों के साथ, प्रबंधन के प्रत्युत्तर।

15) प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षाः

क) वर्ष के दौरान महत्त्वपूर्ण जांच–परिणाम के साथ पिछली लेखा परीक्षा सिफारिशों की वस्तु–स्थिति।

ख) लेखा परीक्षा कार्य के दौरान उत्पन्न हुई परेशानियों के साथ कार्यकलापों की परिधि या अपेक्षित सूचना की पहुँच पर कोई प्रतिबंध।

16) सरकारी लेखापरीक्षा– सी एंड एजी लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा अवलोकन पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।

17) किसी भी संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या प्रासंगिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता जैसी विषयवस्तु में आंतरिक लेखा परीक्षकों/ सांविधिक लेखा परीक्षकों/ अन्य एजेंसियों द्वारा किसी आंतरिक जांच–पड़ताल के परिणामों की समीक्षा एवं बोर्ड को इसके बारे में सूचना देना।

18) जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में बड़े पैमाने पर हुई चूक के लिए कारणों की जांच करना।

19) व्हिसल ब्लोअर (सचेतक) तंत्र के कार्यप्रणाली की समीक्षा करना।

20) संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर आगे की कार्यवाहियों की समीक्षा।

21) हमारी कंपनी में सभी संबंधित पार्टी लेनदेन की समीक्षा और पूर्व–अनुमोदित। इस प्रयोजन के लिए, लेखा परीक्षा समिति एक सदस्य को नामित कर सकती है, जो संबंधित पार्टी के लेनदेन को पूर्व–अनुमोदित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

22) कंपनी की वित्तीय नीतियों, वाणिज्यिक नीतियों और जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा।

23) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन।

24) एक मुद्दा (सार्वजनिक निर्गम, राइट इश्यू, प्रेफरेंशियल इश्यू आदि) के माध्यम से फंड के प्रयोग/ इस्तेमाल के विवरण, प्रस्ताव कागजात/ विवरणिका/ सूचना में व्यक्त के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल कियी गये फंड के विवरण एवं पब्लिक एवं राइट इश्यू की प्रक्रियाओं के इस्तेमाल की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा जमा की गई रिपोर्ट के बारे में प्रबंधन के साथ समीक्षा एवं इस विषय में आगे कदम उठाने के लिए बोर्ड के पास उपयुक्त सिफारिशें करना।

25) अंतर–निगमित ऋण और निवेश की जांच–पड़ताल।

26) जहां कहीं भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन।

27) संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन का अनुमोदन या बाद में कोई संशोधन।

28) निम्नलिखित सूचना की समीक्षाः

क) वित्तीय स्थिति और प्रचालन के परिणामों की प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण;

ख) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण (जैसा कि लेखा परीक्षा समिति द्वारा परिभाषित किया गया है)

ग) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र;

घ) आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट;

ङ) आंतरिक लेखा परीक्षकों/ मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, हटाने और पारिश्रमिक की शर्तें; और

च) मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणन/घोषणा।

29) बोर्ड के पास दाखिल करने से पूर्व आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखा परीक्षा की परिधि के साथ लेखा परीक्षकों के अवलोकन एवं वित्तीय विवरण की समीक्षा के बारे में लेखा परीक्षकों का मत लेना एवं आंतरिक और सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी के प्रबंधन के साथ किसी संबंधित विषय पर चर्चा करना।

30) स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किये गये तिमाही विवरण में किसी अंतर के लिए निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट, यदि है, की समीक्षा करना।

31) ऐसे किसी अन्य कार्यों का निष्पादन जो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समिति और/या अन्य निदेशकों की समितियों को विशेष रूप से संदर्भित किया जा सकता है।

लेखा परीक्षा समिति की बैठकों का गठन और विवरण

लेखा परीक्षा समिति में तीन सदस्य हैं जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक होते हैं और एक सदस्य सरकार द्वारा नामित निदेशक होता है। समिति के अध्यक्ष गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक हैं। निदेशक (वित्त) और निदेशक (वाणिज्यिक) लेखा परीक्षा समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

समिति की 06 (छः) बैठकें 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान 25 जून, 2021, 12 अगस्त, 2021, 22 अक्टूबर, 2021, 12 नवंबर, 2021, 27 दिसंबर, 2021 और 11 फरवरी, 2022 को हुई।

लेखा परीक्षा समिति का मौजूदा गठन एवं बैठक और उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

सदस्य	श्रेणी	पद	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	सदस्यों की उपस्थिति
डॉ. वसंत अशोक पाटिल (13.11.2021 से)	गैर–कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष*	2	2
श्री आद्य प्रसाद पांडेय (13.11.2021 से)	गैर–कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2
श्रीमती रुचिका चौधरी गोविल	सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	6	6
श्री अवधेश कुमार चौधरी (13.11.2021 तक)	सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	4	4
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी (13.12.2021 तक)	गैर–कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष*	4	4

*टिप्पणी:

1. डॉ वसंत अशोक पाटिल को 13 नवंबर, 2021 से लेखा परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 27 दिसंबर, 2021 से उन्होंने अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया।
2. श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी दिनांक 13 दिसंबर, 2021 से लेखा परीक्षा समिति की सदस्य और अध्यक्ष नहीं रही हैं।

ii) नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति, अवधि और पारिश्रमिक भारत सरकार के द्वारा तय किये जाते हैं। इसके अलावा, वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों सहित कंपनी के कर्मचारियों का पारिश्रमिक बोर्ड द्वारा लागू डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप तय किया जाता है। इसके अलावा, निदेशक (कों) की नियुक्ति के लिए मानदंड, निदेशकों के पारिश्रमिक और एनआरसी से संबंधित निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित नीति पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं। सूचीयन विनियमों के अंतर्गत आवश्कताओं के अनुसरण में सेबी से समरूप छूट की प्रत्याशा की जाती है। तथापि, एनआरसी के लिए यह अनिवार्य है कि डीपीई दिशानिर्देशों के अधीन प्रदत्त सीमाओं के अंदर कंपनी के कर्मचारियों में वितरण करने के लिए वार्षिक बोनस/ परिवर्तनीय पे पुल एवं नीति तय करें।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के लिए संदर्भ की शर्तें निम्नलिखित हैं:

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की भूमिका इस प्रकार होगी:

1. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्यपालक अधिकारियों (बोर्ड स्तर के कार्यपालकों सहित), गैर–कार्यपालक और गैर–संगठित पर्यवेक्षकों में वितरण के लिए वार्षिक बोनस/ परिवर्तनीय पे पुल परफॉरमेंस रिलेटेड पे (पीआरपी) एवं नीति तय करना।
2. मानव संसाधन मुद्दे से संबंधित सभी प्रस्तावों की जांच करना और अपनी सिफारिशें देना।
3. ''नामांकन और पारिश्रमिक समिति'' की सिफारिशों को अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाएगा।
4. भारत सरकार के दिशा–निर्देशों/निर्देशों के अनुसार अधिकारियों और गैर–अधिकारियों के लिए सहायक लाभ एवं भत्ते प्रदान करने हेतु योजनाओं का निरुपण एवं रूपांतरण।
5. एक निदेशक की योग्यताओं, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशक मंडल को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश की जाती है।
6. स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानदंड का निरुपण।
7. निदेशक मंडल की विविधता पर एक नीति निरुपित करना।
8. निर्देशित मानदंड के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति को चिन्हित करना जो निदेशक बनने की योग्यता रखते हैं एवं उनकी नियुक्ति और बर्खास्तगी के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करना।
9. स्वतंत्र निदेशकों के कार्य–निष्पादन की मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि में विस्तार करना या बरकरार रखना।
10. वरिष्ठ प्रबंधन को देय किसी भी रूप में, सभी पारिश्रमिक के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना, जो 1 अप्रैल, 2019 से या सेबी द्वारा निर्धारित ऐसी किसी अन्य तिथि, जैसा भी मामला हो, से प्रभावी होगी।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन एवं बैठकों का विवरण

समिति में तीन सदस्य होते हैं जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं और एक सदस्य सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। समिति के अध्यक्ष गैर–कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक हैं।

कंपनी सचिव नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सचिव के रूप में कार्य करते है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 21 मई, 2021, 25 जून, 2021, 12 अगस्त, 2021, 22 अक्टूबर, 2021, 12 नवंबर, 2021, 11 फरवरी, 2022 और 25 मार्च, 2022 को समिति की (7) सात बार बैठक हुई।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति का मौजूदा गठन एवं बैठक और उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित हैः

सदस्य	श्रेणी	पद	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	सदस्यों की उपस्थिति
श्री आद्य प्रसाद पांडेय (13.11.2021 से)	गैर–कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष*	2	2
डॉ. वसंत अशोक पाटिल (13.11.2021 से)	गैर–कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2
श्री अवधेश कुमार चौधरी	सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	7	7
श्रीमती रुचिका चौधरी गोविल (13.11.2021 तक)	सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	5	5
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी (13.12.2021 तक)	गैर–कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष*	5	5

***टिप्पणी:**

1. श्री आद्य प्रसाद पांडेय को दिनांक 13 नवंबर, 2021 से नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 27 दिसंबर, 2021 से उन्होंने अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया।
2. श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी दिनांक 13 दिसंबर, 2021 से नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सदस्य और अध्यक्ष नहीं रही हैं।

पारिश्रमिक नीति

निदेशकों को पारिश्रमिक

एमएसटीसी लिमिटेड एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा इसके प्रशासनिक मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं। अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामित निदेशक) कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं।

अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) को कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन और भारत सरकार के द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार, निर्दिष्ट सीमा के अंदर बोर्ड द्वारा अनुमोदन के अनुसार बोर्ड की बैठक एवं इसकी समिति की बैठक के लिए ₹ 15,000/– रुपये प्रति बैठक के बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार हैः

(₹ लाख में)

क्रम सं.	नाम	पदनाम	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) एवं (2) के अनुसार वेतन एवं परिलब्धियां	नियुक्ति उपरांत लाभ	अन्य दीर्घकालिक लाभ	कुल
1.	श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	53.50	4.81	8.00	66.31
2.	श्रीमती भानु कुमार	निदेशक (वाणिज्यिक)	69.33	2.80	(4.60)	67.53
3.	श्री सुब्रत सरकार	निदेशक (वित्त)	48.24	1.63	2.74	52.61

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किये गये बैठक शुल्क का विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	नाम	कुल पारिश्रमिक (₹ लाख में)
1.	श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी	3.45
2.	श्री आद्य प्रसाद पांडेय	1.05
3.	डॉ. वसंत अशोक पाटिल	1.20

iii) हितधारक संबंध समिति

संदर्भ की शर्तें

हितधारक संबंध समिति के संदर्भ की शर्तें निम्नलिखित हैं:

1. सूचीबद्ध संस्था के प्रतिभूत धारकों की शिकायतों के साथ शेयरों के अंतरण/ प्रसारण, वार्षिक रिपोर्ट की अप्राप्ति, घोषित लाभांश की अप्राप्ति, नये/ अनुलिपि प्रमाणपत्रों को जारी करने, सामान्य बैठकों आदि के संबंध में शिकायतों का निराकरण।
2. शेयरधारकों के मताधिकारों के प्रभावी निष्पादन के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।
3. रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध संस्था द्वारा अपनाए गए सेवा मानदंडों के अनुपालन की समीक्षा।
4. दावारहित लाभांशों की मात्रा को कम करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश अधिपत्र/वार्षिक रिपोर्ट/ सांविधिक सूचनाओं की यथासमय प्राप्ति को सुनिश्चित करना।

हितधारकों संबंध समिति की बैठक और उपस्थिति के बारे में संरचना और विवरण

31 मार्च, 2022 तक समिति में चार सदस्य हैं, जिनमें से 2 सदस्य गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक हैं और 2 सदस्य कार्यात्मक निदेशक हैं। समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक हैं।

कंपनी सचिव हितधारक संबंध समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

समिति की बैठक वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 28 जून, 2021, 20 सितंबर, 2021 और 21 अक्टूबर, 2021 को (3) तीन बार आयोजित की गई।

हितधारक संबंध समिति का मौजूदा गठन, बैठकें और उपस्थिति निम्नलिखित है:

सदस्य	श्रेणी	पद	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	सदस्यों की उपस्थिति
डॉ. वसंत अशोक पाटिल (13.11.2021 से)	गैर–कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष*	.	.
श्री आद्य प्रसाद पांडेय (13.11.2021 से)	गैर–कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	.	.
श्रीमती भानु कुमार	निदेशक (वाणिज्यिक)	सदस्य	3	3
श्री सुब्रत सरकार	निदेशक (वित्त)	सदस्य	3	3
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी (13.12.2021 तक)	गैर–कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष*	3	3

***टिप्पणी:**

1. श्री आद्य प्रसाद पांडेय को दिनांक 13 नवंबर, 2021 से हितधारक संबंध समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 27 दिसंबर, 2021 से उन्होंने अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया।
2. श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी 13 दिसंबर, 2021 से हितधारक संबंध समिति की सदस्य और अध्यक्ष नहीं रही हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को शेयरधारकों की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

iv) निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 135(1) के अनुपालन में, कंपनी ने बोर्ड की सीएसआर समिति का गठन किया है।

निगमित सामाजिक दायित्व समिति, अन्य बातों के साथ–साथ, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित विषय–वस्तुओं से सन्निहित कंपनी की एक निगमित सामाजिक दायित्व नीति के गठन के लिए निदेशक मंडल को सिफारिशें, प्रस्ताव एवं निविष्टियां प्रदान करती है।

संदर्भ की शर्तें

निगमित सामाजिक दायित्व समिति के संदर्भ की शर्तें निम्नलिखित हैं:

(क) एक निगमित सामाजिक दायित्व और सततता नीति तैयार करना और बोर्ड को सिफारिश करना, जो कंपनी अधिनियम 2013 की **अनुसूची VII** में उल्लिखित के अनुसार आपकी कंपनी द्वारा किये जाने वाले कार्यकलापों को इंगित करेगी।

(ख) सीएसआर कार्यकलापों पर खर्च की जाने वाली व्यय राशि की सिफारिश।

(ग) कंपनी की निगमित सामाजिक दायित्व और सततता नीति की निगरानी और समय–समय पर इसका प्रभावी कार्यान्वयन।

(घ) सीएसआर गतिविधियों के लिए एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करें और बोर्ड को सिफारिश करें।

सीएसआर समिति की बैठक का गठन एवं विवरण और उपस्थिति

वर्तमान में निगमित सामाजिक दायित्व समिति में चार सदस्य हैं जिनमें से दो स्वतंत्र निदेशक हैं, एक सरकारी नामित निदेशक है और एक कार्यात्मक निदेशक है। समिति के अध्यक्ष एक गैर–कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक हैं।

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 21 मई, 2021, 25 जून, 2021 और 12 अगस्त, 2021 को निगमित सामाजिक दायित्व समिति की 3 (तीन) बैठकें आयोजित की गईं।

बैठक का गठन एवं विवरण और उपस्थिति निम्नलिखित हैं।

सदस्य	श्रेणी	पद	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	सदस्यों की उपस्थिति
श्री आद्य प्रसाद पांडेय (13.11.2021 से)	गैर–कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष*	.	.
डॉ. वसंत अशोक पाटिल (13.11.2021 से)	गैर–कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	.	.
श्री सुब्रत सरकार	निदेशक (वित्त)	सदस्य	3	3
श्री अवधेश कुमार चौधरी	सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	3	3
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी (13.12.2021 तक)	गैर–कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष*	3	3

***टिप्पणी:**

1. श्री आद्य प्रसाद पांडेय को दिनांक 13 नवंबर, 2021 से निगमित सामाजिक दायित्व समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे और बाद में 27 दिसंबर, 2021 से उन्होंने अध्यक्ष का पद्भार ग्रहण किया।
2. श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी 13 दिसंबर, 2021 से निगमित सामाजिक दायित्व समिति की सदस्य और अध्यक्ष नहीं रही हैं।

v) जोखिम प्रबंधन समिति

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 21 के अनुपालन में, कंपनी ने बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

संदर्भ की शर्तें

जोखिम प्रबंधन समिति के संदर्भ की शर्तें निम्नलिखित हैं:

(क) एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना, जिसमें शामिल होगा:

(i) सूचीबद्ध इकाई द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए, विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या किसी अन्य जोखिम सहित, एक ढांचा तैयार करना, जैसाकि समिति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(ii) पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय।

(iii) व्यवसाय निरंतरता योजना।

(ख) यह सुनिश्चित करना कि, कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं;

(ग) जोखिम प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सहित, जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और निरीक्षण करना;

(घ) जोखिम प्रबंधन नीति की समय–समय पर समीक्षा करना, दो साल में कम से कम एक बार, बदलते उद्योग की गतिशीलता और बढ़ती हुई जटिलता को ध्यान में रखने सहित;

(ङ) निदेशक मंडल को इसकी चर्चाओं, सिफारिशों और किये जाने वाले कार्यकलापों की प्रकृति और सामग्री के बारे में सूचित करना;

(च) मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, हटाने और पारिश्रमिक की शर्तें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।

(छ) जोखिम प्रबंधन समिति किसी भी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त कर सकती है, बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त कर सकती

है और यदि आवश्यक समझे तो, प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित कर सकती है।

जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक का गठन एवं विवरण और उपस्थिति

वर्तमान में जोखिम प्रबंधन समिति में पांच सदस्य शामिल हैं जिनमें से एक स्वतंत्र निदेशक है, दो सरकारी नामित निदेशक हैं, एक कार्यकारी निदेशक है और एक कंपनी का वरिष्ठ कार्यपालक है। समिति के अध्यक्ष एक गैर–कार्यपालक सरकारी नामित निदेशक हैं।

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की (2) दो बैठकें 06 दिसंबर, 2021 और 25 मार्च, 2022 को आयोजित की गईं।

बैठक का गठन एवं विवरण और उपस्थिति निम्नलिखित हैं:

सदस्य	श्रेणी	पद	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	सदस्यों की उपस्थिति
श्री अवधेश कुमार चौधरी	सरकारी नामित निदेशक	अध्यक्ष*	2	2
श्रीमती रुचिका चौधरी गोविल	सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	2	1
श्रीमती भानु कुमार	निदेशक (वाणिज्यिक)	सदस्य	2	2
डॉ. वसंत अशोक पाटिल (27.12.2021 से)	गैर–कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1	1
श्री संजीब कुमार पोद्दार	अतिरिक्त महाप्रबंधक (ईकामर्स)	सदस्य	2	2
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी (13.12.2021 तक)	गैर–कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1	1

***टिप्पणी:**

1. जोखिम प्रबंधन समिति का गठन 21 मई, 2021 से किया गया था।

सहायक कंपनी

कंपनी की एक सहायक कंपनी है जिसका नाम फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) है। एफएसएनएल के निदेशक मंडल की बैठकों का कार्यवृत्त नियमित आधार पर कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों के समक्ष रखा जाता है।

साधारण निकाय की बैठकें

(क) अंतिम तीन वार्षिक सामान्य बैठकों का विवरण निम्नलिखित है:

बैठक सं.	स्थल	तिथि एवं समय	विशेष प्रस्ताव पारित
54वीं	हॉल नंबर 6, (लेवल 1 में ऑडिटोरियम), विश्व बांगला कन्वेंशन सेंटर, विश्व बांगला सरनी, डीजी ब्लॉक, न्यू टाउन, एक्शन एरिया–1, कोलकाता–7000156	25 सितंबर, 2019 प्रातः 11 बजे	हां
55वीं	225सी, एजेसी बोस रोड, कोलकाता – 70020 में स्थित एमएसटीसी लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से	25 सितंबर, 2020 प्रातः 11 बजे	नहीं
56वीं	प्लॉट नंबर सीएफ–18/2, स्ट्रीट नंबर 175, एक्शन एरिया–1 सी, न्यू टाउन, कोलकाता–700156 स्थित एमएसटीसी लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से	28 सितंबर, 2021 प्रातः 11 बजे	नहीं
ईजीएम	प्लॉट नंबर सीएफ–18/2, स्ट्रीट नंबर 175, एक्शन एरिया–1 सी, न्यू टाउन, कोलकाता – 700156 स्थित एमएसटीसी लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से	22 दिसंबर, 2021 प्रातः 11 बजे	हां

(ख) अतिरिक्त साधारण बैठक में शेयरधारकों ने निम्नलिखित विषयों पर विशेष प्रस्ताव पारित किया है:

(i) एमएसटीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) में एमएसटीसी द्वारा धारित संपूर्ण इक्विटी शेयरों के विनिवेश के साथ–साथ प्रबंधन और नियंत्रण के हस्तांतरण को मंजूरी देना।

(ii) एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. वसंत अशोक पाटिल (डीआईएनः 09352913) की नियुक्ति।

(iii) एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री आद्य प्रसाद पांडे (डीआईएनः 09347851) की नियुक्ति।

(ग) पिछले वर्ष पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था और पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव आयोजित करने का प्रस्ताव नहीं है।

प्रकटन

1. **वस्तुगत रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी के लेनदेन पर प्रकटन जिसका मुख्य रूप से कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है:**

   बोर्ड ने संबंधित पार्टी लेनदेन के महत्त्व पर एवं संबंधित पार्टियों के साथ सौदेबाजी पर एक नीति को अनुमोदित किया है और इसे कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर प्रकाशित किया गया है।

2. **सेबी सूचीयन विनियमों के विनियम 26(5) के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा प्रकटीकरण:**

   31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक ने निदेशक मंडल को पुष्टि की है कि उनका कंपनी के साथ कोई वस्तुगत, वित्तीय और वाणिज्यिक लेनदेन के संबंध में कोई व्यक्तिगत हित नहीं है, जिसका कंपनी के हितों के साथ बड़े पैमाने पर संभावित संघर्ष हो सकता है।

3. **कानूनों के अनुपालन पर प्रकटीकरण:**

   कंपनी ने गत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजारों से संबंधित सभी मामलों पर स्टॉक एक्सचेंज, सेबी और अन्य सांविधिक प्राधिकारियों की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। गत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा कोई दंड या बाध्यता नहीं लगाये गये थे।

   हालांकि, वर्ष के दौरान 2021 सेबी (एलओडीआर) के विनिमय 17(1), 18(1) और 19(1) के प्रावधानों का अनुपालन करने के संबंध में एनएसई और बीएसई से नोटिस प्राप्त हुआ। जून 2021, सितंबर 2021 और दिसंबर, 2021 और गैर–अनुपालन मार्च, 2022 के लिए विनिमय 17(1) के प्रावधान का अनुपालन और बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के न रहने के लिए मौद्रिक दंड को लागू किये जाने के संबंध में एनएसई के साथ–साथ बीएसई से नोटिस प्राप्त हुए हैं। कंपनी ने विनिमय केंद्रों को सूचित किया है कि एमएसटीसी एक सरकारी कंपनी है, जिसमें निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। एमएसटीसी ने विनिमय केंद्र को दंड को छोड़ने का भी अनुरोध किया है, क्योकि यह अभाव कंपनी की ओर से किसी असावधानी के कारण नहीं हुआ है। बीएसई ने 31 दिसंबर, 2020 तक कंपनी पर लगाए गये दंड माफ़ कर दिये हैं।

4. **सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी (सचेतक नीति):**

   कंपनी के पास एक व्हिसल ब्लोअर नीति/सतर्क तंत्र है, जो इसके निदेशकों और कर्मचारियों के लिए कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर प्रकाशित किया गया है ताकि कंपनी के कार्यों के बारे में या इसकी नीतियों के किसी भी उल्लंघन के बारे में अपनी चिंताओं की रिपोर्ट कर सकें। यह सतर्कता तंत्र निदेशक(कों) या कर्मचारी(रियों) या किसी अन्य व्यक्ति के उत्पीड़न के खिलाफ इस तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है और लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच की सुविधा भी प्रदान करता है। स्वतंत्र निदेशक सहित किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक किसी भी प्रकार की पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

5. **भीतरी ट्रेडिंग अभ्यासों से जुड़ी रोकथाम संहिता**

   भीतरी ट्रेडिंग के निषेध पर सेबी विनियम के अनुपालन में, कंपनी ने अपने निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन और अधिकारियों के लिए एक व्यापक आचार संहिता लागू की है। इस संहिता में दिशानिर्देश वर्णित है, जो उन्हें कंपनी के शेयरों के साथ लेनदेन के समय पालन की जाने वाली कार्य–प्रक्रियाओं और प्रकटीकरण के बारे में सलाह देते हैं। यह संहिता अन्य मामलों के साथ स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है कि कंपनी के निदेशक और उल्लिखित कर्मचारी केवल व्यवसाय खिड़की खुली रहने की अवधि के दौरान कंपनी के शेयरों का व्यवसाय कर सकते हैं। संहिता के अनुसार परिणाम, लाभांश और अन्य महत्त्वपूर्ण गतिविधियों की घोषणा के दौरान व्यवसाय खिड़की बंद रहती है और इसे कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर प्रकाशित किया गया है।

6. **अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन और गैर–अनिवार्य आवश्यकताओं को अंगीकार किये जाने का विवरण**

   सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है और गैर–अनिवार्य आवश्यकताओं को इस रिपोर्ट के अंत में निपटाया गया है।

7. **मटीरियल सब्सिडियरी निर्धारण नीति**

   कंपनी ने मटीरियल सब्सिडियरी (सहायक कंपनी) के निर्धारण के लिए एक नीति अपनाया है और इसे कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर प्रकाशित किया गया है।

8. **वस्तु मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और बचाव कार्यकलाप**

   यह कंपनी पर लागू नहीं है।

9. **प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी से प्रमाण पत्र**

   31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सेबी सूचीयन विनियमों के विनियम 17(8) के अनुपालन में श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री सुब्रत सरकार, निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी से प्रमाणपत्र कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था।

10. **आचार संहिता**

    निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के कार्यभार से यथा उपयुक्त समाहित व्यवसाय आचार और नैतिकता संहिता

को सेबी सूचीयन विनियमों के अनुरूप बनाया गया है, जिसे बोर्ड ने अंगीकार किया है। कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर दी गई है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने वार्षिक आधार पर आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। सेबी सूचीयन विनियम की शर्तों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित इस विषय में की गई घोषणा बोर्ड की रिपोर्ट का भाग माना जायेगा।

11. अधिनियम की धारा 149(6) और सेबी सूचीयन विनियमों के विनियम 16(1)(ख) के अधीन स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने अधिनियम की धारा 149(6) और सेबी सूचीयन विनियमों के विनियमन 16(1)(ख) के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों से घोषणाएं प्राप्त की हैं।

12. नेटवर्क फर्म/नेटवर्क संस्था में सांविधिक लेखा परीक्षक और सभी संस्थाओं को, जिसका सांविधिक लेखापरीक्षक एक हिस्सा है, कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा समेकित आधार पर सभी सेवाओं के लिए भुगतान किये गये कुल शुल्क:

कृपया मेसर्स एस घोष एंड कंपनी एलएलपी (302184ई) द्वारा चार्ज किए गए कुल भुगतान/प्रोद्भवन शुल्क के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में लेखा परीक्षकों के भुगतान पर टिप्पणी 29 का संदर्भ लें। इसके अलावा, कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने कंपनी या इसकी सहायक कंपनियों को कोई सेवा नहीं दी है।

13. लाभांश वितरण नीति

कंपनी ने सेबी सूचीयन विनियमों के विनियम 43क के अनुसार एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है। बोर्ड की रिपोर्ट में नीति के बारे में विस्तार से बताया गया है और कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर इस नीति को प्रकाशित किया गया है।

संचार के माध्यम

1. वित्तीय परिणाम

सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी के तिमाही परिणाम नियत समय के भीतर घोषित किए गए थे और स्टॉक एक्सचेंजों के पास भेजे गए थे। ये परिणाम प्रमुख अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किये गये थे। कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर और इसके साथ ही बीएसई और एनएसई वेबसाइटों पर भी ये परिणाम प्रदर्शित किए गये हैं।

2. समाचार विज्ञप्तियाँ

जब भी कंपनी कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है, तो इसे तुरंत स्टॉक एक्सचेंजों को भेज दिया जाता है और साथ ही कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाता है। कंपनी अपनी वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर त्रैमासिक, अर्ध–वार्षिक और वार्षिक परिणामों की घोषणा के बाद, संस्थागत निवेशकों/विश्लेषकों के लिए तिमाही परिणाम, सांविधिक नोटिस, प्रेस विज्ञप्ति और प्रस्तुतियों सहित कंपनी और इसके प्रदर्शन के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी भी, नियमित रूप से अपने शेयरधारकों और जनसाधारण के हित के लिए सामने रखती है। ये सूचनाएं एक साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) को भी प्रस्तुत की जाती हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुसरण में एवं सेबी (सूचीयन बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 25(3) के अनुसार, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 25 मार्च, 2022 को आयोजित की गई थी। स्वतंत्र निदेशकों ने प्रबंधन और बोर्ड और इसकी समितियों के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता की समीक्षा की, जो प्रभावी ढंग से और उचित रूप से उनके कार्यभार का पालन करने और निर्वहन करने के लिए आवश्यक है।

कंपनी व्यावसायिक निष्पादन, दीर्घकालिक कार्यनीतियों की पहल और निहित जोखिम पर बोर्ड की बैठक में किए गए आवधिक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से एक संरचना उन्मुखी और परिचय कार्यक्रम का पालन करती है।

शेयरधारक की सूचना

(क) वार्षिक आम बैठक:

वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक आम बैठक 27 सितंबर, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

(ख) वित्तीय कैलेंडर: प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक.

वर्ष 2022–23 के तिमाही/ वार्षिक वित्तीय परिणाम को मंजूरी देने वाला वित्तीय कैलेंडर नीचे दिया गया है:

14 अगस्त, 2022 को या उससे पूर्व 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही

14 नवंबर, 2022 को या उससे पूर्व 30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही

14 फरवरी, 2023 को या उससे पूर्व 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही

30 मई, 2023 को या उससे पूर्व 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष

(ग) बही समापन तिथि: 17 सितंबर, 2022 से 27 सितंबर, 2022

(घ) लाभांश के भुगतान की रिकॉर्ड तिथि: 16 सितंबर, 2022

(ङ) लाभांश भुगतान तिथि: अंतिम लाभांश यदि शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो निर्धारित समय के अंदर भुगतान/जमा किया जाएगा.

(च) लाभांश का इतिहासः एमएसटीसी लगातार लाभांश का भुगतान कर रहा है।

पिछले सात वर्षों में एमएसटीसी द्वारा भुगतान किए गए लाभांश का विवरण इस प्रकार है;

वित्तीय वर्ष	लाभांश का प्रकार	लाभांश की दर (%)	31 मार्च, 2022 को दावारहित लाभांश की राशि (₹ लाख में)	लाभांश की कुल राशि (₹ लाख में)	लाभांश घोषित करने की तिथि	आईईपीएफ को हस्तांतरण की नियत तिथि
2021-22	दूसरा अंतरिम	65.00	32.08	4576	11.02.2022	19.03.2029
2021-22	पहला अंतरिम	20.00	9.76	1408	12.11.2021	18.12.2028
2020-21	अंतिम	44.00	13.52	3098	28.09.2021	03.11.2028
2019-20	अंतिम	33.00	12.11	2323	25.09.2020	31.10.2027
2018-19	वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान किसी लाभांश की घोषणा नहीं की गई					
2017-18	अंतिम	74.00	8.05	2605	26.09.2018	02.11.2025
2016-17	अंतिम	71.00	23.32	2499	21.09.2017	27.10.2024
2016-17	अंतरिम	95.00	10.22	1672	10.02.2017	18.03.2024
2015-16	अंतिम	102.50	10.41	1804	28.09.2016	04.11.2023
2014-15	अंतिम	207.00	11.06	1822	14.09.2015	20.10.2022

निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में अंतरणः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 प्रावधान करती है कि कोई भी लाभांश जो अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए भुगतान नहीं हुए/ दावा नहीं हुए के तौर पर पड़ा है, उसे केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान आईईपीएफ को कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई क्योंकि उक्त वित्तीय वर्ष के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया था। वित्तीय वर्ष 2014–15 से संबंधित दावा न किए गए लाभांश कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आईईपीएफ को अंतरित किए जाएंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) और, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ पठित, यह प्रावधान करती है कि वे सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है, या दावा नहीं किया गया है, कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि के नाम पर अंतरित किया जाएगा। वर्ष के दौरान आईईपीएफ को कोई शेयर हस्तांतरित नहीं किया गया क्योंकि ऐसे कोई शेयर नहीं थे जिनके संबंध में लगातार 7 वर्षों की अवधि के लिए लाभांश का भुगतान नहीं हुआ/दावा न किया गया हो। इसके अलावा, ऐसे सभी शेयर जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए दावा न किए गए लाभांश हैं, और उसके बाद कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आईईपीएफ में अंतरित किए जाएंगे।

आईईपीएफ नियमों के अनुपालन में, कंपनी ऐसे सभी शेयरधारकों को अनुस्मारक पत्र भेजती है, जिनके लाभांश का दावा करने के अनुरोध के साथ लगातार 7 वर्षों की अवधि के लिए भुगतान न किया गया/ दावा न किया गया हो, ऐसा न करने पर शेयरों को नियत तारीख पर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिया जाएगा।

आईईपीएफ को अंतरित किए गए लाभांश/शेयरों के संबंध में, शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके आईईपीएफ प्राधिकरण से इसका दावा कर सकते हैं। ये नियम आईईपीएफ वेबसाइट (www.iepf.gov.in) और कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर उपलब्ध हैं। ऐसे लाभांश/शेयरों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

सेबी (सूचीयन बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V के तहत अपेक्षित डीमैट उचंत खाते/दावा न किए गए उचंत खाते के संबंध में प्रकटीकरण:

क्रम सं.	विवरण	शेयरधारकों की सं.	इक्विटी शेयरों की सं
क)	1 अप्रैल, 2021 को शेयरधारकों की कुल संख्या एवं दवारहित उचंत खता में पड़े बकाया शेयर	63	5,98,017
ख)	वर्ष के दौरान शेयरधारकों की सं. जो दावारहित उचंत खाता से शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी के पास पहुंचे	11	3,08,668
ग)	शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर वर्ष के दौरान दवारहित उचंत खाते से अंतरित किये गये थे	11	3,08,668
घ)	शेयरधारकों की संख्या जिनके दावारहित लाभांश दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 के निगमित मामले मंत्रालय के सामान्य परिपत्र सं. 12/2017 के अनुसार आईईपीएफ खाते में अंतरित किये गये थे	-	-
ङ)	31 मार्च, 2021 को शेयरधारकों की कुल संख्या एवं दवारहित उचंत खाते में पड़े बकाया शेयर टिप्पणी: एमएसटीसी लिमिटेड ने वर्ष 2018–19 में बोनस शेयर जारी किया एवं दिनांक 11/01/2019 को उन शेयरधारकों को शेयर आवंटित किये, जिन्होंने डिमैट रूप में शेयर रखा था। तथापि, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के संबंध में बोनस शेयर "एमएसटीसी लिमिटेड दावारहित उचंत खाता" में अंतरित किया गया। शेष को "एमएसटीसी लिमिटेड के दवाराहित उचंत खाता" में दर्शाया गया है।	52	2,89,349
च)	एतद् द्वारा पुष्टि की जाती है कि इन शेयरों के वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध रहेंगे, जब तक कि ऐसे शेयरों के वैध मालिक शेयरों का दावा नहीं करते हैं।		

(छ) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीयन

कंपनी के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

नाम एवं पता	स्टॉक कोड
बीएसई लिमिटेड पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट मुंबई– 400001	542597
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा, सी–1, जी ब्लॉक, बांद्रा – कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई – 400051	एमएसटीसी लि.

(ज) निर्गम एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता के पंजीयक:

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली –110 055
दूरभाष: +91-11-4254-1954/+91-22-4254-1234
ई–मेल: virenders@alankit.com/saching@alankit.com
निवेशक शिकायत ई–मेल: mstcigr@alankit.com
वेबसाइट: www.alankit.com
संपर्क व्यक्ति: वीरेन्द्र शर्मा/सचिन गुप्ता
सेबी पंजीकरण संख्या: INR000002532

(झ) शेयर अंतरण प्रणाली

कंपनी के शेयरों का कारोबार अभौतिकृत रूप में किया जाता है। अंतरण के लिए भेजे गए शेयरों को निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकृत किया जाता है। आपत्ति के अधीन आने वाले शेयरों को उपयुक्त सुधार की मांग करते हुए निर्धारित अवधि के अंदर लौटा दिया गया है। शेयरधारकों से समय–समय पर प्राप्त शेयर प्रमाणपत्रों के अभौतिकीकरण/ पुनः भौतिकीकरण/ अंतरण/ पारेषण/ विभाजन/ समेकन/ पुनः निर्गम से संबंधित अनुरोधों को मंजूरी देने के लिए कंपनी के पास एक हितधारक संबंध समिति है।

(ञ) शेयर का अभौतिकीकरण एवं नकदीकरण

31 मार्च 2022 तक, 99.66% इक्विटी शेयर एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास अभौतिकिकृत रूप में धारित हैं. इनका विवरण निम्नलिखित हैं:

स्वरुप	शेयरों की संख्या	प्रतिशत (%)
सीडीएसएल में अभौतिकिकृत रूप में धारित	1,00,53,137	14.28
एनएसडीएल में अभौतिकिकृत रूप में धारित	6,01,09,913	85.38
भौतिक रूप में धारित	2,36,950	0.34

(ट) सूचीयन शुल्क

वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक सूचीयन शुल्क, यथा लागू के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंजों को भुगतान कर दिया गया है।

(ठ) स्टॉक मार्केट की सूचना

कंपनी के शेयर 29 मार्च, 2019 से बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध हैं।

(ड) स्टॉक मार्केट मूल्य के आंकड़े

बीएसई और एनएसई में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए मासिक उच्च और न्यून (व्यापारित मूल्य) और कारोबार किए गए शेयरों (परिमाण) की संख्या निम्नानुसार है:

माह	बीएसई लिमिटेड*			एनएसई लिमिटेड		
	उच्च (प्रति शेयर)	न्यून (प्रति शेयर)	परिमाण	उच्च (प्रति शेयर)	न्यून (प्रति शेयर)	परिमाण
अप्रैल, 2021	316.00	249.50	15,22,698	316.00	249.50	69,84,246
मई, 2021	286.50	250.25	10,26,028	286.40	250.65	82,99,884
जून, 2021	295.00	247.35	15,82,197	295.15	247.15	1,49,30,852
जुलाई, 2021	334.40	276.20	17,70,162	334.40	275.50	1,74,06,774
अगस्त, 2021	308.00	242.35	14,39,053	308.40	248.20	1,27,12,180
सितंबर, 2021	336.55	260.00	23,15,643	337.00	260.00	2,18,92,664
अक्टूबर, 2021	542.00	306.00	51,35,194	542.00	307.15	5,05,45,189
नवंबर, 2021	411.95	326.00	10,31,204	412.00	325.05	1,23,11,405
दिसंबर, 2021	371.00	307.85	7,65,781	371.45	307.85	75,82,263
जनवरी, 2022	390.00	317.15	12,38,433	388.20	317.45	1,15,70,755
फरवरी, 2022	361.30	281.75	9,06,802	361.50	282.00	75,21,567
मार्च, 2022	341.00	285.00	7,30,147	326.00	285.00	68,29,471

*स्रोतः बीएसई और एनएसई की वेबसाइट।

(ट) बीएसई सेंसेक्स की तुलना में शेयर मूल्य का प्रदर्शन

सेंसेक्स की तुलना में एमएसटीसी स्टॉक प्रदर्शन (मासिक समापन मूल्य के आधार पर)

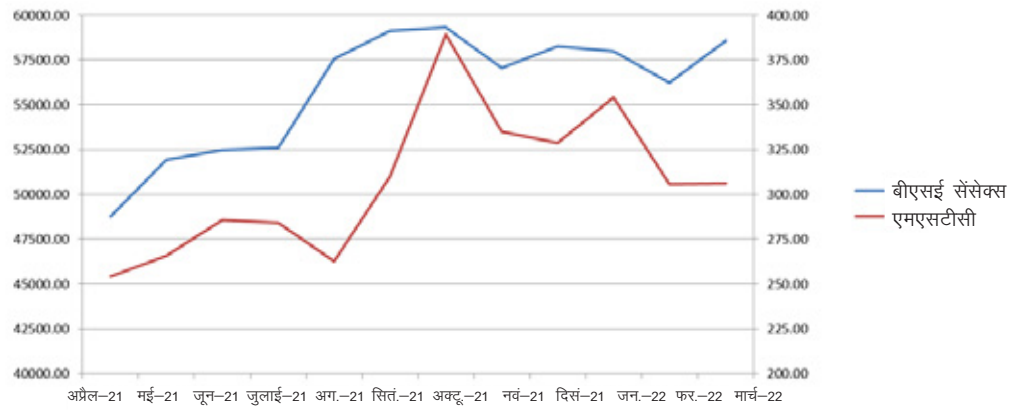

(ण) एनएसई निफ्टी की तुलना में कंपनी के शेयर मूल्य का प्रदर्शनः

निफ्टी की तुलना में एमएसटीसी स्टॉक प्रदर्शन (मासिक समापन मूल्य के आधार पर)

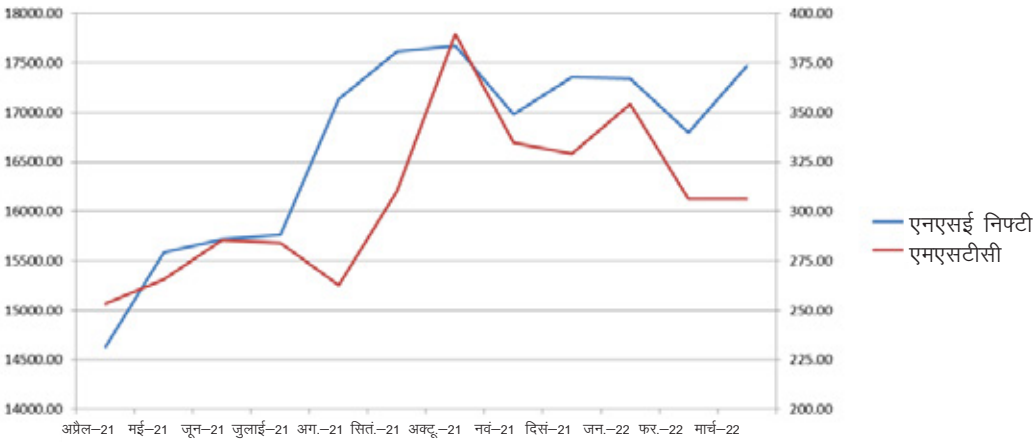

(त) बकाया जीडीआर/एडीआर/अधिपत्र या कोई परिवर्तनीय साधनों, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव – शून्य

(थ) कंपनी का सीआईएनः L27320WB1964GOI026211

(द) डीमैट आईएसआईएन नंबरः INE255X01014

(ध) संपर्क के लिए पताः

शेयरों के अंतरण या संचारण, शेयरों के अभौतिकीकरण, पते में परिवर्तन, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होने पर, लाभांश अधिपत्र और कंपनी से संबंधित किसी भी अन्य प्रश्न के विषय में किसी भी प्रकार के सहयोग, अनुरोध या निर्देश के लिए, निवेशक कृपया निम्नलिखित पते पर लिख सकते हैंः

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
एमएसटीसी लिमिटेड
प्लॉट नंबर सीएफ–18/2, स्ट्रीट नंबर 175, एक्शन एरिया I सी, न्यू टाउन, कोलकाता–700156, पश्चिम बंगाल, भारत
दूरभाषः +91–33–2340–0000
ईमेलः cssectt@mstcindia.in

(न) संयंत्र स्थानः

कंपनी के व्यवसाय अर्थात, ई–कॉमर्स और आईटी सक्षम सेवाओं की प्रकृति को देखते हुए, कंपनी भारत में विभिन्न कार्यालयों से संचालित होती है।

(प) 31 मार्च, 2022 को शीर्ष दस शेयरधारक

क्रम सं.	शेयरधारकों के नाम	धारित शेयरों की सं.	कुल शेयरधारिता का %
1.	भारत के राष्ट्रपति	4,55,80,000	64.75
2.	सूर्यवंशी कमोट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	8,00,000	1.14
3.	एलआईसीआई एएसएम गैर पार	7,93,123	1.13
4.	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	7,80,735	1.11
5.	टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4,94,110	0.70
6.	जे के ट्रेडर्स लिमिटेड	3,84,000	0.55
7.	टेक्समाको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होल्डिंग्स लिमिटेड	3,75,000	0.53
8.	निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय	3,14,240	0.45
9.	एमएसटीसी लिमिटेड दावारहित सस्पेन्स खाता	2,89,349	0.41
10.	आदित्य देवराह	2,54,000	0.36

(फ) 31 मार्च, 2022 को आकार के अनुसार शेयरधारिता का वितरण

श्रेणी (शेयर)		शेयरधारक		शेयरों की संख्या	
से	तक	संख्या	%	संख्या	%
1	500	57977	92.19	50,67,496	7.20
501	1000	2445	3.89	19,47,346	2.77
1001	2000	1153	1.83	17,34,215	2.46
2001	3000	461	0.73	11,82,913	1.68
3001	4000	219	0.35	7,86,021	1.12
4001	5000	150	0.24	7,05,091	1.00
5001	10000	252	0.40	18,54,494	2.63
10001	अधिक	230	0.37	5,71,22,424	81.14

(ब) कंपनी द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग की सूचीः

(i) केयर रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा क्रेडिट रेटिंगः

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ लाख में)	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग
1.	दीर्घकालिक सुविधाएं	5575.00	केयर रेटिंग्स लिमिटेड	केयर बीबीबी, स्टेबल (ट्रिपल बी; आउटलुक ; स्टेबल)
2.	अल्पकालिक सुविधाएं	24643.00	केयर रेटिंग्स लिमिटेड	केयर ए3+ (ए थ्री प्लस)
	कुल	**₹ 30218 लाख**		

(ii) एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड द्वारा क्रेडिट रेटिंगः

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ लाख में)	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग
1.	दीर्घकालिक सुविधाएं	5825.00	एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड	एक्यूट ए + (आउटलुक रू स्टेबल)
2.	अल्पकालिक सुविधाएं	27500.00	एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड	एक्यूट ए 1+
	कुल	**₹ 33325.00 लाख**		

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
[डीआईएनः 08643406]

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 25 मई, 2022

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) प्रमाणन

सेवा में,

निदेशक मंडल

एमएसटीसी लिमिटेड

हम, अधोहस्ताक्षरी, एमएसटीसी लिमिटेड ('कंपनी') के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में हमारी संबंधित क्षमताओं में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में प्रमाणित करते हैं कि:

क) हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

(i) इन विवरणों में कोई भौतिक रूप से असत्य कथन नहीं है या किसी भी भौतिक तथ्य को हटाया नहीं गया है या ऐसे कोई विवरण शामिल नहीं हैं जो भ्रामक प्रकृति के हो सकते हैं।

(ii) ये विवरण सूचीबद्ध संस्था के मामलों का सही और निष्पक्ष अवलोकन प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, प्रयोज्य कानूनों और विनियमों के अनुरूप हैं।

ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान सूचीबद्ध संस्था द्वारा कोई भी ऐसा लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, गैरकानूनी या सूचीबद्ध संस्था की आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित सूचीबद्ध संस्था की आंतरिक वित्तीय प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और ऐसी आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा या प्रचालन में कमियों, जिससे हम अवगत हैं एवं उन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाये हैं या उठाने का प्रस्ताव है, इस सबके बारे में लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति के सामने प्रकट किया है।

घ) हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया है;

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन,

(ii) वर्ष के दौरान लागू की गई लेखांकन नीतियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन है तो वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में इसको प्रकट किया गया है; और

(iii) महत्त्वपूर्ण धोखाधड़ी के उदाहरण, जिनके बारे में हम अवगत हैं और प्रबंधन या कोई कर्मचारी जिसका वित्तीय रिपोर्टिंग पर सूचीबद्ध संस्था की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्त्वपूर्ण भूमिका है, यदि शामिल है।

Subrata Sarkar

(सुब्रत सरकार)
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
[डीआईएनः 08290021]

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
[डीआईएनः 08643406]

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 25 मई, 2022

सीएमडी का प्रमाणीकरण

मैं घोषणा करता हूं कि, भारत सरकार, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सेबी और अन्य प्राधिकरणों द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए जारी आदर्श व्यवसाय आचरण और आचारसंहिता को कंपनी के निदेशक मंडल और बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा अपनाये गये थे और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
[डीआईएनः 08643406]

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 25 मई, 2022

निदेशकों की गैर–अयोग्यता का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीयन बाध्यताओं और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V भाग सी खंड (10)(i) के अनुसरण में)

सदस्यों के प्रति

एमएसटीसी लिमिटेड

हमने एमएसटीसी लिमिटेड सीआईएन एल27320डब्लूबी1964जीओ1026211, जिनका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. सीएफ – 18/2, स्ट्रीट नंबर 175, एक्शन एरिया 1 सी न्यूटाउन, कोलकाता परगना उत्तर, पश्चिम बंगाल 700156 (बाद में 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) में है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टरों, अभिलेखों, प्रपत्रों, विवरणियों और प्रकटीकरणों की जांच की है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताओं और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 की अनुसूची V भाग ग उप खंड 10(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार जिन्हें इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा मेरे/हमारे सामने प्रस्तुत किया गया।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, और सत्यापन के अनुसार (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित) जैसा कि आवश्यक समझा गया और, कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि, कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशकों में से कोई भी, जैसा कि नीचे बताया गया है, 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने या जारी रहने से वंचित या अयोग्य नहीं किया गया है।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1	श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	08643406	17/12/2019
2	श्रीमती भानु कुमार	07982360	10/10/2017
3	श्री सुब्रत सरकार	08290021	01/12/2018
4	श्रीमती रुचिका चौधरी गोविल	07601895	11/10/2017
5	श्री अवधेश कुमार चौधरी	06942194	02/07/2020
6	श्री आद्य प्रसाद पाण्डेय	09347851	01/11/2021
7	श्री वसंत अशोक पाटिल	09352913	01/11/2021

निदेशक मंडल में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावकारिता के बारे में है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते बजाज टोडी एंड एसोसिएट्स

(प्रीति टोडी)
साझेदार
सी.पी. सं. : 7270, एसीएसः 14611
यूडीआईएन सं. : A014611D000301227

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 11 मई, 2022

निगमित अभिशासन प्रमाणपत्र

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताओं और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 की अनुसूची V के भाग ग के मद (10) की खंड (i) के अनुसरण में

सदस्यों के प्रति

एमएसटीसी लिमिटेड

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की सेबी (सूचीयन बाध्यताओं और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम") के निर्धारित प्रावधानों के आधार पर जांच की है।

निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि, उपर्युक्त सूचीयन विनियमों में यथानिर्धारित निम्नलिखित को छोड़कर, कंपनी ने सामान्य रूप से निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया हैरू

कंपनी ने अप्रैल 2019 से निदेशक मंडल की संरचना में स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या के संबंध में शर्तों का अनुपालन नहीं किया है और इसके साथ ही, निदेशक मंडल में 14 दिसंबर, 2021 से आवश्यकतानुसार एक स्वतंत्र महिला निदेशक भी नहीं है। इसी तरह, मार्च, 2021 से 13 नवंबर, 21 तक न्यूनतम स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना के संबंध में संरचना का अनुपालन नहीं किया गया है। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप, कंपनी ने दिनांक 13 नवंबर, 2021 से उपरोक्त समितियों का पुनर्गठन किया है। इसलिए समितियां वर्तमान में सेबी (एलओडीआर), 2015 के प्रावधानों के अनुसार गठित की गई हैं।

हम उल्लेख करते हैं कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त निवेशकों की शिकायतों के संबंध में, कंपनी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी के खिलाफ एक महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई निवेशक शिकायत लंबित नहीं है।

हम आगे व्यक्त करते हैं कि, यह अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावकारिता है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते बजाज टोडी एंड एसोसिएट्स

(प्रीति टोडी)
साझेदार
सी.पी. सं. : 7270, एसीएसः 14611
यूडीआईएन सं. : A014611D000306012

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 11 मई, 2022

अनुलग्नक III

व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट

भाग कः कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

1.	कंपनी की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)	L27320WB1964GOI026211
2.	कंपनी का नाम	एमएसटीसी लिमिटेड
3.	पंजीकृत पता	प्लॉट सं. सीएफ–18/2, स्ट्रीट नं. 175, एक्शन एरिया 1सी, न्यू टाउन, कोलकाता – 700156
4.	वेबसाइट	www.mstcindia.co.in
5.	ई–मेल आईडी	cssectt@mstcindia.in
6.	रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष	2021-22
7.	क्षेत्र (त्रों) जिसमें कंपनी संलिप्त है (औद्योगिक गतिविधि कोड–वार)	1. ट्रेडिंग व्यवसाय 2. ई–कॉमर्स
8.	तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची जो कंपनी निर्माण करती है/प्रदान करती है (तुलन पत्र के अनुसार)	1. ई–कॉमर्स मंच 2. ई–अभिशासन का डिजिटाइजेशन 3. जैविक खेती पोर्टल
9.	स्थानों की कुल संख्या जहाँ कंपनी द्वारा व्यावसायिक गतिविधि की गई है क) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 स्थानों का विवरण प्रदान करें) ख) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	20 शून्य 20
10.	कंपनी द्वारा सेवित बाजार – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय

भाग खः कंपनी का वित्तीय विवरण

1.	प्रदत्त पूंजी (भारतीय रूपया)	₹ 7,040 लाख
2.	कुल कारोबार (भारतीय रूपया)	₹ 47,064 लाख
3.	कर पश्चात कुल लाभ (भारतीय रूपया)	₹ 20,009 लाख
4.	कर पश्चात लाभ के प्रतिशत (%) के रूप में निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर)	वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान हुए नुकसान के कारण, कंपनी का औसत शुद्ध लाभ नकारात्मक था जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2021–22 के लिए कोई सीएसआर बजट दायित्व नहीं था। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2018–19 में कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं से संबंधित लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए, सीएसआर समिति और कंपनी के निदेशक मंडल ने विशेष रूप से वित्त वर्ष 2018–19 की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सीएसआर बजट के रूप में ₹ 23,98,968/– स्वीकृत किए जिसका उपयोग किया जाएगा।
5.	कार्यकलापों की सूची जिनमें उपरोक्त 4 में व्यय किया गया है:–	1. स्कूल भवन की मरम्मत और नवीनीकरण 2. विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा एवं रसोई सह भोजन स्थान का निर्माण 3. बेरोजगार युवाओं एवं वंचित महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण

भाग गः अन्य विवरण

1.	क्या कंपनी के पास कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं?	हाँ
2.	क्या सहायक कंपनी/कंपनयिां मूल कंपनी की व्यवसाय दायित्व (बीआर) पहलों में हिस्सा लेती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनी (यों) की संख्या बताएं	नहीं कंपनी के पास केवल 1 (एक) सहायक कंपनी है एवं यह कंपनी की व्यवसाय दायित्व (बीआर) पहलों में हिस्सा नहीं लेती है।
3.	क्या कोई अन्य संस्था/संस्थाएं (अर्थात आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिनके साथ कंपनी व्यवसाय करती है, कंपनी की बीआर पहलों में हिस्सा लेती है? यदि हाँ, तो ऐसी संस्था/संस्थाओं का प्रतिशत सूचित करें। (30% से कम, 30%–60%, 60% से अधिक)	नहीं

भाग घः बीआर सूचना

1. बीआर कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का विवरण

(क) बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का विवरण

1.	डीआईएन नंबर	: 08643406
2.	नाम	: सुरेंद्र कुमार गुप्ता
3.	पद	: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(ख) बीआर प्रमुख का विवरण

1.	डीआईएन नंबर	: 08643406
2.	नाम	: सुरेंद्र कुमार गुप्ता
3.	पद	: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
4.	दूरभाष संख्या	: 033–2340 0001
5.	ई–मेल आईडी	: cmdmstc@mstcindia.in

2. सिद्धांत–वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां

निगमित मामले मंत्रालय द्वारा जारी व्यवसाय के सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक दायित्वों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों (एनवीजी) ने व्यावसायिक दायित्व के नौ क्षेत्रों को अंगीकार किया है।

संक्षेप में ये निम्नानुसार हैं:

पी1 व्यवसाय का संचालन एवं अभिशासन नैतिकता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए।
पी2 व्यवसाय ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं दे जो सुरक्षित हों एवं अपने पूरे जीवन चक्र में सततता में योगदान दें।
पी3 व्यवसाय सभी कर्मचारीयों के कल्याण को प्रोत्साहित करे।
पी4 व्यवसाय सभी पक्षों का सम्मान करे एवं सभी हितधारकों को विशेष रूप से उपेक्षित, सुविधाओं से वंचित एवं कमजोर वर्गों के लिए हितकारी हो।
पी5 व्यवसाय मानव अधिकारों का सम्मान एवं प्रचार करे।
पी6 व्यवसाय पर्यावरण का सम्मान एवं रक्षा करे एवं उसे बनाए रखने का प्रयास करें।
पी7 व्यवसाय सार्वजनिक हित एवं नियामक नीति के प्रति जिम्मेदारी की भावना रखे।
पी8 व्यवसाय समावेशित एवं समान विकास का पक्षधर हो।
पी9 व्यवसााय दायित्वशील रूप में अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं के साथ संबंध रखे एवं मूल्यपरक लाभ प्रदान करे।

(क) अनुपालन का विवरण (हाँ/नहीं में उत्तर दें)

क्रम	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	क्या..... के लिए आपके पास नीति/नीतियाँ हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	क्या संबंधित हितधारकों के परामर्श पर नीति तैयार की गई है? टिप्पणी 1 देखें	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	क्या नीति राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? टिप्पणी 2 देखें	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4	क्या यह नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? यदि हाँ तो यह एमडी/मालिक/सीईओ/उपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षरित है? टिप्पणी 3 देखें	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5	क्या नीति के कार्यान्वयन के निरीक्षण हेतु कंपनी के पास बोर्ड/निदेशक/अधिकारी निर्दिष्ट समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बताएँ। टिप्पणी 6 देखें	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7	क्या नीति औपचारिक रूप से सभी संबंधित आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों को सूचित की गई? टिप्पणी 4 देखें	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों को कार्यान्वयन के लिए निजी संरचना है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों के संबंध में हितधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए नीति/नीतियों के विषय में शिकायत निवारक तंत्र है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10	क्या कंपनी ने किसी आंतरिकया बाहरी एजेंसी द्वारा इसी नीति के कार्यान्यवन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन किया है? टिप्पणी 5 देखें	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

टिप्पणी:

1. सभी हितधारकों के साथ औपचारिक परामर्श नहीं भी हो सकता है, संबंधित हितधारकों से निविष्टियाँ ग्रहण करते हुए समय के साथ संबंधित नीतियां तैयार हुई हैं।
2. एमएसटीसी ने विभिन्न नितियों का गठन किया है, जो समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न प्रयोज्य बाध्यताओं/दिशा–निर्देशों/नियमों/नीतियों आदि के अनुरूप है। नीति बनाते समय उद्योग अभ्यासों, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों का ध्यान रखा गया है।
3. अनुमोदित प्राधिकरण के प्रतिनिधि मंडल के अनुसार नीतियाँ बोर्ड/सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित हैं।
4. जहाँ भी उपयुक्त हो, संबंधित हितधारकों को नीतियाँ सूचित कर दी गई हैं।
5. बाहरी एजेंसियों द्वारा नीतियों की लेखा परीक्षा/मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि विभिन्न सांविधिक दिशा–निर्देशों एवं व्यवसाय की आवश्यकता एवं समय–समय पर किए गए संशोधन के दायरे में नीतियों को तैयार किया गया है।
6. नीतियों के लिंक निम्नानुसार हैं:

नीति का नाम	वेबलिंक
धोखाधड़ी रोकथाम की नीति	https://mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/FPF-MSTC.htm
व्हिसल ब्लोअर नीति (सचेतक नीति)	https://www.mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/MSTC%20Whistle%20Blower%20Policy.pdf
व्यवसाय आचरण एवं आचार संहिता	https://mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/BOD/Model_code_of_business_conduct.pdf
संबंधित पक्ष लेनदेन की उपयुक्तता एवं संबंधित पार्टी लेनदेन के सौदे पर नीति	https://mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/newpolicy/RELATEDPARTYTRANSACTIONS.pdf
स्टॉक एक्सचेंज के पास प्रकटन हेतु गतिविधियों या सूचना की उपयुक्तता के निर्धारण हेतु मानदंड पर नीति	https://mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/newpolicy/POLICYFORDETERMINATIONOFMATERIALITYOFEVENTSORINFORMATION.pdf
लाभांश वितरण नीति	https://mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/newpolicy/DIVIDENDDISTRIBUTIONPOLICY.pdf
भीतरी व्यवसाय की रोकथाम के लिए आचार संहिता, वैध प्रयोजन के निर्धारण हेतु नीति, अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना का निष्पक्ष प्रकटन एवं यूपीएसआई के लीक होने के मामले में जाँच हेतु नीति एवं कार्य–प्रक्रिया	https://mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/newpolicy/THE CODEOFINTERNALPROCEDURESANDCONDUCTFORPROHIBITIONOFINSIDERTRADING.pdf
निगमित सामाजिक दायित्व एवं सतत विकास नीति	https://mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/CSR/MSTC_CSR_Policy.pdf
कागजातों का संरक्षण एवं आर्काइव नीति	https://mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/newpolicy/PreservationofdocumentsandArchivepolicies.pdf
यौन उत्पीड़न नीति	www.mstcindia.co.in
पर्यावरणीय नीति	https://www.mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/Environmental%20Policy.pdf
ग्राहक एवं आपूर्तिकर्ताओं के लिए नीति	https://www.mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/Policy%20towards%20Customer%20and%20SupplieRs. pdf
सुरक्षा एवं सतत सेवाओं पर नीति	https://www.mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/Policy%20on%20Safe%20and%20Sustainable%20Services.pdf

(ख) किसी भी सिद्धांत के लिए क्रम सं. 1 में दिए गए प्रश्न का उत्तर 'नहीं' है, तो कृपया बताएं क्यों: (2 विकल्प तक निशान लगाएँ)

क्रम	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	कंपनी उस चरण में नहीं है, जहाँ वह स्वयं को निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों को तैयार करने एवं कार्यान्वयन करने की स्थिति में आ सके	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	इस कार्य के लिए कंपनी के पास वित्तीय या जनशक्ति के रूप में संसाधन नहीं है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	अगले 6 महीने में किए जाने की योजना है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	अगले 1 वर्ष के अंदर किए जाने की योजना है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	कोई अन्य कारण (कृपया उल्लेख करें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–

3. बीआर से संबंधित अभिशासन

कंपनी के बीआर निष्पादन का आकलन निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ द्वारा कितनी बार किया जाता है। 3 महीने के अंदर, 3–6 महीने, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक	वार्षिक
क्या कंपनी बीआर या सतता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? यह कितनी बार प्रकाशित होता है?	बीआर इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। वार्षिक रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपर लिंक है https://mstcindia.co.in/content/Financialperformance.aspx

भाग ङः सिद्धांतवार निष्पादन

सिद्धांत 1: नैतिकता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ व्यवसाय खुद संचालित और शासित होना चाहिए।

1.1	क्या नैतिकता, घूसखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को संरक्षित करती है? हां/नहीं। क्या यह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य को शामिल करती है?	हाँ। एमएसटब्सी ने ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ एक सत्यनिष्ठा समझौते (आईपी) पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा, सतर्कता विभाग भी संगठन एवं राज्य सरकारों और प्रशासनिक मंत्रालय आदि की अन्य भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों आदि के बीच एक लिंक कार्य करता है एवं उद्देश्य को प्राप्त करने में कंपनी का मार्गदर्शन करता है।
1.2	पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा किए गए संतोषप्रद समाधान का प्रतिशत कितना था? यदि ऐसा हैं, तो लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।	वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आंतरिक और बाह्य हितधारकों से कुल 44 शिकायतें प्राप्त हुईं। 44 में से 41 शिकायतों (93.18%) का निपटारा कर दिया गया और 3 प्रक्रियाधीन हैं। शिकायतों के निवारण के लिए सिफारिश पारित करने के लिए शिकायत समिति द्वारा आंतरिक और बाहरी हितधारकों की शिकायतों और संबंधित क्षेत्र / शाखा और विभाग की टिप्पणियों की जांच की गई। समिति की अनुशंसा के अनुसार संबंधित क्षेत्र/शाखा और विभागों ने शिकायतों के निवारण के लिए कदम उठाया की है।

सिद्धांत 2: व्यवसाय ऐसी वस्तुएँ एवं सेवाएँ प्रदान करे जो सुरक्षित है एवं उनके पूरे जीवन चक्र की सततता में योगदान दे।

2.1	अपने अधिकतम 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दें जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय सरोकारों, जोखिमों और/या अवसरों को शामिल किया गया है।	एमएसटीसी एक ई–कॉमर्स सेवा प्रदाता कंपनी है। 1. ई–कॉमर्स मंच 2. ई–अभिशासन का डिजिटाइजेशन 3. एग्रो क्षेत्र के लिए जैविक खेती पोर्टल
2.2	ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद की प्रति इकाई संसाधन उपयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें (वैकल्पिक):	ई–कॉमर्स और ई–नीलामी प्लेटफॉर्म कार्बन अवशेष को कम करने और अधिक पारदर्शिता लाते हैं। खुली नीलामी से प्रतिस्पर्धी बोली सुनिश्चित होती है, और सामान्य रूप से सर्वाधिक लाभ सुनिश्चित करने एवं विशेष रूप से सार्वजनिक हित के विरूद्ध, इच्छुक पक्षों के बीच व्यवसायी समूहन एवं टकराव की संभावना को दूर करती है। जैविक खेती पोर्टल – सतत कृषि कार्यों को प्रोत्साहित करता है और लंबे समय में व्यापारियों और कमीशन एजेंटों के एकाधिकार को समाप्त करने में इससे मदद मिलेगी।
2.3	क्या कंपनी के पास सतत स्रोत के लिए कार्य–प्रक्रियाओं की व्यवस्था हैं (परिवहन सहित)? यदि हां, तो आपकी निविष्टियों का कितना प्रतिशत सतत रूप से प्राप्त किया गया था? साथ ही, लगभग 50 शब्दों के आसपास इसका विवरण दें।	प्रयोज्य नहीं
2.4	क्या कंपनी ने अपने कार्यस्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और लघु उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए कोई कदम उठाया है? यदि हां, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता और समर्थता बढ़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?	हाँ, एमएसटीसी स्थानीय और लघु विक्रेताओं और एमएसएमई की भागीदारों को सहयोग देने के साथ उत्साहित करती है एवं भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न नीतियों एवं दिशा–निर्देशों का पालन करती है।
2.5	क्या कंपनी के पास उत्पादों और अपशिष्टों के पुनर्चक्रण के लिए कार्यविधि है? यदि हाँ, तो उत्पाद एवं अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है (पृथक रूप से <5%, 5-10%, >10%)। साथ ही, लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण प्रदान करें।	एमएसटीसी एक ई–कॉमर्स कंपनी है और मुख्य रूप से बिक्री एवं खरीद के लिए मंच प्रदान करती है। कंपनी मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर प्रदान कर रही है एवं एक अच्छे निगमित नागरिक के रूप में उत्पादित अपशिष्ट कुशल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया है। कंपनी के पास फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के नाम में एक 100% सहायक कंपनी है जो लौह एवं इस्पात स्क्रैप और अन्य धातुओं के पुनरूद्धार हेतु स्टील मिल्स स्लैग एवं अन्य परित्यक्त और मलबे के प्रक्रिया व्यवसाय का निष्पादन करती है। इसके अलावा, कंपनी के पास महिन्द्रा एमएसटीसी रिसाइक्लिंग प्रा. लिमिटेड के नाम में एक सहायक कंपनी है जो ईएलवी एवं एंड ऑफ लाइफ व्हाइट गुड्स एवं अन्य सामग्रियों के संग्रह, पृथक्करण, प्रक्रियाकरण, पुनर्चक्रण एवं आयात के व्यवसाय करती है।

सिद्धांत 3: व्यवसाय सभी कर्मचारियों के कल्याण को प्रोतसाहित करें

3.1	कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।	31 मार्च, 2022 को 315
3.2	कृपया अस्थायी/ठेकाजनित/आकस्मिक आधार पर किराए पर लिए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं	31 मार्च, 2022 को 2
3.3	कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं।	31 मार्च, 2022 को 53
3.4	कृपया दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या बताएं	31 मार्च, 2022 को 9
3.5	क्या आपके यहां कोई कर्मचारी संघ है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है?	हाँ
3.6	आपके कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारी इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं?	28.5% (315 में से 90)
3.7	कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न से संबंधित और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या बताएं।	शून्य

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दाखिल शिकायतों की सं.
1	बाल मजदूरी/जबरन मजदूरी/अनैच्छिक मजदूरी	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	शून्य
3	पक्षपातपूर्ण नियोजन	शून्य

3.8	पिछले वर्ष में आपके निम्न उल्लिखित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया था? (a) स्थायी कर्मचारी (b) स्थायी महिला कर्मचारी (c) अस्थायी/ठेकाजनित/आकस्मिक कर्मचारी (d) दिव्यांग स्थायी कर्मचारी	39.37% (124/314) 39.62% (21/53) शून्य 66.67% (6/9)

सिद्धांत 4: व्यवसाय सभी पक्षों का सम्मान करे एवं सभी हितधारकों को विशेष रूप से उपेक्षित, वंचित एवं कमजोर वर्गों के लिए हितकारी हो।

4.1	क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों की व्यवस्था की है? हाँ/नहीं	हाँ, प्रमुख श्रेणियां हैं 1. कर्मचारी 2. ग्राहक 3. सरकार और नियामक प्राधिकरण 4. निवेशक 5. स्थानीय समुदाय
4.2	उपरोक्त में से, क्या कंपनी ने उपेक्षित, सुविधाओं से वंचित और कमजोर वर्ग के हितधारकों की पहचान की है?	हाँ
4.3	क्या उपेक्षित, सुविधाओं से वंचित और कमजोर वर्ग के हितधारकों से जुड़ने के लिए कंपनी ने कोई विशेष पहल की है? यदि हाँ, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें।	हाँ, कंपनी अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, स्वास्थ्य और पोषण और स्वच्छ भारत मिशन के क्षेत्र में काम करती है।

सिद्धांत 5: व्यवसाय मानव अधिकार का सम्मान एवं प्रचार करे।

5.1	क्या मानव अधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को संरक्षित रखती है या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य को भी शामिल करती है?	यह नीति केवल एमएसटीसी को संरक्षित रखती है। हालांकि, एमएसटीसी, इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनी अच्छे निगमित अभिशासन को बढ़ावा देने और अत्यधिक पारदर्शिता और नैतिक तरीके से कारोबार करने के लिए सभी क्षेत्रों में हितधारकों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
5.2	पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितने प्रतिशत का निष्पादन प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से किया गया?	वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आंतरिक और बाहरी दोनों हितधारकों से कुल 44 शिकायतें प्राप्त हुईं। इसमें से 41 शिकायतों (93.18%) का निपटारा कर दिया गया और 3 प्रक्रियाधीन हैं।

सिद्धांत 6: व्यवसाय पर्यावरण का सम्मान एवं रक्षा करे और बनाए रखने का प्रयास करे

6.1	क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को को संरक्षित रखती है या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य को भी शामिल करती है?	इस सिद्धांत में निर्दिष्ट तथ्य कंपनी की व्यवसाय प्रकृति के संगत में नहीं है। कंपनी अपने परिसर और प्रचालनों के संबंध में लागू पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन करती है। इसके अलावा, कंपनी पर्यावरणीय मामलों के निवारण से संबंधित प्रयासों में हिस्सा लेती है। कंपनी ने स्क्रैपेज नीति शुरू करने के प्रयास किए हैं। सरकार ने पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू करने की घोषणा की है जो ईंधन कुशल, पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी, जिससे वाहनों के प्रदूषण और तेल आयात लागत को कम किया जा सकेगा।
6.2	क्या कंपनी के पास जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मामलों पर ध्यान देने के लिए रणनीति/पहल है? हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।	हाँ। कंपनी अपनी सहयोगी और सहायक कंपनी के माध्यम से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस संबंध में विवरण यहाँ देखा जा सकता है https://www.mstcindia.co.in/content/about.aspx.
6.3	क्या कंपनी ने संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान एवं आकलन किया है? हाँ/नहीं।	हाँ
6.4	क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण दें। साथ ही, यदि हाँ, तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई है?	एमएसटीसी ने अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी एमएमआरपीएल के माध्यम से पुनर्चक्रण क्षेत्र में कदम रखा है। एमएमआरपीएल ईएलवी और अन्य व्हाइट गुड्स को श्रेडेड स्क्रैप में बदलते हुए इनके पुनर्चक्रण हेतु अति संगठित एवं अत्याधुनिक श्रेडिंग प्लांट भारत में स्थापित करने के लिए तत्पर है, ये स्क्रैप इस्पात संयंत्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कच्ची सामग्रियाँ हैं।
6.5	क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई पहल की है। यदि हाँ, तो कृपया वेब पेज आदि का हाइपरलिंक दें।	हाँ। कंपनी का नया कॉर्पोरेट कार्यालय ऊर्जा कुशल और गृह 3 स्टार स्टेंड हरित भवन है। इसमें बिजली की खपत कम होती है और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिलती है।
6.6	क्या वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन/अपशिष्ट सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत सीमा के भीतर रिपोर्ट की गई है?	प्रयोज्य नहीं
6.7	वित्तीय वर्ष के अंत तक सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या जो लंबित हैं (अर्थात संतोषप्रद समाधान नहीं हुआ)।	शून्य

सिद्धांत 7: व्यवसाय सार्वजनिक हित एवं नियामक नीति के प्रति जिम्मेदारी का रुख रखे।

7.1	क्या आपकी कंपनी किसी व्यवसाय और चेम्बर या एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हाँ, तो केवल उन्हीं प्रमुख कंपनियों के नाम बताएं जिनसे आपका व्यवसाय संबंधित है:	हाँ, 1. इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) 2. कॉन्फिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)
7.2	क्या आपने लोक हित की प्रगति या बेहतरी के लिए उपरोक्त एसोसिएशन के माध्यम से वकालत की है/पैरवी की है? हाँ/ नहीं; यदि हाँ, तो प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख करें (ड्रॉप बॉक्सः अभिशासन एवं प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यवसाय सिद्धांत, अन्य)	नहीं

सिद्धांत 8: व्यवसाय समावेशित प्रगति एवं समान विकास का पक्षधर हो

8.1	क्या सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के के लिए कंपनी के पास निर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएँ हैं? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें।	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई नई परियोजना शुरू नहीं की है, हालांकि पिछले वित्तीय वर्षों में कंपनी के पास सीएसआर नीति में परिभाषित विभिन्न परियोजनाएँ और पहल हैं। पिछले वित्तीय वर्षों में कंपनी द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार हैं; **साक्षरता एवं शिक्षा;** • ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों को सहयोग। • भारत के विभिन्न स्कूलों में कक्षाओं/स्कूल के भवन का निर्माण और नवीनीकरण। • मध्याह्न भोजन योजना के लिए खाने की जगह का निर्माण **स्वास्थ्य देखभाल;** • स्कूल में लड़कियों के लिए शौचालय का निर्माण। • ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एम्बुलेंस की खरीद। • चिकित्सा केन्द्रों के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद। • बीमार शिशु देखभाल केंद्र का निर्माण। **कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण** • युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण। • गरीब युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण का आयोजन • कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए आश्रय गृह का निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान करना • आदिवासी महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण • बालिका विद्यालय के लिए कम्पयूटर एवं प्रयोगशाला के उपकरणों का क्रय।
8.2	क्या संगठन की निजी टीम/निजी फाउंडेशन/बाहरी एनजीओ/सरकारी ढांचे/किसी अन्य संगठन के माध्यम से कार्यक्रम/परियोजनाएँ की गई?	एमएसटीसी ने एनजीओ, राज्य/जिला प्राधिकरियों और ट्रस्ट के साथ साझेदारी में विभिन्न सीएसआर गतिविधियां की है। सीएसआर गतिविधियों की निगरानी सीएसआर समितियों और भागीदार संगठन द्वारा की जाती है।
8.3	क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है?	एमएसटीसी लिमिटेड पर प्रभाव मूल्यांकन लागू नहीं होता है
8.4	सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है– भारतीय रुपए में राशि और शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण?	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए सीएसआर बजट के रूप में ₹23,98,968/– आवंटित किए हैं, जिसका उपयोग कंपनी विशेष रूप से वित्त वर्ष 2018–19 की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के उद्देश्य से कर रही है। परियोजनाएँ स्कूल भवन की मरम्मत और नवीनीकरण, स्कूल में अतिरिक्त कक्षा और रसोई सह खोन की जगह का निर्माण, बेरोजगार युवाओं और वंचित महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण से संबंधित थीं।
8.5	इस सामुदायिक विकास पहल को जनसमुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अंगीकार किए जाने की सुनिश्चितता हेतु क्या आपने कदम उठाए हैं? कृपया लगभग 50 शब्दों में समझाएं।	कंपनी की सीएसआर समिति समय–समय पर परियोजनाओं का दौरा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सीएसआर टीम द्वारा निष्पादित विकास कार्य को जन समुदाय द्वारा अपनाया जाए।

सिद्धांत 9: व्यवसाय दायित्वशील रूप में अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं के साथ संबंध रखे एवं मूल्य प्रदान करे

9.1	वित्तीय वर्ष के अंत तक कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लंबित हैं?	31 मार्च, 2022 तक कुल मामलों का 1.24%
9.2	क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य पहलुओं के अलावा उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है? हाँ/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणियां (अतिरिक्त जानकारी)	लागू नहीं
9.3	क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यवसाय प्रथाओं, गैर–जिम्मेदार विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धा–रोधी आचण के संबंध में किसी भी हितधारक द्वारा कंपनी के खिलाफ कोई मामला दायर किया है और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित है। यदि ऐसा है, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें।	शून्य
9.4	क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि विचारधाराओं का निष्पादन किया है?	नहीं

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएनः 08643406]

स्थानः कोलकाता
दिनांक : 25 मई, 2022

अनुलग्नक–IV

वर्ष 2021–22 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखाः

(क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीएसआर नीति का गठन किया है जो बोर्ड की विधिवत संगठित सीएसआर समिति द्वारा संस्तुत एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित है। यह नीति कंपनी की वेबसाइटः www.mstcindia.co.in पर उपलब्ध है।

(ख) इस नीति का लक्ष्य पर्यावरण की सुरक्षा, संसाधनों का संरक्षण एवं मानव स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार लाने हेतु समावेशित वृद्धि एवं सतत विकास के साथ जिम्मेदार व्यवसाय करना है।

(ग) बोर्ड अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक के साथ सीएसआर समिति का गठन करेगा। नोडल अधिकारी समिति द्वारा लिए गये निर्णयों को कार्यान्वित करेंगे। कंपनी सचिव समिति के सचिव होंगे।

(घ) समिति बजट की जाने वाली परियोजना एवं कार्यान्वयन की पद्धति को अनुमोदित करेगी। समिति एवं बोर्ड सुनिश्चित करेंगे कि चालू वर्ष हेतु बजट विगत 3 वर्षों के औसत कर पूर्व लाभ (पीबीटी) का कम से कम 2% हो।

(ङ) कार्यालयों में कंपनी की सीएसआर नीति के अनुलग्नक के अधीन सम्मिलित सभी गतिविधियां होगी। जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII एवं डीवीई दिशानिर्देश के अधीन प्रदत्त मदें शामिल होगी। इसके अतिरिक्त समिति बोर्ड द्वारा सहकारी दिशानिर्देश/अनुदेश पर विचार किया जाएगा।

(च) एमएसटीसी अन्य पीएसयू, सरकारी एजेंसी, एनजीओ के साथ, अगर अपेक्षित हो, परियोजना की मेरिट के आधार पर संयुक्त परियोजनाओं के लिए भी प्रोत्साहित करेगी।

2. सीएसआर समिति का गठनः

सीएसआर समिति का गठन, वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या एवं दर्ज उपस्थिति के संबंध में विवरण निगमित अभिशासन रिपोर्ट में निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति के खंड में देखा जा सकता है।

3. बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति का गठन, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं को निम्नलिखित वेब–लिंक पर कंपनी की वेबसाइट में प्रकट किया गया हैः

क) सीएसआर समिति का गठन : https://www.mstcindia.co.in/content/BODComm.aspx

ख) सीएसआर नीतिः https://www.mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/CSR/CSR_Home.htm

ग) सीएसआर परियोजनायें : https://www.mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/CSR/CSR_Home.htm

4. सीएसआर परियोजनाओं के प्रभावी आकलन का विवरण कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसार निष्पादित हुआ है, यदि प्रयोज्य है (रिपोर्ट संलग्न करें);

प्रयोज्य नहीं

5. कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में अलग रखे जाने हेतु उपलब्ध राशि, एवं वित्तीय वर्ष के लिए अलग रखे जाने हेतु आवश्यक राशि का विवरण, यदि है।

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	पछले वित्तीय वर्षों से अलग रखे जाने हेतु उपलब्ध राशि (₹ लाख में)	वित्तीय वर्ष के लिए अगल रखे जाने हेतु आवश्यक राशि, यदि है (₹ लाख में)
1.	2019–20	54.00*	शून्य
	कुल	**54.00**	**शून्य**

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ (लाख ₹ में) (₹ 834.57) लाख

7. वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर दायित्व का विवरण

क्रम सं.	विवरण	राशि (रु. लाख में)
क)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	(16.69)
ख)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या कार्यकलापों के फलस्वरूप उत्पन्न अधिशेष	शून्य
ग)	वित्तीय वर्ष के लिये अलग रखी जाने वाली राशि, यदि कोई हो	शून्य
घ)	वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क + 7ख + 7ग)	(16.69) अर्थात शून्य'

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिये व्ययीत या अव्ययीत सीएसआर राशिः

वित्तीय वर्ष के व्ययीत कुल राशि (₹ में)	अव्ययीत राशि (₹ में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययीत सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार अनुसूची VII के अधीन निर्दिष्ट किसी भी निधि में स्थानांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
17,83,500*	6,15,468*	22,04,2022		शून्य	

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के लिए व्ययीत सीएसआर राशि का विवरणः

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ना)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्ययीत राशि (₹ में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययीत सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन की विधि प्रत्यक्ष (हां/ना)	कार्यान्वयन की विधि कार्यान्वयनकारी एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
शून्य												

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा व्ययीत सीएसआर राशि का विवरणः

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ना)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्ययीत राशि (₹ में)	कार्यान्वयन की विधि प्रत्यक्ष (हां/ना)	कार्यान्वयन की विधि कार्यान्वयनकारी एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
1.	उत्क्रमिता मध्य विद्यालय के विद्यालय भवन की मरम्मत एवं नवीनीकरण	शिक्षा	हां	झारखंड	गिरिडीह	5,10,000	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	ग्राम कल्याण (एनजीओ)	लागू नहीं
2.	नाबो प्राथमिक विद्यालय के विद्यालय भवन की मरम्मत एवं नवीनीकरण	शिक्षा	हां	झारखंड	रामगढ़	4,35,000	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	अनुसंधान की एक इकाई (एनजीओ)	लागू नहीं

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ना)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्ययीत राशि (₹ में)	कार्यान्वयन की विधि प्रत्यक्ष (हां/ना)	कार्यान्वयन की विधि कार्यान्वयनकारी एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
3.	बेरोजगार युवाओं एवं वंचित महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण	कौशल विकास	हां	पश्चिम बंगाल	उत्तर 24 परगना	2,77,500	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	बाल कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए पवित्र मिशन (एनजीओ)	लागू नहीं
4.	मधुपुर माध्यमिक शिक्षण केंद्र के विद्यालय भवन का नवीनीकरण	शिक्षा	हां	पश्चिम बंगाल	उत्तर 24 परगना	2,46,000	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	मातृ बाल जीवन रक्षा विकास क्रांति (एनजीओ)	लागू नहीं
5.	कक्षा और रसोई सह भोजन स्थान का निर्माण	शिक्षा	हां	पश्चिम बंगाल	दक्षिण दिनाजपुर	3,15,000	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	दक्षिण दिनाजपुर देशबंधु ग्रामीण विकास समिति (एनजीओ)	लागू नहीं
		कुल				**17,83,500**			

घ) प्रशासनिक खर्चों में व्यय की गई राशि : शून्य

ङ) प्रभावी आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि प्रयोज्य हो : प्रयोज्य नहीं

च) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (8ख + 8ग +8घ +8 ङ) : ₹ 17,83,500

छ) अलग से रखने हेतु, अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ में)
i	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	शून्य
ii	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	17,83,500*
iii	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	17,83,500*
iv	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
v	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	17,83,500*

***टिप्पणी:** वित्तीय वर्ष 2018–19 में कंपनी को घाटा हुआ है। परिणामस्वरूप, कर पूर्व औसत लाभ/हानि ₹ (834.57) लाख था। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कोई सीएसआर दायित्व नहीं था. हालांकि, सीएसआर समिति और बोर्ड ने 12 अगस्त, 2021 को आयोजित अपनी–अपनी बैठकों में वित्त वर्ष 2021–22 के लिए सीएसआर बजट के रूप में, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2018–19 में शुरू की गई कुछ परियोजनाओं से संबंधित लंबित कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से ₹ 23,98,968/– की राशि को मंजूर किया. स्वीकृत सीएसआर बजट में से वर्ष के दौरान ₹ 17,83,500 की राशि खर्च की गई है और अव्ययीत राशि ₹ 6,15,468 को वित्त वर्ष 2021–22 के लिए अलग बैंक खाते, नाम अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित किया जाता है और जिस राशि को निर्धारित समय के भीतर खर्च किया जाएगा.

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी ने ₹ 200 लाख के सीएसआर बजट के प्रति, ₹ 254.00 लाख की सीएसआर परियोजना शुरू की थी. कंपनी ने ₹ 200 लाख का पूरा सीएसआर बजट खर्च किया था. अव्ययीत स्वीकृत राशि, जो हालांकि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर दायित्व की अनिवार्य सीमा से अधिक है, कुल ₹ 54.00 लाख (लगभग) भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, वित्त

वर्ष 2019–20 के दौरान आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) में हस्तांतरित किए गए थे.

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययीत सीएसआर राशि का विवरणः

क्रम सं.	पिछला वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अधीन अव्ययीत सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (₹ लाख में)	रिपोर्ट किये गये वित्तीय वर्ष में व्ययीत राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के अधीन निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो			परवर्ती वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली राशि (₹ में)
				निधि का नाम	राशि (₹ लाख में)	स्थानांतरण की तिथि	
शून्य							

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएस आर राशि का विवरणः

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	रिपोर्ट किए गए वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि (₹) में	रिपोर्ट किए गए वित्तीय वर्ष में के अंत में व्यय की गई राशि (₹) में	परियोजना की वस्तुस्थिति हो चुकी/ चालू हैं
शून्य								

10. पूंजी परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में वित्तीय वर्ष में व्यय किये गए सीएसआर के माध्यम से सृजित या अधिगृहित की जाने वाली परिसंपत्ति के संबंध में विवरण (परिसंपत्ति–वार विवरण)

क) पूंजी परिसंपत्ति (यों) के सृजन या अधिग्रहण की तिथि : प्रयोज्य नहीं

ख) पूंजी परिसंपत्ति (यों) के सृजन या अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर की राशि : प्रयोज्य नहीं

ग) संस्था या लोक प्राधिकारी या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम के अधीन ऐसी परिसंपत्तियों को पंजीकृत किया गया, उनका पता आदि : प्रयोज्य नहीं

घ) सृजित या अधिगृहित पूंजी परिसंपत्ति (यों) का विवरण प्रदान करें (पूंजी परिसंपत्ति के संपूर्ण पते एवं स्थान सहित) : प्रयोज्य नहीं

11. कारण बताएं, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में असमर्थ रही है : प्रयोज्य नहीं

(आद्य प्रसाद पांडेय)
अध्यक्ष सीएसआर समिति
(डीआईएनः 09347851)

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएनः 08643406)

तिथिः 25 मई, 2022

अनुलग्नकः V

प्रपत्र सं. एमआर–3
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष हेतु

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) एवं कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 की नियम सं. 9 के तहत]

सेवा में,
सदस्यगण,
एमएसटीसी लिमिटेड

मैं एमएसटीसी लिमिटेड (सीआईएनः L27320WB1964GOI026211) (तत्पश्चात कंपनी के रूप में उल्लिखित) द्वारा किए गए अच्छे निगमित कार्यों के प्रयोज्य वैधानिक प्रावधान और उसके अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा निगमित संचालन/वैधानिक अनुपालन के मूल्यांकन हेतु उचित आधार प्रदान करती है जिसके अनुसार मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं।

सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान एमएसटीसी लि. की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिका, प्रपत्रों एवं दाखिल रिटर्न व अन्य अभिलेखों जिन्हें कंपनी ने तैयार किया है, उनकी जांच और कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों व अधिकृत प्रतिनिधियों से मिली जानकारियों और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी व अपनी जांच के आधार पर मैं यहां कंपनी के 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के बारे में अपनी राय व्यक्त कर रहा हूं, जो आमतौर पर यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधान के अनुपालन में हैं और कंपनी के पास बोर्ड की प्रक्रिया और अनुपालन की पद्धति उचित सीमा एवं तरीके में हैं एवं यहां दी गई रिपोर्ट के अधीन हैः

मैंने कंपनी की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिका, प्रपत्रों एवं दाखिल रिटर्न व अन्य अभिलेखों की, जिन्हें एमएसटीसी लि. ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए मुझे उपलब्ध कराया है एवं उनका रखरखाव किया है, उनकी निम्न लागू प्रावधानों के अनुसार जांच की हैः

i. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियम, **जो भी लागू हों;**

ii. प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमन और उपनियम;

लागू नहीं

iv. डिपॉजिटरी एक्ट, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम;

v. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित नियम और दिशा–निर्देशः

   क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015;

   ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018;

   ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहणं) विनियम, 2011;

   घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेधं) विनियम, 2015;

   ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार एवं भागीदारी) विनियम, 2018;

   च. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993;

vi. प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के अनुसार कंपनी पर लागू अन्य कानून।

मैंने निम्न प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जांच की हैः

i. निर्दिष्ट बोर्ड और आम बैठकों के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के सचिवीय मानकों को संस्थान द्वारा अधिनियम के तहत निर्दिष्ट किया जाना बाकी है।

ii. कंपनी द्वारा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ की गई सूचीबद्धता संबंधी समझौते।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान और मुझे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के अनुसार, कंपनी ने आमतौर पर ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है। हालाँकि, निम्नलिखित मामले के संबंध में मेरा अवलोकन इस प्रकार हैः

- कंपनी के निदेशक मंडल और उसकी समितियों के गठन के संबंध में समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान स्वतंत्र महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशक की संख्या में कमी रही है। हालांकि 13 नवंबर, 2021 के तत्काल प्रभाव से समितियों में स्वतंत्र निदेशक की कमी को नियमित किया गया और यथा 31 मार्च, 2022 तक समितियों में स्वतंत्र निदेशकों की कोई कमी नहीं है।

  समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधान के अनुपालन में किए गए थे। सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया था। कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स अग्रिम रूप से भेजे गए थे, और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

  प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के अनुसार बोर्ड की बैठकों में आम सहमति से निर्णय लिए गए।

  मुझे दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के अनुसार मैं आगे प्रतिवेदन करता हूं और उन पर मेरे विश्वास के अनुसार कंपनी के पास अपने आकार और परिचालन के अनुरूप सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों के अनुपालन की निगरानी एवं सुनिश्चिता हेतु उपयुक्त पद्धति व प्रक्रिया मौजूद है।

  मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली कोई कार्रवाई नहीं की है।

स्थानः कोलकाता — सीएस सौम्यो ज्योति सील

दिनांकः 11 मई, 2022 — एफसीएसः 9766

यूडीआईएएनः F009766D000304731 — सी.पी. नं. 11169

यह रिपोर्ट मेरे सम तिथि पत्र जो अनुलग्नक–क में है और इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है, के साथ पढ़ी जाए।

'अनुलग्नक क'

सेवा में,
सदस्यगण,
एमएसटीसी लिमिटेड

मेरे समतिथि रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है और इसके तहत मेरा कार्य इन सचिवीय रिकॉर्डों पर मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर विचार व्यक्त करना है।
2. सचिवीय रिकॉर्डों के तथ्यों की सटीकता से जुड़े उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने की दिशा में मैंने उपयुक्त लेखा परीक्षा कार्य व प्रक्रिया का पालन किया है। परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया, ताकि सुनिश्चित हो सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हो। मेरा मानना है कि मैंने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे मेरी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. मैंने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और खाता–बहियों की सत्यता और उपयुक्तता की जांच नहीं की है।
4. जब भी जरूरत पड़ी, मैंने प्रबंधन के प्रतिनिधियों से कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में जानकारी ली है।
5. निगम के प्रावधान व अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। मेरी जांच इनकी परीक्षण प्रक्रिया की जांच तक सीमित है।
6. मैंने इस सचिवीय लेखा परीक्षा के लिए कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी, उद्धरणों, घोषणाओं आदि पर भरोसा किया है, कोविड 19 महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए सूचना और पुष्टिकरण डिजिटल माध्यम स प्राप्त किए गए थे।
7. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की संभाव्यता का और न ही कंपनी के मामलों में प्रबंधन के आचरण की दक्षता या प्रभाविकता का आश्वासन है।

अनुलग्नकः VI

प्रपत्र सं. एमआर–3
सहायक कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
31मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष हेतु

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) एवं कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 की नियम सं. 9 के तहत]

सेवा में,

सदस्यगण

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड

(सीआईएनः– U27102CT1989G0I005468)

पंजीकृत कार्यालयः एफएसएनएल भवन,

इक्विपमेंट चौक, सेंट्रल एवेन्यू,

भिलाई–490001, जिला. दुर्ग (सी.जी.) भारत

मैं फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (तत्पश्चात कंपनी के रूप में उल्लिखित) द्वारा किए गए अच्छे निगमित कार्यों के प्रयोज्य वैधानिक प्रावधान और उसके अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा निगमित संचालन/वैधानिक अनुपालन के मूल्यांकन हेतु उचित आधार प्रदान करती है जिसके अनुसार हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं।

सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी. की बहियों, कामजात, कार्यवृत्त पुस्तिका, प्रपत्रों एवं दाखिल रिटर्न व अन्य अभिलेखों जिन्हें कंपनी ने तैयार किया है, मुझे दिया गया स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा दिया गया प्रतिनिधित्व और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दी गई छूट पर विचार करना, जो कोविड–19 के प्रसार के कारण आवश्यक है। उनकी जांच और कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों व अधिकृत प्रतिनिधियों से मिली जानकारियों और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी व अपनी जांच के आधार पर हमें यहां कंपनी के 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के बारे में अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, जो आमतौर पर यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधान के अनुपालन में हैं और कंपनी के पास बोर्ड की प्रक्रिया और अनुपालन की पद्धति उचित सीमा एवं तरीके में हैं एवं यहां दी गई रिपोर्ट के अधीन हैं।

मैंने कंपनी की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिका, प्रपत्रों एवं दाखिल रिटर्न व अन्य अभिलेखों की 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए उनकी निम्न लागू प्रावधानों के अनुसार जांच की हैः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम, जो भी लागू हों;

(ii) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश (डीपीई दिशानिर्देश);

(iii) लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी एक गैर–सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और इसके अंतर्गत बने नियम लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं हैं;

(iv) डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम (कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कोई रिपोर्ट करने योग्य घटना नहीं थी);

(v) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत बनाए गए नियम और विनियम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रीयपार प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधारों के अंतर्गत बने नियम एवं विनियम (कंपनी पर लागू नहीं हैं, क्योंकि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई रिपोर्ट योग्य घटना नहीं थी);

(vi) लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी एक असूचीबद्ध कंपनी होने के कारण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशा–निर्देश कंपनी पर लागू नहीं हैः

  क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहणं) विनियम, 2011;

  ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेधं) विनियम, 2015;

  ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018;

  घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014

ङ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीयन) विनियम, 2008;

च. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993; कंपनी अधिनियम और ग्राहक से लेनदेन करने में।

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का गैर–सूचीयन) विनियम, 2009;

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 1998;

झ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015;

(vii) प्रबंधन ने निम्नलिखित विधियों को चिन्हित किया है एवं कंपनी पर विशेष रूप से लागू किए जाने की पुष्टि की है:–

क. औद्योगिक और श्रम विधियों में मुख्य रूप से शामिल हैं – कारखाना अधिनियम, 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश अधिनियम, 1963, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946, मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, अनुदान भुगतान अधिनियम, 1972, नियोजन विनियम (रिक्तियों की आवश्यक अधिसूचना) अधिनियम, 1959, भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (पूर्व में कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के रूप में जाना जाता था), प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

मैंने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा निदेशक मंडल (एसएस–1) की बैठक और साधारण बैठक (एसएस–2) के संबंध में सचिवीय मानक;

(ii) सूचीयन अनुबंध (लागू नहीं, क्योंकि कंपनी लेखा परीक्षा अवधि के दौरान गैर–सूचीबद्ध कंपनी है)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान एवं प्रबधन द्वारा दिये गये व्याख्या एवं प्रतिनिधित्व के अनुसार एवं मुझे दिये गये स्पष्टीकरण के अधीन कंपनी सामान्यतः निम्ननिलिखित टिप्पणियों के अधीन उपरोक्त वर्णित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि का पालन करती है:

क) 31 मार्च 2022 को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी किये गये केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों (डीपीई दिशानिर्देशों) और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी के बोर्ड में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

ख) 13 दिसम्बर, 2021 तक लेखापरीक्षा समिति, सीएसआर निगरानी समिति एवं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को विधिवत गठित किया गया था और उसके बाद भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी किये गये केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों (डीपीई दिशानिर्देशों) और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के के अनुसार अपेक्षित निदेशक मंडल के अनुचित गठन के कारण 8 फरवरी, 2022 को आयोजित अपनी बैठक मं कंपनी के निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया ।

ग) कंपनी सामान्यतः कंपनी पंजीयक, क्षेत्रीय निदेशक एवं केन्द्र सरकार के पास समय पर सभी फार्म, रिटर्न, दस्तावेज, प्रस्ताव एवं सूचनाओं को भरती है। निर्धारित अवधि के बाद अतिरिक्त फिलिंग फीस एक फार्म (एडीटी–1) के लिए भरी गई थी। तथापि, कंपनी द्वारा यह बताया गया है कि ई–फार्म एडीटी–1 को भरने में देरी का करण मुख्यतः सीएसजी से अनुमोदन की देरी से प्राप्ति एवं सांविधिक लेखापरीक्षक की सहमति के कारण था।

घ) लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्रबंधन द्वारा सूचित किये गये अनुसार कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित प्राधिकरण/कोर्ट से कंपनी ने न तो कोई कारण बताओ नोटिस प्राप्त किया है और न ही कोई कानूनी कार्यवाही लंबित है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि:

मेसर्स फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और एमएसटीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशकों, गैर कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठन नहीं किया गया है। जैसा कि आवश्यक है। निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देशों (डीपीई दिशानिर्देश) के अनुसार है और साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत नियमों के अनुसार हैं। हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों की सूची निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई है एवं अल्पावधि के लिए सूचना या कार्यसूची प्रेषण के सारे उदाहरण निदेशक/समिति द्वारा यथा निश्चय किए गए थे एवं कार्यवृत्त में दर्ज किए गए। इसके अलावा, बैठक से पूर्व कार्यसूची के मदों पर आगे जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने एवं पाने तथा बैठक में तात्पर्यपूर्ण भागीदारी के लिए एक प्रणाली विद्यमान है।

कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों मं सारे फैसलों के साथ सर्कुलेशन के माध्सम से अनुमोदित प्रस्ताव बहुमत के आधार पर निष्पादित हुए थे एवं असहमत सदस्यों के विचार यदि कोई है, कार्यवृत्त के अंश के तौर पर दर्ज किए गए थे।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि:

लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और परिचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि:

प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर जैसे लागू वित्तीय कानूनों के लिए कंपनी द्वारा अनुपालन और लेखा मानकों और वार्षिक वित्तीय विवरणों का अनुपालन, लागत रिकॉर्ड की समीक्षा इस ऑडिट रिपोर्ट में नहीं की गई है, क्योंकि ये अन्य निर्दिष्ट पेशेवरों द्वारा सांविधिक वित्तीय परीक्षा / लागत लेखा परीक्षा के अधीन है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, उपरोक्त लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में निम्नलिखित घटनाओं/कार्यों का जोखिम कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव पड़ा है –

क) कंपनी को भारत में विभिन्न इस्पात संयंत्रों के लिए स्क्रैप रिकवरी और संबंधित कार्य प्रदान करने हेतु निगमित किया गया था और एफएसएनएल विविध सरकारी इस्पात संयंत्रों से कार्य पाने पर पूर्णरूप से निर्भर हैं। अंतर–मंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने सिफारिश की है कि सीपीएसई के इस्पात संयंत्रों द्वारा नामांकन के आधार पर प्रतिस्पर्धी बोली पर एफएसएनएल को कार्यों सौंपा जाए। एफएसएनएल द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली किए जाने के लिए आईएमजी की यह सिफारिश एफएसएनएल की वर्तमान व्यावसायिक गतिविधियों पर महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकती है।

इस रिपोर्ट को हमारे सम तिथि पत्र के साथ पढ़ा जाए जो कि अनुलग्नक –क के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का मूलभूत अंश माना जाए।

सीएस अमरीश कुमार चौरसिया
पेशेवर कंपनी सचिव
एफसीएस नंबरः 7018
सी पी नं.: 12594
यूडीआईएन: F007018D000641399

स्थान : भिलाई
दिनांकः 18 जुलाई, 2022

अनुलग्नक ''क''

हमारी समतिथि रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। मेरी जिम्मेदारी इन सचिवीय रिकॉर्डों पर हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर विचार व्यक्त करना है।
2. सचिवीय रिकॉर्डों के तथ्यों की सटीकता से जुड़े उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने की दिशा में मैंने उपयुक्त लेखा परीक्षा कार्य व प्रक्रिया का पालन किया है। परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया, ताकि सुनिश्चित हो सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हो। मेरा मानना है कि मैंने जो प्रक्रिया व पद्धति का पालन किया है, वो मेरे विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।
3. मैंने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और खाता–बहियों की सत्यता और उपयुक्तता की जांच नहीं की है।
4. जहां भी जरूरत पड़ी, मैंने प्रबंधन के प्रतिनिधियों से कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में जानकारी ली है।
5. निगम के प्रावधान व अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। मेरी जांच इनकी परीक्षण प्रक्रिया की जांच तक सीमित है।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भविष्य की संभाव्यता का और न ही कंपनी के मामलों में प्रबंधन के आचरण की दक्षता या प्रभाविकता का आश्वासन है।

सीएस अमरीश कुमार चौरसिया
पेशेवर कंपनी सचिव
एफसीएस नंबरः 7018
सी पी नं.: 12594
यूडीआईएन: F007018D000641399

स्थान : भिलाई
दिनांकः 18 जुलाई, 2022

अनुलग्नक – VII

31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए एमएसटीसी लिमिटेड के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण पर सांविधिक लेखा परीक्षक के मत/ अवलोकन पर प्रबंधन के प्रत्युत्तर

क्र. सं.	योग्य राय/अवलोकन	प्रबंधन के उत्तर
	अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकता पर रिपोर्ट (अनुलग्नक क)	
i(d)	कंपनी की अचल संपत्तियों का मालिकाना हक मुंबई में एक फ्लैट को छोड़कर कंपनी के नाम पर पाया गया है (पुस्तक मूल्यः सकल / शुद्ध ₹ 7.42 / ₹ 4.13 लाख क्रमशः) जिसके लिए कोई शीर्षक विलेख उपलब्ध नहीं कराया जा सका सत्यापन हेतु।	कंपनी के पास विचाराधीन परिसंपत्ति पर स्पष्ट अधिकार है। बहुत पुरानी प्रकृति के कारण संबंधित कागजात लेखापरीक्षा के दौरान नहीं दिखाए जा सके। संपत्ति के टाइटल डीड को पुनः प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं।
ix(a)	हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इंडियन ओवरसीज बैंक के ₹ 138.23 लाख और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से ₹ 1436197 लाख के ऋण के न्यायाधीन मामलों को छोड़कर, जैसा कि नोट में उल्लेख किया गया है, कंपनी ने बैंकों को देय राशि के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है। खातों पर टिप्पणियों की संख्या 19ए(ए) और 19बी	दोनों मामले विभिन्न मंचों पर विचाराधीन हैं और खातों की टिप्पणियों के नोट संख्या 19 में पर्याप्त रूप से प्रकट किए गए हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
(डीआईएनः 08643406)

अनुलग्नकः VIII

प्रपत्र एओसी–1

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की
उप धारा (3) के प्रथम प्रावधान के तहत)

सहायिक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा

भाग क सहायक कंपनियां

(प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में सूचना लाख ₹ में प्रस्तुत की जानी चाहिए)

1.	क्र.सं.	1
2.	सहायक कंपनी का नाम	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड
3.	वह तारीख जब से सहायक कंपनी का अधिग्रहण किया गया था	1979–80
4.	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधिए अगर होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग है।	2021–22
5.	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा एवं विनिमय दर	लागू नहीं
6.	शेयर पूंजी	₹ 3200
7.	आरक्षित निधि एवं अधिशेष	₹ 18037.62
8.	कुल परिसंपत्ति	₹ 42373.29
9.	कुल देयताएं (इक्विटी को छोड़कर)	₹ 21135.67
10.	निवेश	शून्य
11.	टर्नओवर	₹ 41538.93
12.	कर पूर्व लाभ	₹ 5417.69
13.	कराधान का प्रावधान	₹ 1381.25
14.	कर पश्चात लाभ	₹ 4036.44
15.	प्रस्तावित लाभांश	₹ 3040 अंतरिम ₹ 900 अंतिम
16.	शेयरधारिता की सीमा (प्रतिशत में)	100%

भाग ख सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम

(सहयोगी कंपनी एवं संयक्त उद्यम से संबद्ध कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के तहत विवरण)

सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों का नाम		महिंद्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड
1.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तारीख	31 मार्च, 2022
2.	सहयोगी या संयुक्त उद्यम जिस तारीख को जुड़े या अधिग्रहित हुए थे	16 दिसंबर 2016
3.	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी या संयुक्त उद्यमों के शेयर	प्रत्येक का ₹ 10 अंकित मूल्य
	शेयरों की संख्या	286 लाख
	सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	₹ 2860 लाख
	होल्डिंग की सीमा (प्रतिशत में)	50%
4.	महत्वपूर्ण प्रभाव का वर्णन	शेयरधारिता के कारण महत्वपूर्ण प्रभाव
5.	सहयोगी/संयुक्त उद्यम समेकित न होने के कारण	लागू नहीं
6.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण शुद्ध मूल्य	₹ 2062.80 लाख
7.	वर्ष के लिए लाभ	₹ 56.57 लाख
	i. समेकन पर विचार किया गया	50% शेयर ₹ 28.29 लाख
	ii. समेकन में विचार नहीं किया गया	50% शेयर ₹ 28.28 लाख

कृते **एस घोष एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखापाल
एफआरएनः 302184ई/ई300007

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(सीए प्रदीप कुमार मित्रा)
भागीदार
एम. संख्याः 052183

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 08643406

(सुब्रत सरकार)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन – 08290021

(सुचित कुमार बर्णवाल)
महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा

(अजय कुमार राय)
कंपनी सचिव
एम.सं. एफ5627

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 25 मई, 2022

वित्तीय विवरण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,
एमएसटीसी लिमिटेड
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

1. हमने एमएसटीसी लिमिटेड ('कंपनी' के रूप में संदर्भित) की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरणिका (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन की विवरणिका एवं नगदी प्रवाह विवरणिका तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों के साथ–साथ महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना की टिप्पणियां सम्मिलित हैं।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम सूचना के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना इस रीति में देती है जो 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ और अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह के संबंध में भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धातों के अनुरूप अपेक्षित है तथा सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

मत हेतु आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षण (एसए) के मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी उत्तरदायित्वों का आगे हमारी रिपोर्ट की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणिका की लेखापरीक्षा के लिए 'लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व' में उल्लेख किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के साथ–साथ उन नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अधीन वित्तीय विवरणी की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तदायित्वों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं वे हमारी मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और यथोचित हैं।

मामलों पर ध्यानाकर्षण

2. **अपने मत को सीमित किए बिना हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:**
   (क) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34 के संदर्भ में नियंत्रक कंपनी से संबंधित दिनांक 01.04.2018 से 18541.91 लाख रुपये के संदिग्ध ऋणों के प्रावधान पर 6479.28 लाख रुपये की आस्थगित कर परिसंपत्ति का प्रावधान नहीं किया गया है।
   (ख) दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार नियंत्रक कंपनी के मुंबई में स्थित 7.42 लाख रुपये के सकल ब्लॉक वाले फ्रीहोल्ड फ्लैट का स्वत्व विलेख (टाइटल डीड) सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं था।

लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले

3 मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में एवं उस पर हमारा मत स्थापित करने में इन मामलों पर गौर किया गया था और हम इन मामलों पर अलग मत प्रदान नहीं करते हैं। हमने लेखा परीक्षा के प्रमुख मामलों में निम्नलिखित मामलों को निर्धारित किया है जिन्हें हमारी रिपोर्ट में सूचित किया जाएगा।

क्र.सं.	लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले	लेखापरीक्षक के उत्तर
i.	**व्यापार प्राप्यों की वसूली योग्यता:** 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, व्यापार प्राप्य–सकल 1,04,956.12 लाख (निवल 40,786.20 लाख रुपये) है जिसमें 64,169.92 लाख रुपये ऋण क्षीणता के रूप में माना जा रहा है जिसके लिए नियंत्रक कंपनी की बहियों में समान राशि के लिए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान किया गया है। न्यायनिर्णयन के लिए एनसीएलटी एवं/या अन्य मंचों में क्षीणयुक्त ऋण वाले कर्ज के प्रत्येक मामले के संदर्भ में, कंपनी को वित्तीय हानि के संभावित जोखिम का सामना करना पड़ता है जब वसूली मुकदमेबाजी की लंबी प्रक्रियाओं के अध्ययीन हो जाती है और अंततः संदिग्ध हो जाती है।	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्तियों और लेनदेन के विवरण की जांच करते समय, हमने व्यापार प्राप्यों की प्रकृति के साथ वर्गीकृत ग्राहकों को अग्रिम, जैसे कि संधारणीयता एवं प्राप्यों की वसूली योग्यता की संभावना का आकलन किया है। लेखांकन नीति के अनुसार वसूली के लिए ऐसे सभी संदिग्ध ऋणों का 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार बहियों में प्रावधान किया गया है। चूंकि पक्षकारों से शेष की संपुष्टि प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है (जैसा टिप्पणी 41 में संदर्भित है) अतः शेष की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का अनुसरण किया गया है। हमने ग्राहकों के ऋण प्रोफाइल और उनके ऐतिहासिक भुगतान पैटर्न जहां भी लागू हो, के संदर्भ में एवं कंपनी की वर्तमान जोखिम प्रबंधन नीति के साथ पठित, यथा उपलब्ध ग्राहकों के साथ नवीनतम पत्राचार और प्रबंधन के आकलन के हमारे मूल्यांकन के माध्यम से नमूना आधार पर न निपटाए गए प्राप्यों की वसूली योग्यता का आकलन किया है।

क्र.सं.	लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले	लेखापरीक्षक के उत्तर
	प्रबंधन द्वारा वसूली योग्य राशि का आकलन अलग–अलग देनदार पर उनके विशिष्ट वसूली योग्यता मूल्यांकन के साथ–साथ प्रावधानीकरण नीति के प्रतिफल और अनुप्रयोग के आधार पर किया जाता है। कंपनी के व्यापार प्राप्यों से संबंधित प्रकटीकरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 8.1 से 8.6 में किए गए हैं।	
ii.	**सूचना प्रौद्योगिक (आईटी) प्रणालियां एवं नियंत्रणः** वित्तीय विवरणिका की तैयारी और प्रस्तुतिकरण नियंत्रक कंपनी के समर्थित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नियंत्रणों पर निर्भर है जिसमें अशुद्ध आंकड़ों के अधिक से अधिक उन्मूलन के लिए जोखिम प्रबंधन कार्य सम्मिलित है। अतः लेखापरीक्षा परिणाम की गुणवत्ता और उसकी प्रामाणिकता आईटी नियंत्रणों और प्रणालियों की सीमा पर निर्भर है।	हमने वांछित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और नमूना जांचों की योजना बनाई, अभिकल्पना की और उसे निष्पादित किया, जो हमारे मतानुसार आईटी नियंत्रणों की पर्याप्तता पर युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करने के लिए पर्याप्त हैं।
iii.	**अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों और आकस्मिक देयताओं के लिए अनुमति का आकलनः** वर्ष के दौरान किए गए अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों के लिए अनुमति और आकस्मिक देयताओं के लिए संभावित परिणामों और नकदी प्रवाह का आकलन करना आवश्यक है। अभिनिर्धाण और मात्रा के लिए प्रबंधन द्वारा अनुमान और निर्णय अपेक्षित है। वर्ष के दौरान अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों के लिए अनुमति और आकस्मिक देयताओं से संबंधित प्रकटीकरण, संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ टिप्पणी संख्या 29 और 33 (क) में किए गये हैं।	हमने निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई सूचना का सत्यापन किया हैः – – आधारभूत अनुमानों की औचित्यपूर्ण मूल्यांकन। – मुकदमों की मौजूदा वस्तुस्थिति को समझना। – उपलब्ध अभिलेखों पर संबंधित दस्तावेजों की जांच करना। – जहां भी आवश्यकता पड़े विधिक मत/उद्योग प्रथाओं की समीक्षा करना। – प्रबंधन द्वारा किए गए विभिन्न प्रकटीकरणों का सत्यापन। .– आईसीएआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त करना। – कंपनी की लेखांकन नीति।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और इस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से अन्य सूचना

4. कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना की तैयारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में सम्मिलित सूचना, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध सहित बोर्ड की रिपोर्ट, निगमित अभिशासन और शेयरधारक की सूचना सम्मिलित है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उस पर हमारी लेखा परीक्षक रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य सूचना सम्मिलित नहीं है और हम किसी भी प्रकार के आश्वासन और निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व उपरोक्त अन्य सूचनाओं को पढ़ना और ऐसा करने हुए, इस बात पर विचार करने तक है कि क्या अन्य सूचना स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के साथ तात्विक रूप से असंगत है या हमारे निष्पादित कार्य के आधार पर अन्यथा तात्विक रूप से मिथ्याकथन से युक्त प्रतीत होते हैं। हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर, हम यह निश्चित करते हैं कि इस अन्य सूचना में तात्विक रूप से कोई मिथ्या कथन रहने पर, हमें उसकी रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन एवं अभिशासन प्रभार का उत्तरदायित्व

5. कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134 (5) में व्यक्त मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक सहित, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निश्पादन, कुल व्यापक आय, नकदी प्रवाह तथा इक्विटी में वित्तीय परिवर्तन का सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का व्यवस्थापन सम्मिलित है जो कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमतताओं को रोकने व पता लगाने के लिए, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और प्रयोग के लिए, ऐसे निर्णय और अनुमान लगाने जो यथासंगत और विवेकसम्मत हैं, एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करने, उसके कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए, लेखांकन अभिलेखाओं की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने में प्रभावी ढंग से

काम कर रहे थे, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए सगत थे, जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं तथा तात्विक मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में एक प्रतिष्ठित संस्था से संबंधित विषयवस्तुओं को प्रयोज्यानुसार प्रकटीकरण एवं प्रतिष्ठित संस्था के लंखांकन का प्रयोग करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है बशर्ते कि प्रबंधन कंपनी को परिसमाप्त करने या कार्य–प्रचालनों को समाप्त करने की इच्छा करता है या ऐसा करने के अलावा कोई अन्य यथार्थ विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल भी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए उत्तरदायी हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

6. हमारा उद्देश्य स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के बारे में यथासंगत आवश्वासन प्राप्त करना है कि क्या यह भौतिक गलत बयानबाजी, चाहे जालसाजी या चूक के कारण हो, से मुक्त है एवं लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, परंतु यह सुनिश्चित नहीं करता है कि एसए के अनुसार संचालित कोई लेखा परीक्षा हमेशा ही कोई भौतिक गलत बयानबाजी रहने पर उनका पता लगा लेगी। गलत बयानबाजी जालसाजी या धोखाधड़ी से उत्पन्न हो सकती है एवं तभी महत्वपूर्ण मानी जाती है, जब व्यक्तिगत रूप से या एकीकृत रूप में इनसे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर यथोचित प्रभाव पड़ने की अपेक्षा रहती है।

मानक लेखांकन (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर आकलन करते हैं और पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं।

इसके साथ ही हमः

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिम, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, की पहचान एवं मूल्यांकन करते है, इन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रिया को तैयार तथा निष्पादित करते हैं और हमारे मत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप दिए गए तात्विक मिथ्या कथनों की जाच न करने का जोखिम त्रुटिवश दिए गये मिथ्याकथन की अपेक्षा अधिक होता है चूंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक कानून के विरुद्ध कार्य करना शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस पर अपना यह मत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।
- लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर लेखांकन के संबंधी प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या ऐसे मामलों या स्थितियों से संबंधित कोई तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी को लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती हो, यदि तात्विक अनिश्चितता के मौजूद होने का निष्कर्ष निकालते हैं या उक्त प्रकटन हमारे मत को संशोधित करने में अपर्याप्त हो तो समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां कंपनी के लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के रूप में जारी रखने की स्थिति को समाप्त कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का संपूर्ण प्रस्तुतिकरण, संरचना एवं तथ्य के साथ प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना एवं क्या समेकित वित्तीय विवरणिका अंतर्निहित लेनदेनों और गतिविधियों को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जिससे सही प्रस्तुतिकरण प्राप्त हो सके।

  भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मिथ्या कथन की मात्रा है जो अलग–अलग या समग्र रूप से, यह संभव उत्पन्न करती है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकता है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र की योजनाओं तथा (ii) स्टैडअलोन वित्तीय विवरणों में चिन्हित मिथ्या कथन के प्रभाव का आकलन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

  अन्य विषयवस्तुओं के साथ अभिशासन से प्रभारित व्यक्तियों को लेखापरीक्षा की सुनियोजित परिधि एवं समयसूची और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अनुसंधानों के साथ आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियों को सूचित करते हैं, जो हमने हमारी लेखापरीक्षा के दौरान चिन्हित किया है।

  अभिशासन से जुड़े व्यक्ति को हम एक कथन भी प्रदान करते है। कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है एवं उन्हें सभी संबंधों तथा अन्य मामलों को सूचित किया है जो हमारी स्वतंत्रता एवं संबंधित सुरक्षा यथा लागू को यथोचित रूप से प्रभावित कर सकता है।

अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों के साथ सूचित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो चालू अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसलिए ये प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में इन मामलों

का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन द्वारा मामले को लोक प्रकटीकरण से वर्जित किया गया है या किसी अति असामान्य परिस्थिति में जब हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में मामले को सूचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लोकहित के लाभों को बढ़ाने में प्रतिकूल परिणाम होने के आसार रहते हैं।

अन्य मामले

7. निम्नलिखित अन्य विषयवस्तुओं का उल्लेख किया गया है।

(क) टिप्पणी 41 के संदर्भ में, व्यापार और अन्य प्राप्य, व्यापार और अन्य देय, ऋण और अग्रिम, जमा आदि के कई मामलों में शेष राशियों का पुष्टिकरण उपलब्ध नहीं था और प्राप्त नहीं किया गया और इसके परिणामस्वरूप अपेक्षित समायोजन यदि कोई हो, के प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सकता।

(ख) पूरे भारत में, कोविड–19 के निरंतर प्रसार ने शाखाओं के भौतिक दौरे पर प्रतिबंध लगाने एवं भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षण पर मानकों के अनुसार वैकल्पिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के निष्पादन की आवश्यकता को बाध्य किया है। उपरोक्त के परिणामस्वरूप कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए अनुसार शाखाओं के संबंध में आंकड़ों को दूर से प्राप्त किए जाने के आधार पर लेखापरीक्षा की गई थी। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखापरीक्षा एवं आश्वासन मानक बोर्ड द्वारा जारी ''वर्तमान कोविड–19 की स्थिति के अंतर्गत डिस्टेंस ऑडिट/रिमोट ऑडिट/ ऑनलाइन ऑडिट करते समय विशिष्ट विचारण पर जारी परामर्श'' के आधार पर लेखापरीक्षा की गई। हमारा प्रतिनिधित्व कंपनी के प्रबंधन द्वारा किया गया है जो हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु प्रदान किए गए आंकड़े सही, पूर्ण, विश्वसनीय हैं एवं कंपनी के लेखाकरण प्रणाली द्वारा तैयार किए गए हैं।

उपरोक्त के सिलसिले में लेखा परीक्षा पर हमारी राय में कोई रूपांतरण नहीं है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के अनुसार, हम 'अनुलग्नक क' में आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में लागू सीमा तक, विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण देते हैं।

9. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने वे सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में, जैसा कि इन बहियों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है, कानून की अपेक्षानुसार कंपनी द्वारा यथोचित लेखा–बहियों का रखरखाव किया गया है।

(ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, लाभ–हानि विवरणिका (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन की विवरणिका एवं नकदी प्रवाह विवरणिका, वित्तीय विवरणिका तैयार करने के प्रयोजन से अनुरक्षित लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणिका अधिनियम की धारा 133 के अधीन एवं इसके अंतर्गत बने प्रासंगिक नियमों के अधीन भारतीय लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

(ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार निदेशक की अयोग्यता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) कंपनी पर लागू नहीं होती क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन संबंधी प्रभावशीलता के मुद्दों के संबंध में, कृपया 'अनुलग्नक ख' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(छ) एक सरकारी कंपनी होने के कारण, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (16) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2021 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

(i) कंपनी ने अपनी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणिका में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकट किया है– स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणिका की टिप्पणी संख्या 33 (क) देखें।

(ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदा सहित कोई दीर्घावधिक संविदा नहीं है, जिसके लिए कोई पहले से ही भौतिक पूर्वाभासी हानियां थीं।

(iii) कंपनी को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2013–14 में कंपनी को हुई हानि के कारण वर्ष 2014–15 के 8वें पूर्ववर्ती वर्ष में कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया था, वर्ष के दौरान निवेशक मूल्यांकन और संरक्षण कोष में राशि अंतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

(iv) कंपनी के प्रबंधन ने अभ्यावेदन दिया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा लेखाओं से संबंधित टिप्पणियों में प्रकट किए गए से अन्य, (या तो नियंत्रक कंपनी, द्वारा उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के निधि से) क्रमशः विदेशी संस्था

('मध्यस्थ') सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को इस समझ के साथ चाहे वह अभिलिखित हो या अन्यथा कोई धनराशि अग्रिम या उधार नहीं दी गई है या निवेश नहीं किया गया है जो कंपनी ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी रीति में जो भी हो, चिन्हित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

(v) कंपनी के प्रबंधन ने अभ्यावेदन दिया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा लेखाओं से संबंधित टिप्पणियों में प्रकट किए गए से अन्य, क्रमशः विदेशी संस्था ('वित्तपोषण करने वाले पक्षकार') सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को इस समझ के साथ चाहे वह अभिलिखित हो या अन्यथा कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई जो मध्यस्थ क्रमशः वित्त पोषण करने वाले पक्षकार ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी रीति में जो भी हो, चिन्हित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा या : वित्त पोषण करने वाले पक्षकार की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

परिस्थितियों में युक्तियुक्त मानी जाने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, ऐसा कुछ भी संज्ञान में नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उपरोक्त क्रम (ज) (iv) और (v) में उल्लिखित अभ्यावेदन में कोई तात्विक मिथ्या कथन सम्मिलित है।

(vi) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुपालन में वर्ष के दौरान लाभांश या भुगतान की घोषणा की है।

10. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों और उप–निदेशों के अंतर्गत हम एतद्द्वारा संलग्न 'अनुलग्नक–ग' में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी टिप्पणियां देते हैं।

कृते एस घोष एंड कं. एलएलपी

सनदी लेखापाल
एफआरएन–302184E/E300007

सीए प्रदीप कुमार मित्रा
साझेदार
स्थानः कोलकाता **सदस्यता सं. 052183**
तिथिः 25.05.2022 **यूडीआईएन : 22052183AKDENA6876**

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–क

(सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनों एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत अनुच्छेद 8 से संदर्भित)

(i) (क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और संपत्ति संयंत्र और उपकरणों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित अभिलेख बनाए रखा है।

(ख) कंपनी अपनी अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित अभिलेख कायम रखती है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए एक कार्यक्रम के अनुसार अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया है।जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर सभी अचल संपत्तियों (अचल संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और लीज समझौतों को विधिवत निष्पादित किया जाता है) के टाइटल डीड पट्टेदार के पक्ष में) कंपनी के नाम पर हैं। कंपनी की अचल संपत्तियों का मालिकाना हक मुंबई में एक फ्लैट को छोड़कर, कंपनी के नाम पर पाया गया है (बही मूल्यः सकल / शुद्ध 7.42 रु./ 4.13 लाख रु. क्रमशः) जिसके लिए कोई शीर्षक विलेख सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं किया जा सका, है।

(ङ) वर्ष के दौरान किसी संपत्ति का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया था।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अधीन बनाए गए नियम के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई या लंबित नहीं थी।

(ii) (क) वर्ष के अंत में कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है।इसलिए, आदेश के खंड 3(ii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) कंपनी के पास 31.03.2022 को बैंकों से कार्यशील पूंजी और मांग ऋण 5 करोड़ रुपये से अधिक है जो विचाराधीन हैं और इस रिपोर्ट में नीचे दिए गए खंड (ix) (क) में अलग से रिपोर्ट किए गए हैं. कोई अन्य कार्यशील पूंजी सीमा नहीं है अर्थात, कंपनी द्वारा संचालित कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट। मौजूदा समझौतों के अनुसार ऋण देने वाले बैंकों को कोई स्टॉक विवरण और तिमाही विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्षों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई निवेश या कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है या अधिनियम की धारा 185 के तहत निर्दिष्ट कोई गारंटी/ सुरक्षा प्रदान नहीं की है। कंपनी ने अधिनियम की धारा 186 के तहत वर्ष के दौरान न तो कोई ऋण दिया है और न ही कोई निवेश किया है।

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम के तहत जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(v) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

(vi) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत, लागत अभिलेख के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसलिए, आदेश के खंड 3(vi) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

(vii) (क) कंपनी आमतौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, उपकर और उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ लागू किसी भी अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2022 को देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए उपरोक्त बकाया के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, 31 मार्च, 2022 को आयकर, सेवा कर, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क आदि की बकाया राशि का विवरण, जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, वह इस प्रकार है:

क्रम सं.	संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	अवधि जिससे राशि संबंधित है (वित्त वर्ष)	राशि (रु. लाख में)	मंच जहां विवाद लंबित है
1	यूपी व्यापार कर अधिनियम 1948	बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा दावा	2001-02	1.93	इलाहाबाद उच्च न्यायालय
	यूपी व्यापार कर अधिनियम 1948		2004-05	1.67	वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण खंडपीठ, गाजियाबाद.
2	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम 2003	बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा दावा	2009-10	426.33	अपीलीय पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता
	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम 2003		2012-13	517.20	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कोलकाता
3	एपी वैट अधिनियम 2005	बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा दावा	1998-99	22.53	बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण (एसटीएटी), विशाखापत्तनम
	एपी वैट अधिनियम 2005		1999-00	41.08	सीटीओ–सूर्यबाग मंडल
	एपी वैट अधिनियम 2005		2004-05	9.08	बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण (एसटीएटी), विशाखापत्तनम
	एपी वैट अधिनियम 2005		2005-06	3.70	बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण (एसटीएटी), विशाखापत्तनम
	एपी वैट अधिनियम 2005		2006-07	0.76	बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण (एसटीएटी), विशाखापत्तनम
	एपी वैट अधिनियम 2005		2008-13	79.35	हैदराबाद का उच्च न्यायालय
	एपी वैट अधिनियम 2005		2008-13	56.22	अपीलीय संयुक्त आयुक्त (अपील), विजयवाड़ा
4	दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004	बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा दावा	2010-11	0.22	वैटो–केसीएस, डीवैट
5	जम्मू–कश्मीर बिक्री कर अधिनियम 1962	बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा दावा	2015-16	0.27	वाणिज्यिक कर सर्किल–एन, जम्मू
6	सीएसटी (केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम)	बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा दावा	2009-10	249.00	बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण (एसटीएटी), विशाखापत्तनम
7	झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा दावा	2015-16	4.45	वाणिज्यिक कर आयुक्त, झारखंड सरकार
	झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005		2016-17	7.93	वाणिज्यिक कर आयुक्त, झारखंड सरकार
8	उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा दावा	1986-87	269.00	उच्च न्यायालय उड़ीसा
	गुजरात वैट अधिनियम 2003	बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा दावा	2004-05	217.99	डीसी के खिलाफ गुजरात वैल्यू एडेड टैक्स ट्रिब्यूनल (अपील आदेश)
	कुल बिक्री कर देय राशि			**1908.71**	
10	सीमा शुल्क अधिनियम 1962	कस्टम विभाग द्वारा दावा	1995-96	266.25	मद्रास उच्च न्यायालय
	सीमा शुल्क अधिनियम 1962		2001-02	203.81	उच्च न्यायालय कलकत्ता
	सीमा शुल्क अधिनियम 1962		2012-13	635.70	सीईएसटीएटी, बैंगलोर या सीईएसटीएटी, चेन्नई
	सीमा शुल्क अधिनियम 1962		2013-14	83.55	सीईएसटीएटी, बैंगलोर या सीईएसटीएटी, चेन्नई
	कुल कस्टम देय राशि			1189.31	
11	वित्त अधिनियम 1994 (सेवा कर)	सेवा कर की मांग	2005-07	1490.10	सीईएसटीएटी, कोलकाता
	कुल सेवा कर देय राशि			**1490.10**	
12	आयकर अधिनियम 1961 (टीडीएस)		2015-16	9.85	आयुक्त अपील, कोलकाता
	कुल आयकर बकाया			**9.85**	
	कुल कर बकाया			**4597.97**	

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट की गई लेखा बहियों में कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है।

(ix) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋणों के न्यायाधीन मामलों को छोड़कर, बैंकों को बकाया राशि की चुकौती में कोई चूक नहीं की है:

उधार लेने की प्रकृति	ऋणदाता का नाम	राशि (₹ लाख में)	चाहे मूलधन हो या ब्याज	दिनों की देरी या भुगतान न किए जाने की संख्या	टिप्पणियां
उनके द्वारा भुगतान किए गए कानूनी शुल्क के लिए बैंक से दावा	इंडियन ओवरसीज बैंक	138.233	मूलधन	19.09.2011 से	लेखाओं के लिए टिप्पणी 19क(क) का संदर्भ लें
निर्यात बिल खरीद	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	14361.977	मूलधन ब्याज उपार्जित लेकिन बकाया नहीं रु. 7889.03 लाख	2008-09 से	लेखाओं के लिए टिप्पणी 19ख का संदर्भ लें

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेख की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के निर्माण के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक से सावधि ऋण लिया था, कंपनी द्वारा वितरित और प्राप्त ऋण की राशि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए ऐसा ऋण प्राप्त हुआ था, और वहां किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस तरह के ऋण का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया था।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और तुलन पत्र की समग्र जांच में, अल्पकालिक आधार पर कोई धन प्राप्त नहीं हुआ था और दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए प्रथम दृष्टया उपयोग किया गया था।

(ङ) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम इकाई के कारण किसी संस्था या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

(च) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी के पास रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान कोई ऋण प्राप्त नहीं किया।

(x) (क) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और अभिलेख की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या ऋण लिखतों सहित आगे सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से कोई पैसा नहीं उठाया है। इसके अलावा सावधि ऋण के माध्यम से जुटाई गई राशि को उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया था जिसके लिए इसे उठाया गया था।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर और अभिलेख की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया।

(xi) (क) कंपनी की बहियों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा प्रथाओं के अनुसार, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि, वर्ष के दौरान कंपनी पर या कंपनी द्वारा या कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ताजा धोखाधड़ी के किसी भी मामले की सूचना नहीं मिली है या ऐसी कोई रिपोर्ट की गई है, न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना दी गई है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा 12 के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार के पास फॉर्म एडीटी–4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, जैसाकि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित किया गया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

(xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है।इसलिए, आदेश के खंड 3 (xii) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और विवरण का खुलासा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 37 में किया गया है, जैसाकि लागू भारतीय लेखा मानक के अनुसार आवश्यक है।

(xiv) कंपनी के पास अपने व्यवसाय की प्रकृति और आकार के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है। कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फर्मों की नियुक्ति के माध्यम से क्लस्टर आधार पर तिमाही, अर्ध–वार्षिक, वार्षिक आधार पर अपनी सभी शाखाओं और प्रधान कार्यालय के संचालन के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा करवाती है, जिनकी नियुक्ति इसके निदेशक मंडल द्वारा उचित अनुमोदन द्व ारा की जाती है।वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा राय बनाते समय ऐसी रिपोर्टों की हमारे द्वारा विधिवत जांच की गई है और उन पर विचार किया गया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है।

(xvi) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी को न तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता है, न ही कंपनी एक गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों में संलग्न है, न ही कंपनी एक मुख्य निवेश कंपनी (सीआईसी) है और न ही समूह के पास समूह के हिस्से के रूप में कोई सीआईसी है और तदनुसार, खंड 3 (xvi) का प्रावधान आदेश के (क), (ख), (ग) और (घ) कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(xvii) कंपनी को न तो वर्ष के दौरान और न ही पिछले वर्ष में कोई नकद हानि हुई।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षक का कोई इस्तीफा नहीं था।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और वित्तीय अनुपात के अनुसार, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तारीखों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान के लिए दायित्व के साथ–साथ निदेशकों की रिपोर्ट, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और सहायक धारणाओं के साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि, लेखा परीक्षा की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि, कंपनी तुलन पत्र की तारीख में मौजूदा अपनी देनदारियों, और जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाती हैं, को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम यह कहते हैं कि, यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि, हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि, तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, और जब वे देय हो जाते हैं, देय सभी देनदारियां कंपनी द्वारा समाप्त कर दी जाएंगी।

(xx) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के तहत किसी भी परियोजना, चाहे वह चल रही हो या चल रही योजना के अलावा, के अनुसार कोई अव्ययीत राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx) (क) और 3(xx) (ख) लागू नहीं होते हैं।

कृते एस घोष एंड कं. एलएलपी

सनदी लेखापाल
एफआरएन–302184E/E300007

सीए प्रदीप कुमार मित्रा
साझेदार
स्थानः कोलकाता **सदस्यता सं. 052183**
तिथिः 25.05.2022 **यूडीआईएन : 22052183AKDENA6876**

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एमएसटीसी लिमिटेड के सदस्यों को सम तारीख की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट के अनुच्छेद 9 (च) के संदर्भ में

कपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

राय

1. हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार **एमएसटीसी लिमिटेड** (''कंपनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की है

   हमारे मतानुसार, कंपनी, ने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में सर्वथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है एवं स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को देखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंड के आधार पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंडों के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित और अनुरक्षित करने के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसम्पत्तियों के संरक्षण के लिए और धोखाधड़ियों तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण और पहचान करने समीचीन लेखांकन नीतियों के चयन और इन्हें लागू करने ऐसे निर्णय और प्राक्कलन करने जो कि औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण हों और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का आरेखन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने के लिए, जो लेखाकरण अभिलेखों की सटीकता और सक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रही हों, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मत व्यक्त करना है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों और सनदी लेखापाल संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा प्रयोज्य सीमा में हमारी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम इस बारे में, कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए और यदि ऐसा है तो सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से प्रचालित थे, औचित्यपूर्ण आश्वस्ति प्राप्त करने के लिए नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे और लेखा परीक्षा नियोजित और निष्पादित करेंगे।

   हमारी लेखा परीक्षा में स्टैंडअलोन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इनकी प्रचालनरत प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया निष्पादित करना निहित था। वित्तीय रिपोर्टिंगों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंगों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का बोध प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण दुर्बलता विद्यमान थी, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता को प्रचालित करना और इसके आरेखन का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक की निर्णय पर निर्भर हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी से हुआ हो या त्रुटिवश।

   हम विश्वास करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु हमें जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए, वे पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

4. वित्तीय रिपोर्टिंगों पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में औचित्यपूर्ण आश्वस्ति मुहैया कराने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंगों पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

   (i) ऐसे अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हों जो, औचित्यपूर्ण विस्तार से, सटीकता और निश्पक्षता से निगम की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को परिलक्षित करती हों;

   (ii) यह औचित्यपूर्ण आश्वस्ति प्रदान करती हो कि लेनदेन आम तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणिका तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में अभिलिखित किए जाते हैं एवं कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के

प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं और

(iii) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान के निवारण या समय रहते परिचयन के बारे में औचित्यपूर्ण आश्वासन देती हों जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

5. वित्तीय रिपोर्टिंगों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रणों के टकराव या अनुपयुक्त प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, से त्रुटि या प्रवंचना की वजह से, महत्वपूर्ण मिथ्या कथन उत्पन्न हो सकता है और इसका परिचयन नहीं हो सकता है। साथ ही, वित्तीय रिपोर्टिंगों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन की भविष्य की अवधियों पर प्रत्याशाएं स्थितियों में परिवर्तनों के कारण अपर्याप्त हो सकती हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर का क्षय हो सकता है।

कृते एस घोष एंड कं. एलएलपी

सनदी लेखापाल
एफआरएन–302184E/E300007

सीए प्रदीप कुमार मित्रा
साझेदार
स्थानः कोलकाता **सदस्यता सं. 052183**
तिथिः 25.05.2022 **यूडीआईएन : 22052183AKDENA6876**

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक–ग

कंपनी के अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर एवं हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेशें के अंतर्गत, हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:

निदेश		लेखा परीक्षक के उत्तर
1.	क्या कंपनी में सभी लेखाकरण लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से साधित करने के लिए प्रणाली विद्यमान है?यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर के लेखाकरण लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ–साथ लेखाओं की संपूर्णता पर प्रभाव, यदि कोई हो, का उल्लेख करें।	सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में इस मामले को पर्याप्त रूप से निपटाया गया है। [प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तु का अनुच्छेद 3 (ii)]
2.	क्या कंपनी की ऋण चुकानें में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना कर गई है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/उधार/ब्याज आदि का अधित्याग करने/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव के बारे में उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों को समुचित रूप से लेखांकित किया गया है। (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है तो यह निदेश ऋणदाता कंपनी के सांवधिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू है)।	वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजदा ऋण की कोई पुनर्रचना नहीं की गई है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/उधार/ब्याज आदि का अधित्याग करने/बट्टे खाते में डालने के कोई मामले नहीं हैं।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकारों या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी इत्यादि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया गया था? भिन्नता वाले मामलो की सूची बनाएं।	वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि का कोई मामला नहीं है।

कृते एस घोष एंड कं. एलएलपी

सनदी लेखापाल
एफआरएन–302184E/E300007

सीए प्रदीप कुमार मित्रा
साझेदार
स्थानः कोलकाता **सदस्यता सं. 052183**
तिथिः 25.05.2022 **यूडीआईएन : 22052183AKDENA6876**

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एमएसटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्ट की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एमएसटीसी लिमिटेड का समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विनिर्धारित लेखापरीक्षण मानदंडों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 25 मई, 2022 के अनुसार उनके द्वारा किया हुआ बताया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एमएसटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा का संचालन किया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागजात को प्राप्त किए बगैर यह अनुपूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जिससे की अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी अथवा पूरक प्रदान किया जा सकें।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
की ओर से एवं उनके लिए

5/8/2022

हस्ता./–
(मौसमी राय भट्टाचार्य)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (खदान)
कोलकाता

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 5 अगस्त, 2022

31 मार्च, 2022 के अनुसार स्टैंडअलोन तुलनपत्र

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
परिसंपत्तियां			
(1) गैर–मौजूदा परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र, उपस्कर एवं अमूर्त संपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	2	5,987.40	704.80
(ख) प्रगतिमान पूंजीगत कार्य	2	–	5,025.01
(ग) पट्टाधृत भूमि	2	700.78	708.24
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियां	2	93.70	14.03
		6,781.88	**6,452.08**
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश			
(क) सहायक कंपनी में	3	1,581.00	1,581.00
(ख) संयुक्त उद्यम में	3	2,860.00	2,260.00
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4	464.58	492.04
(च) गैर–मौजूदा कर संपत्ति	5	7,082.39	5,264.16
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	6	20,833.24	22,250.14
(ज) अन्य गैर–मौजूदा परिसंपत्तियां	7	43.48	33.97
कुल गैर–मौजूदा परिसंपत्तियां		**39,646.57**	**38,333.39**
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) व्यापार से प्राप्य राशियां	8	40,786.20	72,376.48
(ii) नकदी और नकदी समकक्ष	9	70,600.51	70,787.79
(iii) अन्य बैंक शेष	10	2,930.45	1,198.86
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	7,037.30	2,053.53
(ख) अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां	12	230.37	233.75
कुल मौजूदा परिसंपत्तियां		**1,21,584.83**	**1,46,650.41**
कुल परिसंपत्तियां		**1,61,231.40**	**1,84,983.80**
इक्विटी और देयताएं			
(1) इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	7040.00	7,040.00
(ख) अन्य इक्विटी	14	39,507.96	28,455.98
कुल इक्विटी		**46,547.96**	**35,495.98**
(2) गैर–मौजूदा देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	18	–	431.90
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	15	366.93	72.77
(ख) प्रावधान	16	1,767.84	2,530.90
(ग) अन्य गैर–मौजूदा देयताएं	17	799.52	612.05
कुल गैर–मौजूदा देयताएं		**2,934.29**	**3,647.62**
(3) मौजूदा देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	19	14,950.48	15,007.39
(ii) व्यापार देय			
कुल बकाया राशि			
(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	20	14.68	3.50
(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के अलावा लेनदार	20	15,935.89	38,078.31
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	21	78,083.28	87,901.19
(ख) अन्य मौजूदा देयताएं	22	2,384.53	4,849.81
(ग) प्रावधान	23	380.29	–
कुल मौजूदा देयताएं		**1,11,749.15**	**1,45,840.20**
कुल देयताएं		**1,14,683.44**	**1,49,487.82**
कुल इक्विटी एवं देयताएं		**1,61,231.40**	**1,84,983.80**

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस घोष एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखापाल
एफआरएन : 302184E/E300007

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके लिए

(सीए प्रदीप कुमार मित्रा)
साझेदार
एम. नं. 052183

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन – 08643406)

(सुब्रत सरकार)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
(डीआईएन – 08290021)

(सुचित कुमार बर्णवाल)
महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा

(अजय कुमार राय)
कंपनी सचिव
एम. नं. F5627

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 25 मई 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि का स्टैंडअलोन विवरण

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
I परिचालन से राजस्व	24	47,063.91	42,774.49
II अन्य आय	25	27,892.68	21,138.76
III कुल आय (I + II)		**74,956.59**	**63,913.25**
IV व्यय			
(क) व्यापारगत माल की खरीद	26	15,878.48	17,460.69
(ख) कर्मचारी हितलाभ पर व्यय	27	8,570.78	6,775.80
(ग) वित्तीय लागत	28	261.60	688.96
(घ) मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	2	467.98	248.10
(ङ) अन्य व्यय	29	27,769.94	27,271.61
कुल व्यय		**52,948.78**	**52,445.16**
V कर पूर्व लाभ (III- IV)		**22,007.81**	**11,468.09**
VI कर संबंधी व्यय	34		
(क) चालू कर		649.43	1,039.06
(ख) आस्थगित कर		1,349.77	321.96
कुल कर व्यय		**1,999.20**	**1,361.02**
VII वर्ष हेतु लाभ (V- VI)		**20,008.61**	**10,107.07**
VIII अन्य व्यापक आय			
(क) मदें, जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा।			
परिभाषित लाभ योजना का पुनःमापन	38	192.10	(392.70)
(ख) उपरोक्त पर आय कर		(67.13)	121.60
		124.97	**(271.10)**
IX वर्ष हेतु कुल व्यापक आय (VII + VIII)		**20,133.58**	**9,835.97**
X प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (अंकित मूल्य 10 रुपये प्रत्येक)	35		
(क) बेसिक (₹ में)		28.42	14.36
(ख) डायल्यूटेड (₹ में)		28.42	14.36

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस घोष एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखापाल
एफआरएन : 302184E/E300007

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके लिए

(सीए प्रदीप कुमार मित्रा)
साझेदार
एम. नं. 052183

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन – 08643406)

(सुब्रत सरकार)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
(डीआईएन – 08290021)

(सुचित कुमार बर्णवाल)
महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा

(अजय कुमार राय)
कंपनी सचिव
एम. नं. F5627

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 25 मई 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन की स्टैंडअलोन विवरण

विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजीः

जारी, अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त प्रति 10 रु. के इक्विटी शेयर

	संख्या	अंकित मूल्य (रु.)	राशि (लाख में)
31 मार्च, 2022 के अनुसार शेष	7,04,00,000	10	7,040.00
31 मार्च, 2021 के अनुसार शेष	7,04,00,000	10	7,040.00
31 मार्च, 2020 के अनुसार शेष	7,04,00,000	10	7,040.00

ख. अन्य इक्विटीः

	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित कमाई	कुल
01 अप्रैल, 2021 को शेष	**49,616.00**	**(21,160.02)**	**28,455.98**
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ	-	20,008.61	20,008.61
वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय	-	124.97	124.97
अंतिम लाभांशः वित्तीय वर्ष 20–21	-	(3,097.60)	(3,097.60)
अंतरिम लाभांशः वित्तीय वर्ष 21–22		(5,984.00)	(5,984.00)
सामान्य आरक्षित में अंतरण/(से) प्रतिधारित आय	-	-	-
31 मार्च, 2022 को शेष	**49,616.00**	**(10,108.04)**	**39,507.96**
01 अप्रैल, 2020 को शेष	**49,616.00**	**(28,672.79)**	**20,943.21**
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ	-	10,107.07	10,107.07
वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय	-	(271.10)	(271.10)
अंतिम लाभांशः वित्तीय वर्ष 2019–20	-	(2,323.20)	(2,323.20)
सामान्य आरक्षित में अंतरण/(से) प्रतिधारित आय	-	-	-
31 मार्च, 2021 को शेष	**49,616.00**	**(21,160.02)**	**28,455.98**

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस घोष एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखापाल
एफआरएन : 302184E/E300007

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके लिए

(सीए प्रदीप कुमार मित्रा)
साझेदार
एम. नं. 052183

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन – 08643406)

(सुब्रत सरकार)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
(डीआईएन – 08290021)

(सुचित कुमार बर्णवाल)
महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा

(अजय कुमार राय)
कंपनी सचिव
एम. नं. F5627

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 25 मई 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह का लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन विवरणी

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
क. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अवधि हेतु कर पूर्व लाभ	**22,007.81**	**11,468.09**
समायोजनः		
मूल्यह्रास/परिशोधन व्यय	476.90	255.55
लाभांश आय	(4,160.00)	(1,000.22)
ब्याज से आय	(1,657.84)	(677.15)
वित्तीय लागत	261.60	688.96
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री से हानि	1.56	1.17
आवश्यक नहीं रह गए प्रावधान पनुरांकित किए गए	(22,038.18)	(19,298.01)
बट्टे खाते में डाला गया खराब ऋण	22,038.14	18,036.07
खराब एवं संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	3,555.25	6,950.48
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	**20,485.24**	**16,424.94**
परिचालन संपत्ति एवं देयताओं में परिवर्तन हेतु समायोजन		
परिचालन संपत्ति में (वृद्धि)/कमी हेतु समायोजन		
कार्यशील पूंजी में गति		
व्यापार एवं अन्य प्राप्ति में (वृद्धि)/कमी	23,093.42	44,547.91
अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(6.14)	203.83
परिचालन देयताओं में (वृद्धि)/कमी हेतु समायोजन		
व्यापार भुगतान एवं अन्य वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(31,654.99)	2,169.60
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(2,277.81)	4,038.95
प्रावधान में वृद्धि/(कमी)	(190.68)	226.63
परिचालन से नकद की सृष्टि	**9,449.04**	**67,611.86**
प्रत्यक्ष कर भुगतान (शुद्ध वापसी)	(2,467.59)	(1,087.48)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद	**6,981.45**	**66,524.38**
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर प्राप्ति (शुद्ध)	(808.26)	(2,194.57)
सावधि जमा में निवेश	(1,731.59)	(56.12)
संयुक्त उद्यम में निवेश	(600.00)	(400.00)
प्राप्त ब्याज	1,643.13	675.98
लाभांश आय	4,160.00	1,000.22
निवेश गतिविधियों में शुद्ध नकद (प्रयुक्त)	**2,663.28**	**(974.49)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अल्प सावधि उधारी पर प्राप्ति/(चुकौती)	(488.81)	(7,709.84)
ब्याज भुगतान	(261.60)	(688.96)
लाभांश भुगतान	(9,081.60)	(2,323.20)
वित्तीय कार्यकलापों में इस्तेमाल शुद्ध नकद	**(9,832.01)**	**(10,722.00)**
नकद एवं नकद समकक्ष (क + ख + ग) में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	**(187.28)**	**54,827.89**
अवधि के आरंभ में नकद एवं नकद समकक्ष	**70,787.79**	**15,959.90**
अवधि के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष	**70,600.51**	**70,787.79**
ध्यान दें:		
(1) कोष्ठक में शामिल अंक बहिर्वाह दर्शाते हैं		
संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग है		

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस घोष एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखापाल
एफआरएन : 302184E/E300007

(सीए प्रदीप कुमार मित्रा)
साझेदार
एम. नं. 052183

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके लिए

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन – 08643406)

(सुब्रत सरकार)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
(डीआईएन – 08290021)

(सुचित कुमार बर्णवाल)
महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा

(अजय कुमार राय)
कंपनी सचिव
एम. नं. F5627

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 25 मई 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियां

1. क सामान्य जानकारी

एमएसटीसी लिमिटेड ('कंपनी) एक मिनीरत्न श्रेणी'–I कंपनी है जो 9 सितंबर, 1964 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित की गई थी। यह भारत में स्थित है एवं इसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट सं– सीएफ–18/2, स्ट्रीट सं–175, एक्शन एरिया 1सी, न्यू टाउन, कोलकाता–700156 और शेयरों द्वारा परिसीमित (सीआईएन L27320WB1964GOI026211) है। आरंभिक पब्लिक ऑफर के अंतर्गत एमएसटीसी लिमिटेड के इक्विटी शेयर 29 मार्च, 2019 से बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड दोनों पर सूचीबद्ध हैं और कारोबार कर रहे हैं। कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों में ई–कॉमर्स और लौह और अलौह स्क्रैप, अधिशेष भंडार, खनिज, कृषि और वन उत्पादों आदि का निपटान करना सम्मिलित है जो अधिकांशतया सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों के होते हैं। कंपनी की मुख्य गतिविधि दो प्रचालन प्रभागों, यानी ई–कॉमर्स और ट्रेडिंग में विभाजित हैं। ई–कॉमर्स विभाग स्क्रैप, अधिशेष भंडार का निपटान, खनिज कृषि और वन उत्पादों की ई–बिक्री, कृषि और वन उपज, और ई खरीद करता है। कंपनी से जुड़े प्रमुख प्रतिष्ठानों की सूची में रक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आदि जैसे सार्वजनिक उपक्रम शामिल हैं। कंपनी निपटान पद्धत्ति में ई–नीलामी, ई– निविदा, ई–रिवर्स नीलामी इत्यादि सम्मिलित है। इसके अलावा, एमएसटीसी कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगरेनी कोलफील्ड्स लिमिटेड आदि से कोयले की ई–नीलामी भी करता है। इनके अतिरिक्त एमएसटीसी ई–खरीद समाधान भी प्रदान करता है। व्यापार प्रभाग मुख्य रूप से थोक औद्योगिक कच्चे माल के आयात/निर्यात और घरेलू व्यापार का प्रबंधन करता है। यह भारतीय उद्योगों को आपूर्ति के लिए भारी मेल्टिंग स्क्रैप, लो ऐश मेटलर्जिकल कोक, एचआर कॉइल, क्रूड ऑयल, नेप्था, कोकिंग कोल, स्टीम कोल आदि जैसे औद्योगिक कच्चे माल की सोर्सिंग, खरीद और बिक्री को देखता है। कोयला/इस्पात उद्योग, तेल क्षेत्र, राज्य की स्वामित्वाधीन विद्युत कंपनियां आदि कंपनी के अंतिम पंक्ति के ग्राहक हैं।

1. ख हाल के लेखांकन विकास

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') समय–समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमों के अधीन मौजूदा मानकों में नए मानक या संशोधन अधिसूचित करता है। दिनांक 23 मार्च, 2022 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2022 में निम्नलिखित संशोधन किए जो 1 अप्रैल, 2022 से लागू हैं:

इंड एएस 16 – अपेक्षित उपयोग से पूर्व आय

यह संशोधन मुख्यतया किसी प्रतिष्ठान को संपत्ति संयंत्र और उपकरण की लागत प्रस्तुत वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त राशि से काटने से रोकता है जबकि कंपनी अपने अपेक्षित उपयोग के लिए परिसंपत्ति तैयार कर रही है। इसके बजाय, प्रतिष्ठान ऐसी बिक्री आय और संबंधित लागत को लाभ या हानि में मान्यता देगा। कंपनी को यह उम्मीद नहीं है कि इन संशोधनों का उसके वित्तीय विवरणों में उसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मान्यता पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

इंड एएस 37– दुर्वह संविदाएं – संविदा पूरा करने की लागत

ये संशोधन विनिर्दिष्ट करते हैं कि संविदा पूरा करने की लागत में वह लागत सम्मिलित है जो सीधे संविदा से जुड़ी है। संविदा से सीधे जुड़ी लागत या तो उस संविदा को पूरा करने की वृद्धिशील लागत हो सकती है (इसके उदाहरणों में प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री शामिल होंगे) या अन्य लागतों का आवंटन जो सीधे संविदाओं को पूरा करने से संबंधित हैं। ये संशोधन अनिवार्य रूप से स्पष्टीकरण है और कंपनी को यह उम्मीद नहीं है कि संशोधन का उसके वित्तीय विवरणिकाओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

इंड एएस 109 – इंड एएस (2021) में वार्षिक सुधार

यह संशोधन स्पष्ट करता है कि प्रतिष्ठान कौन सा शुल्क सम्मिलित करती है, जब वह वित्तीय देनदारी को मान्यता देने का आकलन करने में भारतीय लेखा मानक 109 का '10 प्रतिशत' परीक्षण लागू करती है। कंपनी को यह उम्मीद नहीं है कि संशोधन का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

1. ग महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. ग. 1 तैयारी के आधार

ये वित्तीय विवरण कुछ संपत्तियों और देनदारियों के अपवादों जिन्हें भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाना अपेक्षित है, को छोड़कर ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किए गए हैं। कंपनी की वित्तीय विवरणों कंपनी अधिनियम 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अधीन अधिसूचित नियम सहित भारतीय लेखा मानक ('इंड एएस') के अनुपालन में तैयार की गई हैं।

उचित मूल्य वह कीमत होती है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने से प्राप्त की जाती है या जिसका मापन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच सुव्यवस्थित लेनदेन में देनदारी को अंतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है, भले ही उस कीमत का प्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके अनुमानित लगाया जाए। किसी परिसंपत्ति या देनदारी के उचित मूल्य का आकलन करने में, कंपनी परिसंपत्ति या देनदारी की उन विशेषताओं को ध्यान में रखती है अगर परिसंपत्ति या देनदारी का मूल्य निर्धारण करते समय बाजार प्रतिभागियों ने मापन तिथि को उन विशेषताओं को ध्यान में रखा है।

कार्यवाहक मुद्रा एवं प्रस्तुतीकरण मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (रु.) में तैयार किए जाते हैं जो कि कंपनी के सभी प्रचालनो के लिए कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। भारतीय रुपये (रु.) में प्रस्तुत सभी वित्तीय सूचना निकटतम लाख में पूर्ण राशि में दी गई है, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

चालू एवं गैर–चालू वर्गीकरण

कंपनी तुलनपत्र में परिसंपत्ति और देनदारियां चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है। सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची (III) और इंड एएस 1 में 'वित्तीय विवरणियों के प्रस्तुतीकरण' निर्धारित अन्य मानदंड के अनुसार चालू या गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रचालन चक्र कार्य–प्रक्रिया के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद और नकद समतुल्य में इसकी वसूली के बीच का समय है। कंपनी ने अपने प्रचालन चक्र के रूप में बारह महीने चिन्हित किए हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर–चालू परिसंपत्ति और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

अनुमानों और महत्वपूर्ण निर्णयों का उपयोग

इंड–एएस के अनुसार लेखाओं की तैयारी में प्रबंधन को परिसंपत्तियों और देनदारियों की सूचित की गई राशि, लेखाओं की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों का प्रकटीकरण और अवधि के दौरान आय तथा व्यय की रिपोर्ट की गई राशि के प्रभाव का अनुमान एवं आकलन करना अपेक्षित है।

वास्तविक परिणाम अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं। अनुमान के लिए सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों का नीचे लेखांकन नीतियों में उल्लेख किया गया है। महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, और कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने में आकलन या अनिश्चितता के महत्वपूर्ण स्रोत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, वर्तमान परिसंपत्ति प्रावधान, आस्थगित कर, सेवानिवृत्ति हितलाभ के संबंध में उत्पन्न होते हैं। इनमें से प्रत्येक मद के लिए अंतर्निहित निर्णयों और अनुमानों के तरीके सहित विस्तृत लेखांकन नीतियों की नीचे चर्चा की गई है। इन सभी महत्वपूर्ण कारकों की निरंतर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में ये अनुमान संशोधित किये जाते हैं और जिसमें भविष्य की कोई भी अवधि प्रभावित होती है।

1.ग.2 विदेशी मुद्रा रूपांतरण

कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करते समय, कार्यात्मक मुद्रा को छोड़कर अन्य मुद्राओं में लेनदेन, लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किए जाते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों का रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित दरों पर पुनः रूपांतरित किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित, उचित मूल्य पर गैर–मौद्रिक मद इस तिथि को प्रचलित दरों पर पुनः रूपांतरित होते हैं जिस पर उचित मूल्य का निर्धारण किया गया था। कोई भी गैर मौद्रिक मद जो किसी विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत की शर्तों में मापे जाते हैं, का रूपांतरण नहीं किया जाता है।

मौद्रिक मदों के निपटान और मौद्रिक मदों के पुनः रूपांतरण पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को अवधि के लिए लाभ एवं हानि विवरण में सम्मिलित किया जाता है। उचित मूल्य पर किए गए गैर–मौद्रिक मदों पर पुनः रूपांतरण पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को गैर–मौद्रिक मदों के पुनः रूपांतरण पर उत्पन्न होने वाले अतंरों को छोड़कर, अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में सम्मिलित किया जाता है, जिसके संबंध में लाभ और हानि को सीधे अन्य व्यापक आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

जहां कहीं भी ग्राहक उनके साथ किए गए करार के अनुसार विदेशी मुद्रा के उतार–चढ़ाव को वहन करते हैं, उसे कंपनी की बहियों में विदेशी मुद्रा लाभ/हानि की स्वीकृति नहीं दी गई है।

1. ग.3 (क) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मद को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब यह संभवना हो कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होते रहेंगे और इसकी लागत को मजबूती से मापा जा सकता है।यह मान्यता सिद्धांत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद को प्राप्त करने के लिए आरंभ में किए गए खर्चों पर लागू होता है और बाद में इसे खर्च किए गए व्ययों को भी शमिल करने, किसी अंश को बदलने या सेवा देने के लिए किया जाता है। नियमित सर्विसिंग सहित सभी अन्य मरम्मत और रखरखाव लागत को लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। जब कोई प्रतिस्थापन होता है, तो प्रतिस्थापित भाग की रखाव राशि को मान्यता नहीं दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का संचित मूल्यह्रास और क्षीणता हानि को घटाकर लागत पर उल्लेख किया जाता है। इस लागत में वे सभी प्रत्यक्ष लागतें और व्यय सम्मिलित होते हैं जो परिसंपत्ति को उसके अपेक्षित उपयोग के लिए उसकी कार्यकारी स्थिति और स्थान पर लाने के लिए किए गए हैं।

किसी परिसंपत्ति के निपटान पर होने वाले लाभ या हानि को बिक्री की आय और परिसंपत्ति की रखाव राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है, और इसे लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

संपत्ति में शामिल संयंत्र और उपकरण में वे खुले संयंत्र और औजार सम्मिलित हैं जो उनके अपेक्षित उपयोगी जीवन और अनुमानित स्क्रैप मूल्य तथा अतिरिक्त पुर्जे से संबंधित बट्टे खाते में डाली गई राशि को निकालकर लागत पर बताए गए हैं, जिसके लिए जहां भी आवश्यक हो क्षीणता के प्रावधान दिए गए हैं, ताकि धीमी गति वाले एवं अप्रचलित मदों को उपलब्ध कराया जा सके।

भूमि से अनंत आर्थिक जीवन प्राप्त होता है। कंपनी इसके कुछ हिस्से के जीवनकाल को सीमित वर्शों के लिए पट्टे पर देकर इसका लाभ उठा सकती है। अग्रिम में भुगतान किए गए पट्टा किराए को पट्टावधि में परिशोधन किया गया है।

1. ग.3 (ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास

मूल्यह्रास को सीधी रेखा के आधार पर, बट्टे खाते के रूप में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अवशिष्ट मूल्य पर प्रावधान किया जाता है।

ये प्रभार उस तारीख से आरंभ होते हैं जिस तारीख को परिसंपत्ति उनके अपेक्षित उपयोग के लिए उपलब्ध होती है तथा उनके अनुमानित उपयोगी आर्थिक जीवन परिव्याप्त होती है। परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार संशोधित की जाती है। उन संपत्तियों के संबंध में आगे प्रभार का प्रावधान नहीं किया जाता है जो पूर्णतया अवलिखित कर दी है परंतु अभी भी उपयोग में हैं।

निर्माणाधीन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोग प्रस्तुत होने पर आरंभ होता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में वर्णित अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत को उनके उपयोगी जीवनकाल पर आवंटित करने हेतु उनके अवशिष्ट मूल्यों को छोड़कर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

प्रमुख श्रेणी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है:

परिसंपत्ति का प्रकार	अनुमानित उपयोगी जीवन (वर्ष)
कार्यालय उपकरण	5
वाहन	8
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	10
पार्टीशन और क्यूबिकल्स	10
भवन	60
भवन (आरसीसी के अतिरिक्त)	30
एयर कंडीशनर	10
विद्युत संस्थापन और उपकरण	10
कंप्यूटर और ईडीपी उपकरण	3
सर्वर	6
मशीनरी	15

निर्माण के दौरान चल रही परिसंपत्तियां चल रहे पूंजीगत कार्य अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं एवं कोई मानी गई क्षीणता हानि को घटाकर लागत पर वहन की गई है। ऐसे चल रहे पूंजीगत कार्य को पूरा होने पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयुक्त श्रेणी में अंतरित किया गया है।

1. ग.3 (ग) अमूर्त परिसंपत्तियां

सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्ति जो अलग से अर्जित की गई है उन्हें संचित परिशोधन और संचित क्षीणता हानि को घटाकर दर्शाया जाता है। परिशोधन को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। अनुमानित उपयोगी जीवन और परिशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, जिसमें अनुमान में कोई बदलाव भावी आधार पर लेखांकित किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान पर मान्यता नहीं दी जाती है, या जब उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन अनुमान लगाता है कि अमूर्त परिसंपत्ति का उसके उपयोगी जीवन के अंत में शून्य वहन लागत है यानी शून्य अवशिष्ट मूल्य है।

अलग से अर्जित सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर के रूप में पूंजीकृत किया गया है। इनका परिशोधन उनके लाइसेंस की अवधि में किया गया है। स्थायी लाइसेंस के मामले में लागत को पांच साल की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

1. ग.4 गैर–वित्तीय संपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति की रखाव राशि की समीक्षा करती है कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि उन परिसंपत्तियों की रखाव राशि निरंतर उपयोग के माध्यम से वसूली योग्य नहीं हो सकती है, यदि कोई ऐसा संकेत दिखाई देता है, तो परिसंपत्ति की हानि (यदि कोई हो) का निर्धारण करने के लिए परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि की समीक्षा की जाती है। जहां परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं होता है जो अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र हैं, कंपनी नकदी उत्पन्न करने वाली उस इकाई की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। अनिश्चितकालीन उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्ति की क्षीणता की वार्षिक रूप से जांच की जाती है और जहां भी कोई संकेत होता है, परिसंपत्ति क्षीणता प्राप्त हो सकती है वहां भी वार्षिक रूप से जांच की जाती है।

वसूली योग्य राशि बिक्री मूल्य को घटाकर प्राप्त उचित मूल्य एवं उपयोग में मूल्य में से अधिक वाली राशि होती है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य से पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करते हुए छूट दी जाती है जो राशि के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिम को दर्शाता है जिसके लिए भविष्य के नकदी प्रवाह का अनुमान का समायोजन नहीं किया गया है। क्षीणता हानि को लाभ एवं हानि विवरण में तब मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति की रखाव राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो।

जहां क्षीणता हानि बाद में व्युत्क्रमित हो जाती है तो परिसंपत्ति की रखाव राशि (या नकद उत्पादन इकाई) की उसकी वसूली योग्य राशि के संशोधित अनुमान में बढ़ती है, परंतु इतना कि बढ़ी हुई रखाव राशि उस रखाव राशि से अधिक न हो जो निर्धारित की गई होती, यदि पूर्व के वर्षों में परिसंपत्ति (या नकद उत्पादन इकाई) के लिए क्षीणता हानि को मान्यता नहीं दी होती। क्षीणता हानि की विपरीत स्थिति को तुरंत लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

1. ग.5 सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम में निवेश

सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम में निवेश भारतीय लेखांकन मानक 27 के अनुसरण में लागत पर किया जाता है। जहां हानि का संकेत दिखाई देता है वहां निवेश की रखाव राशि का आकलन किया जाता है और उसे तुरंत वसूली योग्य राशि में लिख लिया जाता है। सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम में निवेश के निपटान पर, निवल निपटान आय और रखाव राशियों के बीच अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

1. ग.6 वित्तीय लेखपत्र

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी लिखतों के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को आरंभ में उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या निर्गम (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों और वित्तीय देनदारियों के अतिरिक्त) के लिए प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी लेनदेन लागतों को वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय दायित्वों की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण के कारण सीधे लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

क) वित्तीय परिसंपत्तियां

I. परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखना है तथा वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह के लिए निर्दिष्ट तारीखों पर नकदी प्रवाह को बढ़ाती है जो मूलतः बकाया मूलधन और इस मूलधन पर ब्याज का भुगतान हैं।

प्रारंभिक माप के उपरांत, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां तदुपरांत प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं।

प्रभावी ब्याज पद्धति वित्तीय साधन की परिशोधन लागत का निर्धारण करने और प्रासंगिक अवधि में ब्याज आय या व्यय आवंटित करने की एक विधि है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवन के माध्यम से या जहां उपयुक्त हो, अल्प अवधि के माध्यम से ठीक उतनी ही भावी नकद प्राप्ति या भुगतान की छूट देती है।

II. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय मॉडल के तौर पर रखी जाती हैं जिसका मुख्य उद्देश्य इन परिसंपत्तियों को संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्रित करने या इन वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने के लिए रखना है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों को नकदी प्रवाह को बढ़ाती है वृद्धि जो मूलतः बकाया मूलधन और इस मूलधन पर ब्याज का भुगतान हैं।

इन मानदंडों को पूरा करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियां आरंभ में उचित मूल्य और लेनदेन लागत पर मापी जाती हैं। इसके उपरांत इन्हें अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुनर्मापन पर उत्पन्न किसी लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। यद्यपि, लाभ एवं हानि विवरण में ब्याज आय, हानि एवं उत्क्रमण तथा विदेशी मुद्रा लाभ व हानि को मान्यता दी जाती है।

III. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां

अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर नहीं मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ली जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षीणता

अपेक्षित ऋण हानियों के लिए हानि भत्ते को अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत और उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए मान्यता दी जाती है।

यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद से वित्तीय साधनों पर ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो आजीवन अपेक्षित ऋण हानियों के बराबर हानि भत्ता को मान्यता दी जाती है। वित्तीय साधनों के लिए जिनके क्रेडिट जोखिम में प्रारंभिक मान्यता के बाद से उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो बारह महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर हानि भत्ते मान्यता दी जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की अमान्यता

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब तक स्वीकृति नहीं देती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या यह वित्तीय परिसंपत्ति और साथ ही परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से किसी दूसरी संस्था को हस्तांतरित कर देता है। यदि कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित करती है और न ही बरकरार रखती है और हस्तांतरित संपत्ति को नियंत्रित करना जारी रखती है, तो कंपनी परिसंपत्ति में अपने हित और उन राशियों से जुड़ी देनदारी को स्वीकृति देती है जो उसे चुकानी पड़ सकती है। यदि कंपनी एक हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से बरकरार रखती है, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को मान्यता देना जारी रखती है और प्राप्त आय के संपार्श्विक उधारी को भी स्वीकृति देती है।

ख) वित्तीय देनदारियां और इक्विटी लेखपत्र

वर्गीकरण

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय देनदारियों और इक्विटी लेखपत्र को अनुबंधित व्यवस्थाओं के सार एवं किसी वित्तीय देनदारी तथा इक्विटी लेखपत्र की परिभाषाओं के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

इक्विटी लेखपत्र

इक्विटी लेखपत्र कोई ऐसी संविदा है जो कंपनी की सभी देनदारियों को घटाने के बाद कंपनी की परिसंपत्ति में अवशिष्ट ब्याज का प्रस्तुत करता है। इक्विटी लेनदेन की लेनदेन लागत को इक्विटी से कटौती के रूप में लेखांकित किया जाता है।

वित्तीय देनदारियां

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देय और बैंक ओवरड्राफ्ट सहित उधार शामिल हैं, जिन्हें आरंभ में उचित मूल्य पर,

लेनदेन लागतों को मापा जाता है, और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देनदारियों की अमान्यता

कंपनी वित्तीय देनदारियों को केवल तब मान्यता नहीं देता है जब कंपनी का दायित्व पूरे हो गए हों, रद्द हो गए हों या समाप्त हो गए हों।

वित्तीय लेखपत्रों की क्षतिपूर्ति या समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां उस समय क्षतिपूर्ति की जाती है एवं तुलन पत्र में रिपोर्ट की जाती है जब मान्यता प्राप्त राशियों की क्षतिपूर्ति के लिए कानूनी तौर पर लागू योग्य कोई अधिकार शामिल हो एवं निवल आधार पर निपटान करने या परिसंपत्ति प्राप्त करने और देनदारी का निपटान करने का इरादा होता है। कानूनी रूप से लागू योग्य अधिकार, भविष्य के घटनाक्रमों पर आकस्मिक नहीं होना चाहिए और व्यापार के सामान्य प्रचालन और प्रतिपक्ष की चूक, दिवाला या दिवालियापन की स्थिति में लागू होने योग्य होने चाहिए।

1. ग.7 नकद और नकद समतुल्य

नकदी प्रवाह के विवरण में प्रस्तुत करने के प्रयोजन से, नकद और नकद समतुल्य में हाथ पर नकदी, तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ उच्च रूप से चलनिधि निवेश जो नकदी की ज्ञात राशि में तुरंत परिवर्तनीय हैं, बैंक में नकद, और बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं और जो मूल्य में गैर उल्लेखनीय परिवर्तन के अधीन हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट तुलन पत्र में चालू देनदारियों में उधारी के अंतर्गत दिखाए गए हैं।

1. ग.8 माल सूची

मार्गस्थ माल सहित व्यापारिक स्टॉक का मूल्यांकन लागत या अनुमानित निवल वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो, पर किया जाता है।

1. ग.9 राजस्व की मान्यता

राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब ग्राहक को वस्तुओं और सेवाओं के हस्तांतरण के लिए निष्पादन दायित्व पूर्ण हो जाता है।

बिक्री

(i) उच्च समुद्री बिक्री (हाई सी सेल्स लेटर) की बुकिंग हाई सी सेल पत्र जारी होने की तारीख के आधार पर की जाती हैं। मूल्य के संबंध में, बिक्री यदि कोई बुक की गई हो तो अनुबंधित वायदा विनिमय दरों पर या अनंतिम रूप से वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर प्रचलित एफईडीएआई स्पॉट विनिमय दरों के आधार पर की जाती है, जहां फॉरवर्ड कवर नहीं लिया गया था, जिसमें सीएंडएफ/सीआईएफ मियादी ब्याज, तदपुरांत वित्तीय वर्ष में भुगतान की देय तिथि पर अंतिम समायोजन सम्मिलित है।

(ii) स्वदेशी सामग्री के मामले में, बिक्री को परिवहन दस्तावेजों की तारीख के आधार पर एवं मूल्य के संबंध में, चालान के मूल्य के आधार पर लेखांकित किया जाता है। डोर डिलीवरी के आधार पर की गई बिक्री के मामले में बिक्री, चालान की तारीखों पर बुक की जाती है।

(iii) निर्यात के मामले में, बिक्री को शिपमेंट की तारीख के आधार पर लेखांकित किया जाता है। मूल्य के संबंध में, बिक्री को अनुबंधित वायदा विनिमय दरों पर बुक किए जाने पर या सीमी शुल्क मंजूरी दस्तावेज के अनुसार शिपमेंट की तारीख को एफईडीएआई दर पर बुक किया जाता है जिसके उपरांत निर्यात आय की वास्तविक वसूली पर अंतिम समायोजन किया जाता है।

सेवा प्रभार

विपणन विभाग में फैसिलिटेटर मोड के माध्यम से लेनदेन के लिए नीलामी, निविदाओं, या किसी अन्य माध्यम द्वारा प्रिंसीपल की ओर से विक्रय/क्रय के संचालन हेतु पारिश्रमिक को सेवा शुल्क के रूप में लेखांकित किया जाता है।

(क) निम्नलिखित पर सेवा प्रभार को अनुबंधित दरों पर आय के रूप में लेखांकित किया जाता है:

i. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा एवं अन्य सरकारी विभागों की ओर से बिक्री आदेश/सुपुर्दगी आदेश जारी करने पर निविदा/नीलामी बिक्री।

ii. ई–बिक्री संतोषजनक पूरा होने पर

(i) और (ii) के संबंध में, सेवा प्रभार तो प्रिंसिपल द्वारा वास्तविक सुपुर्दगी के आधार पर, समायोजन के साथ, यदि कोई हो, नीलामी के बोली मूल्य पर लेखांकित किया जाता है, यदि सेवा प्रभार प्रतिशत के आधार पर भुगतान योग्य है।

iiii. ई–पोर्टल के विकास और रखरखाव सहित घटना के आधार पर सेवा अनुलग्नक के मामले में घटना के घटित होने पर,

iv. ई–प्रोक्योरमेंट के मामले में सेवा प्रभार तब बुक किया जाता है, जहां सेवा प्रभार गतिविधि की समाप्ति पर प्रिन्सिपल से संग्रह योग्य है।

(ख) बोलीदाताओं से एकत्रित ई–प्रोक्योरमेंट लेनदेन शुल्क को सफल संचालन पर लेखांकित किया जाता है

ग) सुविधाप्रदाता के रूप में क्रय के संबंध में उचपित सेवा प्रभार यथास्थिति लदान बिल/रेलवे रसीद/लॉरी रसीद की तारीख के आधार पर संविदागत दर पर लेखांकित किया जाता है। आयातित सामग्री के लिए, मूल्य का आकलन या तो फॉरवर्ड कवर रेट पर या वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर प्रचलित एफईडीएआई स्पॉट दर पर किया जाता है। अंतिम समायोजन वास्तविक भुगतान पर किया जाता है। स्वदेशी सामग्री के मामले में, मूल्य का आकलन संविदागत दर पर वास्तविक भुगतान के आधार किया जाता है।

ई–नीलामी पंजीकरण

यदि पंजीकरण की वैधता एक वर्ष तक है, तो खरीदारों से एकत्रित ई–नीलामी पंजीकरण शुल्क को चालू वर्ष की आय के रूप में माना जाता है। आजीवन पंजीकरण के मामले में, इस प्रकार एकत्र की गई राशि को पांच वर्षों में समान रूप से वितरित किया जाता है।

अन्य आय

निम्नलिखित मदों को छोड़कर राजस्व को बीमांकिक आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसे वास्तविक वसूली पर लेखांकित लिया जाता है क्योंकि लेखांकन मानकों के प्रावधानों के अनुसार ऐसी मदों की प्राप्ति अनिश्चित है।

i) निष्पादन/विवादास्पद बकाया राशि और उस पर ब्याज, यदि कोई हो, के लिए लंबित डिक्री।

ii) अतिदेय वसूलीयोग्य राशि पर ब्याज जहां वसूली अनिश्चित है।

iii) आपूर्तिकर्ताओं या संविदाकारों पर परिसमापन हर्जाना।

iv) आयकर/बिक्री कर/वैट का रिफंड और उस पर ब्याज।

v) लाभांश आय को मान्यता तब दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

क्रय

i) आयातित सामग्रियों को लदान के बिल की तारीख के आधार पर खरीद के रूप लेखांकित किया जाता है। मूल्य के संबंध में, खरीद वास्तविक प्रेषण के आधार पर बुक की जाती है और जहां ऐसे प्रेषण वर्ष के अंत में बकाया रहते हैं, तब बुक किए जाने पर, यथास्थिति अनुबंधित वायदा विनिमय दरों या वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को प्रचलित एफईडीएआई स्पॉट विनिमय दरों पर, यदि फॉरवर्ड कवर नहीं लिया गया है, के आधार पर बुक किया जाता है। क्रय मूल्य में, सामग्री का भाड़ा, बीमा इत्यादि एवं मियादी ब्याज और तदुपरांत वित्तीय वर्ष में वास्तविक भुगतान पर अंतिम समायोजन शामिल होता है।

ii) स्वदेशी सामग्री के मामले में, खरीद ढुलाई दस्तावेजों और मूल्य के संबंध में चालान के मूल्य के आधार पर बुक की जाती है।

1. ग.10 उधार लागत

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन में सीधे उधार लेने की लागतें, जो ऐसी परिसंपत्तियां हैं जिसें अपने अपेक्षित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लगता है, को उनके अपेक्षित उपयोग या बिक्री के लिए पर्याप्त रूप से तैयार होने की अवधि तक इन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है।

विशिष्ट उधारी के अस्थायी निवेश पर अर्जित अन्य आय, अर्हक परिसंपत्तियों पर अपने व्यय को लंबित रखती है, पूंजीकरण के लिए योग्य उधारी लागत में से घटा दी जाती है।

अन्य सभी उधारी लागतों को उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में उन्हें खर्च किया जाता है।

1. ग.11 कर्मचारी हितलाभ

(क) अल्पावधिक हितलाभ

अल्पावधिक कर्मचारी हितलाभ को लेखांकन अवधि जिसमें कर्मचारियों द्वारा सेवा दी जाती है, को उनकी गैर–छूट प्राप्त राशि पर लेखांकित किया जाता है एवं उस अवधि जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा दी है, के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ख) छुट्टी नकदीकरण

अर्जित छुट्टी और रूपांतरित छुट्टी के लिए देनदारियों को उस अवधि की समाप्ति जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवा प्रदान की है, के उपरांत 12 महीने के भीतर संपूर्ण रूप से निपटाया जाना अपेक्षित नहीं है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में अपेक्षित भावी भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मूल्यांकित किया जाता है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की परिणाम का प्रयोग करते हुए लाभ पर छूट दिये गए हैं, जिसमें संबंधित दायित्वों की शर्तों की शर्तें हैं। बीमांकिक प्राक्कलनों में हुए अनुभव समायोजन एवं परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनर्मापन को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। यह सुविधा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्त पोषित है

(ग) रोजगार के उपरांत दायित्व

परिभाषित अंशदान योजनाः

i. भविष्य निधि

भविष्य निधि का संचालन आयकर प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रस्ट द्वारा किया जाता है और इस निधि में अंशदान राजस्व में प्रभारित किया जाता है। पेंशनभोगी के लाभ कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के माध्यम से प्रतिभूत होते हैं।

ii. पेंशन

इस पेंशन योजना को एक स्वतंत्र ट्रस्ट के माध्यम से संचालित किया जाता है और इस निधि में अंशदान राजस्व में प्रभारित किया जाता है। इस निधि का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें की जाने वाली अंशदान राशि डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसरण में इस्पात मंत्रालय के निर्देशों द्वारा नियंत्रित होती है।

परिभाषित हितलाभ योजनाः

i. सेवा उपदान

परिभाषित उपदान योजना के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देनदारियां या परिसंपत्ति, योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य से घटाकर,

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है। परिभाषित हितलाभ दायित्वों की गणना प्रतिवर्ष अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का इस्तेमाल करके बीमांककों द्वारा की जाती है। परिभाषित हितलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के संदर्भ में अनुमानित भावी नकदी बहिर्वाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है जो संबंधित दायित्वों की शर्तों के अनुसार होते हैं।

निवल ब्याज लागत की गणना परिभाषित हितलाभ दायित्व के निवल शेष और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का छूट प्राप्त दर प्रयोग करते हुए की जाती है। यह लागत लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय में शामिल है।

अनुभव समायोजन और बीमांकिक प्राक्कलनों में परिवर्तन से होने वाले पुनर्मापित लाभ एवं हानि उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें उन्हें सीधे अन्य व्यापक आय में दर्शाया जाता है। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है।

संशोधनों और कटौतियों के परिणामस्वरूप परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को पिछली सेवा लागत के रूप में तुरंत लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। उपदान दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह उपदान जीवन बीमा योजना के माध्यम से वित्त पोषित है और इसे इस प्रयोजन के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए एक अलग अपरिवर्तनीय ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।

ii. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ

कंपनी अपने अवकाशप्राप्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। इन लाभों की पात्रता आमतौर पर सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवारत कर्मचारी और न्यूनतम सेवा अवधि के पूरा होने पर सशर्त होती है। इन लाभों की अपेक्षित लागत उसी लेखांकन पद्धति का प्रयोग करके नियोजन की अवधि में उपचित की जाती है जैसा कि परिभाषित हितलाभ योजनाओं में प्रयोग किया जाता है। अनुभव समायोजन एवं बीमांकिक प्राक्कलनों में परिवर्तन से होने वाले पुनर्मापन लाभ एवं हानि उत्पन्न होने वाली अवधि में अन्य व्यापक आय में प्रभारित या क्रेडिट किया जाता है। इसे इस प्रयोजन के लिए सृजित एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से निधि का प्रबंधन किया जाता है।

1. ग.12 कराधान

वर्ष के लिए कर व्यय में चालू और आस्थगित कर सम्मिलित हैं।

(i) चालू कर

वर्तमान में भुगतान योग्य कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ से भिन्न होता है जैसा कि लाभ एवं हानि विवरण में दिया गया है क्योंकि इसमें आय या व्यय की उन मदों को शामिल नहीं किया जाता है जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और आगे उन मदों को छोड़ दिया जाता है जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं होते हैं। चालू कर के लिए कंपनी की देयता की गणना कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके की जाती है जो उस देश में अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किए गए हैं जहां कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक काम कर रहा है।

(ii) आस्थगित कर

आस्थगित कर देनदारियां कर योग्य अस्थायी अंतर के संबंध में भविष्य की अवधि में देय आयकर की राशि है। आस्थगित कर संपत्ति भविष्य में कटौती योग्य अस्थायी अंतर के संबंध में वसूली योग्य आयकर की राशि है। अप्रयुक्त कर हानियों को आगे ले जाती है और अप्रयोक्त कर क्रेडिट को आगे बढ़ाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि भावी कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट को आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में तब और उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जब इस बात के विश्वसनीय साक्ष्य हों कि कंपनी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान कर देगा। ऐसी परिसंपत्ति की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर की जाती है और एमएटी क्रेडिट परिसंपत्ति की रखाव राशि उस सीमा तक अवलिखित की जाती है जिसके लिए विश्वसनीय साक्ष नहीं रह गया है कि कंपनी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान कर देगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और उस सीमा तक कम कर दी जाती है कि अब कोई संभावना नहीं है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के संपूर्ण या उसके कुछ हिस्से का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध हो पाएगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां एवं देनदारियां उस सीमा तक क्षतिपूरित होती हैं जिससे वे उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए करों से संबंधित हैं और उस क्षेत्राधिकार के भीतर चालू कर परिसंपत्तियों और चालू कर देनदारियों को छोड़ने के लिए विधिक रूप से लागू करने योग्य अधिकार हैं।

चालू और आस्थगित कर को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय या आय के रूप में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस स्थिति के, जब वे अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में क्रेडिट या डेबिट की गई मदों से संबंधित हों, इस मामले में कर को अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

1. ग.13 प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां

तुलन पत्र में प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी में पिछली घटना के परिणामस्वरूप चालू दायित्व (विधिक या रचनात्मक) होता है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों का बहिर्वाह होता है जिसका विश्सनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक प्रावधान तुलन पत्र की तारीख पर चालू दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के सर्वोत्तम अनुमान पर आधारित है। जब उपयुक्त हो, प्रावधानों को मितीकाटा आधार पर मापा जाता है।

रचनात्मक दायित्व ऐसा दायित्व है जो इकाई के कार्यों से प्राप्त होता है जिसमें पिछले अभ्यास, प्रकाशित नीतियां या पर्याप्त रूप से विशिष्ट चालू कथन की स्थापित पद्धत्ति से संस्थान ने अन्य पक्षकारों को संकेत दिया है कि वह कुछ उत्तरदायित्वों को स्वीकार करेगी, और इसके परिणामस्वरूप, संस्थान ने उन अन्य पक्षकारों की ओर से एक वैध अपेक्षा सृजित की है कि वह उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगी।

आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण टिप्पणियों के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में इनकी समीक्षा की जाती है और प्रबंधन के वर्तमान अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणिकाओं में मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन जब आर्थिक लाभ की अंतर्वाह की संभावना होती है तो इनका प्रकटन किया जाता है।

1. ग.14 खंड (सेंगमेंट) रिपोर्टिंग

इंड एएस 108 उस तरीके के लिए मानक स्थापित करता है कि सार्वजनिक व्यवसाय उद्यम ऑपरेटिंग सेगमेंट और संबंधित प्रकटीकरण के बारे में जानकारी की रिपोर्ट करे। कंपनी व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करता है, और ई–कॉमर्स सेवा प्रदाता के रूप में भी कार्य करता है। इंड एएस 108 में परिभाषित 'प्रबंधन दृष्टिकोण' के आधार पर, मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन करता है और ऑपरेटिंग सेगमेंट द्वारा विभिन्न निष्पादन संकेतकों के विश्लेषण पर संसाधन आवंटित करता है। उपरोक्त के संदर्भ में कंपनी ने विपणन, ई–कॉमर्स को अपने दो प्राथमिक रिपोर्ट योग्य व्यवसाय खंडों के रूप में मान्यता दी है। सेगमेंट के संबंध में राजस्व और पहचान योग्य परिचालन व्यय उन वस्तुओं के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं जो उस सेगमेंट के लिए अलग–अलग से पहचाने जाने योग्य होते हैं। राजस्व और व्यय की शेष मदें, जिन्हें विशिष्ट खंडों के अंतर्गत विशेष रूप से आवंटित नहीं किया जा सकता है, को अलग से अनाबंटित के रूप में प्रकट किया जाता है।

1. ग.15 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान, प्राक्कलन एवं निर्णय

इंड–एएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, प्राक्कलन और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और रिपोर्टिंग अवधि के अंत के दौरान वित्तीय विवरण एवं प्रचालन के परिणाम की तारीख पर संपत्ति, देनदारियों, आय, व्यय और आकस्मिक संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करते हैं। हालांकि ये अनुमान वर्तमान घटनाओं और कार्यों के प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित हैं, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित प्राक्क्लनों की निरंतर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में अनुमानों को संशोधित किया जाता है और भविष्य की कोई अवधि में जो प्रभावित होती है।

अनुमान एवं प्राक्कलन जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के अंतर परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की रखाव राशि के भौतिक समायोजन का कारण बनने का महत्वपूर्ण जोखिम रहता है, उसकी चर्चा नीचे के अनुच्छेदों में की गई है।

(i) उपयोगी आर्थिक जीवन और अन्य परिसंपत्तियों की क्षीणता

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन अप्रचलन के प्रभाव, परिसंपत्ति के उपयोग और अन्य आर्थिक कारकों (जैसे ज्ञात तकनीकी प्रगति) सहित कई कारकों पर निर्भर करता है।

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में पीपीई और अमूर्त के उपयोगी जीवन की समीक्षा करता है और कोई भी परिवर्तन संभावित रूप से मूल्यह्रास दरों को प्रभावित कर सकता है।

कंपनी संभावित हानि के लिए अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की भी समीक्षा करता है यदि ऐसी घटनाएं घटती है या परिस्थितियों में ऐसा बदलाव होता है जो इंगित करते हैं कि संपत्ति का रखाव मूल्य वसूली योग्य नहीं है। क्षीणता के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का आकलन करने में, लाभ में महत्वपूर्ण कमी लाने वाले कारकों, जैसे कंपनी की व्यावसायिक योजनाएं और नियामक वातावरण में परिवर्तन को ध्यान में रखा जाता है।

(ii) आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

व्यवसाय के सामान्य अवधि में, कंपनी के विरुद्ध मुकदमेबाजी, कराधान और अन्य दावों से आकस्मिक देनदारियां हो सकती हैं। जहां निधि का बहिर्वाह संभावित माना जाता है और प्रत्येक मतभेद की विशिष्ट परिस्थितियों का प्रबंधन के आकलन एवं संबंधित बाहरी सलाह आधार पर मतभेद के परिणाम का विश्वनीय अनुमान लगाया जा सकता है, तब प्रबंधन देनदारी का सर्वोत्तम अनुमान प्रदान करता है। ऐसी देनदारियों को टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है लेकिन वित्तीय विवरणिकाओं में नहीं दर्शाया जाता है।

यद्यपि कानूनी कार्यवाही के अंतिम परिणाम के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है तथापि कंपनी यह अपेक्षा नहीं करता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति या लाभप्रदता पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(iii) बीमांकिक मूल्यांकन

कर्मचारियों के लिए परिभाषित हितलाभ दायित्व के प्रति कंपनी की देयता का निर्धारण स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है, जिसमें लाभ और हानि के विवरण और अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त राशियों का निर्धारण शामिल है। इस तरह का मूल्यांकन मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग कारकों जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मान्यताओं पर निर्भर करता है।

(iv) उचित मूल्य मापन और मूल्यांकन प्रक्रियाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए कंपनी की कुछ संपत्ति और देनदारियों को उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया गया है। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में, समूह बाजार–अवलोकन योग्य डेटा का उपयोग उस सीमा तक करता है, जहां तक वह उपलब्ध है। जहां स्तर 1 की सूचना उपलब्ध नहीं हैं, वहां कंपनी मूल्यांकन करने के लिए, जहां अपेक्षित हो, तीसरे पक्ष के मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त करता है। विभिन्न परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य का निर्धारण करने में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों और निविष्टियों की सूचना वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में प्रकट की गई है।

(v) आगे ले जा गई कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिट के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता

जिस सीमा तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता दी जा सकती है, वह समूह की भावी कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी विधिक या आर्थिक सीमा के प्रभाव का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।

1. ग.16 व्यापार प्राप्यों के प्रावधान

i. कंपनी में एक प्रावधान नीति विद्यमान है जो नीति के अनुसार त्रैमासिक समीक्षा और प्रावधान निम्नानुसार करती है:

क्र.सं.	विवरण	प्रावधानीकरण की राशि
1	व्यापार प्राप्य (ई वाणिज्य कारोबार)	2 वर्ष से अधिक बकाया – 50 प्रतिशत 3 वर्ष से अधिक बकाया – शेष राशि
2	व्यापार प्राप्य (सहयोगी आपूर्ति कारोबार)	इस मॉडल में चूंकि खरीद के लिए वास्तविक वित्त पोषण एमएसटीसी के सहयोगी आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाता है इसलिए एमएसटीसी के लेखाओं में व्यावसायिक हानि की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः इस तरह के व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधानीकरण की परिकल्पना नहीं की गई है।
3	व्यापार प्राप्य (110 प्रतिशत बीजी समर्थित कारोबार)	चूंकि लेनदेन पूर्णतया बैंक गारंटी से कवर है अतः ऐसे व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधानीकरण नहीं है।
4	व्यापार प्राप्य (नकद एवं कैरी कारोबार)	नीति में संबंधित व्यापार प्राप्य के लिए उपलब्ध (गिरवी स्टॉक) की अवधि और मात्रा के आधार पर विभिन्न चरणों में प्रावधानीकरण की व्यवस्था है।

ii. कंपनी ने 'सहयोगी आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ बैक टू बैक व्यवस्था' के अंतर्गत व्यापार किया है। इस व्यवस्था के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान व्यापार प्राप्यों की वसूली पर ही जारी किया जाएगा। अतः कंपनी इन व्यापार प्राप्यों को सुरक्षित माना है।

2. संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	पूर्ण स्वामित्वाधीन भवन	आरसीसी संरचना से भिन्न पूर्ण स्वामित्वाधीन भवन	विद्युत अधिष्ठापन एवं उपकरण	मशीनरी	कार्यालय उपकरण	कार्यालय के एयर कंडीशनर	फर्नीचर एवं फिक्सचर	कार्यालय के पार्टीशंस एवं क्यूबिकल्स	कंप्यूटर एवं ईडीपी उपकरण	वाहन	कुल मूर्त परिसंपत्तियां
31 मार्च, 2020 को सकल ब्लॉक	***112.70***	**–**	**–**	**–**	***37.30***	***40.60***	***136.80***	***75.70***	***556.60***	***20.90***	***980.60***
संयोजन	–	–	–	–	*1.60*	*9.50*	*0.40*	*2.50*	*48.20*	–	*62.20*
निपटान	–	–	–	–	*0.70*	*2.20*	*0.30*	–	*18.00*	–	*21.20*
31 मार्च, 2021 को सकल ब्लॉक	***112.70***	**–**	**–**	**–**	***38.20***	***47.90***	***136.90***	***78.20***	***586.80***	***20.90***	***1,021.60***
संयोजन	–	*3,339.06*	*788.43*	*237.90*	*423.99*	*311.61*	*282.20*	*2.85*	*375.19*	–	*5,761.23*
निपटान	–	–	–	–	*4.44*	*10.82*	*46.25*	*55.79*	*16.43*	–	*133.73*
31 मार्च, 2022 को सकल ब्लॉक	***112.70***	***3,339.06***	***788.43***	***237.90***	***457.75***	***348.69***	***372.85***	***25.26***	***945.56***	***20.90***	***6,649.10***
31 मार्च, 2020 को मूल्यह्रास	***13.50***	**–**	**–**	**–**	***6.00***	***19.80***	***97.60***	***40.20***	***0.60***	***10.60***	***188.30***
वर्ष में प्रभार	*2.90*	–	–	–	*6.90*	*3.50*	*4.70*	*4.20*	*123.50*	*2.50*	*148.20*
निपटान	–	–	–	–	*0.50*	*2.10*	*0.10*	–	*17.00*	–	*19.70*
31 मार्च, 2021 को मूल्यह्रास	***16.40***	**–**	**–**	**–**	***12.40***	***21.20***	***102.20***	***44.40***	***107.10***	***13.10***	***316.80***
वर्ष में प्रभार	*2.87*	*73.87*	*52.33*	*10.53*	*62.59*	*23.97*	*21.65*	*3.93*	*185.39*	*2.45*	*439.58*
निपटान	–	–	–	–	*2.03*	*8.03*	*35.27*	*38.92*	*10.43*	–	*94.68*
31 मार्च, 2022 को मूल्यह्रास	***19.27***	***73.87***	***52.33***	***10.53***	***72.96***	***37.14***	***88.58***	***9.41***	***282.06***	***15.55***	***661.70***
31 मार्च, 2021 को निवल बही मूल्य	***96.30***	**–**	**–**	**–**	***25.80***	***26.70***	***34.70***	***33.80***	***479.70***	***7.80***	***704.80***
31 मार्च, 2022 को निवल बही मूल्य	***93.43***	***3,265.19***	***736.10***	***227.37***	***384.79***	***311.55***	***284.27***	***15.85***	***663.50***	***5.35***	***5,987.40***

विवरण	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	पट्टाधिकृत भूमि	सॉफ्टवेयर लाइसेंस	ट्रेड मार्क	कुल अमूर्त परिसंपत्तियां
31 मार्च, 2020 को सकल ब्लॉक	**2,892.31**	**715.69**	**307.03**	**0.40**	**307.43**
संयोजन	2,132.70	–	–	–	–
निपटान'	–	7.45	–	–	–
31 मार्च, 2021 को सकल ब्लॉक	**5,025.01**	**708.24**	**307.03**	**0.40**	**307.43**
संयोजन	–	–	108.07		108.07
निपटान*	5,025.01	7.46	–		–
31 मार्च, 2022 को सकल ब्लॉक	**–**	**700.78**	**415.10**	**0.40**	**415.50**
31 मार्च, 2020 को मूल्यह्रास	**–**	**–**	**193.20**	**0.30**	**193.50**
वर्ष में प्रभार	–	–	99.80	0.10	99.90
निपटान	–	–	–	–	–
31 मार्च, 2021 को मूल्यह्रास	**–**	**–**	**293.00**	**0.40**	**293.40**
वर्ष में प्रभार	–	–	28.40	–	28.40
निपटान	–	–	–	–	–
31 मार्च, 2022 को मूल्यह्रास	**–**	**–**	**321.40**	**0.40**	**321.80**
31 मार्च, 2021 को निवल बही मूल्य	**5,025.01**	**708.24**	**14.03**	**–**	**14.03**
31 मार्च, 2022 को निवल बही मूल्य	**–**	**700.78**	**93.70**	**–**	**93.70**

टिप्पणियां

क) पट्टे वाली भूमि का निपटान पूर्व प्रदत्त भुगतान के परिशोधन को दर्शाता है।

ख) कंपनी के मुंबई में स्थित आवासीय भवन एवं कार्यालय फ्लैट तथा कोलकाता में स्थित आवासीय फ्लैट डीआरटी, मुंबई के आदेश से कुर्की के अधीन हैं।

(ग) आरसीसी संरचना से भिन्न अन्य पूर्वस्वामित्वाधीन भवन उसके निर्माण हेतु लिए गए ऋण के सापेक्ष एसबीआई के पास गिरवी रखी हुई है।

(घ) कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के पूंजीकरण की लागत जो पूर्ण होने की तिथि पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है, पीएमसी के साथ लंबित परियोजना के समापन एवं निपटान लागत को लागत के रूप में लिया गया हैं

ङ) अचल संपत्ति का स्वत्वाधिकार विलेख कंपनी के नाम पर है।

च) सभी परिसंपत्तियां, जहां भी लागू हो, शुल्कों के लिए कंपनी रजिस्ट्रार में विधिवत पंजीकृत हैं।

छ) इंड एएस 101 की शर्तानुसार दिनांक 01.04.2015 से इंड एएस के कार्यान्वयन और अंगीकरण के समय, परिसंपत्तियों के निवल ब्लॉक को उस तिथि पर संचित मूल्यह्रास को 'शून्य' मानते हुए सकल ब्लॉक माना गया था। मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रभारित किया गया है। अतः, संचित मूल्यह्रास केवल 01.4.2015 से केवल संचयी आंकड़ों को दर्शाता है। इसके कारण, उपर्युक्त अनुसार निर्धारित स्थायी परिसंपत्तियों एवं स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर के बीच सकल ब्लॉक एवं संचित मूल्यह्रास के आंकड़ों में अंतर हैं। तथापि निवल ब्लॉक के आंकड़े पूर्णतया स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर के अनुरूप हैं।

3. लागत पर लिए गए अनुद्धृत इक्विटी शेयरों, पूर्ण प्रदत्त में निवेश

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	शेयरों की संख्या		राशि	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में निवेश				
फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (अंकित मूल्य 10/– प्रत्येक)	3,20,00,000	3,20,00,000	1,581.00	1,581.00
(ख) 50:50 की संयुक्त उद्यम कंपनी में निवेश				
महिंद्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड (अंकित मूल्य 10/– प्रत्येक)	2,86,00,000	2,26,00,000	2,860.00	2,260.00
कुल			**4,441.00**	**3,841.00**

टिप्पणियां

1) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान एमएसटीसी लिमिटेड ने महिंद्रा एमएसटीसी रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड में गैर–उद्धृत इक्विटी योगदान के लिए ₹ 600.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 400 लाख) समान शेयरों में मौजूदा निवेश के साथ निवेश किया है, जिसमें 10 रुपये के अंकित मूल्य के 60 लाख शेयर शामिल हैं।

2) एमएसटीसी लिमिटेड के शेयरधारकों ने दिनांक 22.12.2021 की असाधारण आम बैठक में फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) में पूरी हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है। तदनुसार, बिक्री की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है।

4. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (गैर चालू)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क) प्रतिभूति जमा	136.58	82.97
(ख) कर्मचारियों को ऋण	321.74	372.90
(ग) कर्मचारियों को ऋण पर उपचित ब्याज	0.96	1.17
(घ) अनुसूचित बैंकों में जमा खातों में शेष	5.30	35.00
कुल	**464.58**	**492.04**

4.1 सावधि जमा को गारंटी के लिए मार्जिन के रूप में बैंकों के पास गिरवी रखा जाता है।

5. गैर चालू कर परिसंपत्तियां

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
करों का अग्रिम भुगतान	48,106.21	45,649.29
घटाएं: कराधान हेतु प्रावधान	41,023.82	40,385.13
कुल	**7,082.39**	**5,264.16**

6. आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क) लाभ या हानि के माध्यम से		
आस्थगित कर (देनदारियां)/परिसंपत्तिः		
आस्थगित कर देनदारियों का गठन करने वाले मदों का कर प्रभाव		
ईएफबीएस योजना	(62.06)	(5.33)
आस्थगित कर देनदारियों का गठन करने वाले मदों का कर प्रभाव	**(62.06)**	**(5.33)**
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का गठन करने वाले मदों का कर प्रभाव		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के बही शेष एवं कर शेष के बीच अंतर पर	(163.14)	(6.28)
संदिग्ध ऋण/अग्रिम के लिए भत्ते	15,944.25	16,992.57
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40(क)(i), 43ख के अंतर्गत अस्वीकृति	1,598.76	1,686.62
एमएटी क्रेडिट अधिकारपत्र	3,090.97	3,090.97
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का गठन करने वाले मदों का कर प्रभाव	**20,470.84**	**21,763.88**
आस्थगित कर (देनदारियां)/परिसंपत्ति (निवल)	**20,408.78**	**21,758.55**
(ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से		
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का गठन करने वाले मदों का कर प्रभाव		
परिभाषित लाभ योजना का पुनः मापन	424.46	491.59
आस्थगित कर (देनदारियां)/परिसंपत्ति (निवल)	**424.46**	**491.59**
आस्थगित कर (देनदारियां)/परिसंपत्ति (निवल)	**20,833.24**	**22,250.14**

7. अन्य परिसंपत्तियां (गैर–चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क) सार्वजनिक निकायों के साथ अग्रिम		
बिक्री कर	6.92	6.92
(ख) अन्य अग्रिम		
(i) पूर्वदत्त व्यय	11.12	16.58
(ii) अन्य	25.44	10.47
कुल	**43.48**	**33.97**

8. व्यापार प्राप्य (चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
व्यापार प्राप्य		
(क) अच्छा माना गया – प्रतिभूत	34,727.85	65,594.03
(ख) अच्छा माना गया – अप्रतिभूत	6,058.35	6,782.45
(ग) ऋण क्षीणता	64,169.92	82,652.85
घटाएं: संदिग्ध व्यापार प्राप्यों के लिए अनुमति	64,169.92	82,652.85
कुल	**40,786.20**	**72,376.48**

टिप्पणियां:

8.1 व्यापार प्राप्य

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	छह माह से कम	छह माह से एक वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2022 को						
अविवादास्पद व्यापार प्राप्य अच्छा माना गया	25,535.13	1,636.04	8,638.02	223.66	4,753.35	**40,786.20**
अविवादास्पद व्यापार प्राप्य संदिग्ध माना गया	-	-	-	226.70	900.99	**1,127.69**
विवादास्पद व्यापार प्राप्य अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	**-**
विवादास्पद व्यापार प्राप्य संदिग्ध माना गया	-	-	-	4,323.72	58,718.51	**63,042.23**
घटाएं: संदिग्ध व्यापार प्राप्य हेतु भत्ते	-	-	-	4,550.42	59,619.50	**64,169.92**
कुल	**25,535.13**	**1,636.04**	**8,638.02**	**223.66**	**4,753.35**	**40,786.20**
31 मार्च, 2021 को						
अविवादास्पद व्यापार प्राप्य अच्छा माना गया	59,949.18	949.23	1,132.74	168.13	10,177.20	**72,376.48**
अविवादास्पद व्यापार प्राप्य संदिग्ध माना गया				188.17	1,296.37	**1,484.54**
विवादास्पद व्यापार प्राप्य अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	**-**
विवादास्पद व्यापार प्राप्य संदिग्ध माना गया	-	-	11,881.36	17,270.86	52,016.09	**81,168.32**
घटाएं: संदिग्ध व्यापार प्राप्य हेतु भत्ते	-	-	11,881.36	17,459.03	53,312.46	**82,652.85**
कुल	**59,949.18**	**949.23**	**1,132.74**	**168.13**	**10,177.20**	**72,376.48**

व्यापार प्राप्यों की देय तिथि बिल की तिथि से मानी गई है।

8.2 चालू उधारियों में प्राप्य खरीद करार के अंतर्गत वर्ष 2008–09 के दौरान खरीदार को स्वर्णाभूषण के निर्यात के सापेक्ष विदेशी खरीदारों पर दिए गए एमएसटीसी के निर्यात बिलों की खरीद के बाद, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (एससीबी) द्वारा किए गए भुगतान के लिए 14361.97 लाख रुपये (गत अवधि 14361.97 लाख रुपये) शामिल हैं। बिलों के सापेक्ष विदेशी खरीददारों से आय प्राप्त न होने पर, एससीबी ने बीमा कंपनी के समक्ष दावे किए, जिसने बहरहाल, एससीबी के दावे को अनुचित तरीके नकार दिया। इस प्रकार नकारे जाने पर, एससीबी ने एमएसटीसी से खरीदे गए प्राप्य को एकतरफा एमएसटीसी ऋण/कर्ज में परिवर्तित कर दिया एवं एमएसटीसी से ब्याज के साथ राशि का दावा किया तथा ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी), मुंबई में मूल आवेदन होने के कारण वर्ष 2012 में मामला दायर किया जिसे एमएसटीसी ने इंकार कर दिया इस प्रकार यह विवादग्रस्त है। 16 सितंबर, 2017 को डीआरटी, मुंबई द्वारा पारित अंतरिम आदेश सहित ऐसी कार्यवाही में एससीबी के दावे की वैधता को एमएसटीसी द्वारा ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई के समक्ष विविध अपील दायर करके चुनौती दी गई है जो अभी लंबित है। इसके अतिरिक्त, एमएसटीसी लिमिटेड ने एमएसटीसी लिमिटेड (अर्थात मुंबई में आवासीय एवं कार्यालय फ्लैट तथा कोलकाता में आवासीय फ्लैट) की कुर्क की गई अचल संपत्तियों को बेचने के लिए डीआरटी द्वारा नीलामी कार्यक्रम के विरुद्ध माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने नीलामी कार्यक्रम के साथ–साथ डीआरएटी में रिक्ति के कारण न्यायालय में 5562.75 लाख रुपये जमा करने पर वसूली की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। अध्यक्ष के पद ग्रहण करने पर स्थगन अब निष्प्रभावी हो गया है और न्यायालय में जमा की गई राशि अंतरित कर दी गई है। यदि डीआरएटी अपील की सुनवाई द्वारा की जाती है तो एमएसटीसी को प्रासंगिक कानून के प्रावधानों के अनुसार डीएआरटी में (पहले से जमा की गई 5562.75 लाख रुपये की राशि के समायोजन के उपरांत) पहले राशि जमा करनी होगी। एससीबी के दावे को चुनौती देने वाली अन्य कार्यवाहियां माननीय उच्च न्यायालय, बॉम्बे एवं एमएसटीसी द्वारा एससीबी तथा बीमा कंपनी दोनों के विरुद्ध आरंभ की गई अलीपुर, कोलकाता में सिविल कोर्ट सहित विभिन्न फोरमों के समक्ष भी लंबित हैं।

इसके उपरांत, एसीबी ने भी वर्ष 2012 के उत्तरार्द्ध में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द्वारा एससीबी के दावे को नकारे जाने के कारण आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से पॉलिसी के अंतर्गत उस राशि का दावा करते हुए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के विरुद्ध माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में सक्षिप्त मुकदमा दायर किया। एससीबी का दावा कानूनी मामलों के परिणाम पर निर्भर है। ऐसे सभी अदालती मामलों के लंबित

अंतिम निपटारे, जहां मामले वर्तमान में लंबित हैं, एमएसटीसी ने इस राशि का उधार और व्यापार प्राप्यों के रूप में प्रकटीकरण किया है। (टिप्पणी संख्या – 19) चूंकि मामला विचाराधीन है और प्रकृति में आकस्मिक है, अतः इस स्थिति में और अधिक भौतिकता की परिकल्पना नहीं की गई है।

8.3 व्यापार प्राप्य आम तौर पर या तो ग्राहकों द्वारा कंपनी के पास गिरवी रखे गए स्टॉक के माध्यम से या बैंक गारंटी के साथ प्रतिभूत की जाती हैं। यदि ऐसे गिरवी रखे गए स्टॉक के वसूली योग्य मूल्य में संबंधित प्राप्य के बही मूल्य के सापेक्ष महत्वपूर्ण कमी है, तो ऐसे अंतर वाली राशि को 'अप्रतिभूत' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

8.4 क्षीणतायुक्त व्यापार प्राप्य ऋण में निम्नलिखित शामिल है: (राशि लाख ₹ में)

पार्टी का नाम	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
गीसकोल एलायज लिमिटेड	605.95	605.95
मेहरकिरन एंटरप्राइजेज लिमिटेड	4,300.45	4,300.45
तिरुपति फ्यूएल्स पी. लिमिटेड/बालाजी कोक	5,548.71	5,548.71
सेसा इंटरनेशनल लिमिटेड	5,871.22	5,871.22
बालासोर एलायज लिमिटेड	1,315.90	1,315.90
कृष्णा कोक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	1,965.07	1,965.07
सिद्धार्थ ट्यूब्स लिमिटेड	555.63	555.63
टॉपवर्थ पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड	362.71	362.71
टॉपवर्थ ऊर्जा एंड मेटल्स लिमिटेड	594.30	594.30
क्रेस्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड	3,766.74	3,766.74
टॉपवर्थ स्टील्स एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	10,357.76	10,357.76
रोहित फेरो टेक लिमिटेड	4,323.72	4,323.72
कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड	45.99	22,084.14
माँ महामाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड	–	0.04
जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	8,182.39	4,734.02
कुल	**47,796.54**	**66,386.35**

एमएसटीसी ने उपर्युक्त ग्राहकों से बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई सहित सभी कदम उठाए हैं। संबंधित मामले विभिन्न स्तरों पर न्यायनिर्णयन प्राधिकारणों के समक्ष लंबित हैं।

8.5: व्यापार प्राप्य में सुगमीकरण माध्यम में किए गए व्यवसाय के लिए 24826.59 लाख रुपये (गत वर्ष 32668.70 लाख रुपये) शामिल है। (निवल प्रावधान)

8.6: व्यापार प्राप्य में ई–कॉमर्स व्यवसाय के लिए 6058.35 लाख रुपये (गत वर्ष 6781.30 लाख) शामिल है। (निवल प्रावधान)

9. नकद एवं नकद समतुल्य (राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
नकद एवं नकद समतुल्य		
(क) हाथ में नकदी	-	0.21
(ख) बैंक में शेष		
अनुसूचित बैंक में शेष		
चालू खाते में	26,574.42	19,360.15
तीन माह से कम परिपक्वता वाले जमा खाते में	44,026.09	51,427.43
कुल	**70,600.51**	**70,787.79**

10. नकद एवं नकद समतुल्य से भिन्न बैंक शेष

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
बैंक में निर्दिष्ट शेष		
(i) दावारहित लाभांश खाते में	130.53	85.46
(ii) तीन माह से अधिक परंतु 12 माह से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि	2,799.92	1,113.40
कुल	**2,930.45**	**1,198.86**

10.1 उपर्युक्त (ii) में जमा राशि में गारंटी के सापेक्ष मार्जिन 2673.48 लाख रुपये (गत वर्ष 1113.39 लाख रुपये) शामिल है।

11. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क) प्रतिभूति जमा	1,135.47	1,138.35
(ख) न्यायालय में जमा#	5,566.53	-
(ग) अन्य ऋण और अग्रिम		
(i) कर्मचारियों को ऋण	40.42	47.67
(ii) कर्मचारियों के प्रति वसूली योग्य अग्रिम	17.33	30.14
(iii) तीसरे पक्ष से प्राप्य	239.95	812.80
(iv) अन्य अग्रिम	14.40	15.85
(घ) निम्नोक्त पर उपचित ब्याज		
(i) सावधि जमा	23.06	8.35
(ii) कर्मचारियों को ऋण	0.14	0.37
कुल	**7,037.30**	**2,053.53**

#इस राशि में डीआरएटी अपील में माननीय (बॉम्बे) उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जमा किए गए 5562.75 लाख रुपये शामिल हैं। बाद में इसे मुंबई के माननीय (बॉम्बे) उच्च न्यायालय द्वारा डीआरएटी, मुंबई को स्थानांतरित कर दिया गया। टिप्पणी संख्या 8.2 देखें।

11.1 कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा परिभाषित निदेशकों/केएमपी/संबंधित पार्टी को कोई ऋण नहीं दिया गया था।

12. अन्य परिसंपत्तियां (चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(अप्रतिभूतिकृत, अच्छा माना गया)		
(क) सार्वजनिक निकायों के साथ अग्रिम		
जीएसटी, सेवा शुल्क, बिक्री कर	57.05	51.28
(ख) अन्य अग्रिम		
(i) कर्मचारियों को अग्रिम	163.65	169.72
(ii) पूर्व प्रदत्त व्यय	7.24	10.09
(iii) अन्य	2.43	2.66
कुल	**230.37**	**233.75**

13. शेयर पूंजी

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
अधिकृतः		
10 रुपये प्रत्येक के 15,00,00,000 सामान्य शेयर	15,000.00	15,000.00
	15,000.00	**15,000.00**
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्तः		
10 रुपये प्रत्येक के 704,00,000 सामान्य शेयर	7,040.00	7,040.00
	7,040.00	**7,040.00**

13(क) (i) बकाये शेयरों के समाशोधन का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2022			31 मार्च, 2021		
	संख्या	अंकित मूल्य (रुपये)	राशि (लाख रुपये में)	संख्या	अंकित मूल्य (रुपये)	राशि (लाख रुपये में)
प्रारंभिक शेष	7,04,00,000	10	7,040.00	7,04,00,000	10	7,040.00
अंतिम शेष	7,04,00,000	10	7,040.00	7,04,00,000	10	7,040.00

13 (क) (ii) इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार, अधिमान्य एवं प्रतिबंध।

कंपनी के पास एक श्रेणी के सामान्य शेयर ('इक्विटी शेयर') है जिनका प्रत्येक का अंकित मूल्य 10 रुपये है। सामान्य शेयरों का प्रत्येक धारक ('इक्विटी शेयरधारक') प्रति शेयर एक वोट का हकदार है एवं लाभांश पाने तथा अधिशेष में भाग लेने का अधिकारी है, यदि कोई, समापन की स्थिति को उत्पन्न होती है।

13(क)(iii) : वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 1:1 के अनुपात में 88,00,000 बोनस शेयर जारी किए गए हैं।

13(क)(iv) : वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 1:1 के अनुपात में 1,76,00,000 बोनस शेयर जारी किए गए हैं।

13(क)(v) : वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 1:1 के अनुपात में 3,52,00,000 बोनस शेयर जारी किए गए हैं।

13(क)(vi) : कंपनी की 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारकों का विवरणः

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2021		परिवर्तन का %
	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	
भारत के राष्ट्रपति (प्रवर्तक)	4,55,80,800	64.75%	4,55,80,800	64.75%	शून्य

भारत सरकार ने मार्च, 2019 के दौरान आईपीओ के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड में अपने 25.10 प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश किया है। एमएसटीसी लिमिटेड के इक्विटी शेयर 29 मार्च, 2019 से बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड दोनों में सूचीबद्ध हैं एवं दोनों में इसका व्यापार किया जाता है। आईपीओ के बाद शेयरधारिता का स्वरूप इस प्रकार हैः

शेयरधारक	आईपीओ पूर्व %	आईपीओ के बाद %
भारत के राष्ट्रपति (प्रवर्तक) के माध्यम से भारत सरकार	89.85%	64.75%
अन्य	10.15%	35.25%
कुल	**100.00%**	**100.00%**

14. अन्य इक्विटी

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(1) सामान्य आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	49,616.00	49,616.00
जोड़ेंः प्रतिधारित आय से अंतरण	-	-
अंतिम शेष	49,616.00	49,616.00
(2) प्रतिधारित आय		
प्रारंभिक शेष	(21,160.02)	(28,672.79)
जोड़ेंः वर्ष के लिए लाभ	20,008.61	10,107.07
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	124.97	(271.10)
घटाएंः अंतम लाभांश : वित्तीय वर्ष 19–20	-	(2,323.20)
घटाएंः अंतिम लाभांश : वित्तीय वर्ष 20–21	(3,097.60)	-
घटाएंः अंतरिम लाभांश : वित्तीय वर्ष 21–22	(5,984.00)	-
घटाएंः सामान्य आरक्षण में अंतरण	-	-
अंतिम शेष	(10,108.04)	(21,160.02)
कुल अन्य इक्विटी (1+2)	**39,507.96**	**28,455.98**

15. अन्य वित्तीय देनदारियां (गैर चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
ईएफबीएस योजना के अंतर्गत देनदारी	366.93	72.77
कुल	**366.93**	**72.77**

16. उधार (गैर चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना का प्रावधान	1380.16	1568.70
(ख)	अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	387.68	805.90
(ग)	उपदान का प्रावधान	-	156.30
	कुल	**1,767.84**	**2,530.90**

17. अन्य देनदारियां (गैर चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
ग्राहकों से अग्रिम	799.52	612.05
कुल	**799.52**	**612.05**

18. उधार (गैर–चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
प्रतिभूत उधार		
भारतीय स्टेट बैंक से गृह निर्माण ऋण	-	431.90
कुल	**-**	**431.90**

यह राशि न्यूटाउन, राजारहाट कोलकाता में कर्श्पोरेट कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त ऋण को प्रस्तुत करती है। 3000 लाख रुपये की कुल अनुमोदित राशि में से 1950.70 लाख रुपये संवितरण किये जा चुके हैं जो 125.00 लाख रुपये की तिमाही किस्तों में चुकाई जाएगी, जिसकी किस्तें 30 जून 2019 से आरंभ है। यह राशि प्रस्तावित कार्यालय भवन को गिरवी रखकर प्रतिभूत की गई है। ब्याज की गणना दैनिक शेष विधि पर की जाएगी एवं संवितरण की तिथि से मासिक शेष के आधार पर देय होगी। सावधि ऋण किस्तों के पूर्व भुगतान के मामले में यथा लागू पूर्व भुगतान शुल्क देय होंगे। इस ऋण का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया था।

19. उधार (चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
क.	**प्रतिभूत उधार**		
	(क) मांग पर पुनःदेय		
	बैंक से		
	कार्यशील पूंजी मांग ऋण#	138.23	138.23
	दीर्घावधिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		
	(ख) बैंक से गृह निर्माण ऋण (टिप्पणी संख्या 18 देखें)	450.28	507.18
कुल प्रतिभूत उधार		**588.51**	**645.41**
ख.	**अप्रतिभूत उधार**		
	बैंकों से मांग पर पुनःदेय	14,361.97	14,361.97
	कुल अप्रतिभूत उधार	**14,361.97**	**14,361.97**
कुल (क+ख)		**14,950.48**	**15,007.39**

क) इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) से 138.23 लाख रुपये का ऋण (19.9.2011 से पड़ा हुआ):

यह राशि बैंक द्वारा अपने दावों का बचाव करने में भुगतान की गई कानूनी शुल्क को प्रस्तुत करती है जिसके पर कंपनी ने बैंक में अपना विरोध दर्ज कराया है। एमएसटीसी ने कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय में आईओबी के विरुद्ध 3656.00 लाख रुपये के लिए मामला

दायर किया है (जिसमें एलसी मूल्य के नामे के बावत 2798.00 लाख रुपये एवं कानूनी खर्चों के नामे के रूप में 858.00 लाख रुपये शामिल हैं)।

ख) उपरोक्त राशि प्राप्य खरीद करार के अंतर्गत वर्ष 2008–09 के दौरान खरीदार को स्वर्णाभूषण के निर्यात के सापेक्ष विदेशी खरीदारों पर एमएसटीसी के निर्यात बिलों की खरीद के बाद, स्टैंड्र्ड चार्टर्ड बैंक (एससीबी) द्वारा किए गए भुगतान के लिए 14361.97 लाख रुपये (गत अवधि 14361.97 लाख रुपये) को प्रस्तुत करती है। उक्त समझौते के तहत, एससीबी ने एमएसटीसी को निर्यात बिलों के मूल्य का 95% भुगतान किया और जिन विदेशी खरीदारों पर एमएसटीसी द्वारा बिल बनाए गए थे, बिलों में उल्लेखित संबंधित देय तिथियों पर सीधे एससीबी को बिलों का भुगतान करेंगे। भुगतान विफलताओं, यदि एमएसटीसी द्वारा उठाए गए बिलों के खिलाफ विदेशी खरीदारों से कोई हो, एससीबी द्वारा आईसीआईसीआई लेम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी से एमएसटीसी के साथ सह–बीमा के रूप में ली गई बीमा पॉलिसी के माध्यम से कवर किया गया था। बिलों के सापेक्ष विदेशी खरीददारों से आय प्राप्त न होने पर, एससीबी ने बीमा कंपनी के समक्ष दावे किए, जिसने बहरहाल, एससीबी के दावे को अनुचित तरीके नकार दिया। इस प्रकार नकारे जाने पर, एससीबी ने एमएसटीसी से खरीदे गए प्राप्य को एकतरफा एमएसटीसी ऋण/कर्ज में परिवर्तित कर दिया एवं एमएसटीसी से ब्याज के साथ राशि का दावा किया तथा ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी), मुंबई में मूल आवेदन होने के कारण वर्ष 2012 में मामला दायर किया जिसे एमएसटीसी ने इंकार कर दिया इस प्रकार यह विवादग्रस्त है। 16 सितंबर, 2017 को डीआरटी, मुंबई द्वारा पारित अंतरिम आदेश सहित ऐसी कार्यवाही में एससीबी के दावे की वैधता को एमएसटीसी द्वारा ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई के समक्ष विविध अपील दायर करके चुनौती दी गई है जो अभी लंबित है। इसके अतिरिक्त, एमएसटीसी लिमिटेड ने एमएसटीसी लिमिटेड (अर्थात मुंबई में आवासीय एवं कार्यालय फ्लैट तथा कोलकाता में आवासीय फ्लैट) की कुर्क की गई अचल संपत्तियों को बेचने के लिए डीआरटी द्वारा नीलामी कार्यक्रम के विरुद्ध माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने नीलामी कार्यक्रम के साथ–साथ डीआरएटी में रिक्ति के कारण न्यायालय में 5,562.75 लाख रुपये जमा करने पर वसूली की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। अध्यक्ष के पद ग्रहण करने पर स्थगन अब निष्प्रभावी हो गया है और न्यायालय में जमा की गई राशि अंतरित कर दी गई है। यदि डीआरएटी अपील की सुनवाई द्वारा की जाती है तो एमएसटीसी को प्रासंगिक कानून के प्रावधानों के अनुसार डीएआरटी में (पहले से जमा की गई 5,562.75 लाख रुपये की राशि के समायोजन के उपरांत) पहले राशि जमा करनी होगी। एससीबी के दावे को चुनौती देने वाली अन्य कार्यवाहयां माननीय उच्च न्यायालय, बॉम्बे एवं एमएसटीसी द्वारा एससीबी तथा बीमा कंपनी दोनों के विरुद्ध आरंभ की गई अलीपुर, कोलकाता में सिविल कोर्ट सहित विभिन्न फोरमों के समक्ष भी लंबित हैं। इसके उपरांत, एसीबी ने भी वर्ष 2012 के उत्तरार्द्ध में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द्वारा एससीबी के दावे को नकारे जाने के कारण आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से पॉलिसी के अंतर्गत उस राशि का दावा करते हुए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के विरुद्ध माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में सक्षिप्त मुकदमा दायर किया। एससीबी का दावा कानूनी मामलों के परिणाम पर निर्भर है। ऐसे सभी अदालती मामलों के लंबित अंतिम निपटारे, जहां मामले वर्तमान में लंबित हैं, एमएसटीसी ने इस राशि का असुरक्षित उधार और व्यापार प्राप्यों के रूप में प्रकटीकरण किया है (टिप्पणी संख्या – 8.2 देखें)।

20. व्यापार देय (चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क) आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	14.68	3.50
– अन्य #	13,412.48	36,413.71
उपचित मजदूरी एवं वेतन'	2,523.41	1,664.60
कुल व्यापार देय	**15,950.57**	**38,081.81**

टिप्पणियां:

20.1 व्यापार देय (चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2022 को					
एमएसएमई	14.68	-	-	-	**14.68**
अन्य	2,793.10	6,580.08	90.79	6,471.92	**15,935.89**
कुल	**2,807.78**	**6,580.08**	**90.79**	**6,471.92**	**15,950.57**
31 मार्च, 2021 को					
एमएसएमई	3.50	-	-	-	**3.50**
अन्य	29,960.42	431.45	478.46	7,207.88	**38,078.20**
कुल	**29,963.92**	**431.45**	**478.46**	**7,207.88**	**38,081.70**

बकाये की तिथि यथास्थिति बिलिंग की तिथि से और/या लेखांकन की तिथि से मानी गई है। वर्ष में कोई बकाया विवादित नहीं है।

*इसमें वित्तीय वर्ष 2021–22 में कर्मचारियों के पेंशन लाभ के प्रावधान हेतु 297.27 लाख रुपये (गत वर्ष 285.32 लाख रुपये) एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिनांक 01.01.2017 से कर्मचारियों के वेतन संशोधन हेतु 1436.00 लाख रुपये (गत वर्ष 676.45 लाख रुपये) शामिल है।

31 मार्च, 2022 एवं 31 मार्च, 2021 दोनों तिथियों को, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कोई ब्याज और अतिदेय भुगतान नहीं देय है जो 45 से अधिक दिनों से बकाया हो।

21. अन्य वित्तीय देनदारियां (चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क)	देय ब्याज		
	(i) उधार पर उपचित ब्याज परंतु देय नहीं	7,889.03	7,889.03
(ख)	दावारहित लाभांश	130.53	84.95
(ग)	अन्य देयताओं के लिए लेनदार		
	(i) प्रतिभूति जमा राशि/ईएमडी	55,876.23	63,255.92
	(ii) ग्राहकों से प्राप्त जमा राशि	13,797.10	16,466.22
	(iii) ईएफबीएस के अंतर्गत जमा	228.17	97.47
	(iv) ईएफबीएस जमा योजनाओं के अंतर्गत देय	58.23	24.35
	(v) अन्य	103.99	83.25
	कुल	**78,083.28**	**87,901.19**

22. अन्य देनदारियां (चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क)	सांविधिक देय		
	(i) जीएसटी और व्यावसायिक कर देय	676.76	913.12
	(ii) स्रोत पर कर कटौती एवं एकत्रित	1231.75	3504.91
(ख)	ग्राहकों से अग्रिम	476.02	431.78
	कुल	**2384.53**	**4849.81**

23. प्रावधान (चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
भविष्य निधि हेतु प्रावधान#	60.65	-
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना का प्रावधान	61.32	-
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	127.19	-
उपदान का प्रावधान	131.13	-
भविष्य निधि का प्रावधान		-
कुल	**380.29**	**-**

#यह पीएफ ट्रस्ट की आय में कमी के अंशदान हेतु 60.65 लाख रुपये (गत वर्ष – शून्य) के प्रावधान को प्रस्तुत करता है। (टिप्पणी संख्या–38 देखें)

24 परिचालनों से राजस्व

(राशि लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क)	वस्तुओं की बिक्री	15,983.55	17,576.92
(ख)	सेवा प्रभार	26,694.61	20,578.56
(ग)	अन्य परिचालन राजस्व	4,385.75	4,619.01
	कुल	**47,063.91**	**42,774.49**

(क) वर्ष के दौरान, ई–नीलामी पंजीकरण हेतु 995.25 लाख रुपये (गत वर्ष 514.10 लाख रुपये) की राशि एकत्र की गई थी। चालू वर्ष के कुल संग्रहण में से 829.38 लाख रुपये (गत वर्ष 411.28 लाख रुपये) को देनदारियों में रखा गया है जो लेखांकन नीति के अनुसार आगामी चार वर्षों में वितरित की जाएगी, क्योंकि संबंधित पंजीकरण जीवन भर के लिए वैध है। दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार संचित अवितरित शेष राशि 1275.55 लाख रुपये (गत वर्ष 1043.83 लाख रुपये) है। शेष राशि जिसके लिए पंजीकरण एक वर्ष तक वैध है को वर्तमान अवधि के दौरान आय के रूप में लेखांकित किया गया है।

(ख) अन्य परिचालन राजस्व में चालू वर्ष में ग्राहकों से 3040.38 लाख रुपये (गत वर्ष ₹ 3450.37 लाख) का ब्याज भी शामिल हैं।

(ग) सेवा प्रभार पर स्रोत पर कर कटौती चालू वर्ष में 1726.91 लाख रुपये (गत वर्ष 922.73 लाख रुपये) है।

25. अन्य आय

(राशि लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क)	ब्याज आय		
	(1) एफडीआर पर ब्याज	1,657.84	677.15
	(2) कर्मचारी अग्रिमों पर ब्याज	24.99	28.95
(ख)	लाभांश पर आय		
	सहायक कंपनियों में निवेश से	4,160.00	1,000.22
(ग)	देयता प्रतिलेखन	-	127.61
(घ)	आवश्यक नही रहे प्रावधान का प्रतिलेखन	22,038.18	19,298.01
(ङ)	विविध आय	11.67	6.82
कुल		**27,892.68**	**21,138.76**

बैंक जमा पर ब्याज से स्रोत पर कर कटौती 164.01 लाख रुपये (गत वर्ष ₹ 49.93 लाख रुपये) है। प्राप्त लाभांश पर टीडीएस ₹ 416.00 लाख है (पिछला वर्ष – ₹ 75.10 लाख)

26. व्यापारगत माल की खरीद

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
व्यापारगत माल की खरीद	15,878.48	17,460.69
कुल	**15,878.48**	**17,460.69**

27. कर्मचारी हितलाभ व्यय

(राशि लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क)	वेतन और मजदूरी,	7,278.00	5,806.61
(ख)	भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	607.37	588.95
(ग)	कर्मचारी कल्याण व्यय	685.41	380.24
कुल		**8,570.78**	**6,775.80**

28. वित्तीय लागत

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
ब्याज व्यय		
(i) बैंकों से अल्पावधिक उधारों पर ब्याज	-	83.57
(ii) बैंकों से गृह निर्माण ऋण पर ब्याज	38.44	-
(iii) ग्राहकों को प्रदत्त ब्याज	223.16	602.33
(iv) ईएफबीएस जमा राशियों पर ब्याज	-	3.06
कुल	**261.60**	**688.96**

29. अन्य व्यय

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क) मरम्मत और रखरखाव	582.16	463.11
(ख) ईडीपी व्यय	158.05	89.54
(ग) बीमा शुल्क	9.42	9.15
(घ) किराया	342.77	347.92
(ङ) दर एवं कर	17.28	8.75
(च) बैंक प्रभार	20.08	78.05
(छ) यात्रा व्यय	55.49	48.24
(ज) विदेश यात्रा व्यय	-	-
(छ) गाड़ी भाड़ा शुल्क	131.25	108.76
(ञ) बैठक एवं सम्मेलन	63.20	15.67
(ट) प्रशिक्षण	9.78	10.44
(ठ) निदेशकों का बैठक शुल्क	5.70	6.45
(ड) सांविधिक लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक		
(i) लेखापरीक्षक शुल्क	10.60	9.75
(ii) कर लेखापरीक्षा शुल्क	1.50	1.00
(iii) फुटकर व्यय	0.12	0.75
(ढ) स्टॉक यार्ड व्यय	65.92	139.03
(ण) टेलेक्स, डाक एवं तार	9.95	16.87
(त) बिजली	128.58	95.71
(थ) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	26.03	20.52
(द) मनोरंजन	19.67	14.20
(ध) टेलीफोन शुल्क	43.49	34.74
(न) विज्ञापन	82.77	28.07
(प) विधिक व्यय	206.50	82.87
(फ) परामर्श शुल्क	27.76	42.28
(ब) आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	1.44	1.56
(भ) फुटकर व्यय (आंतरिक लेखापरीक्षक)	1.95	2.74
(म) कर्मचारी भर्ती व्यय	0.28	4.55
(य) समाचार पत्र, पुस्तक एवं पत्रिकाएं	1.76	1.96
(कक) निगमित सामाजिक दायित्व (टिप्पणी सं. 40 देखें)	17.84	-
(कख) नीलामी निविदा व्यय	103.69	84.84
(कग) बट्टे खाते में डाला गया अशोध्य ऋण*	22,038.14	18,036.07
(कघ) अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों/ऋणों के लिए भत्ते*	3,555.25	6,950.48
(कङ) विविध व्यय	24.06	10.08
(कच) दान	-	500.00
(कछ) प्लॉट किराया	7.46	7.46
कुल	**27,769.94**	**27,271.61**

***टिप्पणियां**

1) पीएम केयर्स फंड में दान दिया है।

2) उपरोक्त (कग) में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण, व्यवसाय के कैश एंड कैरी मॉडल के अंतर्गत प्राप्त नहीं हुआ व्यापार प्राप्य को दर्शाता है, जिसमें संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के प्रावधान में वह समतुल्य राशि होती है जिसे प्रतिलिखित किया गया है तथा टिप्पणी 25 (घ) का हिस्सा है। उपरोक्त बट्टे खाते में डाली गई राशि 11 फरवरी, 2022 को आयोजित बैठक संख्या 313 में निदेशक मंडल के अनुमोदनानुसार है।

3) अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान है 31.12.2019 को समाप्त तीसरी तिमाही के लेखाओं से कार्यान्वित व्यापार प्राप्य पर प्रावधानीकरण नीति के अनुसार है।

टिप्पणी 30: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रारंभिक स्टॉक, क्रय, विक्रय एवं अंतिम स्टॉक का विवरण

(मात्रा '000 एमटी) (राशि लाख ₹ में)

सामग्री का विवरण		प्रारंभिक स्टॉक		क्रय		विक्रय		अंतिम स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
पाइप्स एवं ट्यूब्स	2021-22	-	-	170.00	15,878.48	170.00	15,983.55	-	-
	2020-21	-	-	190.03	18,417.03	190.03	18,534.44	-	-
जोड़ें:	2020-21	-	-	-	15,878.48		15,983.55	-	-
	2019-20	-	-	-	18,417.03		18,534.44	-	-
अंतिम	2021-22	अंतिम बिल समायोजन			-		-	-	-
	2020-21				(956.34)		(957.52)	-	-
	2021-22				15,878.48		15,983.55	-	-
	2020-21				17,460.69		17,576.92	-	-

31. नोट संख्या 30 के अलावा, कंपनी ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सुविधाकर्ता के रूप में सामग्री भी खरीदी है:

(मात्रा '000 एमटी) (राशि लाख ₹ में)

सामग्री का विवरण		मात्रा	क्रय मूल्य	अर्जित सेवा प्रभार
सीमेंट	2021-22	850.00	51.00	0.64
	2020-21	-	-	-
पाइप	2021-22	-	-	11.20
	2020-21	-	-	-
टीआरए मिश्रण	2021-22	4.00	144.89	0.87
	2020-21	-	-	-
एचएसडी	2021-22	1,733.00	1,296.62	7.78
	2020-21	-	-	-
विद्युत सामग्री	2021-22	1,945.00	1,219.24	12.74
	2020-21	-	-	-
टॉवर	2021-22	-	-	-
	2020-21	-	-	5.80
विविध वस्तुएं	2021-22	19,492.00	71.36	5.35
	2020-21	112.00	10.00	40.10
टीएमटी बार	2021-22	13,868.00	7,614.70	117.99
	2020-21	4,157.00	78.33	154.90
क्रोम अयस्क	2021-22	-	-	-
	2020-21	12.00	7.00	13.30
चैनल	2021-22	-	-	-
	2020-21	1,200.00	54.52	72.80
एमएस शीट/प्लेट/फ्लैट	2021-22	13,170.00	9,766.38	131.70
	2020-21	-	-	-
विद्युत उपकरण/परियोजना सामग्री	2021-22	240.00	505.48	3.85
	2020-21	-	-	13.90
कुल	**2021-22**	**51,302.00**	**20,669.67**	**292.12**
	2020-21	**5,481.00**	**149.85**	**300.80**

टिप्पणी 32: इंड एएस 108 के अनुसार सेगमेंट–वार रिपोर्टिंग: (राशि लाख ₹ में)

इंडएएस 108 के अनुसार, कंपनी ने मार्केटिंग और ई–कॉमर्स को अपने दो प्राथमिक रिपोर्ट योग्य व्यवसाय क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है।

विवरण		मार्केटिंग	ई–कॉमर्स	अन्य (अनावंटित)	कुल
कुल आय	2021-22	41,354.23	29,405.70	4,196.66	74,956.59
	2020-21	40,626.08	22,123.56	1,163.61	63,913.25
कुल व्यय	2021-22	41,674.15	368.62	10,906.01	52,948.78
	2020-21	42,516.52	1,008.07	8,920.57	52,445.16
परिणाम (कर पूर्व लाभ/हानि (–))	2021-22	(319.92)	29,037.08	(6,709.35)	22,007.81
	2020-21	(1,890.43)	21,115.48	(7,756.96)	11,468.09
कर व्यय	2021-22	-	-	-	1,999.20
	2020-21				1,361.02
अवधि हेतु (लाभ/हानि (–))	2021-22				20,008.61
	2020-21				10,107.07

कंपनी के व्यवसाय में प्रयुक्त परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की किसी भी रिपोर्ट योग्य सेगमेंट (खंड) में चिन्हित नहीं किया गया है, क्योंकि इनका उपयोग खंडों के मध्य अंतर–परिवर्तन के रूप से किया गया है। इसलिए प्रबंधन का मानना है कि परिसंपत्तियों एवं देनदारियों से संबंधित खंड का प्रकटीकरण करना वर्तमान में व्यावहारिक नहीं है।

प्रमुख ग्राहकों के बारे में सूचना

संस्था के राजस्व का 10 प्रतिशत या उससे अधिक राशि वाले एकल बाहरी ग्राहक के साथ लेन–देन से होने वाला राजस्व इस प्रकार है:–

(राशि लाख ₹ में)

प्रमुख ग्राहक (10 प्रतिशत से अधिक राजस्व वाले ग्राहक)	2021-22	2020-21
कुल राजस्व	15,542.43	18,534.44
ग्राहकों की संख्या	1	2
कुल राजस्व का प्रतिशत	20.74%	29.00%
उत्पाद खंड	मार्केटिंग	मार्केटिंग

33. आकस्मिक देनदारियां एवं प्रतिबद्धताएं

(क) आकस्मिक देनदारियां (राशि लाख ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
1	बिक्री कर एवं वेट	1908.71	1975.20
2	सीमाशुल्क अधिनियम	1189.31	1189.31
3	मुद्रा संबंधी वाद	17871.76	17427.00
4	पंचाट	30.16	30.16
5	आय कर	9.85	9.85
6	सेवा कर	1490.10	1490.10
7	बकाया बैंक गारंटी	507.38	555.90
कुल		**23007.27**	**22677.52**

(ख) प्रतिबद्धताएं (राशि लाख ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
1	न्यू टाउन कोलकाता में नए कार्यालय भवन का निर्माण	–	751.40
कुल		**–**	**751.40**

न्यू टाउन, कोलकाता में नए कार्यालय भवन का पूंजीकरण वर्ष के दौरान उसे पूरा होने पर निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित लागत पर किया गया है, जो परियोजना के समापन एवं पीएमसी एजेंसी के साथ निपटान के अधीन लंबित है।

34. कर व्यय

(i) लाभ एवं हानि विवरण में आय कर की मान्यता (राशि लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(1)	चालू कर		
	– अवधि हेतु	649.43	-
	– पूर्ववर्ती वर्षों के लिए		1,039.06
		649.43	**1,039.06**
(2)	आस्थगित कर	1,349.77	321.96
चालू वर्ष में कुल आयकर व्यय की मान्यता		**1,999.20**	**1,361.02**

(II) अवधि हेतु आयकर व्यय को लाभ (हानि) लेखाकंन में निम्नानुसार समाशोधन किया जा सकता है:

विवरण		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(1)	वर्ष हेतु कर पूर्व लाभ	22,007.81	11,468.09
(2)	आयकर व्यय की गणना 34.944% पर की गई	7,690.41	4,007.41
(3)	उन व्ययों का प्रभाव जो कर योग्य लाभ का निर्धारण में कटौती योग्य नहीं हैं	570.60	2,273.05
(4)	आय का प्रभाव जो कर से मुक्त है, कटौती योग्य है	1,439.20	343.99
(5)	पूर्ववर्ती वर्षों के लिए कर	-	1,039.06
(6)	बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण पर करों का प्रभाव	(7,701.01)	(6,302.50)
चालू वर्ष में मान्यता प्राप्त कुल आयकर व्यय		**1,999.20**	**1,361.02**

वर्ष 2021–22 एवं 2020–21 के लिए प्रयुक्त कर दर भारतीय कर कानून के अंतर्गत कर योग्य लाभों पर भारत में निगमित संस्थाओं द्वारा देय 34.944 प्रतिशत (30 प्रतिशत के साथ अधिभार 12 प्रतिशत की दर से एवं शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत की दर से)। वित्तीय वर्ष 2021–22 की आस्थगित कर गणना के लिए, आयकर दर 34.944 प्रतिशत (30 प्रतिशत के साथ 12 प्रतिशत अधिभार एवं 4 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर)

तथापि कंपनी के पास ₹ 3090.97 लाख रुपये (गत वर्ष – 3090.97 लाख रुपये) का एमएटी क्रेडिट है, जिसके लिए कंपनी के पास अगले कर निर्धारण वर्षों में उन वर्षों के लिए आय पर देय कर के विरुद्ध क्रेडिट पाने का अधिकार है। कंपनी को लगता है कि आने वाले वर्षों में उसे पर्याप्त लाभ होगा। तदनुसार आस्थगित कर परिसंपत्तियों को एमएटी क्रेडिट अधिकार के लिए मान्यता दी गई है। तथापि, संरक्षणवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत 3555.25 लाख रुपये (गत वर्ष 6950.48 लाख रुपये) के संदिग्ध ऋणों के प्रावधान पर कोई आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है।

वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के अंतर्गत 10.47 लाख रुपये (गत वर्ष 68.52 लाख रुपये) जमा किए गए हैं। इसके साथ ही उक्त योजना के अंतर्गत निपटाए गए/जमा किए गए आय कर मामलों के सापेक्ष शून्य रुपये (गत वर्ष 95.29 लाख रुपये) का कर व्यय बही में अंकित किया गया है जिसमें 5 (पांच) कर निर्धारण वर्ष सम्मिलित हैं।

कंपनी ने धारा 115खकक के तहत निर्दिष्ट नई आयकर दर को नहीं अपनाया और सामान्य आयकर दर लागू करना जारी रखा।

(III) आस्थगित कर में उतार–चढ़ाव (राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2021	वर्ष के लिए प्रभार/(क्रेडिट)	31 मार्च, 2022
लाभ या हानि के माध्यम से आस्थगित कर देनदारियां			
कर्मचारी परिवार हितलाभ योजना	(5.33)	56.73	(62.06)
	(5.33)	**56.73**	**(62.06)**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त संपत्ति	(6.28)	156.86	(163.14)
अन्य व्ययों के सापेक्ष प्रावधान	1,686.62	87.86	1,598.76
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों हेतु भत्ते	16,992.57	1,048.32	15,944.25
एमएटी क्रेडिट अधिकार पत्र	3,090.97	-	3,090.97
निवल आस्थगित कर (देनदारी)/परिसंपत्तियां	**21,763.88**	**1,293.04**	**20,470.84**
कुल आस्थगित कर (देनदारी)/परिसंपत्तियां	**21,758.55**	**1,349.77**	**20,408.78**
अन्य व्यापक आय के माध्यम से आस्थगित कर परिसंपत्तियां			
परिभाषित हितलाभ योजना का पुनर्मापन	491.59	67.13	424.46
सकल आस्थगित कर (देनदारी)/परिसंपत्तियां	**22,250.14**	**1,416.90**	**20,833.24**

35. प्रति शेयर आय

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
वर्ष हेतु लाभ	20,008.61	10,107.07
शेयरधारकों के प्रति लाभ	20,008.61	10,107.07
मूल ईपीएस हेतु शेयरों की भारित औसत संख्या	7,04,00,000	7,04,00,000
सामान्य शेयरों का आम मूल्य (रुपये में)	10.00	10.00
प्रति शेयर बेसिक/डायल्यूटेड आय (प्रति शेयर)	**28.42**	**14.36**

36. वित्तीय लेखपत्र पर प्रकटीकरण

यह खंड कंपनी के वित्तीय लेखपत्रों के महत्व का अवलोकन प्रस्तुत करता है एवं वित्तीय लेखपत्रों से युक्त तुलन पत्र की मदों पर अतिरिक्त सूचना प्रदान करता है। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ वित्तीय परिसंपत्ति, वित्तीय देनदारी एवं इक्विटी लेखपत्र के प्रत्येक वर्ग के संबंध में मापन के आधार तथा आय और व्यय को जिस आधार पर मान्यता दी गई है, का विवरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किए गए हैं।

(1) वित्तीय लेखपत्र की श्रेणियाँ

निम्न तालिका वर्ष के अंत में प्रत्येक श्रेणी की वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का रखाव मूल्य एवं उचित मूल्य को प्रस्तुत करती है। तालिका में उचित मूल्य रखाव मूल्य के समतुल्य है।

(राशि लाख ₹ में)

वित्तीय परिसंपत्ति	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	जिस पर मापे गए
व्यापार प्राप्य	40,786.20	72,376.48	परिशोधित लागत
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	7,501.88	2,545.57	परिशोधित लागत
नकद एवं नकद समतुल्य	70,600.51	70,787.79	परिशोधित लागत
अन्य बैंक शेष	2,930.45	1,198.86	परिशोधित लागत
निवेश	4,441.00	3,841.00	परिशोधित लागत
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**1,26,260.04**	**1,50,749.71**	

वित्तीय देनदारियां	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	जिस पर मापे गए
उधार	14,950.48	15,439.29	परिशोधित लागत
व्यापार देय	15,950.57	38,081.81	परिशोधित लागत
अन्य वित्तीय देनदारियां	78,450.21	87,973.96	परिशोधित लागत
कुल वित्तीय देनदारियां	**1,09,351.26**	**1,41,495.06**	

(2) पूंजी प्रबंधन

कंपनी यह सुनिश्चित करने हेतु अपनी पूंजी का प्रबंधन करता है कि कंपनी ऋण एवं इक्विटी शेष के अनुकूलन के माध्यम से शेयरधारकों के अधिकतम रिटर्न करते हुए लाभकारी कारोबार वाले संस्था के तौर पर जारी रखने में सक्षम है। कंपनी किसी बाहरी रूप से नियोजिहत पूंजी अपेक्षाओं के अधीन नहीं है।

(3) वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य

कंपनी का कार्पोरेट ट्रेजरी कार्य व्यापार के लिए सेवाएं प्रदान करता है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच का समन्वय, कंपनी के संचालन से जुड़े वित्तीय जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन करता है। इन जोखिमों में बाजार जोखिम (जैसे– मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम), क्रेडिट जोखिम और चलनिधि जोखिम शामिल हैं। नीतियों एवं उपस्थिति सीमाओं के अनुपालन की निरंतर आधार पर आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षा की जाती है। कंपनी अव्यहार्य प्रयोजनों के लिए व्युत्पन्न वित्तीय लेखपत्र सहित वित्तीय लेखपत्रों में न ही शामिल होता है और न ही व्यापार करता है।

(क) बाजार जोखिम

कंपनी की गतिविधियां मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तनों के वित्तीय जोखिमों को प्रदर्शित करती हैं। कंपनी मामले के आधार पर, विनिमय दर जोखिम की बचाव व्यवस्था के लिए फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा अनुलग्नक करता है।

(i) ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

वर्तमान में कंपनी ने अपने अधिकतम ऋण को एमसीएलआर आधारित में परिवर्तित कर दिया है, इसलिए दर अनुलग्नक अवधि के लिए आमतौर पर एक वर्ष के लिए स्थिर है।

(ii) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी का विदेशी मुद्रा एक्सपोजर आयात देयताओं के कारण होता है। ग्राहकों के साथ लेन–देन बैक–टू–बैक के आधार पर होता है। लाभ और हानि यदि कोई हो तो ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता है। ग्राहकों के साथ चर्चा कर संबंधित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की बचाव व्यवस्था के लिए कभी–कभी फॉरवर्ड कवर लिया जाता है। जहां भी विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव हो, ग्राहकों द्वारा उनके साथ समझौते के अनुसार वहन किया जाता है, विदेशी मुद्रा लाभ/हानि को कंपनी की बहियों में मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम उस जोखिम को दर्शाता है जो एक काउंटर पार्टी अपने संविदात्मक दायित्वों पर चूक करेगी जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानि होती है। कंपनी ने जहां उपयुक्त हो, चूक से वित्तीय हानि के जोखिम को कम करने के साधन के रूप में, केवल क्रेडिट योग्य काउंटर पार्टी के साथ काम करने की नीति अपनाई है। कंपनी केवल उन संस्थाओं के साथ लेन–देन करता है जो एजेंसियों द्वारा रेट किए गए हैं और जहां उपलब्ध नहीं हैं, तो कंपनी अपने प्रमुख ग्राहकों को रेट करने के लिए अन्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वित्तीय जानकारी और अपने स्वयं के पिछले रिकॉर्ड का उपयोग करता है। कंपनी के जोखिम और इसके काउंटरपार्टी की क्रेडिट रेटिंग की नजर रखी जाती है और किए गए लेनदेन के कुल मूल्य को अनुमोदित काउंटर पार्टी में प्रसारित किया जाता है। क्रेडिट एक्सपोजर को काउंटरपार्टी की सीमाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिनकी वरिष्ठ प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा कर अनुमोदित किया जाता है।

(ग) चलनिधि जोखिम प्रबंधन

कंपनी निरंतर भविष्य की और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी करके और वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके पर्याप्त भंडार, बैंकिंग सुविधाएं तथा आरक्षित उधार सुविधा बनाए रखने के लिए चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करता है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2022, 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अनुमानित ब्याज भुगतान सहित वित्तीय देनदारियों के संविदागत छूट रहित नकद दायित्वों के बारे में विवरण प्रदान करती है। (राशि लाख ₹ में)

वित्तीय देनदारियां	31 मार्च, 2022				
	अग्रेनीत राशि	संविदागत नकदी प्रवाह	1 वर्ष से कम	1– 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक
उधार	14,950.48	14,950.48	14,950.48	-	-
व्यापार भुगतेय	15,950.57	15,950.57	15,950.57	-	-
अन्य वित्तीय देनदारियां	78,450.21	78,627.82	78,083.28	190.72	353.82
	1,09,351.26	**1,09,528.87**	**1,08,984.33**	**190.72**	**353.82**

(राशि लाख ₹ में)

वित्तीय देनदारियां	31 मार्च, 2021				
	अग्रेनीत राशि	संविदागत नकदी प्रवाह	1 वर्ष से कम	1– 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक
उधार	15,439.29	15,439.29	15,007.39	431.90	-
व्यापार भुगतेय	38,081.81	38,081.81	38,081.81	-	-
अन्य वित्तीय देनदारियां	87,973.96	87,989.26	87,901.16	68.30	19.80
	1,41,495.06	**1,41,510.36**	**1,40,990.36**	**500.20**	**19.80**

(घ) उचित मूल्य मापन

कंपनी की कोई भी वित्तीय संपत्ति एवं वित्तीय देनदारी का मापन रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर नहीं किया गया है।

37. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

(i) संबंधित पार्टियों का नाम और संबंध का विवरणः

1) सहायक कंपनी

फैरो स्क्रेप निगम लिमिटेड

2) संयुक्त उद्यम

महिंद्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड

3) प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारीगण

श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री सुब्रत सरकार	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
श्रीमती भानु कुमार	निदेशक (वाणिज्य)
श्री ए. के. राय	कंपनी सचिव
श्री गंगाराम अलोरिया	स्वतंत्र निदेशक (दिनांक 05.09.2020 तक)
डॉ रुद्रमौनी शिवयोगेप्पा येली	स्वतंत्र निदेशक (दिनांक 08.03.2021 तक)
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी	स्वतंत्र निदेशक (दिनांक 13.12.2021 से)
श्री टी.वी. मुरलवल्लभन	स्वतंत्र निदेशक (दिनांक 05.09.2020 तक)
श्री आद्या प्रसाद पाण्डेय	स्वतंत्र निदेशक (दिनांक 01.11.2021 से)
डॉ. वसंत अशोक पाटिल	स्वतंत्र निदेशक (दिनांक 01.11.2021 से)

(ii) संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन

(क) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

विवरण	संबंधित पार्टी का स्वरूप/संबंध	पारिश्रमिक (लाख रुपये में)			
		अल्पावधिक लाभ	रोगजार उपरांत लाभ	अन्य दीर्घावधिक लाभ	कुल
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु					
श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	53.50	4.81	8.00	66.31
श्री सुब्रत सरकार	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	48.24	1.63	2.74	52.61
श्रीमती भानु कुमार	निदेशक (वाणिज्य)	69.33	2.80	(4.60)	67.53
श्री ए. के. राय	कंपनी सचिव	35.97	3.04	1.54	40.55
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी	स्वतंत्र निदेशक	3.45*	-	-	3.45
श्री आद्या प्रसाद पाण्डेय	स्वतंत्र निदेशक	1.05*	-	-	1.05
डॉ. वंसत अशोक पाटिल	स्वतंत्र निदेशक	1.20*	-	-	1.20

विवरण	संबंधित पार्टी का स्वरूप/संबंध	पारिश्रमिक (लाख रुपये में)			
		अल्पावधिक लाभ	रोगजार उपरांत लाभ	अन्य दीर्घावधिक लाभ	कुल
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु					
श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	47.60	3.00	0.90	51.50
श्री सुब्रत सरकार	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	38.20	2.80	0.50	41.50
श्रीमती भानु कुमार	निदेशक (वाणिज्य)	47.80	3.50	(1.50)	49.80
श्री ए. के. राय	कंपनी सचिव	26.50	1.80	2.90	31.20
श्री गंगाराम आलोरिया	स्वतंत्र निदेशक	1.00*	-	-	1.00
डॉ रुद्रमौनी शिवयोगेप्पा येलिक	स्वतंत्र निदेशक	2.00*	-	-	2.00
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी	स्वतंत्र निदेशक	2.30*	-	-	2.30
श्री टी वी मुरलीवल्लभन	स्वतंत्र निदेशक	1.20*	-	-	1.20

टिप्पणीः *यह निदेशक के बैठक शुल्क का सूचक है।

(क) चूंकि कंपनी द्वारा निदेशकों को सीमित दूरी के लिए निजी उपयोग हेतु कार की सुवधिा प्रदान की जाती है इसलिए ऐसी सुविधा को हितलाभ/परिलाभ में नहीं माना गया है।

(ख) उपर्युक्त में वास्तविक भुगतान आधार पर निष्पादन संबंधी भुगतान सम्मिलित है।

(ख) एफएसएनएल लिमिटेड के साथ लेनदेन (100% सहायक कंपनी) (राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
ई–नीलामी सेवा प्रदान करने के लिए प्राप्त राशि	2.87	2.00
*एमएसटीसी द्वारा एफएसएनएल के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। हालांकि वर्ष के दौरान कोई लेनदेन नहीं हुआ है।		

(ग) महिंद्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ लेनदेन (50:50 संयुक्त उद्यम) (राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
संयुक्त उद्यम में निवेश	600.00	400.00
व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त राशि	24.24	16.50
व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रदत्त राशि	6.00	6.00
ई–नीलामी सेवा प्रदान करने के लिए प्राप्त राशि	8.18	1.40

38. कर्मचारी हितलाभ

परिभाषित अंशदान योजनाएं

1. भविष्य निधि

मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12 प्रतिशत कंपनी द्वारा भविष्य निधि ट्रस्ट में अंशदान दिया गया।

2. पेंशन

इस्पात मंत्रालय के अनुदेश के अनुसार परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत एमएसटीसी के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना तैयार की गई है। कंपनी एक ट्रस्ट के माध्यम से एलआईसी ऑफ इंडिया में वार्षिक अंशदान करती है। एमएसटीसी (नियोक्ता) से अंशदान के माध्यम से कर्मचारियों के खाते में सृजित कोष से एलआईसी कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करेगी।

परिभाषित हितलाभ योजनाएं

1. उपदान (ग्रेच्युटी):

ग्रेच्युटी 15 दिनों के भुगतान की दर से पृथक रूप से योग्य कर्मचारियों के लिए प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए देय है जो न्यूनतम 5 वर्ष तक निरंतर सेवा प्रदान करते हैं। केवल गैर–कार्यपालकों के लिए ग्रेच्युटी की गणना कर्मचारी द्वारा 30 वर्ष से अधिक के सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए कर्मचारी द्वारा एक महीने की अंतिम आहरित वेतन की दर पर की जाती है। कर्मचारी को देय अधिकतम ग्रेच्युटी की राशि 20 लाख रुपये है। 01.7.2014 को या उससे पहले भर्ती गैर–कार्यपालकों के मामले में ग्रेच्युटी की सीमा नहीं है। ग्रेच्युटी भारत के एलआईसी के साथ वित्त पोषित है। कंपनी ने एलआईसी ऑफ इंडिया द्वारा की गई मांग के अनुसार, प्रत्येक वर्ष प्रीमियम के रूप में फंड में अंशदान दिया।

2. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभः

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति या पत्नी के लिए चिकित्सा लाभ है। सदस्य को बीमा कंपनी द्वारा स्वीकृत चिकित्सा बीमा के माध्यम से कवर किया जाएगा। यह चिकित्सा बीमा पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी अस्पताल में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा घरेलू उपचार में किए गए खर्चों की भी निर्धारित सीमा के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाती है। ये लाभ इस उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा गठित अलग ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित हैं। कंपनी इसके लिए कोष प्रदान करती है। यदि कोई कमी हो तो कंपनी द्वारा उसे पूरा किया जाता है।

निवेश जोखिम	परिभाषित हितलाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना एक छूट दर का उपयोग करके किया जाता है जो सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के संदर्भ में निर्धारित होता है। अन्य परिभाषित हितलाभ योजनाओं के लिए, ऐसे बाण्ड के लिए एक गहन बाजार होने पर उच्च गुणवत्ता वाले कॉरपोरेट बॉण्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के संदर्भ में छूट की दर निर्धारित की जाती है, यदि योजना परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ (रिटर्न) इस दर से कम है, तो यह योजना घाटा पैदा करेगा। वर्तमान में, भारत में योजना के लिए, इसमें सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य ऋण लेखपत्रों में निवेश का अपेक्षाकृत संतुलित मिश्रण है। इसके अलावा, विदेशी योजना में इक्विटी प्रतिभूतियों, ऋण लेखपत्रों और रियल एस्टेट में अपेक्षाकृत संतुलित निवेश होता है। योजना देनदारियों की दीर्घवधिक की प्रकृति के कारण, विदेशी फंड का बोर्ड इसे उचित मानता है कि योजना संपत्तियों का एक उचित हिस्सा इक्विटी प्रतिभूतियों और रियल एस्टेट में फंड द्वारा उत्पन्न प्रतिलाभ का लाभ उठाने के लिए निवेश किया जाना चाहिए।
ब्याज जोखिम	बॉण्ड की ब्याज दर में कमी से योजना की देनदारी बढ़ जाएगी। हालांकि, आंशिक रूप से योजना के ऋण निवेश पर प्रतिफल में वृद्धि द्वारा इसकी भरपाई की जाएगी।
दीर्घायु जोखिम	परिभाषित हितलाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना योजना प्रतिभागियों के रोजगार के दौरान और बाद मे मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार की जाती है। योजना के प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना की देनदारी बढ़ जाएगी।
वेतन जोखिम	परिभाषित हितलाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना योजना के प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में की जाती है। ऐसे में, योजना के प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देनदारी बढ़ जाएगी।

(क) कंपनी ने परिभाषित अंशदान योजनाओं के अंतर्गत खर्च के रूप में चालू वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण में ₹ 760.94 लाख (गत वर्ष 669.30 लाख रुपये) के व्यय को मान्यता दी है। (राशि लाख ₹ में)

हितलाभ (अंशदान)	**31 मार्च, 2022**	**31 मार्च, 2021**
भविष्य निधि*	463.67	383.98
पेंशन	297.27	285.32
कुल	**760.94**	**669.30**

*इसमें ईपीफओ के अनुसार घोषित न्यूनतम दर में पीएफ ट्रस्ट की कमी की दिशा में कंपनी द्वारा दी गई ₹ 60.65 लाख (गत वर्ष – शून्य) शामिल है।

(ख) कंपनी सेवानिवृत्ति के बाद परिभाषित हितलाभ योजनाओं को निम्नानुसार संचालित करती है:

i. वित्तपोषित:

क. उपदान

ख. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना

(ग) उपदान योजना का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	**समाप्त वर्ष हेतु**	
	31 मार्च, 2022	**31 मार्च, 2021**
1. धारणा		
क. छूट दर (प्रति वर्ष)	6.20%	5.90%
ख.योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की अनुमानित दर (प्रति वर्ष)	6.20%	5.90%
ग.. वेतन में वृद्धि की दर (प्रति वर्ष)	8.00%	8.00%

2. उपदान के अंतर्गत परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में लाभ एवं हानि के स्टैंडअलोन विवरण में स्वीकृत राशि इस प्रकार है: (राशि लाख ₹ में)

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
क. वर्तमान सेवा लागत	162.21	161.23
ख. सेवा लागत	162.21	161.23
ग. निवल परिभाषित हितलाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज	9.22	9.70
घ. लाभ एवं हानि में स्वीकृत लागत	**171.43**	**170.93**
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/परिसंपत्ति पर पुनर्मापः		
क. डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(8.26)	(36.14)
ख. डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) /हानि	(43.26)	37.27
ग. अवधि के दौरान उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(51.52)	1.13
घ. छूट दर से अधिक/(कम) योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (रिटर्न)	(8.48)	(9.96)
ङ. ओसीआई में स्वीकृत बीमांकिक (लाभ)/हानि	(60.00)	(8.83)
च. ओसीआई में स्वीकृत (आय)/लागत	**(60.00)**	**(8.83)**

3. वर्ष के लिए वर्तमान सेवा लागत एवं निवल ब्याज व्यय इंड एएस 19 के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि के स्टैंडअलोन विवरण में 'कर्मचारी हितलाभ व्यय' वाले मदों में शामिल है।

4. निवल परिभाषित हितलाभ देनदारी का पुनर्मापन अन्य व्यापक आय में शामिल है।

5(क). परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में उतार–चढ़ाव इस प्रकार हैं: (राशि लाख ₹ में)

	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
क. वर्ष की आरंभ में दायित्व	2,061.34	2,022.16
ख. वर्तमान सेवा लागत	162.21	161.23
ग. डीबीओ पर ब्याज लागत	121.62	124.72
घ. पिछली सेवा लागत–योजना संशोधन	-	-
ङ. अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	-	-
च. वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानि	(43.26)	37.27
छ. अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) एवं हानि	(8.26)	(36.14)
ज. योजनागत परिसंपत्ति से प्रदत्त हितलाभ	(312.43)	(247.90)
झ. अंतिम परिभाषित हितलाभ दायित्व	**1,981.22**	**2,061.34**

5(ख). योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव इस प्रकार हैं: (राशि लाख ₹ में)

	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
क. पूर्वावधि की समाप्ति पर परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,905.00	1,855.10
ख. योजनागत परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	112.40	115.01
ग. नियोक्ता अंशदान	136.64	172.83
घ. छूट दर से अधिक/(कम) योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (रिटर्न)	8.48	9.96
ङ प्रदत्त हितलाभ	(312.43)	(247.90)
च. चालू अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**1,850.09**	**1,905.00**

6. परिभाषित दायित्व के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएं छूट दर और अपेक्षित वेतन वृद्धि हैं। अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखते हुए, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में घटने वाली संबंधित घटनाओं के यथोचित संभावित परिवर्तनों के आधार पर नीचे वर्णित सुग्राही विश्लेषण का निर्धारण किया गया है। (राशि लाख ₹ में)

छूट दर में 1 प्रतिशत परिवर्तन का प्रभाव	**31 मार्च, 2022**	**31 मार्च, 2021**
वृद्धि		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	(131.98)	(118.24)
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	1,849.24	1,943.10
कमी		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	151.66	123.65
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	2,132.88	2,184.99

वेतन वृद्धि दर में 1 प्रतिशत परिवर्तन का प्रभाव	**31 मार्च, 2022**	**31 मार्च, 2021**
वृद्धि		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	62.16	57.78
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	2,043.38	2,119.12
कमी		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	(59.72)	(55.44)
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	1,921.50	2,005.90

7. उपर्युक्त प्रस्तुत सुग्राही विश्लेषण परिभाषित हितलाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है क्योंकि यह संभावना कम है कि धारणाओं में परिवर्तन एक–दूसरे के अलगाव में घटेगा, क्योंकि कुछ धारणाएं परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं।

(घ) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना का विवरणः

विवरण	**समाप्त वर्ष हेतु**	
	31 मार्च, 2022	**31 मार्च, 2021**
1. धारणाएं		
क. छूट दर (प्रति वर्ष)	6.20%	5.90%
ख. चिकित्सा स्फीति (प्रति वर्ष)	5.00%	5.00%

2. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना के अंतर्गत परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में लाभ एवं हानि के स्टैंडअलोन विवरण में स्वीकृत राशियाँ इस प्रकार हैं: (राशि लाख ₹ में)

विवरण	**समाप्त वर्ष हेतु**	
	31 मार्च, 2022	**31 मार्च, 2021**
क. वर्तमान सेवा लागत	69.90	66.00
ख. सेवा लागत	69.90	66.00
ग. निवल परिभाषित हितलाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज	88.04	87.08
घ. लाभ एवं हानि में स्वीकृत लागत	**157.94**	**153.08**
निवल परिभाषित हितलाभ देयता/परिसंपत्ति पर पुनर्मापनः		
ङ. डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(10.26)	72.48
च. डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) /हानि	(102.91)	359.21
छ. अवधि के दौरान उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(113.17)	431.69
ज. छूट दर से (अधिक)/कम योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (रिटर्न)	(18.92)	(30.18)
झ. ओसीआई में स्वीकृत बीमांकिक (लाभ)/हानि	(132.09)	401.51
ञ. निवल परिसंपत्तियों पर सीमा हेतु समायोजन	-	-
ट. ओसीआई में स्वीकृत (आय)/लागत	**(132.09)**	**401.51**

3. वर्ष के लिए वर्तमान सेवा लागत एवं निवल ब्याज व्यय लाभ एवं हानि के स्टैंडअलोन विवरण में 'कर्मचारी हितलाभ व्यय' के अनुरूपी मदों में सम्मिलित है।

4. निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व का पुनर्मापन अन्य व्यापक आय में सम्मिलित है।

5. परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में उतार–चढ़ाव इस प्रकार है: (राशि लाख ₹ में)

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2022	**31 मार्च, 2021**
क. वर्ष के आरंभ में दायित्व	2,625.48	2,125.39
ख. वर्तमान सेवा लागत	69.90	66.00
ग. ब्याज लागत	150.81	130.21
घ. वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानि	(102.91)	359.21
ङ. अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानि	(10.26)	72.48
च. कंपनी द्वारा सीधे प्रदत्त हितलाभ	(138.80)	(127.81)
छ. अंतिम परिभाषित हितलाभ दायित्व	**2,594.22**	**2,625.48**

6. योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव इस प्रकार हैं: (राशि लाख ₹ में)

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2022	**31 मार्च, 2021**
क. पूर्वावधि की समाप्ति पर परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,056.77	927.53
ख. योजनागत परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	62.77	43.13
ग. नियोक्ता अंशदान	153.08	183.74
घ. छूट दर से अधिक/(कम) योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (रिटर्न)	18.93	30.18
ङ प्रदत्त हितलाभ	(138.80)	(127.81)
च. चालू अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**1,152.75**	**1,056.77**

7. परिभाषित दायित्व के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएं छूट दर और अपेक्षित चिकित्सा लाभ में वृद्धि हैं। अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखते हुए, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में घटने वाली संबंधित घटनाओं के यथोचित संभावित परिवर्तनों के आधार पर नीचे वर्णित सुग्राही विश्लेषण का निर्धारण किया गया है। (राशि लाख ₹ में)

छूट दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव	**31 मार्च, 2022**	**31 मार्च, 2021**
वृद्धि		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	(297.38)	(307.51)
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	2,296.84	2,317.97
कमी		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	373.10	329.10
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	2,967.32	2,954.58

चिकित्सा मुद्रास्फीति दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव	**31 मार्च, 2022**	**31 मार्च, 2021**
वृद्धि	(लाख ₹ में)	(लाख ₹ में)
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	237.68	228.10
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	2,831.90	2,853.58
कमी		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	(187.77)	(210.62)
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	2,406.45	2,414.86

39. अनुपात

चलनिधि/प्रचालनात्मक/कार्य–निष्पादन अनुपात दर्शाने वाला विवरणः–

क्र. सं.	विवरण	अनुपात		अंतर का %	टिप्पणियां
		31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को		
क)	**चालू अनुपात** चालू परिसंपत्ति/चालू देनदारियां	1.09	1.01	8.20%	
ख)	**ऋण–इक्विटी अनुपात** (दीर्घावधिक उधार + अल्पावधिक उधार) (दीर्घावधिक उधारों की चालू परिपक्वता सहित)/(कुल इक्विटी)	0.32	0.43	-26.16%	1
ग)	**ऋण सेवा कवरेज अनुपात** (ब्याज, कर, मूल्यह्रास, परिशोधन, क्षीणता एवं अपवादात्मक मदों से पूर्व लाभ)/(वर्ष हेतु सकल लाभ + वर्ष के भीतर मूल चुकौती)	31.94	10.37	207.97%	2
घ)	**इक्विटी पर प्रतिलाभ अनुपात** (वर्ष हेतु करोपरांत निवल लाभ) / (कुल इक्विटी)	42.98%	28.47%	50.96%	3
ङ)	**मालसूची टर्नओवर अनुपात** (प्रयुक्त सामग्री की लागत) / (वर्ष हेतु औसत मालसूचियां)	अप्रयोग्य	अप्रयोग्य		
च)	**व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात** (वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री से राजस्व) / (वर्ष हेतु औसत व्यापार प्राप्य)	0.83	0.44	90.30%	4
छ)	**व्यापार देय टर्नओवर अनुपात** (वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदी) / (वर्ष हेतु औसत व्यापार देय)	0.98	0.54	84.05%	5
ज)	**निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात** (वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री से राजस्व) / (कार्यशील पूंजी अर्थात चालू परिसंपत्ति – चालू देनदारी)	4.79	52.79	-90.94%	6
झ)	**निवल लाभ अनुपात** (वर्ष हेतु करोपरांत निवल लाभ) / (प्रचालनों से राजस्व)	42.51%	23.63%	79.92%	7
ञ)	**नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ** (ब्याज एवं कर पूर्व लाभ) / (वर्ष हेतु औसत ऋण एवं शेयरधारक निधि)	50.25%	34.81%	44.36%	8
ट)	**निवेश पर प्रतिलाभ** (वर्ष हेतु करोपरांत लाभ) / (निवल मूल्य – निवेश)	47.52%	31.93%	48.83%	9

टिप्पणी–1 वर्ष के दौरान कंपनी की उधारी घटी है।

टिप्पणी–2 लाभ में वृद्धि और वित्तीय लागत में कमी के कारण।

टिप्पणी –3 मुख्य रूप से व्यापार में वृद्धि के फलस्वरूप लाभ में वृद्धि होने से गत वर्ष की तुलना में इक्विटी पर प्रतिलाभ में सुधार हुआ है।

टिप्पणी–4 मुख्य रूप से प्राप्य व्यापार में कमी के कारण गत वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है।

टिप्पणी–5 व्यापार देय टर्नओवर अनुपात में मुख्य रूप से, व्यापार देय में कमी के कारण, वृद्धि हुई है।

टिप्पणी–6 कमी मुख्य रूप से कार्यशील पूंजी में वृद्धि के कारण हुई है।

टिप्पणी –7 मुख्य रूप से ई–कॉमर्स व्यवसाय में वृद्धि के कारण गत वर्ष की तुलना में निवल लाभ मार्जिन में सुधार हुआ है।

टिप्पणी –8 मुख्य रूप से व्यवसाय में वृद्धि एवं परिचालन लाभ के कारण गत वर्ष की तुलना में नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में सुधार हुआ है।

टिप्पणी–9 वर्ष हेतु लाभ में वृद्धि के कारण वृद्धि।

40. निगमित सामाजिक दायित्व गतिविधियों पर किए गए व्यय

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि शून्य (पिछले वर्ष – शून्य)

(ख) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार कंपनी ने चालू वर्ष में 17.84 लाख रुपये (गत वर्ष शून्य) सीएसआर व्यय पर खर्च किए हैं।

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
विद्यालय भवन का निर्माण/नवीनीकरण	17.84	-
	17.84	**-**

(ग) सीएसआर व्यय में कोई संबंधित पार्टी लेनदेन शामिल नहीं है।

(घ) उपर्युक्त आंकड़े टिप्पणी संख्या 29 में अलग से प्रकट किए गए हैं।

41. व्यापार प्राप्यों, व्यापार देय एवं अग्रिम में शेष राशि की पुष्टि/समाशोधन तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन शेष राशि शामिल है। समाशोधन निरंतर आधार पर की जाती है। जहां भी आवश्यक समझा गया, वहां प्रावधान किए गए हैं।

42. कंपनी को ऋण सुविधाओं की मंजूरी के खिलाफ कंपनी की वर्तमान संपत्ति बैंक के अधीन है।

43. कंपनी ने वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में कोई भी आय का अभ्यपर्ण या प्रकटीकरण नहीं किया है

44. कंपनी ने वर्ष के दौरान क्रिप्टो या आभासी मुद्रा में व्यापार नहीं किया है या संलिप्त नहीं है।

45. कंपनी के निदेशक मंडल ने 25.05.2022 को आयोजित 314वीं बोर्ड बैठक में वित्तीय विवरणों को अंगीकृत किया है।

46. कंपनी के निदेशक मंडल ने 25.05.2022 को आयोजित अपनी 314वीं बैठक में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के संबंध में 4.40 रुपये प्रति शेयर, इक्विटी शेयर पूंजी पर 44 प्रतिशत के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है, जो आज की तारीख में 7040.00 लाख रुपये है। लाभांश का भुगतान वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। यदि यह अनुमोदित हो जाता है तो इससे 3097.60 लाख रुपये का नकद बहिर्वाह होगा।

47. गत वर्षों के तदनुरूपी आँकड़ों को तुलना योग्य बनाने के लिए जहाँ भीं आवश्यक हुआ, पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं।

कृते एस घोष एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखापाल
एफआरएन : 302184E/E300007

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके लिए

(सीए प्रदीप कुमार मित्रा)
साझेदार
एम. नं. 052183

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन – 08643406)

(सुब्रत सरकार)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
(डीआईएन – 08290021)

(सुचित कुमार बर्णवाल)
महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा

(अजय कुमार राय)
कंपनी सचिव
एम. नं. F5627

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 25 मई 2022

वित्तीय विवरण

समेकित वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

एमएसटीसी लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

1. हमने एमएसटीसी लिमिटेड (इसके पश्चात 'नियंत्रक कंपनी' के रूप में संदर्भित) की समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है एवं अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित सहायक कंपनी (नियंत्रक कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनी संयुक्त रूप से 'समूह') एवं संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों पर विचार किया है जिसमें 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ–हानि विवरणिका (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन की समेकित विवरणिका एवं समेकित नगदी प्रवाह विवरणिका तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों के साथ–साथ महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसके पश्चात "समेकित वित्तीय विवरणों" के रूप में संदर्भित) की टिप्पणियां सम्मिलित हैं।

   हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम सूचना के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना इस रीति में देती है जो 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समूह एवं इसके संयुक्त उद्यम के कार्यों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके समेकित लाभ और अन्य व्यापक आय, इक्विटी में समेकित परिवर्तन एवं समेकित नकदी प्रवाह के संबंध में भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धातों के अनुरूप अपेक्षित है तथा सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

मत हेतु आधार

2. हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षण (एसए) के मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का आगे हमारी रिपोर्ट की समेकित वित्तीय विवरणिका की लेखापरीक्षा के लिए 'लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व' में उल्लेख किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के साथ–साथ उन नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार समूह और उसके संयुक्त उद्यम से स्वतंत्र हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अधीन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तदायित्वों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और यथोचित हैं।

मामलों पर ध्यानाकर्षण

3. अपने मत को सीमित किए बिना हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

   (क) समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 35 के संदर्भ में नियंत्रक कंपनी से संबंधित दिनांक 01 अप्रैल 2018 से ₹18,541.91 लाख के संदिग्ध ऋणों के प्रावधान पर ₹6,479.28 लाख की आस्थगित कर परिसंपत्ति का प्रावधान नहीं किया गया है।

   (ख) दिनांक 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार नियंत्रक कंपनी के मुंबई में स्थित ₹7.42 लाख के सकल ब्लॉक वाले फ्रीहोल्ड फ्लैट का स्वत्व विलेख (टाइटल डीड) सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं था।

लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले

4. मुख्य लेखापरीक्षा के मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि की समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में एवं उस पर हमारा मत स्थापित करने में इन मामलों पर गौर किया गया था और हम इन मामलों पर अलग मत प्रदान नहीं करते हैं। हमने लेखा परीक्षा के प्रमुख मामलों में निम्नलिखित मामलों को निर्धारित किया है जिन्हें हमारी रिपोर्ट में सूचित किया जाएगा।

क्र.सं.	लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले	लेखापरीक्षक के उत्तर
i	**व्यापार प्राप्यों की वसूली योग्यताः** 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, व्यापार प्राप्य–सकल ₹1,04,956.12 लाख (निवल ₹40,786.20 लाख) है जिसमें ₹ 64,169.92 लाख ऋण क्षीणता के रूप में माना जा रहा है जिसके लिए नियंत्रक कंपनी की बहियों में समान राशि के लिए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान किया गया है। न्यायनिर्णयन के लिए एनसीएलटी एवं/या अन्य मंचों में क्षीणयुक्त ऋण वाले कर्ज के प्रत्येक मामले के संदर्भ में, नियंत्रक कंपनी को वित्तीय हानि के संभावित जोखिम का सामना करना पड़ता है जब वसूली मुकदमेबाजी की लंबी प्रक्रियाओं के अधीन हो जाती है और अंततः संदिग्ध हो जाती है। प्रबंधन द्वारा वसूली योग्य राशि का आकलन अलग–अलग देनदार पर उनके विशिष्ट वसूली योग्यता मूल्यांकन के साथ–साथ नियंत्रण कंपनी की प्रावधानीकरण नीति के प्रतिफल और अनुप्रयोग के आधार पर किया जाता है। कंपनी के व्यापार प्राप्यों से संबंधित प्रकटीकरण समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 9.1 से 9.7 में किए गए हैं।	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्तियों और लेनदेन के विवरण की जांच करते समय, हमने व्यापार प्राप्यों की प्रकृति के साथ वर्गीकृत ग्राहकों को अग्रिम, जैसे कि संधारणीयता एवं प्राप्यों की वसूली योग्यता की संभावना का आकलन किया है। लेखाकरण नीति के अनुसार वसूली के लिए ऐसे सभी संदिग्ध ऋणों का 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार बहियों में प्रावधान किया गया है। चूंकि पक्षकारों से शेष की संपुष्टि प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है (जैसा टिप्पणी 41 में संदर्भित है) अतः शेष की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का अनुसरण किया गया है। हमने ग्राहकों के ऋण प्रोफाइल और उनके ऐतिहासिक भुगतान पैटर्न जहां भी लागू हो, के संदर्भ में एवं नियंत्रक कंपनी की वर्तमान जोखिम प्रबंधन नीति के साथ पठित, यथा उपलब्ध ग्राहकों के साथ नवीनतम पत्राचार और प्रबंधन के आकलन के हमारे मूल्यांकन के माध्यम से नमूना आधार पर न निपटाए गए प्राप्यों की वसूली योग्यता का आकलन किया है।
ii.	**सूचना प्रौद्योगिक (आईटी) प्रणालियां एवं नियंत्रणः** वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतिकरण नियंत्रक कंपनी के समर्थित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नियंत्रणों पर निर्भर है जिसमें अशुद्ध आंकड़ों के अधिक से अधिक उन्मूलन के लिए जोखिम प्रबंधन कार्य सम्मिलित है। अतः लेखापरीक्षा परिणाम की गुणवत्ता और उसकी प्रामाणिकता आईटी नियंत्रणों और प्रणालियों की सीमा पर निर्भर है।	हमने वांछित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और नमूना जांचों की योजना बनाई, अभिकल्पना की और उसे निष्पादित किया, जो हमारे मतानुसारं आईटी नियंत्रणों की पर्याप्तता पर युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करने के लिए पर्याप्त हैं।
iii.	**अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों और आकस्मिक देयताओं के लिए अनुमति का आकलनः** वर्ष के दौरान किए गए अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों के लिए अनुमति और नियंत्रक कंपनी की आकस्मिक देयताओं के लिए संभावित परिणामों और नकदी प्रवाह का आकलन करना आवश्यक है। पहचान और मात्रा के लिए प्रबंधन द्वारा अनुमान और निर्णय अपेक्षित है। वर्ष के दौरान अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों के लिए अनुमति और आकस्मिक देयताओं से संबंधित प्रकटीकरण, संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों के साथ टिप्पणी संख्या 31 और 34 (क) में किए गए हैं।	नियंत्रक कंपनी के मामले में, हमने निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई सूचना का सत्यापन किया है: – • आधारभूत अनुमानों की औचित्यपूर्ण मूल्यांकन। • मुकदमों की मौजूदा वस्तुस्थिति को समझना। • उपलब्ध अभिलेखों पर संबंधित दस्तावेजों की जांच करना। • जहां भी आवश्यकता पड़े विधिक मत/उद्योग प्रथाओं की समीक्षा करना। • प्रबंधन द्वारा किए गए विभिन्न प्रकटीकरणों का सत्यापन। • आईसीएआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त करना। • नियंत्रक कंपनी की लेखाकरण नीति।
iv	सहायक कंपनी के अन्य लेखापरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि उन्होंने अवधारित किया है कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा के कोई ऐसे प्रमुख मामले नहीं हैं जिन्हें उनकी रिपोर्ट में सूचित किया जाए।	

समेकित वित्तीय विवरणों और इस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

5. नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना की तैयारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में सम्मिलित सूचना, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट, निगमित अभिशासन और शेयरधारक की सूचना सम्मिलित है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य सूचना सम्मिलित नहीं है और हम किसी भी प्रकार के आश्वासन और निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व उपरोक्त अन्य सूचनाओं को पढ़ना और ऐसा करते हुए, इस बात पर विचार करने तक है कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के साथ तात्विक रूप से असंगत है या हमारे निष्पादित कार्य के आधार पर अन्यथा तात्विक रूप से मिथ्याकथन से युक्त प्रतीत होते हैं। हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर, हम यह निश्चित करते हैं कि इस अन्य सूचना में तात्विक रूप से कोई मिथ्या कथन रहने पर, हमें उसकी रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन से प्रभारित व्यक्तियों एवं प्रबंधन का दायित्व

6. नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हैं, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखाकरण मानक सहित, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार समूह और इसके संयुक्त उद्यम की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन, समेकित कुल व्यापक आय, समेकित नकदी प्रवाह तथा इक्विटी में समेकित वित्तीय परिवर्तन सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं। समूह और इसके संयुक्त उद्यम में सम्मिलित कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल के इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों का व्यवस्थापन सम्मिलित है जो समूह के साथ इसकी संयुक्त उद्यम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमतताओं को रोकने व पता लगाने के लिए, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन और प्रयोग के लिए, ऐसे निर्णय और अनुमान लगाने जो यथासंगत और विवेकसम्मत हैं, एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करने, उसके कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए, लेखाकरण अभिलेखाओं की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने में प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए सगत थे, जो सही और निष्पक्ष दृश्यकोण देते हैं तथा तात्विक मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, जो कि उपरोक्तानुसार नियंत्रक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणिका तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणिका तैयार करने में समूह एवं इसके संयुक्त उद्यम में सम्मिलित कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, समूह और इसके संयुक्त उद्यम कंपनी की लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, यथा लागू प्रकटीकरण, लाभकारी कारोबार वाले संस्थान से संबधित मामलों और लेखाकरण में लाभकारी कारोबार वाले संस्थान आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि निदेशक मंडल संयुक्त उद्यम सहित समूह के या तो परिसमापन या प्रचालन बंद करने का आशय नहीं करता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

समूह और इसका संयुक्त उद्यम में सम्मिलित कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, समूह और इसके संयुक्त उद्यम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण (किसी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण समग्र रूप से तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं) और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारे मत शामिल हैं। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार की गई लेखापरीक्षा तात्विक मिथ्या कथन मौजूद होने पर सदैव उसका पता लगाएगी। मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटि से हो सकते हैं और यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की युक्तियुक्त अपेक्षा होती है तो इन्हें तात्विक माना जाता है।

मानक लेखाकरण (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर आकलन करते हैं और पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं।

इसके साथ ही हमः

- समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिम, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, की पहचान एवं मूल्यांकन करते है, इन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रिया को तैयार तथा निष्पादित करते हैं और हमारे मत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप दिए गए तात्विक मिथ्या कथनों की जाच न करने का जोखिम त्रुटिवश दिए गए मिथ्याकथन की अपेक्षा अधिक होता है चूंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक कानून के विरुद्ध कार्य करना शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस पर अपना यह मत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं।

- प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।

- लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर लेखाकरण के संबंधी प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या ऐसे मामलों या स्थितियों से संबंधित कोई तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है जो समूह और इसके संयुक्त उद्यम को लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती हो, यदि तात्विक अनिश्चितता के मौजूद होने का निष्कर्ष निकालते हैं या उक्त प्रकटन हमारे मत को संशोधित करने में अपर्याप्त हो तो समेकित वित्तीय विवरणी में संबंधित प्रकटीकरण पर हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां समूह और इसके संयुक्त उद्यम को लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के रूप में जारी रखने की स्थिति को समाप्त कर सकती है।

- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों का संपूर्ण प्रस्तुतिकरण, संरचना एवं तथ्य के साथ प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना एवं क्या समेकित वित्तीय विवरणिका अंतर्निहित लेनदेनों और गतिविधियों को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जिससे सही प्रस्तुतिकरण प्राप्त हो सके।

- समूह और इसके संयुक्त उद्यम संस्थाओं के भीतर संस्थाओं या व्यावसायिक क्रियाकलापों की वित्तीय सूचना के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखा साक्ष्य प्राप्त करना ताकि समेकित वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त किया जा सके। हम समेकित वित्तीय विवरणों में निहित ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निदेशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन हेतु उत्तरदायी हैं और हम इनके स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षाओं के निदेशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। हम केवल अपनी लेखापरीक्षा संबंधी मत के लिए उत्तरदायी हैं।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत विवरण का परिणाम है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार यूजर का आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकता है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणाम का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित ऐसी अन्य संस्थाओं एवं नियंत्रक कंपनी के अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, को लेखापरीक्षा की सुनियोजित कार्यक्षेत्र एवं समय सूची और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा अनुसंधानों के साथ आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियों को सूचित करते हैं जो हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान चिन्हित की हैं।

अभिशासन से जुड़े व्यक्ति को हम एक कथन भी प्रदान करते है, कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है एवं उन्हें सभी संबंधों तथा अन्य मामलों को सूचित किया है जो हमारी स्वतंत्रता एवं संबंधित सुरक्षा यथा लागू को यथोचित रूप से प्रभावित कर सकता है।

अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों के साथ सूचित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसलिए ये प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन द्वारा मामले को लोक प्रकटीकरण से वर्जित किया गया है या किसी अति असामान्य परिस्थिति में जब हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में मामले को सूचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लोकहित के लाभों को बढ़ाने में प्रतिकूल परिणाम होने के आसार रहते हैं।

अन्य मामले

8. (क) हमने एक सहायक कंपनी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की सूचना पर विचार किया है, जिसके वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जो 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार ₹42,373.29 लाख की कुल परिसंपत्ति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार ₹41,538.93 लाख के कुल राजस्व, के उपरांत ₹4,036.44 लाख का कुल निवल लाभ, ₹2,692.56 लाख की कुल व्यापक आय और ₹210.00 लाख की नकदी प्रवाह (निवल) दशार्ते हैं। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में नियंत्रक कंपनी का ₹28.29 लाख का निवल लाभ का हिस्सा और संयुक्त उद्यम अर्थात् महिंद्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में ₹ 0.16 लाख की कुल व्यापक हानि भी सम्मिलित है जिनके वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है।

सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट हमें नियंत्रक कंपनी के प्रबंधन द्वारा दी गई है और सहायक कंपनी तथा संयुक्त उद्यम के संबंध में सम्मिलित राशियों तथा प्रकटीकरणों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत एवं उपरोक्त सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम के संबंध में अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) तथा (11) के अनुपालन में हमारी रिपोर्ट पूर्णतया अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।

(ख) नियंत्रक कंपनी के संबंध में हमारी अलग–अलग टिप्पणियां इस प्रकार हैं।

. समेकित वित्तीय विवरणों में टिप्पणी 41 के संदर्भ में, व्यापार और अन्य प्राप्य, व्यापार और अन्य देय, ऋण और अग्रिम, जमा आदि के कई मामलों में शेष राशियों का पुष्टिकरण उपलब्ध नहीं था और प्राप्त नहीं किया गया और इसके परिणामस्वरूप अपेक्षित समायोजन यदि कोई हो, के प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सकता।

. संपूर्ण भारत में कोविड–19 के निरंतर प्रसार के कारण शाखाओं पर भौतिक दौरा करने पर प्रतिबंध लगाने एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की निष्पादन की अपेक्षा को बाधित किया है। उपरोक्त के परिणामस्वरूप कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए अनुसार शाखाओं के संबंध में आंकड़ों को दूर से प्राप्त किए जाने के आधार पर लेखापरीक्षा की गई थी। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखापरीक्षा एवं आश्वासन मानक बोर्ड द्वारा जारी ''वर्तमान कोविड–19 की स्थिति के अंतर्गत डिस्टेंस ऑडिट/रिमोट ऑडिट/ ऑनलाइन ऑडिट का करते समय विशिष्ट विचार पर जारी परामर्श'' के आधार पर लेखापरीक्षा की गई। हमारा प्रतिनिधित्व कंपनी के प्रबंधन द्वारा किया गया है जो हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु प्रदान किए गए आंकड़े सही, पूर्ण, विश्वसनीय हैं एवं कंपनी के लेखाकरण प्रणाली द्वारा तैयार किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर एवं अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट पर हमारा मत, अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में हमारे द्वारा किए गए कार्य में उपरोक्त मामलों में काई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के अनुसार, हम 'अनुलग्नक क' में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में लागू सीमा तक, विनिर्दिष्ट मामलों पर बयान देते हैं:

10. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, हम लागू सीमा में रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने वे सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारे मतानुसार, जैसा कि इन बहियों एवं अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की हमारी जांच से प्रतीत होता है, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में विधिक अपेक्षानुसार यथोचित लेखा बहियां अनुरक्षित की गई हैं।

(ग) इस रिपोर्ट से संबंधित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ–हानि विवरणिका (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तन की विवरणिका एवं समेकित नकदी प्रवाह विवरणिका, समेकित वित्तीय विवरणिका तैयार करने के प्रयोजन से अनुरक्षित लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारे मतानुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणिका अधिनियम की धारा 133 के अधीन एवं इसके अंतर्गत बने प्रासंगिक नियमों के अधीन भारतीय लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।

(ङ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार निदेशक की अयोग्यता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) नियंत्रक कंपनी पर लागू नहीं होती क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है। सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम के संबंध में, अन्य लेखा परीक्षकों ने उल्लेख किया है कि 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से किसी भी निदेशक को अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

(च) समूह और संयुक्त उद्यम की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन संबंधी प्रभावशीलता के मुद्दों के संबंध में, कृपया 'अनुलग्नक ख' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(छ) एक सरकारी नियंत्रक कंपनी होने के कारण, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (16) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम के अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, वर्ष के दौरान संबंधित कंपनियों द्वारा अपने निदेशकों को दिया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2021 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

(i) समूह और संयुक्त उद्यम ने अपनी समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकट किया हैं – समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34 (क) देखें।

(ii) नियंत्रक कंपनी, इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम के पास व्युत्पन्न संविदा सहित कोई दीर्घावधिक संविदा नहीं है, जिसके लिए कोई पहले से ही भौतिक पूर्वाभासी हानियां थीं।

(iii) नियंत्रक कंपनी को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2013–14 में कंपनी को हुई हानि के कारण वर्ष 2014–15 के 8वें पूर्ववर्ती वर्ष में कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया था, वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में राशि अंतरित करने की आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि, इसकी सहायक कंपनी या इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में धन अतंरित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

(iv) नियंत्रक कंपनी का प्रबंधन, इसकी सहायक कंपनी के साथ–साथ इसके संयुक्त उद्यम ने अभ्यावेदन दिया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, नियंत्रक कंपनी, उसकी सहायक कंपनी या उसके संयुक्त उद्यम द्वारा लेखाओं से संबंधित टिप्पणियों में प्रकट किए गए से अन्य, (या तो नियंत्रक कंपनी, इसकी सहायक कंपनी, या इसके संयुक्त उद्यम द्वारा उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के निधि से) क्रमशः विदेशी संस्था ('मध्यस्थ') सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को इस समझ के साथ चाहे वह अभिलिखित हो या अन्यथा कोई धनराशि अग्रिम या उधार नहीं दी गई है या निवेश नहीं किया गया है जो मध्यस्थ क्रमशः नियंत्रक कंपनी, इसकी सहायक कंपनी या इसके संयुक्त उद्यम ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी रीति में जो भी हो, चिन्हित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

(v) नियंत्रक कंपनी का प्रबंधन, इसकी सहायक कंपनी के साथ–साथ इसके संयुक्त उद्यम ने अभ्यावेदन दिया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, नियंत्रक कंपनी, उसकी सहायक कंपनी या उसके संयुक्त उद्यम द्वारा लेखाओं से संबंधित टिप्पणियों में प्रकट किए गए से अन्य, क्रमशः विदेशी संस्था ('वित्तपोषण करने वाले पक्षकार') सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को इस समझ के साथ चाहे वह अभिलिखित हो या अन्यथा कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई जो मध्यस्थ क्रमशः वित्त पोषण करने वाले पक्षकार ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या

उसकी ओर से किसी भी रीति में जो भी हो, चिन्हित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा या : वित्त पोषण करने वाले पक्षकार की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

परिस्थितियों में युक्तियुक्त मानी जाने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, ऐसा कुछ भी संज्ञान में नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उपरोक्त क्रम (ज) (iv) और (v) में उल्लिखित अभ्यावेदन में कोई तात्विक मिथ्या कथन सम्मिलित है।

(vi) नियंत्रक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुपालन में वर्ष के दौरान लाभांश या भुगतान की घोषणा की है। संयुक्त उद्यम कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो कोई लाभांश घोषित किया है और न ही भुगतान किया है।

11. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों और उप–निदेशों के अंतर्गत हम एतद्द्वारा संलग्न 'अनुलग्नक–ग' में समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी टिप्पणियां देते हैं।

कृते एस घोष एंड कं. एलएलपी

सनदी लेखापाल
एफआरएन–302184E/E300007

सीए प्रदीप कुमार मित्रा
साझेदार
सदस्यता सं. 052183
यूडीआईएन : 22052183AKDFCZ2747

स्थानः कोलकाता
तिथिः 25 मई 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–क

(हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और नियामक अपेक्षा पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 9 के संदर्भ में)

कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड (xxi) के संदर्भ में कंपनी की सहायक कंपनी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी महिंद्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड के लेखा परीक्षकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित कंपनियों (लेखा परीक्षक रपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) की अपनी संबंधित रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी या परिवर्तन नहीं किया गया है।

कृते एस घोष एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखापाल
एफआरएन–302184E/E300007

सीए प्रदीप कुमार मित्रा
साझेदार
सदस्यता सं. 052183
यूडीआईएन : 22052183AKDFCZ2747

स्थानः कोलकाता
तिथिः 25 मई 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर एमएसटीसी लिमिटेड के सदस्यों को सम तारीख की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट के पैराग्राफ 8(च) के संदर्भ में

कपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

मत

1. हमने 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार एमएसटीसी लिमिटेड (इसके पश्चात 'नियंत्रक कंपनी के रूप में संदर्भित) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की है एवं उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित सहायक कंपनी ('समूह' के रूप में संदर्भित नियंत्रक कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनी) और संयुक्त उद्यम (जो उस तिथि को भारत में एक निगमित कंपनी है) के वित्तीय विवरणों पर विचार किया है।

   हमारे मतानुसार, समूह और इसके संयुक्त उद्यम, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, ने समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में सर्वथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है एवं समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को देखते हुए, समूह और इसके संयुक्त उद्यम द्वारा स्थापित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंड के आधार पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम के संबंधित निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में वर्णित अनुसार आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं उनका रखरखाव करने के लिए उत्तदायी हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव करना शामिल है जो संबंधित कंपनियों की नीतियों का पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने, कंपनी अधिनियम के तहत आवश्यक लेखांकन रिकार्ड की सटीकता एवं पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित समूह एवं संयुक्त उद्यम के वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित किए जाने के लिए मानद, लेखा परीक्षा पर मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी टिप्पणी दोनों आंतरिक नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू और दों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी हैं, के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों

और मार्गदर्शी टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम इस बारे में, कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए और यदि ऐसा है तो सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से प्रचालित थे, औचित्यपूर्ण आश्वस्ति प्राप्त करने के लिए नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे और लेखा परीक्षा नियोजित और निष्पादित करेंगे।

हमारी लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इनकी प्रचालनरत प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया निष्पादित करना निहित था। वित्तीय रिपोर्टिंगों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंगों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का बोध प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण दुर्बलता विद्यमान थी, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता को प्रचालित करना और इसके आरेखन का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक की निर्णय पर निर्भर हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन का आकलन शामिल है, चाहे वह प्रवंचना से हुआ हो या त्रुटिवश।

हमारा मानना है कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम के अन्य संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा इनके संबंध में संबंधित मत को ध्यान रखते हुए नियंत्रक कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनी तथा संयुक्त उद्यम की समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारे लेखा परीक्षा संबंधी मत के लिए आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं।

समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

4. वित्तीय रिपोर्टिंगों पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में औचित्यपूर्ण आश्वस्ति मुहैया कराने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंगों पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

(i) ऐसे अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हों जो, औचित्यपूर्ण विस्तार से, सटीकता और निष्पक्षता से निगम की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को परिलक्षित करती हों;

(ii) यह औचित्यपूर्ण आश्वस्ति प्रदान करती हो कि लेनदेन आम तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणिका तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप में अभिलिखित किए जाते हैं एवं कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और

(iii) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान के निवारण या समय रहते परिचयन के बारे में औचित्यपूर्ण आश्वासन देती हों जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

5. वित्तीय रिपोर्टिंगों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रणों के टकराव या अनुपयुक्त प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, से त्रुटि या प्रवंचना की वजह से, महत्वपूर्ण मिथ्या कथन उत्पन्न हो सकता है और इसका परिचयन नहीं हो सकता है। साथ ही, वित्तीय रिपोर्टिंगों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन की भविष्य की अवधियों पर प्रत्याशाएं स्थितियों में परिवर्तनों के कारण अपर्याप्त हो सकती हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर का क्षय हो सकता है।

अन्य मामले

भारत में निगमित एक सहायक कंपनी और एक संयुक्त उद्यम के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं प्रचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन हमारी उपरोक्त रिपोर्ट भारत में निगमित ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की संगत रिपोर्टों पर आधारित है।

कृते एस घोष एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखापाल
एफआरएन–302184E/E300007

सीए प्रदीप कुमार मित्रा
साझेदार
सदस्यता सं. 052183
यूडीआईएन : 22052183AKDFCZ2747

स्थानः कोलकाता
तिथिः 25 मई 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक–ग

कंपनी के अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर एवं हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत, हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:

	दिशानिर्देश	लेखा परीक्षक के उत्तर
1.	क्या कंपनी में सभी लेखाकरण लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से साधित करने के लिए प्रणाली विद्यमान है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर के लेखाकरण लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ–साथ लेखाओं की संपूर्णता पर प्रभाव, यदि कोई हो, का उल्लेख करें।	नियंत्रक कंपनी के मामले में: सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में इस मामले का पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है। [प्रमुख लेखापरीक्षा मामले का पैरा 4 (ii)] सहायक कंपनी के मामले में, सहायक कंपनी के अन्य लेखा परीक्षक ने सूचित किया कि: सहायक कंपनी एकीकृत लेखाकरण पैकेज अर्थात फास्ट पैकेज के माध्यम से सभी लेखाकरण लेनदेन की प्रक्रिया करती है। कंपनी में (1) पेरोल एवं (2) मालसूची के लिए 2 अलग–अलग पैकेज हैं एवं लेखाकरण पैकेज में जेवी के माध्यम से एकीकृत किए गए हैं।
2.	क्या कंपनी की ऋण चुकानें में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना कर दी गई है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/उधार/ब्याज आदि का अधित्याग करने/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव के बारे में उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों को समुचित रूप से लेखांकित किया गया है। (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है तो यह निदेश ऋणदाता कंपनी के सांवधिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू है)।	नियंत्रक कंपनी के मामले में: वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजदा ऋण की कोई पुनर्रचना नहीं की गई है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/उधार/ब्याज आदि का अधित्याग करने/बट्टे खाते में डालने के कोई मामले नहीं हैं। सहायक कंपनी के मामले में, सहायक कंपनी के अन्य लेखा परीक्षक ने सूचित किया कि: सहायक कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है। अतः कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋण की कोई पुनर्रचना नहीं की गई है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/उधार/ब्याज आदि का अधित्याग करने/बट्टे खाते में डालने के कोई मामले नहीं हैं।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकारों या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी इत्यादि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलो की सूची बनाएं।	नियंत्रक कंपनी के मामले में: वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि का कोई मामला नहीं है। सहायक कंपनी के मामले में, सहायक कंपनी के अन्य लेखा परीक्षक ने सूचित किया कि: वित्त वर्ष के दौरान 2021–22 सहायक कंपनी को केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त नहीं हुई।

कृते एस घोष एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखापाल
एफआरएन–302184E/E300007

सीए प्रदीप कुमार मित्रा
साझेदार
सदस्यता सं. 052183
यूडीआईएन : 22052183AKDFCZ2747

स्थानः कोलकाता
तिथिः 25 मई 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एमएसटीसी लि. के समेकित वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्ट की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एमएसटीसी लिमिटेड का समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विनिर्धारित लेखापरीक्षण मानदंडों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 25 मई, 2022 के अनुसार उनके द्वारा किया हुआ बताया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एमएसटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा का संचालन किया है। हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए एमएसटीसी लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनी फेरो स्क्रैप निगम निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा का संचालन किया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 139(5) एवं 143(6)(क) सांवधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा के संचालन हेतु इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी महिन्द्रा एमएसटीसी रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड पर लागू नहीं है। इसी अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी के लिए न तो सांविधिक लेखापरीक्षक को नियुक्त किया है और न ही अनुपूरक लेखापरीक्षा का संचालन किया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागजात को प्राप्त किए बगैर यह अनुपूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जिससे की अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी अथवा पूरक प्रदान किया जा सकें।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
की ओर से एवं उनके लिए

5/8/2022

(मौसमी राय भट्टाचार्य)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (खदान)
कोलकाता

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 5 अगस्त, 2022

31 मार्च, 2022 के अनुसार समेकित तुलन पत्र

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
परिसंपत्तियां			
(1) गैर–मौजूदा परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण एवं अमूर्त संपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	2	13,190.47	8,196.85
(ख) प्रगति में पूंजीगत कार्य	2	–	5,182.46
(ग) पट्टायुक्त भूमि	2	700.78	708.24
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियां	2	113.06	20.52
		14,004.31	**14,108.07**
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) संयुक्त उद्यम में निवेश	3	2,063.83	1,435.70
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4	8,130.36	10,547.49
(च) गैर–मौजूदा कर संपत्ति	5	8,482.14	6,256.99
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	7	21,623.86	22,868.15
(ज) अन्य गैर–मौजूदा परिसंपत्तियां	6	50.74	34.62
कुल गैर–मौजूदा परिसंपत्तियां		**54,355.24**	**55,251.02**
(2) मौजूदा परिसंपत्तियां			
(क) मालसूची	8	590.67	516.09
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) व्यापार से प्राप्य	9	54,823.35	88,966.43
(ii) नकद और नकद समकक्ष	10	74,591.72	74,569.00
(iii) अन्य बैंक शेष	11	7,525.98	1,402.20
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	8,091.06	2,528.08
(ग) अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां	13	976.39	1,241.79
		1,46,599.17	**1,69,223.59**
बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत संपत्ति	25	233.46	301.52
सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त संपत्ति	25	39.19	-
कुल मौजूदा संपत्तियां		**1,46,871.82**	**1,69,525.11**
कुल परिसंपत्तियां		**2,01,227.06**	**2,24,776.13**
इक्विटी और देयताएं			
(1) इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	14	7,040.00	7,040.00
(ख) अन्य इक्विटी	15	58,367.94	48,755.33
कुल इक्विटी		**65,407.94**	**55,795.33**
(2) गैर–मौजूदा देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	19	-	431.90
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16	366.93	72.77
(ख) प्रावधान	17	10,104.82	9,300.51
(ग) अन्य गैर–मौजूदा देयताएं	18	799.52	612.05
कुल गैर–मौजूदा देयताएं		**11,271.27**	**10,417.23**
(3) मौजूदा देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	20	14,950.48	15,007.38
(ii) व्यापार देय			
कुल बकाया राशि			
(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	21	14.68	3.50
(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के अलावा लेनदार	21	20,692.17	43,077.88
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	22	78,734.25	89,538.40
(ख) अन्य मौजूदा देयताएं	23	3,823.50	6,208.50
(ग) प्रावधान	24	6,246.38	4,657.33
बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत देयताएँ		**1,24,461.46**	**1,58,492.99**
कुल मौजूदा देयताएं	25	86.39	70.58
कुल देयताएं		**1,24,547.85**	**1,58,563.57**
		1,35,819.12	**1,68,980.80**
कुल इक्विटी एवं देयताएं		**2,01,227.06**	**2,24,776.13**

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस घोष एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखापाल
एफआरएन : 302184E/E300007

(सीए प्रदीप कुमार मित्रा)
साझेदार
एम. नं. 052183

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके लिए

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन – 08643406)

(सुब्रत सरकार)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
(डीआईएन – 08290021)

(सुचित कुमार बर्णवाल)
महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा

(अजय कुमार राय)
कंपनी सचिव
एम. नं. F5627

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 25 मई 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
I परिचालन से राजस्व	26	87,614.78	78,046.61
II अन्य आय	27	24,717.87	21,361.29
III कुल आय (I + II)		**1,12,332.65**	**99,407.90**
IV व्यय			
(क) व्यापारगत माल/परिचालनीय कंज्युमेबल्स एवं स्पेयर्स की खरीद	28	21,417.02	21,774.60
(ख) कर्मचारी हितलाभ पर व्यय	29	19,325.96	17,339.29
(ग) वित्तीय लागत	30	261.60	714.61
(घ) मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	2	2,078.12	1,867.79
(ङ) अन्य व्यय	31	45,984.51	44,037.22
V कुल व्यय		**89,067.21**	**85,733.51**
VI संयुक्त उद्यम और कर (III – V) के लाभ/(हानि) के हिस्से से पूर्व लाभ		**23,265.44**	**13,674.39**
VII संयुक्त उद्यमों के लाभ/(हानि) का हिस्सा		**28.29**	**(86.00)**
VIII कर पूर्व लाभ (VI+ VII)		**23,293.73**	**13,588.39**
IX कर संबंधी व्यय			
(क) चालू कर	35	2,203.30	2,069.50
(ख) आस्थगित कर		1,177.15	223.01
कुल कर व्यय		**3,380.45**	**2,292.51**
X अवधि के लिए लाभ (VIII - IX)		**19,913.28**	**11,295.88**
XI अन्य व्यापक आय			
(क) (i) मदें, जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा	39	(1,603.76)	(792.93)
(ii) उपरोक्त पर आय कर		384.85	222.33
(ख) संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय का हिस्सा		(0.16)	1.00
		(1219.07)	(569.60)
XII वर्ष हेतु कुल व्यापक आय (X + XII)		**18,694.21**	**10,726.28**
XIII प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक)	36		
(क) बेसिक (₹ में)		28.29	16.05
(ख) डायल्यूटेड (₹ में)		28.29	16.05

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस घोष एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखापाल
एफआरएन : 302184E/E300007

(सीए प्रदीप कुमार मित्रा)
साझेदार
एम. नं. 052183

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके लिए

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन – 08643406)

(सुब्रत सरकार)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
(डीआईएन – 08290021)

(सुचित कुमार बर्णवाल)
महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा

(अजय कुमार राय)
कंपनी सचिव
एम. नं. F5627

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 25 मई 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	संख्या	अंकित मूल्य (₹)	राशि (लाख ₹ में)
क. इक्विटी शेयर पूंजीः			
31 मार्च, 2022 के अनुसार शेष	**7,04,00,000**	**10**	**7,040.00**
31 मार्च, 2021 के अनुसार शेष	**7,04,00,000**	**10**	**7,040.00**
31 मार्च, 2020 के अनुसार शेष	**7,04,00,000**	**10**	**7,040.00**

ख. अन्य इक्विटीः

विवरण	आरक्षित पूंजी	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय	कुल
01 अप्रैल, 2021 को शेष	**3,416.00**	**64,825.00**	**(19,485.67)**	**48,755.33**
वर्ष हेतु लाभ	-	-	19,913.28	**19,913.28**
वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय	-	-	(1,219.07)	**(1,219.07)**
अंतिम लाभांशः वित्तीय वर्ष 20–21	-	-	(3,097.60)	**(3,097.60)**
अंतरिम लाभांशः वित्तीय वर्ष 21–22	-	-	(5,984.00)	**(5,984.00)**
सामान्य आरक्षित में अंतरण/(से) प्रतिधारित आय	-	-	-	**-**
31 मार्च, 2022 को शेष	**3,416.00**	**64,825.00**	**(9,873.06)**	**58,367.94**
01 अप्रैल, 2020 को शेष	**3,416.00**	**64,825.00**	**(27,888.75)**	**40,352.25**
समाप्त वर्ष हेतु लाभ	**-**	**-**	11,295.88	**11,295.88**
वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय	**-**	**-**	(569.60)	**(569.60)**
अंतिम लाभांशः वित्तीय वर्ष 19–20	**-**	**-**	(2,323.20)	**(2,323.20)**
सामान्य आरक्षित में अंतरण/(से) प्रतिधारित आय	**-**	**-**	**-**	**-**
31 मार्च, 2021 को शेष	**3,416.00**	**64,825.00**	**(19,485.67)**	**48,755.33**

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।
हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस घोष एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखापाल
एफआरएन : 302184E/E300007

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके लिए

(सीए प्रदीप कुमार मित्रा)
साझेदार
एम. नं. 052183

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन – 08643406)

(सुब्रत सरकार)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
(डीआईएन – 08290021)

(सुचित कुमार बर्णवाल)
महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा

(अजय कुमार राय)
कंपनी सचिव
एम. नं. F5627

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 25 मई 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकद प्रवाह का समेकित विवरण

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
क. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
वर्ष हेतु कर पूर्व लाभ	23,293.73	13,588.39
समायोजनः		
गैर मौजूदा संपत्तियों का मूल्यह्रास/परिशोधन व्यय	2,085.58	1,875.29
संयुक्त उद्यम में निवेश से हानि	(28.29)	86.00
संपत्ति संयंत्र और उपकरण के निपटान पर हानि/(लाभ)	18.27	5.77
वित्तीय लागत	261.60	714.61
लाभ एवं हानि में स्वीकृत ब्याज आय	(2,346.68)	(1,324.14)
आवश्यक नहीं रह गए प्रावधान पनुरांकित किए गए	(22,146.52)	(19,681.29)
बट्टे खाते में डाला गया खराब ऋण	22,038.14	18,036.07
खराब एवं संदिग्ध अग्रिम/ऋणों के लिए प्रावधान	3,963.04	7,169.80
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	**27,138.87**	**20,470.50**
परिचालन संपत्ति एवं देयताओं में परिवर्तन हेतु समायोजन		
परिचालन संपत्ति में (वृद्धि)/कमी हेतु समायोजन		
कार्यशील पूंजी में गतिः		
व्यापार एवं अन्य प्राप्ति में (वृद्धि)/कमी	27,755.17	43,969.02
अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	278.14	(55.79)
माल में (वृद्धि)/कमी	(74.58)	183.85
परिचालन देयताओं में (वृद्धि)/कमी हेतु समायोजन		
व्यापार भुगतान एवं अन्य वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(32,884.52)	1,080.25
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(2,181.72)	3,956.30
प्रावधान में वृद्धि/(कमी)	789.61	854.39
परिचालन से नकद की सृष्टि	**20,820.97**	**70,458.52**
प्रत्यक्ष कर भुगतान (शुद्ध वापसी)	**(3,976.39)**	**(2,343.76)**
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद	**16,844.58**	**68,114.76**
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण हेतु भुगतान	(7,272.56)	(3,592.26)
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान से प्राप्ति	5,272.47	136.89
सावधि जमा में निवेश	(6,123.78)	3,122.52
संयुक्त उद्यम में निवेश	(600.00)	(400.00)
प्राप्त ब्याज	1,734.02	1,856.46
निवेश गतिविधियों में शुद्ध नकद (प्रयुक्त)	**(6,989.85)**	**1,123.61**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अल्प सावधि उधारी पर प्राप्ति/(चुकौती)	(488.81)	(7,709.80)
ब्याज भुगतान	(261.60)	(714.61)
लाभांश भुगतान	(9,081.60)	(2,323.20)
भुगतान किए गए लाभांश पर कर	–	–
वित्तीय कार्यकलापों में इस्तेमाल शुद्ध नकद	**(9,832.01)**	**(10,747.61)**
नकद एवं नकद समकक्ष (क + ख + ग) में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	**22.72**	**58,490.76**
अवधि के आरंभ में नकद एवं नकद समकक्ष	**74,569.00**	**16,078.24**
अवधि के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष	**74,591.72**	**74,569.00**

टिप्पणियाँः

1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े बहिर्वाह दर्शाते हैं

2. नकद और नकद समकक्ष दिखाने वाला विवरण

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	74,591.72	74,569.00
घटाएंः वर्ष के अंत में ओवर ड्राफ्ट बैलेंस	–	–
वर्ष के अंत में शुद्ध नकद और नकद समकक्ष	**74,591.72**	**74,569.00**

नोटः नकदी प्रवाह का विवरण भारतीय लेखा मानक ~ 7 के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार किया जाता हैः नकदी प्रवाह का विवरण।

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस घोष एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखापाल
एफआरएन : 302184E/E300007

(सीए प्रदीप कुमार मित्रा)
साझेदार
एम. नं. 052183

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 25 मई 2022

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके लिए

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन – 08643406)

(सुचित कुमार बर्णवाल)
महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा

(सुब्रत सरकार)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
(डीआईएन – 08290021)

(अजय कुमार राय)
कंपनी सचिव
एम. नं. F5627

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

1. क सामान्य जानकारी

एमएसटीसी लिमिटेड (कंपनी) एक मिनीरत्न श्रेणी–I कंपनी है जो 9 सितंबर, 1964 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित की गई थी। यह भारत में स्थित है एवं इसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट सं–सीएफ–18/2, स्ट्रीट सं–175, एक्शन एरिया 1सी, न्यू टाउन, कोलकाता–700156 और शेयरों द्वारा परिसीमित (सीआईएन L27320WB1964GOI026211) है। आरंभिक पब्लिक ऑफर के अंतर्गत एमएसटीसी लिमिटेड के इक्विटी शेयर 29 मार्च, 2019 से बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड दोनों पर सूचीबद्ध हैं तथा साथ ही कारोबार कर रहे हैं। कंपनी की व्यापारिक गतिविधियाँ ई–कॉमर्स तथा साथ ही लौह और अलौह स्क्रैप, अधिशेष भंडार, खनिज, कृषि और वन उत्पादों आदि का निपटान करता है जो अधिकांशतया सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों के होते हैं। कंपनी की मुख्य गतिविधि दो प्रचालन प्रभागों, यानी ई–कॉमर्स और ट्रेडिंग में विभाजित हैं। ई–कॉमर्स प्रभाग स्क्रैप, अधिशेष भंडार का निपटान, खनिज कृषि और वन उत्पादों की ई–बिक्री, कृषि और वन उपज और ई खरीद करता है। कंपनी से जुड़े प्रमुख प्रतिष्ठानों की सूची में रक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आदि जैसे सार्वजनिक उपक्रम शामिल हैं। कंपनी के निपटान पद्धत्ति में ई–नीलामी, ई– निविदा, ई–रिवर्स नीलामी इत्यादि सम्मिलित है। इसके अलावा, एमएसटीसी कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगरेनी कोलफील्ड्स लिमिटेड आदि से कोयले की ई–नीलामी भी करता है। इनके अतिरिक्त एमएसटीसी ई–खरीद समाधान भी प्रदान करता है। व्यापार प्रभाग मुख्य रूप से थोक औद्योगिक कच्चे माल के आयात/निर्यात और घरेलू व्यापार का प्रबंधन करता है। यह भारतीय उद्योगों की आपूर्ति के लिए भारी मेल्टिंग स्क्रैप, लो ऐश मेटलर्जिकल कोक, एचआर कॉइल, क्रूड ऑयल, नेप्था, कोकिंग कोल, स्टीम कोल आदि जैसे औद्योगिक कच्चे माल की सोर्सिंग, खरीद और बिक्री को देखता है। कोयला/इस्पात उद्योग, तेल क्षेत्र, राज्य की स्वामित्वाधीन विद्युत कंपनियां आदि कंपनी के अंतिम पंक्ति के ग्राहक हैं।

इसके पास संपूर्ण स्वामित्व की एक निगमित सहायक कंपनी, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनसल) है जिसका सीआईएनः U27102CT1989GOI005468 है जो 28 मार्च, 1979 को निगमित हुई एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय भिलाई, छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह सहायक कंपनी इस्पात संयंत्रों में लोहा और इस्पात बनाए जाने के दौरान उत्पन्न स्लैग और परित्यक्त से स्क्रैप पुनः प्राप्त करने एवं प्रसंस्करण के कार्य करती है। ये ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार ब्लास्ट फर्नेस का उत्खनन एवं उसे ऊपर खींचना और स्लैग यार्ड में स्टील मेल्टिंग शॉप स्लैग एवं लौह तथा इस्पात के अवषेश, मिल के परित्यक्त माल का प्रक्रियाकरण और स्क्रैप के रखरखाव की विशिष्ट सेवाएं प्रदान करती है। एफएसएनएल सिंटर संयत्र, ब्लास्ट फर्नेस, स्टील मेल्टिंग शॉप और रेल बैलस्ट में इस्तेमाल होने वाले लैग की स्लैब की परत चढ़ाने एलडी स्लैग को तोड़ने एवं निरीक्षण की सेवा भी प्रदान करता है। यह स्लज कंपार्टमैंट और राख के तालाबों में जमे पंक और राख को भी हटाती है। वे ओपन हार्थ मक डंप में एसिड स्लज के संचालन एवं उसे निष्प्रभावी करने का कार्य भी करती है।

1. ख हाल के लेखांकन विकास

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') समय–समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमों के अधीन मौजूदा मानकों में नए मानक या संशोधन अधिसूचित करता है। दिनांक 23 मार्च, 2022 को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2022 में निम्नलिखित संशोधन किए गए जो 1 अप्रैल, 2022 से लागू हैं:

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 16 – अपेक्षित उपयोग से पूर्व आय

यह संशोधन मुख्यतया किसी प्रतिष्ठान को संपत्ति संयंत्र और उपकरण की लागत उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त राशि से काटने से रोकता है जबकि कंपनी अपने अपेक्षित उपयोग के लिए परिसंपत्ति तैयार कर रही है। इसके बजाय, प्रतिष्ठान ऐसी बिक्री आय और संबंधित लागत को लाभ या हानि में मान्यता देगा। समूह को यह उम्मीद नहीं है कि इन संशोधनों का उसके वित्तीय विवरणिकाओं में उसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मान्यता पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 37– दुर्वह संविदाएं – संविदा पूरा करने की लागत

ये संशोधन विनिर्दिष्ट करते हैं कि संविदा पूरा करने की लागत में वह लागत सम्मिलित है जो सीधे संविदा से जुड़ी है। संविदा से सीधे जुड़ी लागत या तो उस संविदा को पूरा करने की वृद्धिशील लागत हो सकती है (इसके उदाहरणों में प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री शामिल होंगे) या अन्य लागतों का आवंटन जो सीधे संविदाओं को पूरा करने से संबंधित हैं। ये संशोधन अनिवार्य रूप से स्पष्टीकरण है और समूह को यह उम्मीद नहीं है कि संशोधन का उसके वित्तीय विवरणिकाओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 109 – इंड एएस (2021) में वार्षिक सुधार

यह संशोधन स्पष्ट करता है कि प्रतिष्ठान में कौन सा शुल्क सम्मिलित है, जब वह वित्तीय देनदारी को मान्यता देने का आकलन करने में भारतीय लेखा मानक 109 का '10 प्रतिशत' परीक्षण लागू करती है। समूह को यह उम्मीद नहीं है कि संशोधन का उसके वित्तीय विवरणिकाओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

1. ग महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. ग. 1(क) तैयारी के आधार

ये वित्तीय विवरण कुछ संपत्तियों और देनदारियों के अपवादों जिन्हें भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाना अपेक्षित है, को छोड़कर ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किए गए हैं। समूह की वित्तीय

विवरणिकाएं कंपनी अधिनियम 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अधीन अधिसूचित नियम सहित भारतीय लेखा मानक ('इंड एएस') के अनुपालन में तैयार की गई हैं।

उचित मूल्य वह कीमत होती है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने से प्राप्त की जाती है या जिसका मापन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच सुव्यवस्थित लेनदेन में देनदारी को आंतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है, भले ही उस कीमत का प्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके अनुमान लगाया जाए। किसी परिसंपत्ति या देनदारी के उचित मूल्य का आकलन करने में, समूह परिसंपत्ति या देनदारी की उन विशेषताओं को ध्यान में रखती है जब परिसंपत्ति या देनदारी का मूल्य निर्धारण करते समय बाजार प्रतिभागियों ने मापन तिथि को उन विशेषताओं को ध्यान में रखा है।

कार्यवाहक मुद्रा एवं प्रस्तुतीकरण मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में तैयार किए जाते हैं जो कि सभी प्रचालनों के लिए समूह की कार्यवाहक मुद्रा है। भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत सभी वित्तीय सूचना निकटतम लाख में पूर्ण राशि में दी गई है, जब तक कि अन्यथा न उल्लेख न किया गया हो।

चालू एवं गैर–चालू वर्गीकरण

समूह तुलनपत्र में परिसंपत्ति और देनदारियां चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है। सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को समूह के सामान्य प्रचालन चक्र एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III और इंड एएस 1 – में 'वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण' निर्धारित अन्य मानदंड के अनुसार चालू या गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रचालन चक्र कार्य–प्रक्रिया के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद और नकद समतुल्य में इसकी वसूली के बीच का समय है। समूह अपने प्रचालन चक्र के रूप में बारह महीने चिन्हित किए हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर–चालू परिसंपत्ति और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

अनुमानों और महत्वपूर्ण निर्णयों का उपयोग

इंड–एएस के अनुसार लेखाओं की तैयारी में प्रबंधन को परिसंपत्तियों और देनदारियों की सूचित की गई राशि, लेखाओं की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों का प्रकटीकरण और अवधि के दौरान आय तथा व्यय की रिपोर्ट की गई राशि के प्रभाव का अनुमान एवं आकलन करना अपेक्षित है।

वास्तविक परिणाम अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं। अनुमान के लिए सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों का नीचे लेखांकन नीतियों में उल्लेख किया गया है। महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, और समूह की लेखांकन नीतियों को लागू करने में आकलन या अनिश्चितता के महत्वपूर्ण स्रोत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, वर्तमान परिसंपत्ति प्रावधान, आस्थगित कर, सेवानिवृत्ति हितलाभ के संबंध में उत्पन्न होते हैं।इनमें से प्रत्येक मद के लिए अंतर्निहित निर्णयों और अनुमानों के तरीके सहित विस्तृत लेखांकन नीतियों की नीचे चर्चा की गई है। इन सभी महत्वपूर्ण कारकों की निरंतर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में ये अनुमान संशोधित किए जाते हैं और जिसमें भविष्य की कोई भी अवधि प्रभावित होती है।

1. ग. 1 (ख) समेकन के सिद्धांत

समेकित वित्तीय विवरण एमएसटीसी लिमिटेड ('कंपनी') और इसकी सहायक कंपनी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड और संयुक्त उद्यम महिंद्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित हैं। ये समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:

(क) कंपनी और इसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण इंट्रा–ग्रुप शेष और इंट्रा–ग्रुप लेनदेन को पूर्णतया हटाने के उपरांत, परिसंपत्ति, देनदारीं, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह जैसे मदों को जोड़ते हुए रेखा दर रेखा आधार पर संयोजित किया गया है।

(ख) इंट्रा–ग्रुप लेन–देन से होने वाले लाभ या हानि, जिन्हें परिसंपत्ति जैसे मालसूची और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में मान्यता दी गई है, को पूर्णतया हटा लिया गया है।

(ग) प्रत्येक सहायक कंपनी की इक्विटी के मूल कंपनी के शेयर एवं प्रत्येक सहायक कंपनी में मूल कंपनी के निवेश की रखाव राशि को ऑफसेट (समाप्त करना)।

(घ) सहायक कंपनी में निवेश के निपटान से प्राप्त आय और निपटान की तिथि को इसकी परिसंपत्तियों से देनदारियों को घटाने के उपरांत रखाव राशि के बीच अंतर को सहायक कंपनी में निवेश के निपटान पर लाभ या हानि होने के कारण समेकित लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गई है।

(ङ) कंपनी के शेयरधारकों से संबंधित निवल आय का निर्धारण करने में वर्ष के लिए सहायक कंपनियों के समेकित लाभ/हानि के गैर–नियंत्रणकारी ब्याज के अंश को समूह की आय के प्रति मान्यता देकर समायोजित किया जाता है।

(च) समेकित सहायक कंपनी की निवल परिसंपत्तियों में गैर–नियंत्रणकारी ब्याज अंश को कंपनी के शेयरधारकों की देनदारियों और इक्विटी से अलग समेकित तुलन पत्र में मान्यता देकर दर्शाया जाता है।

(छ) संयुक्त उद्यम में निवेश को इंड एएस 28 – सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश के अनुसार इक्विटी विधि के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है।

इक्विटी विधि

इक्विटी विधि के अंतर्गत, निवेश को आरंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है और उसके उपरांत लाभ या हानि में निवेशिती के अधिग्रहण के बाद लाभ या हानि के समूह के अंश और निवेशिती की अन्य व्यापक आय के समूह के अंश को मान्यता देने हेतु समायोजित किया जाता है। संयुक्त उद्यम से लाभांश को निवेश की रखाव राशि में अपचयन के रूप में मान्यता दी जाती है।

जब किसी इक्विटी–परिकलित निवेश में समूह के हानि अंश, संस्था में उसके हित के समान या अधिक होता है, जिसमें कोई अन्य अप्रतिभूत

दीर्घावधिक प्राप्य सम्मिलित है, को समूह आगे की हानियों में मान्यता नहीं देती है, जब तक कि उसने दूसरी संस्था की आरे से कोई देयता व्यय न की हो या भुगतान न किया हो।

कंपनी और उसके संयुक्त उद्यम के बीच लेनदेन पर अप्राप्त लाभ को इन प्रतिष्ठानों में समूह के हित की सीमा तक हटा दिया जाता है। इसी प्रकार अप्राप्त हानियों को भी हटा दिया जाता है जब तक कि लेनदेन अंतरित परिसंपत्ति की क्षीणता का प्रमाण प्रदान न करे। इक्विटी परिकलित निवेशिति की लेखांकन नीतियों में समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करने हेतु जहां भी आवश्यक हो, बदलावा किया गया है।

क्षीणता के लिए इक्विटी परिकलित निवेश की रखाव राशि की नीति के अनुसार जांच की जाती है।

1. ग.2 विदेशी मुद्रा रूपांतरण

समूह के वित्तीय विवरण तैयार करते समय, कार्यवाहक मुद्रा को छोड़कर अन्य मुद्राओं में लेनदेन, लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किए जाते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों का रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित दरों पर पुनःरूपांतरित किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित, उचित मूल्य पर गैर–मौद्रिक मद इस तिथि को प्रचलित दरों पर पुनः रूपांतरित होते हैं जिस पर उचित मूल्य का निर्धारण किया गया था। कोई भी गैर मौद्रिक मद जो किसी विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत की शर्तों में मापे जाते हैं, का रूपांतरण नहीं किया जाता है।

मौद्रिक मदों के निपटान और मौद्रिक मदों के पुनः रूपांतरण पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को अवधि के लिए लाभ एवं हानि विवरण में सम्मिलित किया जाता है। उचित मूल्य पर किए गए गैर–मौद्रिक मदों पर पुनः रूपांतरण पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को गैर–मौद्रिक मदों के पुनः रूपांतरण पर उत्पन्न होने वाले अतंरों को छोड़कर, अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में सम्मिलित किया जाता है, जिसके संबंध में लाभ और हानि को सीधे अन्य व्यापक आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

जहां कहीं भी ग्राहक उनके साथ किए गए करार के अनुसार विदेशी मुद्रा के उतार–चढ़ाव को वहन करते हैं, उसे समूह की बहियों में विदेशी मुद्रा लाभ/हानि को मान्यता नहीं दी जाती है।

1. ग.3 (क) सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मद को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब यह संभवना हो कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होते रहेंगे और इसकी लागत को मजबूती से मापा जा सकता है।यह मान्यता सिद्धांत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद को प्राप्त करने के लिए आरंभ में किए गए खर्चों पर लागू होता है और बाद में इसे खर्च किए गए व्ययों को भी शमिल करने, किसी अंश को बदलने या सेवा देने के लिए किया जाता है। नियमित सर्विसिंग सहित सभी अन्य मरम्मत और रखरखाव लागत को लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। जब कोई प्रतिस्थापन होता है, तो प्रतिस्थापित भाग की रखाव राशि को मान्यता नहीं दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का संचित मूल्यह्रास और क्षीणता हानि को घटाकर लागत पर उल्लेख किया जाता है। इस लागत में वे सभी प्रत्यक्ष लागतें और व्यय सम्मिलित होते हैं जो परिसंपत्ति को उसके अपेक्षित उपयोग के लिए उसकी कार्यकारी स्थिति और स्थान पर लाने के लिए किए गए हैं।

किसी परिसंपत्ति के निपटान पर होने वाले लाभ या हानि को बिक्री की आय और परिसंपत्ति की रखाव राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है, और इसे लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

संपत्ति में शामिल संयंत्र और उपकरण में वे खुले संयंत्र और औजार सम्मिलित हैं जो उनके अपेक्षित उपयोगी जीवन और अनुमानित स्क्रैप मूल्य तथा अतिरिक्त पुर्जे से संबंधित बट्टे खाते में डाली गई राशि को निकालकर लागत पर बताए गए हैं, जिसके लिए जहां भी आवश्यक हो क्षीणता के प्रावधान दिए गए हैं, ताकि धीमी गति वाले एवं अप्रचलित मदों को उपलब्ध कराया जा सके।

भूमि अनंत आर्थिक गतिविधि का स्रोत है। कंपनी इसके कुछ हिस्से के जीवनकाल को सीमित वर्षों के लिए पट्टे पर देकर इसका लाभ उठा सकती है। अग्रिम में भुगतान किए गए पट्टा किराए को पट्टरवधि में परिशोधन किया जा रहा है।

चल रहे पूंजीगत कार्य का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है और इसमें मार्गस्थ उपकरण और स्थायी परिसंपत्तियों की लागत शामिल है जो रिपोर्टिंग तिथि पर उनके अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं।

सहायक कंपनी के मामले में, 'गैर–चालू परिसंपत्ति' के अंतर्गत 'बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियां' अपनी रखाव राशि पर निरंतर उपयोग एवं बिक्री की उच्च संभावना माने जाने के बजाय, मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। आस्थगित कर परिसंपत्ति, कर्मचारी हितलाभ से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियां, वे वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें विशेष रूप से इस अपेक्षा से छूट प्राप्त है, को छोड़कर, उन्हें उनकी रखाव राशि और उचित मूल्य में से बिक्री की लागत को घटाकर आने वाली राशि से कम पर मापा जाता है। इसके अतिरिक्त, जहां प्रबंधन को उम्मीद है कि उक्त परिसंपत्ति के किसी भी हिस्से की तुलन पत्र की तारीख पर एक वर्ष के भीतर निपटारा होने की संभावना है तो उसे चालू परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

सहायक कंपनी के मामले में 'गैर–चालू परिसंपत्ति' के अंतर्गत 'बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियां' उनके निवल लिखित मूल्य पर वर्गीकृत की जाती हैं क्योंकि ये परिसंपत्ति पहले ही सामान्य निरंतर प्रचालन से निवृत्त हो चुकी है और केवल बिक्री/नीलामी के लिए रखी गई हैं।

सहायक कंपनी के मामले में 'बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियां' तुलन पत्र में अन्य परिसंपत्तियों से अलग दर्शाई गई हैं। बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत देनदारियां तुलन पत्र में अन्य देनदारियों से अलग दर्शाई गई हैं।

1. ग.3 (ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास

मूल्यह्रास को सीधी रेखा के आधार पर, बट्टे खाते के रूप में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अवशिष्ट मूल्य पर प्रावधान किया जाता है। ये प्रभार उस तारीख से आरंभ होते हैं जिस तारीख को परिसंपत्ति उनके अपेक्षित उपयोग के लिए उपलब्ध होती है तथा उनके अनुमानित

उपयोगी आर्थिक जीवन परिव्याप्त होती है। परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार संशोधित की जाती है। उन संपत्तियों के संबंध में आगे प्रभार का प्रावधान नहीं किया जाता है जो पूर्णतया अवलिखित कर दी है परंतु अभी भी उपयोग में हैं।

निर्माणाधीन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोग प्रस्तुत होने पर आरंभ होता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत को उनके अवशिष्ट मूल्यों के निवल, उनके उपयोगी जीवन पर आवंटित करने के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में विनिर्दिष्टानुसार किया जाता है।

प्रमुख श्रेणी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है:

परिसंपत्ति का प्रकार	अनुमानित उपयोगी जीवन (वर्ष)
कार्यालय उपकरण	5
वाहन	8
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	10
पार्टीशन और क्यूबिकल्स	10
भवन	60
भवन (आरसीसी के अतिरिक्त)	30
एयर कंडीशनर	10
विद्युत संस्थापन और उपकरण	10
कंप्यूटर और ईडीपी उपकरण	3
सर्वर	6
मशीनरी	15
हॉट स्लैग संचालन हेतु प्रयुक्त एक्सकैवेटर 1.2 से 5 घन मी.	5
डोजर	7
हॉट स्लैग संचालन हेतु इस्तेमाल न किए गए एक्सकैवेटर 1.2 से 5 घन मी.	7
क्रेन	15
मैग्नेटिक सेपरेटर	15
उपर्युक्त परिसंपत्तियों को छोड़कर 'संयत्र एवं मशीनरी'के अंतर्गत सभी परिसंपत्तियां	9.19
सौर संयत्र	10
पांच हजार से कम मूल्य वाली परिसंपत्तियां	100%

निर्माण के दौरान चल रही परिसंपत्तियां चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं एवं कोई मानी गई क्षीणता हानि को घटाकर लागत पर वहन की गई है। ऐसे चल रहे पूंजीगत कार्य को पूरा होने पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयुक्त श्रेणी में अंतरित किया गया है।

1. ग.3 (ग) अमूर्त परिसंपत्तियां

सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्ति जो अलग से अर्जित की गई है उन्हें संचित परिशोधन और संचित क्षीणता हानि को घटाकर दर्शाया जाता है। परिशोधन को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। अनुमानित उपयोगी जीवन और परिशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, जिसमें अनुमान में कोई बदलाव भावी आधार पर लेखांकित किया जाता है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 6 वर्ष के अनुमानित उपयोगी जीवन (बिना किसी अवशिष्ट मूल्य के) पर सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान पर मान्यता नहीं दी जाती है, या जब उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन अनुमान लगाता है कि अमूर्त परिसंपत्ति का उसके उपयोगी जीवन के अंत में शून्य वहन लागत है यानी शून्य अवशिष्ट मूल्य है।

अलग से अर्जित सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर के रूप में पूंजीकृत किया गया है। इनका परिशोधन उनके लाइसेंस की अवधि में किया गया है। स्थायी लाइसेंस के मामले में लागत को पांच साल की अवधि में परिशोधित किया गया है।

1. ग.4 गैर–वित्तीय संपत्तियों की क्षीणता

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, समूह यह सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति की रखाव राशि की समीक्षा करता है कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि उन परिसंपत्तियों की रखाव राशि निरंतर उपयोग के माध्यम से वसूली योग्य नहीं हो सकती है, यदि कोई ऐसा संकेत दिखाई देता है, तो परिसंपत्ति की क्षीणता हानि (यदि कोई हो) का निर्धारण करने के लिए परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि की समीक्षा की जाती है। जहां परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह उत्पन्न होता है जो अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र हैं, समूह नकदी उत्पन्न करने वाली उस इकाई की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। अनिश्चितकालीन उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्ति की क्षीणता की वार्षिक रूप से जांच की जाती है और जहां भी कोई संकेत होता है, परिसंपत्ति क्षीणता प्राप्त हो सकती है वहां भी वार्षिक रूप से जांच की जाती है।

वसूली योग्य राशि बिक्री मूल्य को घटाकर प्राप्त उचित मूल्य एवं उपयोग में मूल्य में से अधिक वाली राशि होती है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य से पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करते हुए छूट दी जाती है जो राशि के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिम को दर्शाता है जिसके लिए भविष्य के नकदी प्रवाह का अनुमान का समायोजन नहीं किया गया है। क्षीणता हानि को लाभ एवं हानि विवरण में तब मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति की रखाव राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो।

जहां क्षीणता हानि बाद में व्युत्क्रमित हो जाती है तो परिसंपत्ति की रखाव राशि (या नकद उत्पादन इकाई) की उसकी वसूली योग्य राशि के संशोधित अनुमान में बढ़ती है, परंतु इतना कि बढ़ी हुई रखाव राशि उस रखाव राशि से अधिक न हो जो निर्धारित की गई होती, यदि पूर्व के वर्षों में परिसंपत्ति (या नकद उत्पादन इकाई) के लिए क्षीणता हानि को मान्यता नहीं दी होती। क्षीणता हानि की विपरीत स्थिति को तुरंत लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

1. ग.5 सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यम में निवेश

सहायक और संयुक्त उद्यम में निवेश लागत पर किया जाता है। जहां हानि का संकेत दिखाई देता है वहां निवेश की रखाव राशि का आकलन किया जाता है और उसे तुरंत वसूली योग्य राशि में लिख लिया जाता है। सहायक और संयुक्त उद्यम में निवेश के निपटान पर, निवल निपटान आय और रखाव राशियों के बीच अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

1. ग.6 वित्तीय लेखपत्र

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब समूह लिखतों के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को आरंभ में उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या निर्गम (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों और वित्तीय देनदारियों के अतिरिक्त) के लिए प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी लेनदेन लागतों को वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय दायित्वों की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण के कारण सीधे लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

क) वित्तीय परिसंपत्तियां

I. परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखना है तथा वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह के लिए निर्दिष्ट तारीखों पर नकदी प्रवाह को बढ़ाती है जो मूलतः बकाया मूलधन और इस मूलधन पर ब्याज का भुगतान हैं।

प्रारंभिक माप के उपरांत, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां तदुपरांत प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता हैं।

प्रभावी ब्याज पद्धति वित्तीय साधन की परिशोधन लागत का निर्धारण करने और प्रासंगिक अवधि में ब्याज आय या व्यय आवंटित करने की एक विधि है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवन के माध्यम से या जहां उपयुक्त हो, अल्प अवधि के माध्यम से ठीक उतनी ही भावी नकद प्राप्ति या भुगतान की छूट देती है।

II. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय मॉडल के तौर पर रखी जाती हैं जिसका मुख्य उद्देश्य इन परिसंपत्तियों को संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्रित करने या इन वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने के लिए रखना है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों को नकदी प्रवाह को बढ़ाती है जो मूलतः बकाया मूलधन और इस मूलधन पर ब्याज का भुगतान हैं।

इन मानदंडों को पूरा करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियां आरंभ में उचित मूल्य और लेनदेन लागत पर मापी जाती हैं। इसके उपरांत इन्हें अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुनर्मापन पर उत्पन्न किसी लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। यद्यपि, लाभ एवं हानि विवरण में ब्याज आय, हानि एवं उत्क्रमण तथा विदेशी मुद्रा लाभ व हानि को मान्यता दी जाती है।

III. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां

अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर नहीं मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ली जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षीणता

अपेक्षित ऋण हानियों के लिए हानि भत्ते को अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत और उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए मान्यता दी जाती है।

यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद से वित्तीय साधनों पर ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो आजीवन अपेक्षित ऋण हानियों के बराबर हानि भत्ता को मान्यता दी जाती है। वित्तीय साधनों के लिए जिनके क्रेडिट जोखिम में प्रारंभिक मान्यता के बाद से उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो बारह महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर हानि भत्ते मान्यता दी जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की अमान्यता

समूह किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तभी समाप्त करता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या यह वित्तीय परिसंपत्ति और साथ ही परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को किसी दूसरी संस्था को हस्तांतरित कर देता है। यदि समूह स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित करता है और न ही बरकरार रखता है और हस्तांतरित संपत्ति को नियंत्रित करना जारी रखता है, तो समूह परिसंपत्ति में अपने हित और उन राशियों से जुड़ी देनदारी को मान्यता देता है जो उसे चुकानी पड़ सकती है। यदि समूह एक हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से बरकरार रखता है, तो समूह वित्तीय परिसंपत्ति को मान्यता देना जारी रखता है और प्राप्त आय के संपार्श्विक उधारी को भी मान्यता देता है।

ख) वित्तीय देनदारियां और इक्विटी लेखपत्र

वर्गीकरण

समूह द्वारा जारी वित्तीय देनदारियों और इक्विटी लिखतों को अनुबंधित व्यवस्थाओं के सार एवं किसी वित्तीय देनदारी तथा इक्विटी लेखपत्र की परिभाषाओं के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

इक्विटी लेखपत्र

इक्विटी लेखपत्र कोई ऐसी संविदा है जो समूह की सभी देनदारियों को घटाने के बाद समूह की परिसंपत्ति में अवशिष्ट ब्याज को प्रस्तुत करता है। इक्विटी लेनदेन की लेनदेन लागत को इक्विटी से कटौती के रूप में लेखांकित किया जाता है।

वित्तीय देनदारियां

समूह की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देय और बैंक ओवरड्राफ्ट सहित उधार शामिल हैं, जिन्हें आरंभ में उचित मूल्य पर, लेनदेन लागतों को घटाकर मापा जाता है, और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देनदारियों की अमान्यता

समूह वित्तीय देनदारियों को केवल तब मान्यता देता है जब समूह पूरे हो गए हों, रद्द हो गए हों या समाप्त हो गए हों।

वित्तीय लेखपत्रों की क्षतिपूर्ति या समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां उस समय क्षति पूर्ति की जाती है एवं तुलन पत्र में रिपोर्ट की जाती है जब मान्यता प्राप्त राशियों की क्षतिपूर्ति के लिए कानूनी तौर पर लागू योग्य कोई अधिकार शामिल हो एवं निवल आधार पर निपटान करने या परिसंपत्ति प्राप्त करने और देनदारी का निपटान करने का इरादा होता है। कानूनी रूप से लागू योग्य अधिकार, भविष्य के घटनाक्रमों पर आकस्मिक नहीं होना चाहिए और व्यापार के सामान्य प्रचालन और प्रतिपक्ष की चूक, दिवाला या दिवालियापन की स्थिति में लागू होने योग्य होने चाहिए।

1. ग.7 नकद और नकद समतुल्य

नकदी प्रवाह के विवरण में प्रस्तुत करने के प्रयोजन से, नकद और नकद समतुल्य में हाथ पर नकदी, तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ उच्च रूप से चलनिधि निवेश जो नकदी की ज्ञात राशि में तुरंत परिवर्तनीय हैं, बैंक में नकद, और बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं और जो मूल्य में गैर उल्लेखनीय परिवर्तन के अधीन हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट तुलन पत्र में चालू देनदारियों में उधारी के अंतर्गत दिखाए गए हैं।

1. ग.8 माल सूची

मार्गस्थ माल सहित व्यापारिक स्टॉक का मूल्यांकन लागत या अनुमानित निवल वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो, पर किया जाता है।

सहायक के मामले में:

(i) अचल मालसूचियों को छोड़कर, अन्य मालूसची का मूल्यांकन लागत या अनुमानित निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। इस लागत में खरीदी लागत और अन्य प्रत्यक्ष खर्च शामिल हैं परंतु ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क शामिल नहीं है जहां कंपनी सेनवेट क्रेडिट नियम 2004 के नियम 3(1) के अनुसार सेनवेट क्रेडिट लेने के लिए पात्र है।

(ii) मालसूची की वे मदें, जो तीन से अधिक वर्षों से हटाए नहीं गए हैं, उन्हें गैर–चल मालसूची माना जाता है। गैर–चल मालसूची को वर्ष 2001–02 से प्रत्येक वर्ष लागत के दस प्रतिशत घटाते हुए मूल्यांकित किया जाता है।

(iii) स्क्रैपवाली/अनावश्यक स्टोर मदों का मूल्यांकन अनुमानित निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, की लागत पर किया जाता है।

1. ग.9 राजस्व की मान्यता

राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब ग्राहक को वस्तुओं और सेवाओं के हस्तांतरण के लिए निष्पादन दायित्व पूर्ण हो जाता है।

राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है एवं बीमांकिक आधार पर मान्यता दी जाती है।

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक आधार पर सूचित किया गया है।

बिक्री

i) उच्च समुद्री बिक्री (हाई सी सेल्स) की बुकिंग हाई सी सेल पत्र जारी होने की तारीख के आधार पर की जाती हैं। मूल्य के संबंध में, बिक्री यदि कोई बुक की गई हो तो अनुबंधित वायदा विनिमय दरों पर या अनंतिम रूप से वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर प्रचलित एफईडीएआई स्पॉट विनिमय दरों के आधार पर की जाती है, जहां फॉरवर्ड कवर नहीं लिया गया था, जिसमें सीएंडएफ/सीआईएफ मियादी ब्याज, तदपुरांत वित्तीय वर्ष में भुगतान की देय तिथि पर अंतिम समायोजन सम्मिलित है।

ii) स्वदेशी सामग्री के मामले में, बिक्री को परिवहन दस्तावेजों की तारीख के आधार पर एवं मूल्य के संबंध में, चालान के मूल्य के आधार पर लेखांकित किया जाता है। डोर डिलीवरी के आधार पर की गई बिक्री के मामले में बिक्री, चालान की तारीखों पर बुक की जाती है।

iii) निर्यात के मामले में, बिक्री को शिपमेंट की तारीख के आधार पर लेखांकित किया जाता है। मूल्य के संबंध में, बिक्री को अनुबंधित वायदा विनिमय दरों पर बुक किए जाने पर या सीमा शुल्क मंजूरी दस्तावेज के अनुसार शिपमेंट की तारीख को एफईडीएआई दर पर बुक किया जाता है जिसके उपरांत निर्यात आय की वास्तविक वसूली पर अंतिम समायोजन किया जाता है।

सेवा प्रभार

विपणन विभाग में फैसिलिटेटर मोड के माध्यम से लेनदेन के लिए नीलामी, निविदाओं, या किसी अन्य माध्यम द्वारा प्रिंसिपल की ओर से विक्रय/क्रय के संचालन हेतु पारिश्रमिक को सेवा शुल्क के रूप में लेखांकित किया जाता है।

(क) निम्नलिखित पर सेवा प्रभार को अनुबंधित दरों पर आय के रूप में लेखांकित किया जाता है:

i. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा एवं अन्य सरकारी विभागों की ओर से बिक्री आदेश/सुपुर्दगी आदेश जारी करने पर निविदा/नीलामी बिक्री।

ii. ई–बिक्री संतोषजनक पूरा होने पर

(i) और (ii) के संबंध में, सेवा प्रभार तो प्रिंसिपल द्वारा वास्तविक सुपुर्दगी के आधार पर, समायोजन के साथ, यदि कोई हो, नीलामी के बोली मूल्य पर लेखांकित किया जाता है, यदि सेवा प्रभार प्रतिशत के आधार पर भुगतानयोग्य है।

iii. ई–पोर्टल के विकास और रखरखाव सहित घटना के आधार पर सेवा अनुलग्नक के मामले में घटना के घटित होने पर,

iv. ई–प्रोक्योरमेंट के मामले में सेवा प्रभार तब बुक किया जाता है, जहां सेवा प्रभार गतिविधि की समाप्ति पर प्रिन्सिपल से संग्रह योग्य है।

(ख) बोलीदाताओं से एकत्रित ई–प्रापण लेनदेन शुल्क को सफल संचालन पर लेखांकित किया जाता है

(ग) सुविधाप्रदाता के रूप में क्रय के संबंध में उचपित सेवा प्रभार यथास्थिति लदान बिल/रेलवे रसीद/लॉरी रसीद की तारीख के आधार पर संविदागत दर पर लेखांकित किया जाता है। आयातित सामग्री के लिए, मूल्य का आकलन या तो फॉरवर्ड कवर रेट पर या वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर प्रचलित एफईडीएआई स्पॉट दर पर किया जाता है। अंतिम समायोजन वास्तविक भुगतान पर किया जाता है। स्वदेशी सामग्री के मामले में, मूल्य का आकलन संविदागत दर पर वास्तविक भुगतान के आधार किया जाता है।

(घ) सहायक कंपनी के मामले में, सेवा प्रभार स्क्रैप एवं अन्य मदों के प्रसंस्करण, गोदाम प्रबंधन के लिए अभिरक्षक सेवाएं और संबंधित इस्पात संयंत्रों एवं अन्य पक्षकारों के साथ सहमत/प्रस्तावित दरों पर कंपनी द्वारा निष्पादित परिसंपत्तियों के मूल्यांकन से संबंधित सेवा हेतु अर्जित आय को दर्शाते हैं।

ई–नीलामी पंजीकरण

यदि पंजीकरण की वैधता एक वर्ष तक है, तो खरीदारों से एकत्रित ई–नीलामी पंजीकरण शुल्क को चालू वर्ष की आय के रूप में माना जाता है। आजीवन पंजीकरण के मामले में, इस प्रकार एकत्र की गई राशि को पांच वर्षों में समान रूप से वितरित किया जाता है।

अन्य आय

राजस्व को बीमांकिक आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसे वास्तविक वसूली पर लेखांकित लिया जाता है क्योंकि लेखांकन मानकों के प्रावधानों के अनुसार ऐसी मदों की प्राप्ति अनिश्चित हैं।

i) निष्पादन/विवादास्पद बकाया राशि और उस पर ब्याज, यदि कोई हो, के लिए लंबित डिक्री।

ii) अतिदेय वसूलीयोग्य राशि पर ब्याज जहां वसूली अनिश्चित है।

iii) आपूर्तिकर्ताओं या संविदाकारों पर परिसमापन हर्जाना।

iv) आयकर/बिक्री कर/वैट का रिफंड और उस पर ब्याज।

v) लाभांश आय को मान्यता तब दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

क्रय

i) आयातित सामग्रियों को लदान के बिल की तारीख के आधार पर खरीद के रूप लेखांकित किया जाता है। मूल्य के संबंध में, खरीद वास्तविक प्रेषण के आधार पर बुक की जाती है और जहां ऐसे प्रेषण वर्ष के अंत में बकाया रहते हैं, तब बुक किए जाने पर, यथा स्थिति अनुबंधित वायदा विनिमय दरों या वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को प्रचलित एफईडीएआई स्पॉट विनिमय दरों पर, यदि फॉरवर्ड कवर नहीं लिया गया है, के अधार पर बुक किया जाता है। क्रय मूल्य में, सामग्री का भाड़ा, बीमा इत्यादि एवं मियादी ब्याज और तदुपरांत वित्तीय वर्ष में वास्तविक भुगतान पर अंतिम समायोजन शामिल होता है।

ii) स्वदेशी सामग्री के मामले में, खरीद ढुलाई दस्तावेजों और मूल्य के संबंध में चालान के मूल्य के आधार पर बुक की जाती है।

1. ग.10 उधार लागत

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन में सीधे उधार लेने की लागतें, जो ऐसी परिसंपत्तियां हैं जिसें अपने अपेक्षित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लगता है, को उनके अपेक्षित उपयोग या बिक्री के लिए पर्याप्त रूप से तैयार होने की अवधि तक इन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है।

विशिष्ट उधारी के अस्थायी निवेश पर अर्जित अन्य आय, अर्हक परिसंपत्तियों पर अपने व्यय को लंबित रखती है, पूंजीकरण के लिए योग्य उधारी लागत में से घटा दी जाती है।

अन्य सभी उधारी लागतों को उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में उन्हें खर्च किया जाता है।

1. ग.11 कर्मचारी हितलाभ

(क) अल्पावधिक हितलाभ

अल्पावधिक कर्मचारी हितलाभ को लेखांकन अवधि जिसमें कर्मचारियों द्वारा सेवा दी जाती है, को उनकी गैर–छूट प्राप्त राशि पर लेखांकित किया जाता है एवं उस अवधि जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा दी है, के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ख) अवकाश नकदीकरण

अर्जित छुट्टी और रूपांतरित छुट्टी के लिए देनदारियों को उस अवधि की समाप्ति जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवा प्रदान की है, के उपरांत 12 महीने के भीतर संपूर्ण रूप से निपटाया जाना अपेक्षित नहीं है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में अपेक्षित भावी भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मूल्यांकित किया जाता है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की परिणाम का प्रयोग करते हुए लाभ पर छूट दिये गए हैं, जिसमें संबंधित दायित्वों की शर्तों

की शर्तें हैं। बीमांकिक प्राक्कलनों में हुए अनुभव समायोजन एवं परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनर्मापन को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। यह सुविधा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्त पोषित है।

(ग) रोजगार के उपरांत दायित्व

परिभाषित अंशदान योजना –

i. भविष्य निधि

भविष्य निधि का संचालन आयकर प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रस्ट द्वारा किया जाता है और इस निधि में अंशदान राजस्व में प्रभारित किया जाता है। पेंशनभोगी के लाभ कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के माध्यम से प्रतिभूत होते हैं।

ii. पेंशन

इस पेंशन योजना को एक स्वतंत्र ट्रस्ट के माध्यम से संचालित किया जाता है और इस निधि में अंशदान राजस्व में प्रभारित किया जाता है। इस निधि का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें की जाने वाली अंशदान राशि डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसरण में इस्पात मंत्रालय के निर्देशों द्वारा नियंत्रित होती है।

परिभाषित हितलाभ योजना –

i. सेवा उपदान

परिभाषित उपदान योजना के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देनदारियां या परिसंपत्ति, योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य से घटाकर, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है। परिभाषित हितलाभ दायित्वों की गणना प्रतिवर्ष अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का इस्तेमाल करके बीमांककों द्वारा की जाती है। परिभाषित हितलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के संदर्भ में अनुमानित भावी नकदी बहिर्वाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है जो संबंधित दायित्वों की शर्तों के अनुसार होते हैं।

निवल ब्याज लागत की गणना, परिभाषित हितलाभ दायित्व के निवल शेष और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का, छूट प्राप्त दर प्रयोग करते हुए की जाती है। यह लागत लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय में शामिल है।

अनुभव समायोजन और बीमांकिक प्राक्कलनों में परिवर्तन से होने वाले पुनर्मापित लाभ एवं हानि उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें उन्हें सीधे अन्य व्यापक आय में दर्शाया जाता है। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है।

संशोधनों और कटौतियों के परिणामस्वरूप परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को पिछली सेवा लागत के रूप में तुरंत लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। उपदान दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह उपदान जीवन बीमा योजना के माध्यम से वित्त पोषित है और इसे इस प्रयोजन के लिए समूह द्वारा बनाए गए एक अलग अपरिवर्तनीय ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।

ii. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ

समूह अपने अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। इन लाभों की पात्रता आमतौर पर सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवारत कर्मचारी और न्यूनतम सेवा अवधि के पूरा होने पर सशर्त होती है। इन लाभों की अपेक्षित लागत उसी लेखांकन पद्धति का प्रयोग करके नियोजन की अवधि में उपचित की जाती है जैसा कि परिभाषित हितलाभ योजनाओं में प्रयोग किया जाता है। अनुभव समायोजन एवं बीमांकिक प्राक्कलनों में परिवर्तन से होने वाले पुनर्मापन लाभ एवं हानि उत्पन्न होने वाली अवधि में अन्य व्यापक आय में प्रभारित या क्रेडिट किया जाता है। इसे इस प्रयोजन के लिए सृजित एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से निधि का प्रबंधन किया जाता है।

1. ग.12 कराधान

वर्ष के लिए कर व्यय में चालू और आस्थगित कर सम्मिलित हैं।

i) चालू कर

वर्तमान में भुगतान योग्य कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ से भिन्न होता है जैसा कि लाभ एवं हानि विवरण में दिया गया है क्योंकि इसमें आय या व्यय की उन मदों को शामिल नहीं किया जाता है जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और आगे उन मदों को छोड़ दिया जाता है जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं होते हैं। चालू कर के लिए समूह की देयता की गणना कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके की जाती है जो उस देश में अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किए गए हैं जहां समूह रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक काम कर रहा है।

ii) आस्थगित कर

आस्थगित कर वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन राशियों और कर योग्य राशि की गणना में उपयोग किए जाने वाले संबंधित कर आधारों के बीच अंतर पर देय या वसूली योग्य होने की उम्मीद है और तुलन पत्र देयता पद्धति का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है। आस्थगित कर देयताओं को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। इसके विपरीत आस्थगित कर आस्तियों को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना हो कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट को आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में तब और उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जब इस बात के विश्वसनीय साक्ष्य हों कि समूह विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान कर देगा। ऐसी परिसंपत्ति की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर की जाती है और एमएटी क्रेडिट परिसंपत्ति की रखाव राशि उस सीमा तक अवलिखित की जाती है जिसके लिए विश्वसनीय साथ नहीं रह गया है कि समूह विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान कर देगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और उस सीमा तक कम कर दी जाती है कि अब कोई संभावना नहीं है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के संपूर्ा या उसके कुछ हिस्से का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध हो पाएगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां एवं देनदारियां उस सीमा तक क्षतिपूरित होती हैं जिससे वे उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए करों से संबंधित हैं और उस क्षेत्राधिकार के भीतर चालू कर परिसंपत्तियों और चालू कर देनदारियों को छोड़ने के लिए विधिक रूप से लागू करने योग्य अधिकार हैं।

चालू और आस्थगित कर को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय या आय के रूप में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस स्थिति के, जब वे अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में क्रेडिट या डेबिट की गई मदों से संबंधित हों, इस मामले में कर को अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

1. ग.13 प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां

तुलन पत्र में प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब समूह में पिछली घटना के परिणामस्वरूप चालू दायित्व (विधिक या रचनात्मक) होता है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों का बहिर्वाह होता है जिसका विश्सनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक प्रावधान तुलन पत्र की तारीख पर चालू दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के सर्वोत्तम अनुमान पर आधारित है। जब उपयुक्त हो, प्रावधानों को बट्टागत आधार पर मापा जाता है।

रचनात्मक दायित्व ऐसा दायित्व है जो इकाई के कार्यों से प्राप्त होता है जिसमं पिछले अभ्यास, प्रकाशित नीतियां या पर्याप्त रूप से विशिष्ट चालू कथन की स्थापित पद्धत्ति से संस्थान ने अन्य पक्षकारों को संकेत दिया है कि वह कुछ उत्तरदायित्वों को स्वीकार करेगी, और इसके परिणामस्वरूप, संस्थान ने उन अन्य पक्ष करों की ओर से एक वैध अपेक्षा सृजित कीं है कि वह उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगी।

आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण टिप्पणियों के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में इनकी समीक्षा की जाती है और प्रबंधन के वर्तमान अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणिकाओं में मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन जब आर्थिक लाभ की अंतर्वाह की संभावना होती है तो इनका प्रकटन किया जाता है।

1. ग.14 खंड (सेगमेंट) रिपोर्टिंग

इंड एएस 108 उस तरीके के लिए मानक स्थापित करता है कि सार्वजनिक व्यवसाय उद्यम ऑपरेटिंग सेगमेंट और संबंधित प्रकटीकरण के बारे में जानकारी की रिपोर्ट करे। समूह व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करता है, और ई–कॉमर्स सेवा प्रदाता के रूप में भी कार्य करता है। इंड एएस 108 में परिभाषित 'प्रबंधन दृष्टिकोण' के आधार पर, मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) समूह के निष्पादन का मूल्यांकन करता है और ऑपरेटिंग सेगमेंट द्वारा विभिन्न निष्पादन संकेतकों के विश्लेषण पर संसाधन आवंटित करता है। उपरोक्त के संदर्भ में समूह ने विपणन, ई–कॉमर्स और स्क्रैप रिकवरी और संबद्ध कार्यों को अपने तीन प्राथमिक रिपोर्ट योग्य व्यवसाय खंडों के रूप में मान्यता दी है। सेगमेंट के संबंध में राजस्व और पहचान योग्य परिचालन व्यय उन वस्तुओं के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं जो उस सेगमेंट के लिए अलग–अलग से पहचाने जाने योग्य होते हैं। राजस्व और व्यय की शेष मदें, जिन्हें विशिष्ट खंडों के अंतर्गत विशेष रूप से आवंटित नहीं किया जा सकता है, को अलग से अनावंटित रूप में प्रकट किया जाता है।

1. ग.15 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान, प्राक्कलन एवं निर्णय

इंड–एएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, प्राक्कलन और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और रिपोर्टिंग अवधि के अंत के दौरान वित्तीय विवरण एवं प्रचालन के परिणाम की तारीख पर संपत्ति, देनदारियों, आय, व्यय और आकस्मिक संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करते हैं। हालांकि ये अनुमान वर्तमान घटनाओं और कार्यों के प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित हैं, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित प्राक्कलनों की निरंतर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में अनुमानों को संशोधित किया जाता है और भविष्य की कोई अवधि में जो प्रभावित होती है।

अनुमान एवं प्राक्कलन जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के अंतर परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की रखाव राशि के भौतिक समायोजन का कारण बनने का महत्वपूर्ण जोखिम रहता है, उसकी चर्चा नीचे के अनुच्छेदों में की गई है।

i) उपयोगी आर्थिक जीवन और अन्य परिसंपत्तियों की क्षीणता

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन अप्रचलन के प्रभाव, परिसंपत्ति के उपयोग और अन्य आर्थिक कारकों (जैसे ज्ञात तकनीकी प्रगति) सहित कई कारकों पर निर्भर करता है।

समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में पीपीई और अमूर्त के उपयोगी जीवन की समीक्षा करता है और कोई भी परिवर्तन संभावित रूप से मूल्यह्रास दरों को प्रभावित कर सकता है।

समूह संभावित हानि के लिए अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की भी समीक्षा करता है यदि ऐसी घटनाएं घटती है या परिस्थितियों में ऐसा बदलाव होता है जो इंगित करते हैं कि संपत्ति का रखाव मूल्य वसूली योग्य नहीं है। क्षीणता के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का आकलन करने में, लाभ में महत्वपूर्ण कमी लाने वाले कारकों, जैसे समूह की व्यावसायिक योजनाएं और नियामक वातावरण में परिवर्तन को ध्यान में रखा जाता है।

ii) आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

व्यवसाय के सामान्य अवधि में, समूह के विरुद्ध मुकदमेबाजी, कराधान और अन्य दावों से आकस्मिक देनदारियां हो सकती हैं। जहां निधि का बहिर्वाह संभावित माना जाता है और प्रत्येक मतभेद की विशिष्ट परिस्थितियों का प्रबंधन के आकलन एवं संबंधित बाहरी सलाह आधार पर मतभेद के परिणाम का विश्वनीय अनुमान लगाया जा सकता है, तब प्रबंधन देनदारी का सर्वोत्तम अनुमान प्रदान करता है। ऐसी देनदारियों को टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है लेकिन वित्तीय विवरणिकाओं में नहीं दर्शाया जाता है।

यद्यपि कानूनी कार्यवाही के अंतिम परिणाम के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है तथापि समूह यह अपेक्षा नहीं करता है कि समूह की वित्तीय स्थिति या लाभप्रदता पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

iii) बीमांकिक मूल्यांकन

कर्मचारियों के लिए परिभाषित हितलाभ दायित्व के प्रति समूह की देयता का निर्धारण स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है, जिसमें लाभ और हानि के विवरण और अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त राशियों का निर्धारण शामिल है। इस तरह का मूल्यांकन मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग कारकों जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मान्यताओं पर निर्भर करता है।

iv) उचित मूल्य मापन और मूल्यांकन प्रक्रियाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए समूह की कुछ संपत्ति और देनदारियों को उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया गया है। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में, समूह बाजार–अवलोकन योग्य डेटा का उपयोग उस सीमा तक करता है, जहां तक वह उपलब्ध है। जहां स्तर 1 की सूचना उपलब्ध नहीं हैं, वहां समूह मूल्यांकन करने के लिए, जहां अपेक्षित हो, तीसरे पक्ष के मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त करता है। विभिन्न परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य का निर्धारण करने में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों और निविष्टियों की सूचना वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में प्रकट की गई है।

v) आगे ले जाई गई कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिट के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता

जिस सीमा तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता दी जा सकती है, वह समूह की भावी कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी विधिक या आर्थिक सीमा के प्रभाव का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।

1. ग.16 व्यापार प्राप्यों के प्रावधान

i. कंपनी में एक प्रावधान नीति विद्यमान है जो नीति के अनुसार त्रैमासिक समीक्षा और प्रावधान करती है:

क्र. सं.	विवरण	प्रावधानीकरण की राशि
1	व्यापार प्राप्य (ई वाणिज्य कारोबार)	2 वर्ष से अधिक बकाया – 50 प्रतिशत 3 वर्ष से अधिक बकाया – शेष राशि
2	व्यापार प्राप्य (सहयोगी आपूर्ति कारोबार)	इस मॉडल में चूंकि खरीद के लिए वास्तविक वित्त पोषण एमएसटीसी के सहयोगी आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाता है इसलिए एमएसटीसी के लेखाओं में व्यावसायिक हानि की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः इस तरह के व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधानीकरण की परिकल्पना नहीं की गई है।
3	व्यापार प्राप्य (110 प्रतिशत बीजी समर्थित कारोबार)	चूंकि लेनदेन पूर्णतया बैंक गारंटी से कवर है अतः ऐसे व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधानीकरण नहीं है।
4	व्यापार प्राप्य (कैश एंड कैरी कारोबार)	नीति में संबंधित व्यापार प्राप्य के लिए उपलब्ध (गिरवी स्टॉक) की अवधि और मात्रा के आधार पर विभिन्न चरणों में प्रावधानीकरण की व्यवस्था है।

ii. कंपनी ने 'सहयोगी आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ बैक टू बैक व्यवस्था' के अंतर्गत व्यापार किया है। इस व्यवस्था के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान व्यापार प्राप्यों की वसूली पर ही जारी किया जाएगा। अतः कंपनी ने इन व्यापार प्राप्यों को सुरक्षित माना है।
सहायक कंपनी के मामले में, लेखा बहियों में व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान की मात्रा इस प्रकार की जाएगी:

देनदारों की आयु	प्रावधानीकरण की राशि
2 वर्ष तक	कोई प्रावधान नहीं
2 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	20%
3 वर्ष से अधिक एवं 4 वर्ष तक	30%
4 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	50%
5 वर्ष से अधिक	100%

2. संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	पूर्ण स्वामित्वाधीन भवन	आरसीसी संरचना से भिन्न पूर्ण स्वामित्वाधीन भवन	विद्युत अधिष्ठापन एवं उपकरण	कार्यालय उपकरण	कार्यालय के एयर कंडीशनर	फर्नीचर एवं फिक्सचर	कार्यालय के पार्टीशंस एवं क्यूबिकल्स	कंप्यूटर एवं ईडीपी उपकरण	संयंत्र एवं उपकरण	वाहन	कुल मूर्त परिसंपत्तियां
31 मार्च, 2020 को सकल ब्लॉक	**501.02**	**-**	**-**	**200.59**	**40.9**	**198.84**	**74.8**	**556.3**	**12,910.72**	**324.87**	**14,808.04**
संयोजन	30.53	-	-	14.16	9.5	3.98	2.5	48.2	1,168.87	14.81	1,292.55
निपटान	-	-	-	0.71	2.2	0.3	-	18	90.53	1.13	112.87
31 मार्च, 2021 को सकल ब्लॉक	**531.55**	**-**	**-**	**214.04**	**48.2**	**202.52**	**77.3**	**586.5**	**13,989.06**	**338.55**	**15,987.72**
संयोजन	5.5	3,339.06	788.43	424.64	311.61	285.66	2.85	375.19	1,539.89	75.66	7,148.49
निपटान	-	-	-	4.75	10.82	46.25	55.79	16.43	68.08	0.85	202.97
31 मार्च, 2022 को सकल ब्लॉक	**537.05**	**3,339.06**	**788.43**	**633.93**	**348.99**	**441.93**	**24.36**	**945.26**	**15,460.87**	**413.36**	**22,933.24**
31 मार्च, 2020 को मूल्यह्रास	**134.8**	**-**	**-**	**111.93**	**20.6**	**120.94**	**38.8**	**0.2**	**5,469.21**	**149.65**	**6,046.13**
वर्ष हेतु प्रभार	26.83	-	-	25.01	3.5	10.28	4.2	123.5	1,533.13	37.99	1,764.44
निपटान	-	-	-	0.5	2.1	0.1	-	17	-	-	19.7
31 मार्च, 2021 को मूल्यह्रास	**161.63**	**-**	**-**	**136.44**	**22**	**131.12**	**43**	**106.7**	**7,002.34**	**187.64**	**7,790.87**
वर्ष हेतु प्रभार	25.61	73.87	52.33	77.86	23.97	27.38	3.93	185.39	1,534.68	41.57	2,046.59
निपटान	-	-	-	2.03	8.03	35.27	38.92	10.43	-	0.01	94.69
31 मार्च, 2022 को मूल्यह्रास	187.24	73.87	52.33	212.27	37.94	123.23	8.01	281.66	8,537.02	229.2	9,742.77
31 मार्च, 2021 को निवल बही मूल्य	369.92	-	-	77.6	26.2	71.4	34.3	479.8	6,986.72	150.91	8,196.85
31 मार्च, 2022 को निवल बही मूल्य	349.81	3,265.19	736.1	421.66	311.05	318.7	16.35	663.6	6,923.85	184.16	13,190.47

विवरण	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	पट्टाधिकृत भूमि	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	कुल अमूर्त परिसंपत्तियां विकासाधीन अमूर्त सहित
31 मार्च, 2020 को सकल ब्लॉक	**2,934.17**	**715.69**	**333.95**	**-**	**333.95**
संयोजन	2,297.78	-	1.84	-	1.84
निपटान*	49.49	7.45	-	-	-
31 मार्च, 2021 को सकल ब्लॉक	**5,182.46**	**708.24**	**335.79**	**-**	**335.79**
संयोजन	-	-	108.07	16	124.07
निपटान*	5,182.46	7.46	-	-	-
31 मार्च, 2022 को सकल ब्लॉक	**-**	**700.78**	**443.86**	**16**	**459.86**
31 मार्च, 2020 को मूल्यह्रास	**-**	**-**	**211.92**	**-**	**211.92**
वर्ष हेतु प्रभार	-	-	103.35	-	103.35
निपटान	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2021 को मूल्यह्रास	**-**	**-**	**315.27**	**-**	**315.27**
वर्ष हेतु प्रभार	-	-	31.53	-	31.53
निपटान	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 को मूल्यह्रास	**-**	**-**	**346.8**	**-**	**346.8**
31 मार्च, 2021 को निवल बही मूल्य	**5,182.46**	**708.24**	**20.52**	**-**	**20.52**
31 मार्च, 2022 को निवल बही मूल्य	**-**	**700.78**	**97.06**	**16**	**113.06**

टिप्पणियां

क) पट्टे वाली भूमि का निपटान होल्डिंग कंपनी में पूर्व प्रदत्त भुगतान के परिशोधन को दर्शाता है।

ख) होल्डिंग कंपनी के मुंबई में स्थित आवासीय भवन एवं कार्यालय फ्लैट तथा कोलकाता में स्थित आवासीय फ्लैट डीआरटी, मुंबई के आदेश से कुर्की के अधीन हैं।

ग) होल्डिंग कंपनी के आरसीसी संरचना से भिन्न अन्य पूर्वस्वामित्वाधीन भवन उसके निर्माण हेतु लिए गए ऋण के सापेक्ष एसबीआई के पास गिरवी रखी हुई है।

घ) होल्डिंग कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के पूंजीकरण की लागत जो पूर्ण होने की तिथि पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है, पीएमसी के साथ लंबित परियोजना के समापन एवं निपटान लागत के रूप में लिया गया हैं।

ङ) अचल संपत्ति का स्वत्वाधिकार विलेख कंपनी के नाम पर है।

च) सभी परिसंपत्तियां, जहां भी लागू हो, शुल्कों के लिए कंपनी रजिस्ट्रार में विधिवत पंजीकृत हैं।

छ) इंड एएस 101 की शर्तानुसार दिनांक 01 अप्रैल 2015 से इंड एएस के कार्यान्वयन और अंगीकरण के समय, परिसंपत्तियों के निवल ब्लॉक को उस तिथि पर संचित मूल्यह्रास को 'शून्य' मानते हुए सकल ब्लॉक माना गया था। मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रभारित किया गया है। अतः, संचित मूल्यह्रास केवल 01 अप्रैल 2015 से केवल संचयी आंकड़ों को दर्शाता है। इसके कारण, उपर्युक्त अनुसार निर्धारित स्थायी परिसंपत्तियों एवं स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर के बीच सकल ब्लॉक एवं संचित मूल्यह्रास के आंकड़ों में अंतर हैं। तथापि निवल ब्लॉक के आंकड़े पूर्णतया स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर के अनुरूप हैं।

3. लागत पर लिए गए अनुद्धृत इक्विटी, पूर्ण प्रदत्त शेयरों में निवेश

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	शेयरों की संख्या		राशि	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
50:50 की संयुक्त उद्यम कंपनी में निवेश				
महिंद्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹10/– प्रत्येक)	2,86,00,000	2,26,00,000	2,860.00	2,260.00

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
निवेश का प्रारंभिक मूल्य	1,435.70	1,120.70
वर्ष के दौरान निवेश	600.00	400.00
पी/एल में दर्शाए गए संयुक्त उद्यम में लाभ/हानि वर्तमान अवधि के कारण मूल्य में वृद्धि (+)/कमी (–)	28.29	(86.00)
ओसीआई में दिखाए गए संयुक्त उद्यम में वर्तमान अवधि के नुकसान के कारण मूल्य में वृद्धि (+)/कमी(–)	(0.16)	1.00
निवेश का अंतिम संतुलन	**2,063.83**	**1,435.70**

4. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (गैर चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क) प्रतिभूति जमा	161.42	105.68
(ख) अन्य ऋण एवं अग्रिम		
कर्मचारियों को ऋण	321.99	373.64
(ग) कर्मचारियों को ऋण पर उपचित ब्याज	1.65	2.17
(घ) अनुसूचित बैंकों में जमा खातों में शेष	7,645.30	10,066.00
निवल अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**8,130.36**	**10,547.49**

4.1 सहायक के मामले में, 4(घ) में जमा राशि में ₹4140.00 लाख (पिछले वर्ष ₹6237.00 लाख) शामिल हैं, जो बीजी के खिलाफ आंध्रा बैंक, आईडीबीआई, बीओबी, एसबीआई और इंडियन बैंक के पास अधिक रूपए निकालने की सुविधा रखी गइ हैं।

5. गैर चालू कर परिसंपत्तियां

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
करों का अग्रिम भुगतान	56,195.99	52,230.27
घटाएं: कराधान हेतु प्रावधान	47,713.85	45,973.28
गैर चालू कर परिसंपत्तियां	**8,482.14**	**6,256.99**

6. अन्य परिसंपत्तियां (गैर चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण (अप्रतिभूत, अच्छे माने गए)		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क)	सार्वजनिक निकायों के पास अग्रिम		
	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, पोर्ट ट्रस्ट इत्यादि	6.92	6.92
(ख)	भवन निर्माण हेतु अग्रिम	-	-
(ग)	पूर्वप्रदत्त पट्टा भुगतान लागत*	-	-
(घ)	अन्य ऋण एवं अग्रिम		-
	(i) पूर्वप्रदत्त व्यय	18.38	17.24
	(ii) अन्य	25.44	10.46
कुल अन्य परिसंपत्तियां		**50.74**	**34.62**

6.1 *राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो विशाखापट्टणम, दुर्गापुर और दुबुरी में सहायक कंपनी का संयंत्र और भवन जिस भूमि पर स्थित है, वह न तो पूर्णस्वामित्वाधीन है और न ही पट्टे वाली है। कंपनी ने सेवा करार के हिस्से के रूप में भूमिधारकों से निःशुल्क उपयोग का अधिकार प्राप्त किया है। हालाँकि, कंपनी ने सेल – बीएसपी से दिनांक 29 दिसंबर 1988 से प्रभावी 33 वर्ष के स्थायी पट्टायुक्त भूमि अर्जित की है, जिस पर सहायक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय भवन का निर्माण किया गया है। दिनांक 29 दिसंबर 2021 के बाद के पट्टा किराया को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

7. आस्थगित कर (निवल)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
आस्थगित कर (देनदारियां)/परिसंपत्तिः		
आस्थगित कर देनदारियों को गठन करने वाले मदों का कर प्रभाव		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्ति के बही शेष एवं कर शेष के बीच अंतर पर	(103.60)	(25.62)
ईएफबीएस योजना	(62.06)	(5.30)
आस्थगित कर देनदारियों को गठन करने वाले मदों का कर प्रभाव	**(165.66)**	**(30.92)**
आस्थगित कर परिसंपत्तियों को गठन करने वाले मदों का कर प्रभाव		
क्षतिपूरित अनुपस्थितियों, उपदान एवं अन्य कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान	487.82	523.65
संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए अनुमति	16,187.51	17,096.75
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40(क)(i), 43ख के अंतर्गत अस्वीकृति	1,598.76	1,686.60
एमएटी क्रेडिट अधिकारपत्र	3,090.97	3,090.90
सेवा कर पर ब्याज हेतु प्रावधान	–	9.57
अन्य व्यापक आय के माध्यम से	424.46	491.60
आस्थगित कर आस्तियों का गठन करने वाली मदों का कर प्रभाव	**21,789.52**	**22,899.07**
आस्थगित कर (देनदारियां)/परिसंपत्ति (निवल)	**21,623.86**	**22,868.15**

8. मालसूचियां

(राशि लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क)	खुले औजार सहित स्टोर और स्पेयर पार्ट्स	511.81	458.89
(ख)	गैर चल मालसूची स्टॉक	155.79	135.99
(ग)	स्टोर और स्पेयर्स – प्रतिक्षारत निपटान	14.38	14.33
(घ)	मालसूची में कमी – लंबित समायोजन	0.14	0.14
(ङ)	मार्गस्थ वस्तुएं	0.69	0.20
(च)	मुद्रण एवं लेखन सामग्री स्टॉक	8.93	9.69
(छ)	घटाएं: प्रावधान		
	(i) गैर चल स्टॉक हेतु	92.82	94.90
	(ii) स्टोर और स्पेयर्स हेतु – प्रतिक्षारत निपटान	8.11	8.11
	(iii) मालसूची में कमी हेतु	0.14	0.14
कुल मालसूचियां		**590.67**	**516.09**

9. व्यापार प्राप्य (चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
व्यापार प्राप्य			
(क)	अच्छा माना गया – प्रतिभूत	34,727.85	88,168.21
(ख)	अच्छा माना गया – अप्रतिभूत	20,095.50	2,655.34
(ग)	ऋण क्षीणता	64,937.82	-
घटाएं: संदिग्ध व्यापार प्राप्यों के लिए अनुमति		64,937.82	83,025.42
कुल व्यापार प्राप्य – चालू		**54,823.35**	**88,966.43**

टिप्पणियां:

9.1 व्यापार प्राप्य

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	देय नहीं	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2022 को							
अविवादास्पद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	7,139.66	29,826.70	1,636.04	8,638.02	223.66	4,753.35	**52,217.43**
अविवादास्पद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	2,788.94	1,712.57	**4,501.51**
विवादास्पद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	**-**
विवादास्पद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	4,323.72	58,718.51	**63,042.23**
घटाएं: संदिग्ध व्यापार प्राप्य हेतु भत्ते	-	-	-	-	5,061.40	59,876.42	**64,937.82**
कुल	**7,139.66**	**29,826.70**	**1,636.04**	**8,638.02**	**2,274.92**	**5,308.01**	**54,823.35**
31 मार्च, 2021 को							
अविवादास्पद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	9,344.18	65,903.56	949.23	1,625.91	168.13	10,177.20	**88,168.21**
अविवादास्पद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	757.76	1,897.58	**2,655.34**
विवादास्पद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	**-**
विवादास्पद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना गया	-	-	-	11,881.36	17,270.85	52,016.09	**81,168.31**
घटाएं: संदिग्ध व्यापार प्राप्य हेतु भत्ते	-	-	-	11,881.36	17,580.99	53,563.07	**83,025.42**
कुल	**9,344.18**	**65,903.56**	**949.23**	**1,625.91**	**615.75**	**10,527.80**	**88,966.43**

व्यापार प्राप्यों की देय तिथि बिल की तिथि से मानी गई है।

9.2: होल्डिंग कंपनी के मामले में, चालू उधारियों में प्राप्य खरीद करार के अंतर्गत वर्ष 2008–09 के दौरान खरीदार को स्वर्णाभूषण के निर्यात के सापेक्ष विदेशी खरीदारों द्वारा दिए गए एमएसटीसी के निर्यात बिलों की खरीद के बाद, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (एससीबी) द्वारा किए गए भुगतान के लिए ₹14,361.97 लाख (गत अवधि ₹14,361.97 लाख) शामिल हैं। बिलों के सापेक्ष विदेशी खरीददारों से आय प्राप्त न होने पर, एससीबी ने बीमा कंपनी के समक्ष दावे किए, जिसने बहरहाल, एससीबी के दावे को अनुचित तरीके से नकार दिया। इस प्रकार नकारे जाने पर, एससीबी ने एमएसटीसी से खरीदे गए प्राप्य को एकतरफा एमएसटीसी ऋण/कर्ज में परिवर्तित कर दिया एवं एमएसटीसी से ब्याज के साथ राशि का दावा किया तथा ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी), मुंबई में मूल आवेदन होने के कारण वर्ष 2012 में मामला दायर किया जिसे एमएसटीसी ने इंकार कर दिया इस प्रकार यह विवादग्रस्त है। 16 सितंबर, 2017 को डीआरटी, मुंबई द्वारा पारित अंतरिम आदेश सहित ऐसी कार्यवाही में एससीबी के दावे की वैधता को एमएसटीसी द्वारा ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई के समक्ष विविध अपील दायर करके चुनौती दी गई है जो अभी लंबित है। इसके अतिरिक्त, एमएसटीसी लिमिटेड ने एमएसटीसी लिमिटेड (अर्थात मुंबई में आवासीय एवं कार्यालय फ्लैट तथा कोलकाता में आवासीय फ्लैट) की कुर्क की गई अचल संपत्तियों को बेचने के लिए डीआरटी द्वारा नीलामी कार्यक्रम के विरुद्ध माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने नीलामी कार्यक्रम के साथ–साथ डीआरएटी में रिक्ति के कारण न्यायालय में ₹5,562.75 लाख जमा करने पर वसूली की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। अध्यक्ष के पद ग्रहण करने पर स्थगन अब निष्प्रभावी हो गया है और न्यायालय में जमा की गई राशि अंतरित कर दी गई है। यदि डीआरएटी अपील की सुनवाई द्वारा की जाती है तो एमएसटीसी को प्रासंगिक कानून के प्रावधानों के अनुसार डीएआरटी में (पहले से जमा की गई ₹5,562.75 लाख की राशि के समायोजन के उपरांत) पहले राशि जमा करनी होगी। एससीबी के दावे को चुनौती देने वाली अन्य कार्यवाही एमएसटीसी द्वारा एससीबी तथा बीमा कंपनी दोनों के विरुद्ध आरंभ की गई माननीय उच्च न्यायालय, बॉम्बे एवं अलीपुर, कोलकाता में सिविल कोर्ट सहित विभिन्न फोरमों के समक्ष भी लंबित हैं।

इसके उपरांत, एसीबी ने भी वर्ष 2012 के उत्तरार्द्ध में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द्वारा एससीबी के दावे को नकारे जाने के कारण आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से पॉलिसी के अंतर्गत उस राशि का दावा करते हुए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के विरुद्ध माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में सक्षिप्त मुकदमा दायर किया। एससीबी का दावा कानूनी मामलों के परिणाम पर निर्भर है। ऐसे सभी अदालती मामलों के लंबित अंतिम निपटारे, जहां मामले वर्तमान में लंबित हैं, एमएसटीसी ने इस राशि का उधार और व्यापार प्राप्यों के रूप में प्रकटीकरण किया है। चूंकि मामला विचाराधीन है और प्रकृति में आकस्मिक है, अतः इस स्थिति में और अधिक भौतिकता की परिकल्पना नहीं की गई है। (टिप्पणी संख्या – 20 देखें)।

9.3: व्यापार प्राप्य आम तौर पर या तो ग्राहकों द्वारा कंपनी या बैंक गारंटी के साथ गिरवी रखे गए स्टॉक के माध्यम से प्रतिभूत की जाती हैं। यदि ऐसे गिरवी रखे गए स्टॉक के वसूली योग्य मूल्य में संबंधित प्राप्य के बही मूल्य के सापेक्ष महत्वपूर्ण कमी है, तो ऐसे अंतर वाली राशि को 'अप्रतिभूत' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

9.4: क्षीणतायुक्त व्यापार प्राप्य ऋण में निम्नलिखित शामिल हैः (राशि लाख ₹ में)

पार्टी का नाम	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
गीसकोल एलायज लिमिटेड	605.95	605.95
मेहरकिरन एंटरप्राइजेज लिमिटेड	4300.45	4300.45
तिरुपति फ्यूएल्स पी. लिमिटेड/बालाजी कोक	5548.71	5548.71
सेसा इंटरनेशनल लिमिटेड	5871.22	5871.22
बालासोर एलायज लिमिटेड	1315.90	1315.90
कृष्णा कोक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	1965.07	1965.07
सिद्धार्थ ट्यूब्स लिमिटेड	555.63	555.63
टॉपवर्थ पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड	362.71	362.71
टॉपवर्थ ऊर्जा एंड मेटल्स लिमिटेड	594.30	594.30
क्रेस्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड	3766.74	3766.74
टॉपवर्थ स्टील्स एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	10357.76	10357.76
रोहित फेरो टेक लिमिटेड	4323.72	4323.72
कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड	45.99	22084.14
माँ महामाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड	–	0.04
जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	8182.39	4734.02
कुल	**47,796.54**	**66,386.35**

एमएसटीसी ने उपर्युक्त ग्राहकों से बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई सहित सभी कदम उठाए हैं। संबंधित मामले विभिन्न स्तरों पर न्यायनिर्णयन प्राधिकारणों के समक्ष लंबित हैं।

9.5: व्यापार प्राप्य में सुगमीकरण माध्यम में किए गए व्यवसाय के लिए ₹24,826.59 लाख (गत वर्ष ₹32,668.70 लाख) शामिल है। (निवल प्रावधान)

9.6: व्यापार प्राप्यं में ई–कॉमर्स व्यवसाय के लिए ₹6,058.35 लाख (गत वर्ष ₹6,781.30 लाख) शामिल है। (निवल प्रावधान)

9.7: सहायक कंपनी (एफएसएनएल) के मामले में भिलाई यूनिट से बिल न की गई राशि के लिए ₹9,267.26 लाख बकाया है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, दुबुरी से ₹1,195 लाख बकाया है, जिसने जुलाई, 2019 से सभी प्रमुख परिचालन बंद कर दिया है और विनिवेश के कारण भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहा है।

10. नकद एवं नकद समतुल्य

(राशि लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
	नकद एवं नकद समतुल्य		
(क)	हाथ में नकदी	–	0.21
(ख)	बैंक में शेष		
	(i) चालू खाते में	30,565.63	23,141.36
	(ii) तीन माह से कम परिपक्वता वाले जमा खाते में	44,026.09	51,427.43
कुल		**74,591.72**	**74,569.00**

11. नकद एवं नकद समतुल्य से भिन्न बैंक शेष

(राशि लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क)	बैंक में निर्दिष्ट शेष		
	(i) दावारहित लाभांश खाते में	130.53	85.46
	(ii) तीन माह से अधिक परंतु 12 माह से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि	7,395.45	1,316.74
कुल		**7,525.98**	**1,402.20**

11.1 उपर्युक्त क (ii) में जमा राशि में गारंटी के सापेक्ष मार्जिन ₹2,673.48 लाख (गत वर्ष ₹1,113.39 लाख) शामिल है।

11.2 सहायक कंपनी के मामले में, उपर्युक्त क (ii) में जमा राशि में बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई, इंडियन बैंक और आंध्रा बैंक के पास बैंक गारंटी और ओवरड्राफ्ट सुविधा के सापेक्ष बंधक राशि ₹2,301.53 लाख (गत वर्ष ₹203.34 लाख) शामिल हैं।

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क)	प्रतिभूति जमा	1,136.55	1,139.18
(ख)	न्यायालय में जमा#	5,566.53	-
(ग)	अन्य ऋण और अग्रिम		
	(i) कर्मचारियों को ऋण	40.98	48.51
	(ii) कर्मचारियों के प्रति वसूली योग्य अग्रिम	42.45	73.71
	(iii) विक्रेता/ठेकेदार तीसरे पक्ष से प्राप्य	239.95	812.80
	(iv) अन्य अग्रिम	14.40	15.85
(घ)	निम्नोक्त पर उपचित ब्याज		-
	(i) सावधि जमा	1,049.88	437.22
	(ii) कर्मचारियों को ऋण	0.32	0.81
कुल		**8,091.06**	**2,528.08**

#इस राशि में डीआरएटी अपील में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेशानुसार होल्डिंग कंपनी द्वारा जमा किए गए ₹5,562.75 लाख शामिल हैं। बाद में इसे मुंबई के माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा डीआरएटी, मुंबई को स्थानांतरित कर दिया गया। टिप्पणी संख्या 9.2 देखें।

12.1 कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा परिभाषित निदेशकों/केएमपी/संबंधित पार्टी को कोई ऋण नहीं दिया गया था।

13. अन्य परिसंपत्तियां (चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क)	सार्वजनिक निकायों के साथ अग्रिम		
	जीएसटी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, पोर्ट ट्रस्ट आदि।	502.87	714.39
(ख)	पूर्व प्रदत्त पट्टा भुगतान.	-	0.09
(ग)	अन्य ऋण एवं अग्रिम .		-
	(i) कर्मचारियों को अग्रिम	225.19	227.47
	(ii) आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं को अग्रिम	38.95	64.13
	(iii) पूर्व प्रदत्त व्यय	206.95	233.06
	(iv) अन्य	2.43	2.65
कुल अन्य परिसंपत्तियां		**976.39**	**1,241.79**

14. शेयर पूंजी

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
अधिकृतः		
₹10 प्रत्येक के 15,00,00,000 सामान्य शेयर	15,000.00	15,000.00
	15,000.00	**15,000.00**
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्तः		
₹10 प्रत्येक के 704,00,000 सामान्य शेयर	7,040.00	7,040.00
	7,040.00	**7,040.00**

14(क) (i) बकाये शेयरों के समाशोधन का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2022			31 मार्च, 2021		
	संख्या	अंकित मूल्य (₹)	राशि (लाख ₹ में)	संख्या	अंकित मूल्य (₹)	राशि (लाख ₹ में)
बकाया प्रारंभिक शेष	**7,04,00,000**	**10**	**7,040.00**	**7,04,00,000**	**10**	**7,040.00**
बकाया अंतिम शेष	**7,04,00,000**	**10**	**7,040.00**	**7,04,00,000**	**10**	**7,040.00**

14(क)(ii) इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार, अधिमान्य एवं प्रतिबंध।

कंपनी के पास एक श्रेणी के सामान्य शेयर ('इक्विटी शेयर') है जिनका प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 है। सामान्य शेयरों का प्रत्येक धारक ('इक्विटी शेयरधारक') प्रति शेयर एक वोट का हकदार है एवं लाभांश पाने तथा अधिशेश में भाग लेने का अधिकारी है, यदि कोई, समापन की स्थिति को उत्पन्न होती है।

14(क)(iii): वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 1:1 के अनुपात में 88,00,000 बोनस शेयर जारी किए गए हैं।

14(क)(iv): वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 1:1 के अनुपात में 1,76,00,000 बोनस शेयर जारी किए गए हैं।

14(क)(v): वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 1:1 के अनुपात में 3,52,00,000 बोनस शेयर जारी किए गए हैं।

14(क)(vi): कंपनी की 5% से अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारकों का विवरणः

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2021		परिवर्तन का %
	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	
भारत के राष्ट्रपति (प्रवर्तक)	45580800	64.75%	45580800	64.75%	शून्य

भारत सरकार ने मार्च, 2019 के दौरान आईपीओ के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड में अपने 25.10% हिस्सेदारी का विनिवेश किया है। एमएसटीसी

लिमिटेड के इक्विटी शेयर 29 मार्च, 2019 से बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड दोनों में सूचीबद्ध हैं एवं दोनों में इसका व्यापार किया जाता है। आईपीओ के बाद शेयरधारिता का स्वरूप इस प्रकार है:

शेयरधारक	आईपीओ पूर्व %	आईपीओ के बाद %
भारत के राष्ट्रपति (प्रवर्तक) के माध्यम से भारत सरकार	89.85%	64.75%
अन्य	10.15%	35.25%
कुल	**100.00%**	**100.00%**

15. अन्य इक्विटी

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
पूंजी आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	3,416.00	3,416.00
अंतिम शेष	**3,416.00**	**3,416.00**
सामान्य आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	64,825.00	64,825.00
अंतिम शेष	**64,825.00**	**64,825.00**
प्रतिधारित आय		
प्रारंभिक शेष	(19,485.67)	(27,888.75)
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ	19,913.28	11,295.88
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	(1,219.07)	(569.60)
घटाएं: अंतिम लाभांश : वित्तीय वर्ष 19–20	-	2,323.20
घटाएं: अंतिम लाभांश : वित्तीय वर्ष 20–21	3,097.60	-
घटाएं: अंतिम लाभांश : वित्तीय वर्ष 21–22	5,984.00	-
अंतिम शेष	**(9,873.06)**	**(19,485.67)**
कुल अन्य इक्विटी	**58,367.94**	**48,755.33**

16. अन्य वित्तीय देनदारियां (गैर चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
ईएफबीएस योजना के अंतर्गत देनदारी	366.93	72.77
कुल अन्य वित्तीय देनदारी	**366.93**	**72.77**

17. प्रावधान (गैर चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान		
(1) परिभाषित हितलाभ दायित्व		
(i) कर्मचारी परिवार हितलाभ योजना	693.63	765.33
(ii) उपदान	635.08	610.12
(2) सेवानिवृत्ति हितलाभ दायित्व		
(i) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	5,869.14	4,622.72
(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ में अंशदान	257.07	228.50
(iii) कर्मचारी बंदोबस्ती हितलाभ योजना	55.35	64.71
(3) अन्य कर्मचारी हितलाभ		
(i) छुट्टी नकदीकरण हितलाभ	2,589.11	3,002.75
(ii) दीर्घ सेवा पुरस्कार	5.44	6.38
कुल प्रावधान	**10,104.82**	**9,300.51**

18. अन्य देनदारियां (गैर चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
ग्राहकों से अग्रिम	799.52	612.05
कुल अन्य देनदारियां	**799.52**	**612.05**

19 उधार (गैर–चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
प्रतिभूत उधार		
भारतीय स्टेट बैंक से गृह निर्माण ऋण	–	431.90
कुल	**–**	**431.90**

यह राशि न्यूटाउन, राजारहाट कोलकाता में कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त ऋण को प्रस्तुत करती है। ₹3,000 लाख की कुल अनुमोदित राशि में से ₹1,950.70 लाख संवितरण किए जा चुके हैं जो ₹125.00 लाख की तिमाही किस्तों में चुकाई जाएगी, जिसकी किस्तें 30 जून 2019 से आरंभ होगी। यह राशि प्रस्तावित कार्यालय भवन को गिरवी रखकर प्रतिभूत की गई है। ब्याज की गणना दैनिक भोग विधि पर की जाएगी एवं संवितरण की तिथि से मासिक शेष के आधार पर देय होगी। सावधि ऋण किस्तों के पूर्व भुगतान के मामले में यथा लागू पूर्व भुगतान शुल्क देय होंगे। इस ऋण का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया था।

20. व्यापार देय (चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
क.	**प्रतिभूत उधार**		
	(क) मांग पर पुनःदेय		
	(1) बैंक से		
	कार्यशील पूंजी मांग ऋण#	138.23	138.23
	दीर्घावधिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		
	(ख) बैंक से गृह निर्माण ऋण (नोट संख्या 19 देखें)	450.28	507.18
कुल प्रतिभूत उधार		**588.51**	**645.41**
ख.	**अप्रतिभूत उधार**		
	(क) बैंकों से मांग पर पुनःदेय	14,361.97	14,361.97
कुल अप्रतिभूत उधार		**14,361.97**	**14,361.97**
कुल उधार		**14,950.48**	**15,007.38**

क) इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) से ₹138.23 लाख का ऋण (19 सितंबर 2011 से पड़ा हुआ): यह राशि बैंक द्वारा अपने दावों का बचाव करने में भुगतान की गई कानूनी शुल्क को प्रस्तुत करती है जिस पर कंपनी ने बैंक में अपना विरोध दर्ज कराया है। एमएसटीसी ने कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय में आईओबी के विरुद्ध ₹3,656.00 लाख के लिए मामला दायर किया है (जिसमें एलसी मूल्य के नाम के बावत ₹2,798.00 लाख एवं कानूनी खर्चों के रूप में ₹858.00 लाख शामिल हैं)।

ख) उपरोक्त राशि प्राप्य खरीद करार के अंतर्गत वर्ष 2008–09 के दौरान खरीदार को स्वर्णाभूषण के निर्यात के सापेक्ष विदेशी खरीदारों द्वारा दिए गए एमएसटीसी के निर्यात बिलों की खरीद के बाद, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (एससीबी) द्वारा किए गए भुगतान के लिए ₹14,361.97 लाख (गत अवधि ₹14,361.97 लाख) को प्रस्तुत करती है। एक प्राप्य खरीद समझौते के तहत, उक्त समझौते के तहत, एससीबी ने एमएसटीसी को निर्यात बिलों के मूल्य का 95% भुगतान किया और जिन विदेशी खरीदारों पर एमएसटीसी द्वारा बिल बनाए गए थे, वे बिलों में उल्लिखित संबंधित देय तिथियों पर सीधे एससीबी को बिलों का भुगतान करेंगे। भुगतान विफलताओं, यदि एमएसटीसी द्वारा उठाए गए बिलों के खिलाफ विदेशी खरीदारों से कोई हो, एससीबी द्वारा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी से एमएसटीसी के साथ सह–बीमा के रूप में ली गई बीमा पॉलिसी के माध्यम से कवर किया गया था। बिलों के सापेक्ष विदेशी खरीददारों से आय प्राप्त न होने पर, एससीबी ने बीमा कंपनी के समक्ष दावे किए, जिसने बहरहाल, एससीबी के दावे को अनुचित तरीके नकार दिया। इस प्रकार नकारे जाने पर, एससीबी ने एमएसटीसी से खरीदे गए प्राप्य को एकतरफा एमएसटीसी ऋण/कर्ज में परिवर्तित कर दिया एवं एमएसटीसी से ब्याज के साथ राशि का दावा किया तथा ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी), मुंबई में मूल आवेदन होने के कारण वर्ष 2012 में मामला दायर किया जिसे

एमएसटीसी ने इंकार कर दिया। इस प्रकार यह विवादग्रस्त है। 16 सितंबर, 2017 को डीआरटी, मुंबई द्वारा पारित अंतरिम आदेश सहित ऐसी कार्यवाही में एससीबी के दावे की वैधता को एमएसटीसी द्वारा ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई के समक्ष विविध अपील दायर करके चुनौती दी गई है जो अभी लंबित है। इसके अतिरिक्त, एमएसटीसी लिमिटेड ने एमएसटीसी लिमिटेड (अर्थात मुंबई में आवासीय एवं कार्यालय फ्लैट तथा कोलकाता में आवासीय फ्लैट) की कुर्क की गई अचल संपत्तियों को बेचने के लिए डीआरटी द्वारा नीलामी कार्यक्रम के विरुद्ध माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने नीलामी कार्यक्रम के साथ–साथ डीआरएटी में रिक्ति के कारण न्यायालय में ₹5,562.75 लाख जमा करने पर वसूली की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। अध्यक्ष के पद ग्रहण करने पर स्थगन अब निष्प्रभावी हो गया है और न्यायालय में जमा की गई राशि अंतरित कर दी गई है। यदि डीआरएटी अपील की सुनवाई द्वारा की जाती है तो एमएसटीसी को प्रासंगिक कानून के प्रावधानों के अनुसार डीएआरटी में (पहले से जमा की गई ₹5,562.75 लाख की राशि के समायोजन के उपरांत) पहले राशि जमा करनी होगी। एससीबी के दावे को चुनौती देने वाली अन्य कार्यवाहियां माननीय उच्च न्यायालय, बम्बे एवं एमएसटीसी द्वारा एससीबी तथा बीमा कंपनी दोनों के विरुद्ध आरंभ की गई; अलीपुर, कोलकाता में सिविल कोर्ट सहित विभिन्न फोरमों के समक्ष भी लंबित हैं। इसके उपरांत, एसीबी ने भी वर्ष 2012 के उत्तरार्द्ध में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द्वारा एससीबी के दावे को नकारे जाने के कारण आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से पॉलिसी के अंतर्गत उस राशि का दावा करते हुए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के विरुद्ध माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में सक्षिप्त मुकदमा दायर किया। एससीबी का दावा कानूनी मामलों के परिणाम पर निर्भर है। ऐसे सभी अदालती मामलों के लंबित अंतिम निपटारे, जहां मामले वर्तमान में लंबित हैं, एमएसटीसी ने इस राशि का उधार और व्यापार प्राप्यों के रूप में प्रकटीकरण किया है (टिप्पणी संख्या – 9.2 देखें)।

सहायक कंपनी के मामले में, उपर्युक्त ऋण बैंकरों के पास कंपनी की सावधि जमा पर गिरवी रखते हुए प्रतिभूत हैं।

21. व्यापार देय (चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(1) आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	14.68	3.50
– अन्य #	16,494.71	39,992.55
उपचित मजदूरी एवं वेतन*	4,197.46	3,085.33
कुल व्यापार देय	**20,706.85**	**43,081.38**

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2022 को						
एमएसएमई	222.66	1,696.82	-	-	-	**1,919.48**
अन्य	2,492.47	2,936.50	6,678.08	98.07	6,582.25	**18,787.37**
कुल	**2,715.13**	**4,633.32**	**6,678.08**	**98.07**	**6,582.25**	**20,706.85**

विवरण	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2021 को						
एमएसएमई	168.23	1,431.99	-	-	-	**1,600.22**
अन्य	2,854.89	30,385.05	456.06	525.75	7,259.31	**41,481.05**
कुल	**3,023.12**	**31,817.04**	**456.06**	**525.75**	**7,259.31**	**43,081.27**

बकाये की तिथि यथास्थिति बिलिंग की तिथि से और/या लेखांकन की तिथि से मानी गई है। वर्ष में कोई बकाया विवादित नहीं है।

*इसमें वित्तीय वर्ष 2021–22 में कर्मचारियों के पेंशन लाभ के प्रावधान हेतु ₹297.27 लाख (गत वर्ष ₹285.32 लाख) एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिनांक 01 जनवरी, 2017 से कर्मचारियों के वेतन संशोधन हेतु ₹1,436.00 लाख (गत वर्ष ₹676.45 लाख) शामिल है।

31 मार्च, 2022 एवं 31 मार्च, 2021 दोनों तिथियों को, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कोई ब्याज और अतिदेय भुगतान नहीं देय नहीं है जो 45 से अधिक दिनों से बकाया हो।

22. अन्य वित्तीय देनदारियां (चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क) देय ब्याज		
(i) उधार पर उपचित ब्याज परंतु देय नहीं	7,889.03	7,889.03
(ख) दावारहित लाभांश	130.53	84.95
(ग) अन्य देयताओं के लिए लेनदार		
(i) प्रतिभूति जमा राशि/ईएमडी	56,527.20	64,893.12
(ii) ग्राहकों से प्राप्त जमा राशि	13,797.10	16,466.22
(iii) ईएफबीएस के अंतर्गत जमा	228.17	97.47
(iv) ईएफबीएस जमा योजनाओं के अंतर्गत देय	58.23	24.36
(v) अन्य	103.99	83.25
कुल अन्य वित्तीय देनदारियां (चालू)	**78,734.25**	**89,538.40**

23. अन्य देनदारियां (चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(i) सांविधिक देय		
(क) बिक्री कर और वैट देय	1,581.81	1,719.82
(ख) स्रोत पर कर कटौती एवं एकत्रित	1,442.19	3,737.55
(ग) भविष्य निधि एवं पेंशन	165.04	169.32
(घ) कार्यपालक के लिए पेंशन	158.44	149.45
(ङ) अन्य	–	0.58
(ii) ग्राहकों से अग्रिम	476.02	431.78
कुल अन्य देनदारियां (चालू)	**3,823.50**	**6,208.50**

24. प्रावधान (चालू)

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क) कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान		
(1) परिभाषित हितलाभ दायित्व		
कर्मचारी परिवार हितलाभ योजना	246.62	253.47
(2) सेवानिवृत्ति हितलाभ दायित्व		
(i) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	211.59	85.92
(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ में अंशदान	9.77	9.02
(iii) कर्मचारी बंदोबस्ती हितलाभ योजना	7.14	5.52
(iv) उपदान	131.13	–
(3) अन्य कर्मचारी हितलाभ		
(i) छुट्टी नकदीकरण हितलाभ	305.68	173.50
(ii) दीर्घ सेवा पुरस्कार	0.71	0.52
(iii) मजदूरी संशोधन	4,607.78	3,486.89
(iv) गैर–कार्यपालकों को देय अतिरिक्त संसाधन अर्जन योजना	58.65	51.01
(v) कार्य–निष्पादन से संबंधित भुगतान		
वर्ष 2019–20 हेतु	0.88	195.35
वर्ष 2020–21 हेतु	81.47	84.21
वर्ष 2021–22 हेतु	246.09	–
(4) भविष्य निधि #	60.65	–
(ख) अन्य प्रावधान*	278.22	311.92
कुल प्रावधान	**6,246.38**	**4,657.33**

*सहायक कंपनी के मामले में, अन्य प्रावधानों में एमवीआई आदि द्वारा जारी किए मांग शामिल है।

#यह पीएफ ट्रस्ट की आय में कमी के अंशदान हेतु ₹60.65 लाख (गत वर्ष – शून्य) के प्रावधान को प्रस्तुत करता है। (टिप्पणी संख्या–39 देखें)

25. बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां

(राशि लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क)	संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण	233.46	301.52
(ख)	सक्रिय उपयोग से हटाई गई परिसंपत्तियां*	39.19	–
(ग)	बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति के साथ संबंधित देनदारियां	86.39	70.58

सहायक कंपनी के मामले में:

(1) बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति उनके निम्नलिखित मूल्य पर 'चालू परिसंपत्तियां' के अंतर्गत वर्गीकृत की गई हैं क्योंकि ये परिसंपत्तियां आम नितरंत प्रचालन से पहले ही हटाई जा चुकी हैं एवं केवल बिक्री/नीलामी के लिए रखी गई है। इसके अलावा, जहां प्रबंधन अपेक्षा करता है कि उक्त परिसंपत्तियों का कोई भी हिस्सा तुलन पत्र की तारीख को एक वर्ष के भीतर संभवतया निपटान कर लिया जाएगा/बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा तो उसे चालू परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(2) जब कोई परिसंपत्ति सक्रिय उपयोग से हटा दी जाती है, परंतु अभी तक उसका सर्वेक्षण नहीं किया गया है, तो उस परिसंपत्ति की लागत के 5% के अवशिष्ट मूल्य के साथ 'सक्रिय उपयोग से हटाई गई संपत्ति' में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और उसे 'चालू परिसंपत्ति' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

(3) एच1 बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि परंतु रिपोर्टिंग तिथि को परिसंपत्ति /सब–असेंबली को उठाया नहीं जाता है, तो 'बिक्री के लिए धारित संपत्ति से संबंधित सीधे देनदारी वर्गीकृत संपत्ति' के अधीन विचार किया जाता है।

26. परिचालनों से राजस्व

(राशि लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क)	वस्तुओं की बिक्री	15,983.55	17,576.92
(ख)	सेवा प्रभार	26,691.74	20,576.56
(ग)	अन्य परिचालन राजस्व	4,385.75	4,619.02
(घ)	स्क्रैप और अन्य वस्तुओं का प्रसंस्करण	40,553.74	35,274.11
परिचालनों से कुल राजस्व		**87,614.78**	**78,046.61**

(क) वर्ष के दौरान, होल्डिंग कंपनी के ई–नीलामी पंजीकरण हेतु ₹995.25 लाख (गत वर्ष ₹514.10 लाख) की राशि एकत्र की गई थी। चालू वर्ष के कुल संग्रहण में से ₹829.38 लाख (गत वर्ष ₹411.28 लाख) को देनदारियों में रखा गया है जो लेखांकन नीति के अनुसार आगामी चार वर्षों में वितरित की जाएगी, क्योंकि संबंधित पंजीकरण जीवन भर के लिए वैध है। दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार संचित अवितरित शेष राशि ₹1,275.55 लाख (गत वर्ष ₹1,043.83 लाख) है। शेष राशि जिसके लिए पंजीकरण एक वर्ष तक वैध है को शेष वर्तमान अवधि के दौरान आय के रूप में लेखांकित किया गया है।

(ख) होल्डिंग कंपनी के अन्य परिचालन राजस्व में चालू वर्ष में ग्राहकों से ₹3,040.38 लाख (गत वर्ष ₹3,450.37 लाख) का ब्याज भी शामिल हैं।

(ग) होल्डिंग कंपनी के सेवा प्रभार पर स्रोत पर कर कटौती चालू वर्ष में ₹1,726.91 लाख (गत वर्ष ₹922.73 लाख) है।

27. अन्य आय

(राशि लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क)	ब्याज आय		
	(i) एफडीआर पर ब्याज	2,346.68	1,324.14
	(ii) कर्मचारी अग्रिमों पर ब्याज	24.99	28.96
(ख)	प्रतिलिखित देनदारी	–	127.61
(ग)	आवश्यक नही रहे प्रावधान का प्रतिलेखन	22,146.52	19,681.29
(घ)	सब–असंबली की बिक्री	14.98	16.78
(ङ)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	15.33	20.99
(च)	परिसमापन क्षति और अन्य वसूली	22.78	14.91
(छ)	विविध आय	146.59	146.61
कुल अन्य आय		**24,717.87**	**21,361.29**

होल्डिंग कंपनी के बैंक जमा पर ब्याज से स्रोत पर कर कटौती ₹164.01 लाख (गत वर्ष ₹49.93 लाख) है।

28. व्यापारगत माल की खरीद

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क) व्यापारगत माल की खरीद	15,878.48	17,460.69
(ख) लांसिंग ट्यूब	54.47	43.46
(ग) ऑसीजन और एसिटिलीन	228.26	233.64
(घ) लुब्रिकैंट	134.52	108.45
(ङ) डीजल और गैसोलीन	3,928.51	2,780.18
(च) स्टोर और स्पेयर पार्ट्स	1,089.53	1,045.34
(छ) पानी, बिजली	103.25	102.84
कुल	**21,417.02**	**21,774.60**

29. कर्मचारी हितलाभ व्यय

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क) बोनस सहित वेतन और मजदूरी,	15,928.66	14,106.96
(ख) भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	1,500.71	1,476.41
(ग) कर्मचारी कल्याण व्यय	1,896.59	1,755.92
कुल कर्मचारी हितलाभ व्यय	**19,325.96**	**17,339.29**

30. वित्तीय लागत

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क) ब्याज व्यय		
(i) बैंकों से अल्पावधिक उधारों पर ब्याज	-	109.22
(ii) बैंकों से गृह निर्माण ऋण पर ब्याज	38.44	-
(iii) ग्राहकों को प्रदत्त ब्याज	223.16	602.33
(iv) ईएफबीएस जमा राशियों पर ब्याज	-	3.06
कुल वित्तीय लागत	**261.60**	**714.61**

31. अन्य व्यय

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(क) मरम्मत और रखरखाव		
(i) मशीनरी	840.70	652.70
(ii) भवन	6.44	12.40
(iii) अन्य	610.71	482.03
(ख) ईडीपी व्यय	158.05	89.54
(ग) बीमा शुल्क	149.20	155.15
(घ) किराया	343.04	348.03
(ङ) दर एवं कर	55.54	64.30
(च) बैंक प्रभार	21.23	79.15
(छ) यात्रा व्यय	80.51	73.90
(ज) विदेश यात्रा व्यय	-	-
(छ) गाड़ी भाड़ा शुल्क	131.25	108.76
(ञ) बैठक एवं सम्मेलन	63.20	15.67

विवरण		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(ट)	प्रशिक्षण	9.78	10.44
(ठ)	निदेशकों का बैठक शुल्क	5.70	6.45
(ड)	सांविधिक लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक		-
	(i) लेखापरीक्षक शुल्क	13.23	12.36
	(ii) कर लेखापरीक्षा शुल्क	1.90	1.40
	(iii) फुटकर व्यय	3.27	3.90
(ढ)	टेलेक्स, डाक एवं तार	9.95	16.87
(ण)	बिजली	128.58	95.71
(त)	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	57.42	52.09
(थ)	मनोरंजन	19.67	14.20
(द)	टेलीफोन शुल्क	72.79	63.25
(ध)	विज्ञापन	92.47	46.14
(न)	विधिक व्यय	206.50	82.87
(प)	परामर्श शुल्क	54.87	64.11
(फ)	आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	1.44	1.56
(ब)	फुटकर व्यय (आंतरिक लेखापरीक्षक)	1.95	2.74
(भ)	विविध व्यय	456.19	357.19
(म)	कर्मचारी भर्ती व्यय	0.28	4.55
(य)	समाचार पत्र, पुस्तक एवं पत्रिकाएं	1.76	1.96
(र)	निगमित सामाजिक दायित्व (टिप्पणी सं. 40 देखें)	17.84	500.00
(ल)	नीलामी निविदा व्यय	103.69	84.84
(व)	बाहरी एजेंसी के माध्यम से सेवा की लागत/उपकरण का किराया	14,726.19	13,266.61
(श)	परिचालन गतिविधियों के लिए जनशक्ति की हायरिंग	948.84	722.79
(ष)	सुरक्षा सेवा	444.68	466.45
(स)	बट्टे खाते में डाला गया अशोध्य ऋण	22,038.14	18,036.07
(ह)	अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों/ऋणों के लिए अनुमति*	3,963.04	7,169.80
(क्ष)	स्टॉक यार्ड व्यय	65.92	139.03
(त्र)	मालभाड़ा	16.64	61.90
(ज्ञ)	स्थायी परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डाले जाने/बिक्री से हानि	32.04	25.59
(कक)	निपटान हेतु प्रतीक्षारत परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	22.41	88.87
(कख)	दान*	-	500.00
(कग)	क्रेडिट टिप्पणी पर छूट	-	48.39
(कघ़)	प्लॉट किराया	7.46	7.46
कुल अन्य व्यय		**45,984.51**	**44,037.22**

***होल्डिंग कंपनी के मामले में टिप्पणियां:**

1) कंपनी ने पीएम केयर्स फंड में दान दिया है।

2) उपरोक्त (कच) में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण, व्यवसाय के कैश एंड कैरी मॉडल के अंतर्गत प्राप्त हीं हुआ व्यापार प्राप्य को दर्शाता है, जिसमें संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के प्रावधान में वह समतुल्य राशि होती है जिसे प्रतिलिखित किया गया है तथा टिप्पणी 27 (ग) का हिस्सा है। उपरोक्त बट्टे खाते में डाली गई राशि 11 फरवरी, 2022 को आयोजित बैठक संख्या 313 में निदेशक मंडल के अनुमोदनानुसार है।

3) अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान है 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तीसरी तिमाही के लेखाओं से कार्यान्वित व्यापार प्राप्य पर प्रावधानीकरण नीति के अनुसार है।

टिप्पणी 32(क): 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रारंभिक स्टॉक, क्रय, विक्रय एवं अंतिम स्टॉक का विवरण

(मात्रा '000 एमटी) (राशि लाख ₹ में)

सामग्री का विवरण		प्रारंभिक स्टॉक		क्रय		विक्रय		अंतिम स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
पाइप्स एवं ट्यूब्स	2021-22	-	-	170.00	15,878.48	170.00	15,983.55	-	-
	2020-21	-	-	190.03	18,417.03	190.03	18,534.44	-	-
	2021-22				15,878.48		15,983.55		
	2020-21				18,417.03		18,534.44		
जोड़ें:	2021-22	अंतिम बिल समायोजन			-		-		
	2020-21				(956.34)		(957.52)		
अंतिम	2021-22				15,878.48		15,983.55		
	2020-21				17,460.69		17,576.92		

टिप्पणी 32 (ख). उपरोक्त के अलावा, होल्डिंग कंपनी ने फेसिलिटेटर (सुविधाप्रदाता) के रूप में निम्नानुसार सामग्री की खरीद की है:

(मात्रा '000 एमटी) (राशि लाख ₹ में)

सामग्री का विवरण		मात्रा	क्रय मूल्य	अर्जित सेवा प्रभार
सीमेंट	2021-22	850.00	51.00	0.64
	2020-21	-	-	-
पाइप	2021-22	-	-	11.20
	2020-21	-	-	-
टीआरए मिश्रण	2021-22	4.00	144.89	0.87
	2020-21	-	-	-
एचएसडी	2021-22	1,733.00	1,296.62	7.78
	2020-21	-	-	-
विद्युत सामग्री	2021-22	1,945.00	1,219.24	12.74
	2020-21	-	-	-
टॉवर	2021-22			
	2020-21	-	-	5.80
विविध वस्तुएं	2021-22	19,492.00	71.36	5.35
	2020-21	112.00	10.00	40.10
टीएमटी बार	2021-22	13,868.00	7,614.70	117.99
	2020-21	4,157.00	78.33	154.90
क्रोम अयस्क	2021-22			
	2020-21	12.00	7.00	13.30
चैनल	2021-22			
	2020-21	1,200.00	54.52	72.80
एमएस शीट/प्लेट/फ्लैट	2021-22	13,170.00	9,766.38	131.70
	2020-21			
विद्युत उपकरण/परियोजना सामग्री	2021-22	240.00	505.48	3.85
	2020-21	-	-	13.90
कुल	**2021-22**	**51,302.00**	**20,669.67**	**292.12**
	2020-21	**5,481.00**	**149.85**	**300.80**

टिप्पणी 33: इंड एएस 108 के अनुसार सेगमेंट–वार रिपोर्टिंग: (राशि लाख ₹ में)

इंडएएस 108 के संदर्भ में समूह ने मार्केटिंग, ई–कॉमर्स और स्क्रैप रिकवरी तथा संबद्ध कार्यों को अपने तीन प्राथमिक रिपोर्ट योग्य व्यवसाय क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। कोई द्वितीय खंड नहीं है।

विवरण		मार्केटिंग	ई–कॉमर्स	अन्य (अनावंटित)	स्क्रैप रिकवरी तथा संबद्ध कार्य	कुल
कुल आय	2021-22	41,354.23	29,402.83	36.66	41,538.93	1,12,332.65
	2020-21	40,626.09	22,121.58	163.38	36,496.85	99,407.90
कुल व्यय	2021-22	41,674.15	368.62	10,906.08	36,118.36	89,067.21
	2020-21	42,516.51	1,008.07	9,006.57	33,288.36	85,819.51
कर पूर्व लाभ/हानि (–)	2021-22	(319.92)	29,034.21	(10,841.13)	5,420.57	23,293.73
	2020-21	(1,890.41)	21,113.50	(8,843.19)	3,208.49	13,588.39
कर व्यय	2021-22					3,380.45
	2020-21					2,292.51
वर्ष हेतु (लाभ/हानि (–))	2021-22					19,913.28
	2020-21					11,295.88

कंपनी के व्यवसाय में प्रयुक्त परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की किसी भी रिपोर्ट योग्य सेगमेंट (खंड) में चिन्हित नहीं किया गया है, क्योंकि इनका उपयोग खंडों के मध्य अंतर–परिवर्तन के रूप से किया गया है। इसलिए प्रबंधन का मानना है कि परिसंपत्तियों एवं देनदारियों से संबंधित खंड का प्रकटीकरण करना वर्तमान में व्यावहारिक नहीं है।

प्रमुख ग्राहकों के बारे में सूचना

संस्था के राजस्व का 10 प्रतिशत या उससे अधिक राशि वाले एकल बाहरी ग्राहक के साथ लेन–देन से होने वाला राजस्व इस प्रकार है:–

(राशि लाख ₹ में)

प्रमुख ग्राहक (10% से अधिक राजस्व वाले ग्राहक)	2021-22	2020-21
कुल राजस्व	15,542.43	18,534.44
ग्राहकों की संख्या	1	2
कुल राजस्व का प्रतिशत	13.84%	18.64%
उत्पाद खंड	मार्केटिंग एवं स्क्रैप रिकवरी व संबंद्ध कार्य	मार्केटिंग एवं स्क्रैप रिकवरी व संबंद्ध कार्य

34. आकस्मिक देनदारियां एवं प्रतिबद्धताएं

(क) आकस्मिक देनदारियां

(राशि लाख ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
1	बिक्री कर वेट एवं सीमा शुल्क	3,185.83	3,290.85
2	मुद्रा संबंधी वाद	17,871.76	17,427.00
3	पंचाट	30.16	30.16
4	आय कर	9.85	9.85
5	सेवा कर	4,861.31	5,156.74
6	कंपनी के विरूद्ध दावे ऋण के रूप मे स्वीकृत नहीं	789.47	369.75
7	बकाया बैंक गारंटी	521.38	569.90
	कुल	**27,269.76**	**26,854.25**

(ख) प्रतिबद्धताएं (राशि लाख ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
1	न्यू टाउन कोलकाता में नए कार्यालय भवन का निर्माण	–	751.40
2	पूंजीगत खाते पर निष्पादित की जाने वाली ठेके की अनुमानित राशि एवं जिसका प्रावधान नहीं किया गया (अग्रिमों को छोड़कर)	110.99	291.22
	कुल	**110.99**	**1,042.62**

होल्डिंग कंपनी के मामले में न्यू टाउन, कोलकाता में नए कार्यालय भवन का पूंजीकरण वर्ष के दौरान उसे पूरा होने पर निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित लागत पर किया गया है, जो परियोजना के समापन एवं पीएमसी एजेंसी के साथ निपटान के अधीन लंबित है।

35. कर व्यय

(i) लाभ एवं हानि विवरण में आय कर की मान्यता (राशि लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(1)	चालू कर		
	– अवधि हेतु	2,203.30	1,030.44
	– पूर्ववर्ती वर्षों के लिए	–	1,039.06
(2)	आस्थगित कर	1,177.15	223.01
	चालू वर्ष में कुल आयकर व्यय की मान्यता	**3,380.45**	**2,292.51**

(II) अवधि हेतु कर व्यय को लाभ (हानि) लेखाकंन में निम्नानुसार समाशोधन किया जा सकता है:

विवरण		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(1)	वर्ष हेतु कर पूर्व लाभ	23,293.73	13,588.39
(2)	होल्डिंग कंपनी के मामले में आय कर व्यय की गणना 34.944% पर एवं सहायक कंपनी (एफएसएनएल) में 25.168% पर	9,053.94	4,814.42
(3)	उन व्ययों का प्रभाव जो कर योग्य लाभ के निर्धारण में कटौती योग्य नहीं हैं	578.51	2,405.36
(4)	आय का प्रभाव जो कर से मुक्त है, कटौती योग्य है	1,449.01	336.16
(5)	पूर्ववर्ती वर्षों के लिए कर	-	1,039.06
(6)	बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण पर करों का प्रभाव	(7,701.01)	(6,302.50)
		3,380.45	**2,292.51**

होल्डिंग कंपनी के मामले में, वर्ष 2021–22 एवं 2020–21 के लिए प्रयुक्त कर दर भारतीय कर कानून के अंतर्गत कर योग्य लाभों पर भारत में निगमित संस्थाओं द्वारा देय 34.944% (30% के साथ अधिभार 12% की दर से एवं शिक्षा उपकर 4% की दर से)।

वित्तीय वर्ष 2021–22 की आस्थगित कर गणना के लिए, आयकर दर 34.944% (30% के साथ 12% अधिभार एवं 4% की दर से शिक्षा उपकर)

तथापि होल्डिंग कंपनी के पास ₹3,090.97 लाख (गत वर्ष – ₹3,090.97 लाख) का एमएटी क्रेडिट है, जिसके लिए कंपनी के पास अगले कर निर्धारण वर्षों में उन वर्षों के लिए आय पर देय कर के विरुद्ध क्रेडिट पाने का अधिकार है। कंपनी को लगता है कि आने वाले वर्षों में उसे पर्याप्त लाभ होगा। तदनुसार आस्थगित कर परिसंपत्तियों को एमएटी क्रेडिट अधिकार के लिए मान्यता दी गई है। तथापि, संरक्षणवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत ₹3,555.25 लाख (गत वर्ष ₹6,950.48 लाख) के संदिग्ध ऋणों के प्रावधान पर कोई आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है।

वर्ष के दौरान होल्डिंग कंपनी, द्वारा प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के अंतर्गत ₹10.47 लाख (गत वर्ष ₹68.52 लाख) जमा किए गए हैं। इसके साथ ही उक्त योजना के अंतर्गत निपटाए गए/जमा किए गए आय कर मामलों के सापेक्ष शून्य रुपये (गत वर्ष ₹95.29 लाख) का कर व्यय बही में अंकित किया गया है जिसमें 5 (पांच) कर निर्धारण वर्ष सम्मिलित हैं।

होल्डिंग कंपनी ने धारा 115बीएए के अंतर्गत वर्णित नई आय कर दर को नहीं अपनाया है एवं सामान्य आय कर दर लागू करना बरकरार रखा है।

सहायक कंपनी (फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड) ने कम दरों पर धारा 115बीएए के अंतर्गत वर्णित दरों का विकल्प लिया है एवं इन परिणामों के प्रयोजनार्थ 25.168% पर माना है।

(iii) आस्थगित कर में उतार–चढ़ाव

विवरण	31 मार्च, 2021	वर्ष के लिए प्रभार / (क्रेडिट)	31 मार्च, 2022
लाभ या हानि के माध्यम से			
आस्थगित कर देनदारियां			
कर्मचारी परिवार हितलाभ योजना	30.92	134.74	165.66
संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त संपत्ति और अन्य	30.92	134.74	165.66
आस्थगित कर परिसंपत्तियां			
संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण अन्य	-		-
अन्य व्ययों के सापेक्ष प्रावधान	2,210.25	(123.67)	2,086.58
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए अनुमति	17,096.75	(909.24)	16,187.51
अन्य	9.57	(9.57)	-
एमएटी क्रेडिट अधिकार पत्र	3,090.90	0.07	3,090.97
निवल आस्थगित कर (देनदारी) / परिसंपत्तियां	22,407.47	(1,042.41)	21,365.06
कुल आस्थगित कर (देनदारी) / परिसंपत्तियां	**22,376.55**	**(1,177.15)**	**21,199.40**
अन्य व्यापक आय के माध्यम से			
आस्थगित कर परिसंपत्तियां			
परिभाषित हितलाभ योजना का पुनर्मापन	491.60	(67.14)	424.46
सकल आस्थगित कर (देनदारी) / परिसंपत्तियां	**22,868.15**	**(1,244.29)**	**21,623.86**

36. प्रति शेयर आय

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
वर्ष हेतु लाभ	19,913.28	11,295.88
शेयरधारकों के प्रति लाभ	19,913.28	11,295.88
मूल ईपीएस हेतु शेयरों की भारित औसत संख्या	7,04,00,000	7,04,00,000
सामान्य शेयरों का आम मूल्य (₹ में)	10.00	10.00
प्रति शेयर बेसिक / डायल्यूटेड आय (₹ प्रति शेयर)	28.29	16.05

37. वित्तीय लेखपत्र पर प्रकटीकरण

यह खंड समूह के वित्तीय लेखपत्रों के महत्व का अवलोकन प्रस्तुत करता है एवं वित्तीय लेखपत्रों से युक्त तुलन पत्र की मदों पर अतिरिक्त सूचना प्रदान करता है। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ वित्तीय परिसंपत्ति, वित्तीय देनदारी एवं इक्विटी लेखपत्र के प्रत्येक वर्ग के संबंध में मापन के आधार तथा आय और व्यय को जिस आधार पर मान्यता दी गई है, का विवरण समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किए गए हैं।

(1) वित्तीय लेखपत्र की श्रेणियाँ

निम्न तालिका वर्ष के अंत में प्रत्येक श्रेणी की वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का रखाव मूल्य एवं उचित मूल्य को प्रस्तुत करती है। तालिका में उचित मूल्य रखाव मूल्य के समतुल्य है।

(राशि लाख ₹ में)

वित्तीय परिसंपत्ति	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	जिस पर मापे गए
व्यापार प्राप्य	54,823.35	88,966.43	परिशोधित लागत
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	16,221.42	13,075.57	परिशोधित लागत
नकद एवं नकद समतुल्य	74,591.72	74,569.00	परिशोधित लागत
अन्य बैंक शेष	7,525.98	1,402.20	परिशोधित लागत
निवेश	2,063.83	1,435.70	परिशोधित लागत
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**1,55,226.30**	**1,79,448.91**	

वित्तीय देनदारियां	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	जिस पर मापे गए
उधार	14,950.48	15,439.28	परिशोधित लागत
व्यापार देय	20,706.85	43,077.88	परिशोधित लागत
अन्य वित्तीय देनदारियां	79,101.18	89,611.17	परिशोधित लागत
कुल वित्तीय देनदारियां	**1,14,758.51**	**1,48,128.33**	

(2) पूंजी प्रबंधन

समूह यह सुनिश्चित करने हेतु अपनी पूंजी का प्रबंधन करता है कि समूह ऋण एवं इक्विटी शेष के अनुकूलन के माध्यम से शेयरधारकों के अधिकतम रिटर्न करते हुए लाभकारी कारोबार वाले संस्था के तौर पर जारी रखने में सक्षम है। समूह किसी बाहरी रूप से अधिरोपित पूंजी अपेक्षाओं के अधीन नहीं है।

(3) वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य

समूह का कार्पोरेट ट्रेजरी कार्य व्यापार के लिए सेवाएं प्रदान करता है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच का समन्वय, समूह के संचालन से जुड़े वित्तीय जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन करता है। इन जोखिमों में बाजार जोखिम (जैसे– मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम), क्रेडिट जोखिम और चलनिधि जोखिम शामिल हैं। नीतियों एवं उपस्थिति सीमाओं के अनुपालन की निरंतर आधार पर आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षा की जाती है। समूह अव्यवहार्य प्रयोजनों के लिए व्युत्पन्न वित्तीय लेखपत्र सहित वित्तीय लेखपत्रों में न ही शामिल होता है और न ही व्यापार करता है।

(क) बाजार जोखिम

समूह की गतिविधियां मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तनों के वित्तीय जोखिमों को प्रदर्शित करती हैं। समूह मामले के आधार पर, विनिमय दर जोखिम की बचाव व्यवस्था के लिए फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा अनुलग्नक करता है।

(क) ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

वर्तमान में समूह ने अपने अधिकतम ऋण को एमसीएलआर आधारित में परिवर्तित कर दिया है, इसलिए दर अनुलग्नक अवधि के लिए आमतौर पर एक वर्ष के लिए स्थिर है।

(ख) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

समूह का विदेशी मुद्रा एक्सपोजर आयात देयताओं के कारण होता है। ग्राहकों के साथ लेन–देन एक के बाद एक आधार पर होता है। लाभ और हानि यदि कोई हो तो ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता है। ग्राहकों के साथ चर्चा कर संबंधित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की बचाव व्यवस्था के लिए कभी–कभी फॉरवर्ड कवर लिया जाता है। जहां भी विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव हो, ग्राहकों द्वारा उनके साथ समझौते के अनुसार वहन किया जाता है, विदेशी मुद्रा लाभ/हानि को समूह की बहियों में मान्यता नहीं दी गई है। ।

(ख) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम उस जोखिम को दर्शाता है जो एक काउंटर पार्टी अपने संविदात्मक दायित्वों पर चूक करेगी जिसके परिणामस्वरूप समूह को वित्तीय हानि होती है। समूह ने जहां उपयुक्त हो, चूक से वित्तीय हानि के जोखिम को कम करने के साधन के रूप में, केवल क्रेडिट योग्य काउंटर पार्टी के साथ काम करने की नीति अपनाई है। समूह केवल उन संस्थाओं के साथ लेन–देन करता है जो एजेंसियों द्वारा रेट किए गए हैं और जहां उपलब्ध नहीं हैं, तो समूह अपने प्रमुख ग्राहकों को रेट करने के लिए अन्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वित्तीय जानकारी और अपने स्वयं के पिछले रिकॉर्ड का उपयोग करता है। समूह के जोखिम और इसके काउंटरपार्टी की क्रेडिट रेटिंग की नजर रखी जाती है और किए गए लेनदेन के कुल मूल्य को अनुमोदित काउंटर पार्टी में प्रसारित किया जाता है। क्रेडिट एक्सपोजर को काउंटरपार्टी की सीमाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिनकी वरिष्ठ प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा कर अनुमोदित किया जाता है।

(ग) चलनिधि जोखिम प्रबंधन

समूह निरंतर भविष्य की और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी करके और वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके पर्याप्त भंडार, बैंकिंग सुविधाएं तथा आरक्षित उधार सुविधा बनाए रखने के लिए चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करता है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2022 तथा 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अनुमानित ब्याज भुगतान सहित वित्तीय देनदारियों के संविदागत छूट रहित नकद दायित्वों के बारे में विवरण प्रदान करती है। (राशि लाख ₹ में)

वित्तीय देनदारियां	31 मार्च, 2022				
	अग्रेनीत राशि	संविदागत नकदी प्रवाह	1 वर्ष से कम	1– 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक
उधार	14,950.48	14,950.48	14,950.48	-	-
व्यापार भुगतेय	20,706.85	20,706.85	20,706.85	-	-
अन्य वित्तीय देनदारियां	79,101.18	79,278.79	78,734.25	190.72	353.82
	1,14,758.51	**1,14,936.12**	**1,14,391.58**	**190.72**	**353.82**

(राशि लाख ₹ में)

वित्तीय देनदारियां	31 मार्च, 2021				
	अग्रेनीत राशि	संविदागत नकदी प्रवाह	1 वर्ष से कम	1– 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक
उधार	15,439.28	15,439.28	15,007.38	431.90	-
व्यापार भुगतेय	43,077.88	43,077.88	43,077.88	-	-
अन्य वित्तीय देनदारियां	89,611.17	89,626.47	89,538.37	68.30	19.80
	1,48,128.33	**1,48,143.63**	**1,47,623.63**	**500.20**	**19.80**

(घ) उचित मूल्य मापन

कंपनी की कोई भी वित्तीय संपत्ति एवं वित्तीय देनदारी का मापन रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर नहीं किया गया है।

38. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

(i) संबंधित पार्टियों का नाम और संबंध का विवरणः

1) संयुक्त उद्यम

महिंद्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड

2) प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारीगण

श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
श्री सुब्रत सरकार	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
श्रीमती भानु कुमार	निदेशक (वाणिज्यिक)
श्री ए. के. राय	कंपनी सचिव
श्री गंगाराम अलोरिया (दिनांक 05.09.2020 तक)	स्वतंत्र निदेशक
डॉ रुद्रमौनी शिवयोगेप्पा येली (दिनांक 08.03.2021 तक)	स्वतंत्र निदेशक
श्री टी.वी. मुरलीवल्लभन (दिनांक 05.09.2020 तक)	स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी (दिनांक 13.12.2021 तक)	स्वतंत्र निदेशक
श्री आद्या प्रसाद पाण्डेय (दिनांक 01.11.2021 से)	स्वतंत्र निदेशक
डॉ. वंसत अशोक पाटिल (दिनांक 01.11.2021 से)	स्वतंत्र निदेशक
श्री राजीब भट्टाचार्य	प्रबंध निदेशक
श्री सतदल मित्रा	मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री अशोक मिश्रा	कंपनी सचिव
श्रीमती लक्ष्मी वर्मा	स्वतंत्र निदेशक

(ii) संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन

(क) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

विवरण	संबंधित पार्टी का स्वरूप/संबंध	पारिश्रमिक (लाख ₹ में)			
		अल्पावधिक लाभ	रोगजार उपरांत लाभ	अन्य दीर्घावधिक लाभ	कुल
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु					
श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	53.50	4.81	8.00	66.31
श्री सुब्रत सरकार	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	48.24	1.63	2.74	52.61
श्रीमती भानु कुमार	निदेशक (वाणिज्यिक)	69.33	2.80	(4.60)	67.53
श्री ए. के. राय	कंपनी सचिव	35.97	3.04	1.54	40.55
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी	स्वतंत्र निदेशक	5.85*	-	-	5.85
श्री आद्या प्रसाद पाण्डेय	स्वतंत्र निदेशक	1.05*	-	-	1.05
डॉ. वंसत अशोक पाटिल	स्वतंत्र निदेशक	1.20*	-	-	1.20
श्री राजीब भट्टाचार्य	प्रबंध निदेशक	26.71	-	-	26.71
श्री सतदल मित्रा	मुख्य वित्तीय अधिकारी	47.02	1.72	0.34	49.08
श्री अशोक मिश्रा	कंपनी सचिव	22.10	1.45	0.14	23.69
श्रीमती लक्ष्मी वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	2.40*	-	-	2.40
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु					
श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	47.60	3.00	0.90	51.50
श्री सुब्रत सरकार	निदेशक (वित्त)	38.20	2.80	0.50	41.50
श्रीमती भानु कुमार	निदेशक (वाणिज्यिक)	47.80	3.50	(1.50)	49.80
श्री ए. के. राय	कंपनी सचिव	26.50	1.80	2.90	31.20
श्री गंगाराम आलोरिया	स्वतंत्र निदेशक	1.00*	-	-	1.00
डॉ रुद्रमौनी शिवयोगेप्पा येली	स्वतंत्र निदेशक	2.00*	-	-	2.00
श्री टी.वी. मुरलीवल्लभन	स्वतंत्र निदेशक	1.20*	-	-	1.20
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी	स्वतंत्र निदेशक	4.70*	-	-	4.70
श्री राजीब भट्टाचार्य	प्रबंध निदेशक	53.91	1.75	(1.05)	54.61
श्री सतदल मित्रा	मुख्य वित्तीय अधिकारी	36.99	1.60	2.15	40.74
श्री अशोक मिश्रा	कंपनी सचिव	17.83	0.86	1.75	20.44
श्रीमती लक्ष्मी वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	2.40*	-	-	2.40

टिप्पणी: *यह निदेशक के बैठक शुल्क का सूचक है।

(i) चूंकि कंपनी द्वारा निदेशकों को सीमित दूरी के लिए निजी उपयोग हेतु कार की सुविधा प्रदान की जाती है, इसलिए ऐसी सुविधा को हितलाभ/परिलाभ में नहीं माना गया है।

(ii) उपर्युक्त में वास्तविक भुगतान आधार पर निष्पादन संबंधी भुगतान सम्मिलित है।

(ख) महिंद्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ लेनदेन (50:50 संयुक्त उद्यम) (राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
संयुक्त उद्यम में निवेश	600.00	400.00
व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त राशि	24.24	16.50
व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रदत्त राशि	6.00	6.00
ई–नीलामी सेवा प्रदान करने के लिए प्राप्त राशि	8.18	1.40

39. कर्मचारी लाभ

परिभाषित अंशदान योजनाएं

1. भविष्य निधि

मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% समूह द्वारा भविष्य निधि ट्रस्ट में अंशदान दिया गया।

2. पेंशन

इस्पात मंत्रालय के अनुदेश के अनुसार परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत एमएसटीसी के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना तैयार की गई है। कंपनी एक ट्रस्ट के माध्यम से एलआईसी ऑफ इंडिया में वार्षिक अंशदान करती है। एमएसटीसी (नियोक्ता) से अंशदान के माध्यम से कर्मचारियों के खाते में समाजिक कोष से एलआईसी कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करेगी।

3. अवकाश नकदीकरण हितलाभ

सहायक कंपनी के मामले में, यह पात्र कर्मचारियों को कंपनी से अलग होने पर देय है जो 300 दिनों (अर्जित छुट्टी और अर्ध–वेतन छुट्टी मिलाकर), तक सीमित होगा और एचपीएल को 300 दिनों की सीमा की गणना के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्तित नहीं किया जाएगा। संचित अर्जित छुट्टी का भी एक कैलेंडर वर्ष में एक बार 30 दिनों तक ही नकदीकरण किया जा सकेगा।

4. सेवानिवृत्ति उपरांत बंदोबस्ती हितलाभ

सहायक कंपनी के मामले में, यह सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके घोषित गृह नगर में निपटान हेतु देय है।

5. कर्मचारी परिवार कल्याण योजना

सहायक कंपनी के मामले में, विकलांग कर्मचारियों/मृत कर्मचारियों के कानूनी वारिसों को निर्धारित जमा राशि के बदले मृतक कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की अनुमानित तिथि तक मासिक भुगतान।

6. दीर्घ सेवा के पुरस्कार

सहायक कंपनी के मामले में, यह न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा प्रदान करने और अधिवर्षिता पर भी देय है।

परिभाषित हितलाभ योजनाएं

1. उपदान (ग्रेच्युटी):

ग्रेच्युटी अलग होने पर प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन की दर से पात्र कर्मचारियों को देय है जो न्यूनतम 5 वर्ष और 30 वर्ष तक निरंतर सेवा प्रदान करते है। ग्रेच्युटी की गणना कर्मचारी द्वारा 30 वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अंतिम रूप से आहरित एक महीने के वेतन की दर से की जाती है। कर्मचारी को देय ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि ₹20 लाख है। ग्रेच्युटी भारत के एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ वित्त पोषित है। मार्च 18 तक कंपनी ने एलआईसी ऑफ इंडिया द्वारा मांग के आधार पर प्रीमियम के रूप में हर साल फंड में योगदान दिया, जिसे प्रीमियम के भुगतान के आधार पर ग्रेच्युटी के रूप में शामिल किया गया था, कंपनी ने इंड एएस 19 के अनुसार ग्रेच्युटी फंड का बीमांकिक मूल्यांकन किया है।

2. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभः

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके पति–पत्नी के लिए एक चिकित्सा हितलाभ है। सदस्यों को बीमा कंपनी में शामिल मेडिक्लेम पॉलिसी के माध्यम से कवर किया जाएगा। यह मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी के अधीन किसी भी अस्पताल पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, घरेलू उपचार में किए गए खर्च की भी निर्धारित सीमा के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाती है। लाभ को इस उद्देश्य के लिए होल्डिंग कंपनी द्वारा गठित एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। होल्डिंग कंपनी इसके लिए कॉर्पस प्रदान करती है। घाटे की भरपाई होल्डिंग कंपनी द्वारा की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2015–16 तक कंपनी अपने अनुमानों के आधार पर फंड में योगदान करती थी। वित्तीय वर्ष 2016–17 से पहली बार बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है और तद्नुसार लेखा बहियों में देयता प्रदान की गई है।

3. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधाओं के लिए अंशदायी योजना (अधिवास)

सहायक कंपनी के मामले में, यह पात्र कर्मचारियों को कंपनी से अलग होने पर देय है जो 300 दिनों (अर्जित छुट्टी और अर्ध–वेतन छुट्टी मिलाकर), तक सीमित होगा और एचपीएल को 300 दिनों की सीमा की गणना के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्तित नहीं किया जाएगा। संचित अर्जित छुट्टी का भी एक कैलेंडर वर्ष में एक बार 30 दिनों तक ही नकदीकरण किया जा सकेगा।

निवेश जोखिम	परिभाषित हितलाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना एक छूट दर का उपयोग करके किया जाता है जो सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के संदर्भ में निर्धारित होता है। अन्य परिभाषित हितलाभ योजनाओं के लिए, ऐसे बाण्ड के लिए एक गहन बाजार होने पर उच्च गुणवत्ता वाले कॉरपोरेट बॉण्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के संदर्भ में छूट की दर निर्धारित की जाती है, यदि योजना परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ (रिटर्न) इस दर से कम है, तो यह योजना घाटा पैदा करेगा। वर्तमान में, भारत में योजना के लिए, इसमें सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य ऋण लेखपत्रों में निवेश का अपेक्षाकृत संतुलित मिश्रण है। इसके अलावा, विदेशी योजना में इक्विटी प्रतिभूतियों, ऋण लेखपत्रों और रियल एस्टेट में अपेक्षाकृत संतुलित निवेश होता है। योजना देनदारियों की दीर्घवधिक की प्रकृति के कारण, विदेशी फंड का बोर्ड इसे उचित मानता है कि योजना संपत्तियों का एक उचित हिस्सा इक्विटी प्रतिभूतियों और रियल एस्टेट में फंड द्वारा उत्पन्न प्रतिलाभ का लाभ उठाने के लिए निवेश किया जाना चाहिए।
ब्याज जोखिम	बॉण्ड की ब्याज दर में कमी से योजना की देनदारी बढ़ जाएगी। हालांकि, आंशिक रूप से योजना के ऋण निवेश पर प्रतिफल में वृद्धि द्वारा इसकी भरपाई की जाएगी।
दीर्घायु जोखिम	परिभाषित हितलाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना योजना प्रतिभागियों की मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार उनके रोजगार के दौरान और बाद मे की जाती है। योजना के प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना की देनदारी बढ़ जाएगी।
वेतन जोखिम	परिभाषित हितलाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना योजना के प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में की जाती है। ऐसे में, योजना के प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देनदारी बढ़ जाएगी।

(क) समूह ने परिभाषित अंशदान योजनाओं के अंतर्गत खर्च के रूप में चालू वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण में ₹1,374.08 लाख (गत वर्ष ₹1,510.38 लाख) के व्यय को मान्यता दी है। (राशि लाख ₹ में)

हितलाभ (अंशदान)	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
भविष्य निधि व अन्य*	1,076.81	1,225.08
पेंशन	297.27	285.30
कुल	**1,374.08**	**1,510.38**

*यह वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए पीएफ ट्रस्ट की आय में कमी के अंशदान के लिए ₹60.65 (गत वर्ष – शून्य) के प्रावधान को प्रस्तुत करता है (टिप्पणी संख्या – 23 देखें)

(ख) कंपनी सेवानिवृत्ति के बाद परिभाषित हितलाभ योजनाओं को निम्नानुसार संचालित करती है:

i. वित्तपोषित:

क. उपदान

ख. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना

ii. अवित्तपोषित:

क. सहायक कंपनी के मामले में, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना अवित्तपोषित है।

ख. सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधाओं के लिए अंशदायी योजना (अधिवास)

(ग) उपदान योजना का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2022	**31 मार्च, 2021**
1. धारणा		
क. छूट दर (प्रति वर्ष)	6.20%	5.90%
ख. योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की अनुमानित दर (प्रति वर्ष)	6.20%	5.90%
ग. वेतन में वृद्धि की दर (प्रति वर्ष)	8.00%	8.00%
सहायक कंपनी के मामले में, वेतन में वृद्धि की दर (प्रति वर्ष)	कार्यपालक एवं गैर कार्यपालक– पहले वर्ष - 10% उसके उपरांत 6%	गैर कार्यपालक – 6% कार्यपालक – 5%

2. उपदान के अंतर्गत परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में स्वीकृत राशि इस प्रकार है:

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2022	**31 मार्च, 2021**
क. वर्तमान सेवा लागत	364.14	368.61
ख. सेवा लागत	364.14	368.61
ग. निवल परिभाषित हितलाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज	22.60	32.15
घ. लाभ एवं हानि में स्वीकृत लागत	**386.74**	**400.76**
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/परिसंपत्ति पर पुर्नमाप:		
क. डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	431.63	176.83
ख. डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) /हानि	(5.09)	126.39
ग. अवधि के दौरान उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	426.54	303.22
घ. छूट दर से अधिक/(कम) योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (रिटर्न)	(66.77)	(47.56)
ङ. ओसीआई में स्वीकृत बीमांकिक (लाभ)/हानि	359.77	255.66
च. ओसीआई में स्वीकृत (आय)/लागत	**359.77**	**255.66**

3. वर्ष के लिए वर्तमान सेवा लागत एवं निवल ब्याज व्यय इंड एएस 19 के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में 'कर्मचारी हितलाभ व्यय' वाले मदों में शामिल है।

4. निवल परिभाषित हितलाभ देनदारी का पुनर्मापन अन्य व्यापक आय में शामिल है।

5(क) परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में उतार–चढ़ाव इस प्रकार हैं: (राशि लाख ₹ में)

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
क. वर्ष के आरंभ में दायित्व	9,118.43	8,998.19
ख. वर्तमान सेवा लागत	364.14	368.61
ग. डीबीओ पर ब्याज लागत	502.59	531.32
घ. पिछली सेवा लागत–योजना संशोधन	-	-
ङ. अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	-	-
च. वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानि	(5.09)	89.19
छ. अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानि	431.63	212.93
ज. जनसांख्यिकीय धारणा से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानि	-	1.10
झ. योजनागत परिसंपत्ति से प्रदत्त हितलाभ	(1,512.28)	(1,082.91)
ञ. अंतिम परिभाषित हितलाभ दायित्व	**8,899.42**	**9,118.43**

5(ख) योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव इस प्रकार हैं: (राशि लाख ₹ में)

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
क. पूर्वावधि की समाप्ति पर परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	8,508.27	8,066.16
ख. योजनागत परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	479.99	499.16
ग. नियोक्ता अंशदान	590.46	978.20
घ. छूट दर से अधिक/(कम) योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (रिटर्न)	66.77	47.66
ङ प्रदत्त हितलाभ	(1,512.28)	(1,082.91)
च. चालू अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**8,133.21**	**8,508.27**

6. परिभाषित दायित्व के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएं छूट दर और अपेक्षित वेतन वृद्धि हैं। अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखते हुए, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में घटने वाली संबंधित घटनाओं के यथोचित संभावित परिवर्तनों के आधार पर नीचे वर्णित सुग्राही विश्लेषण का निर्धारण किया गया है। (राशि लाख ₹ में)

छूट दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
वृद्धि		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	(398.48)	(406.90)
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	8,500.94	8,711.53
कमी		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	442.82	438.38
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	9,342.24	9,556.81

वेतन वृद्धि दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
वृद्धि		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	95.84	237.85
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	8,995.26	9,356.28
कमी		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	(102.46)	(255.05)
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	8,796.96	8,863.38

7. उपर्युक्त प्रस्तुत सुग्राही विश्लेषण परिभाषित हितलाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है क्योंकि यह संभावना कम है कि धारणाओं में परिवर्तन एक–दूसरे के अलगाव में घटेगा, क्योंकि कुछ धारणाएं परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं।

8. गत वर्षों से सुग्राही विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त विधियों और धारणाओं में कोई बदलाव नहीं था।

घ. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना का विवरणः

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2022	**31 मार्च, 2021**
1. धारणाएं		
क. छूट दर (प्रति वर्ष)	6.20%	5.90%
ख. चिकित्सा स्फीति (प्रति वर्ष)	5.00%	5.00%

2. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना के अंतर्गत परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में स्वीकृत राशियाँ इस प्रकार हैंः (राशि लाख ₹ में)

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2022	**31 मार्च, 2021**
क. वर्तमान सेवा लागत	140.11	143.64
ख. सेवा लागत	140.11	143.64
ग. निवल परिभाषित हितलाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज	270.18	260.59
घ. लाभ एवं हानि में स्वीकृत लागत	**410.29**	**404.23**
निवल परिभाषित हितलाभ देयता/परिसंपत्ति पर पुनर्मापनः		
ङ. डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	1,165.91	78.99
च. डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) /हानि	73.49	491.73
छ. अवधि के दौरान उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	1,239.40	570.72
ज. छूट दर से अधिक/(कम) योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (रिटर्न)	(18.92)	(30.20)
झ. ओसीआई में स्वीकृत बीमांकिक (लाभ)/हानि	1,220.48	540.52
ञ. निवल परिसंपत्तियों पर सीमा हेतु समायोजन		-
ट. ओसीआई में स्वीकृत (आय)/लागत	**1,220.48**	**540.52**

3. वर्ष के लिए वर्तमान सेवा लागत एवं निवल ब्याज व्यय लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में 'कर्मचारी हितलाभ व्यय' के अनुरूपी मदों में सम्मिलित है।

4. निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व का पुनर्मापन अन्य व्यापक आय में सम्मिलित है।

5. परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में उतार–चढ़ाव इस प्रकार हैः (राशि लाख ₹ में)

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2022	**31 मार्च, 2021**
क. वर्ष के आरंभ में दायित्व	5,765.41	4,972.05
ख. वर्तमान सेवा लागत	140.11	143.64
ग. ब्याज लागत	332.95	303.69
घ. वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानि	(269.85)	564.23
ङ. अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानि	1,165.91	6.49
च. जनसांख्यिकीय धारणा से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानि	343.34	-
छ. कंपनी द्वारा सीधे प्रदत्त हितलाभ	(244.40)	(224.69)
ज. अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	**7,233.47**	**5,765.41**

6. परिभाषित दायित्व के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएं छूट दर और अपेक्षित वेतन वृद्धि हैं। अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखते हुए, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में घटने वाली संबंधित घटनाओं के यथोचित संभावित परिवर्तनों के आधार पर नीचे वर्णित सुग्राही विश्लेषण का निर्धारण किया गया है।

(राशि लाख ₹ में)

छूट दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव	**31 मार्च, 2022**	**31 मार्च, 2021**
वृद्धि		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	(883.02)	(718.33)
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	6,350.45	5,047.08
कमी		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	1,097.85	839.77
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	8,331.32	6,605.18

छूट दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव	**31 मार्च, 2022**	**31 मार्च, 2021**
वृद्धि		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	955.76	729.78
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	8,189.23	6,495.19
कमी		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	(778.71)	(622.08)
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	6,454.76	5,143.33

7. उपर्युक्त प्रस्तुत सुग्राही विश्लेषण परिभाषित हितलाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है क्योंकि यह संभावना कम है कि धारणाओं में परिवर्तन एक–दूसरे के अलगाव में घटेगा, क्योंकि कुछ धारणाएं परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं।

8. गत वर्षों से सुग्राही विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त विधियों और धारणाओं में कोई बदलाव नहीं था।

सहायक कंपनी के मामले में, सेवानिवृत्ति उपरांत की चिकित्सा सुविधाओं (अधिवास) के लिए अंशदायी योजना का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	**समाप्त वर्ष हेतु**	
	31 मार्च, 2022	**31 मार्च, 2021**
1. धारणाएं		
क. छूट दर (प्रति वर्ष)	6.20%	5.90%
ख. चिकित्सा स्फीति (प्रति वर्ष)	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

2. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना के अंतर्गत परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में स्वीकृत राशियाँ इस प्रकार हैं:

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	**31 मार्च, 2022**	**31 मार्च, 2021**
क. वर्तमान सेवा लागत	5.38	6.60
ख. सेवा लागत	5.38	6.60
ग. निवल परिभाषित हितलाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज	13.62	13.97
घ. (लाभ)/हानि की तत्काल पहचान–अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं		
ङ. लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त लागत	**19.00**	**20.57**
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/परिसंपत्ति पर पुनर्मापः		
क. डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	16.15	(11.44)
ख. डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) /हानि	7.37	8.19
ग. अवधि के दौरान होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	23.52	(3.25)
घ. ओसीआई में स्वीकृत बीमांकिक (लाभ)/हानि	23.52	(3.25)
ङ. ओसीआई में स्वीकृत (आय)/लागत	**23.52**	**(3.25)**

3. वर्ष के लिए वर्तमान सेवा लागत एवं निवल ब्याज व्यय लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में 'कर्मचारी हितलाभ व्यय' के अनुरूपी मदों में सम्मिलित है।

4. निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व का पुनर्मापन अन्य व्यापक आय में सम्मिलित है।

5. परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में उतार–चढ़ाव इस प्रकार है: (राशि लाख ₹ में)

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2022	**31 मार्च, 2021**
क. वर्ष के आरंभ में दायित्व	(237.52)	(230.40)
ख. वर्तमान सेवा लागत	(5.38)	(6.60)
ग. ब्याज लागत	(13.62)	(13.97)
घ. अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानि		
ङ. कंपनी द्वारा सीधे प्रदत्त हितलाभ	13.20	10.20
च. ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	(23.52)	3.25
छ. अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	**(266.84)**	**(237.52)**

6. परिभाषित दायित्व के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएं छूट दर और अपेक्षित वेतन वृद्धि हैं। अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखते हुए, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में घटने वाली संबंधित घटनाओं के यथोचित संभावित परिवर्तनों के आधार पर नीचे वर्णित सुग्राही विश्लेषण का निर्धारण किया गया है। (राशि लाख ₹ में)

छूट दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव	**31 मार्च, 2022**	**31 मार्च, 2021**
वृद्धि		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	(29.13)	(25.62)
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	(295.97)	(263.14)
कमी		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	35.28	30.97
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	(231.56)	(206.55)

छूट दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव	**31 मार्च, 2022**	**31 मार्च, 2021**
वृद्धि		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	-	-
कमी		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	-	-

7. उपर्युक्त प्रस्तुत सुग्राही विश्लेषण परिभाषित हितलाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है क्योंकि यह संभावना कम है कि धारणाओं में परिवर्तन एक–दूसरे के अलगाव में घटेगा, क्योंकि कुछ धारणाएं परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं।

8. गत वर्षों से सुग्राही विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त विधियों और धारणाओं में कोई बदलाव नहीं था।

40. निगमित सामाजिक दायित्व गतिविधियों पर किए गए व्यय

क. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, वर्ष के दौरान समूह द्वारा व्यय की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि – ₹80.00 लाख (गत वर्ष ₹67.00 लाख)।

ख. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार समूह ने चालू वर्ष में ₹17.84 लाख (गत वर्ष ₹500 लाख) में सीएसआर व्यय पर खर्च किए हैं। (राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(1) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/नवीनीकरण	17.84	-
(2) पीएम केयर्स फंड में अंशदान	-	500.00
	17.84	**500.00**

ग. सीएसआर व्यय में कोई संबंधित पार्टी लेनदेन शामिल नहीं है।

घ. उपर्युक्त आंकड़े टिप्पणी संख्या 31(र) में अलग से प्रकट किए गए हैं।

ङ सहायक कंपनी (एफएसएनएल) के मामले में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 एवं समय–समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार ₹80.00 लाख के सीएसआर व्यय दायित्व को वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष 'पीएम केयर्स फंड' में ₹500.00 लाख के अंशदान के स्वरूप में कंपनी द्वारा किए गए ₹433.00 लाख के अतिरिक्त अंशदान में समायोजित किया गया है।

41 व्यापार प्राप्यों, व्यापार देय एवं अग्रिम में शेष राशि की पुष्टि/समाशोधन तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन शेष राशि शामिल है। समाशोधन निरंतर आधार पर की जाती है। जहां भी आवश्यक समझा गया, वहां प्रावधान किए गए हैं।

42. होल्डिंग कंपनी की चालू संपत्तियां कंपनी को ऋण सुविधाओं की मंजूरी के तहत कंसोर्टियम बैंक के पास प्रभाराधीन है।

43. एमएसटीसी लिमिटेड के शेयरधारकों ने दिनांक 22 दिसंबर, 2021 की असाधारण आम बैठक में फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) में पूरी हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है। तदनुसार, बिक्री की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है।

44. कंपनी ने वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में कोई भी आय का अभ्यपर्ण या प्रकटीकरण नहीं किया है

45. कंपनी ने वर्ष के दौरान क्रिप्टो या आभासी मुद्रा में व्यापार नहीं किया है या संलिप्त नहीं है।

46. 50:50 की संयुक्त उद्यम कंपनी (एमएसटीसी महिंद्रा रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड) ने ₹365.67 लाख (गत वर्ष ₹31.40 लाख) का पूंजीगत व्यय किया है।

47. कंपनी के निदेशक मंडल ने 25 मई, 2022 को आयोजित 314वीं बोर्ड बैठक में वित्तीय विवरणों को अंगीकृत किया है।

48. होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल ने 25 मई, 2022 को आयोजित अपनी 314वीं बैठक में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के संबंध में ₹4.40 प्रति शेयर, इक्विटी शेयर पूंजी पर 44% के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है, जो आज की तारीख में ₹7,040.00 लाख है। लाभांश का भुगतान वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। यदि यह अनुमोदित हो जाता है तो इससे ₹3,097.60 लाख का नकद बहिर्वाह होगा।

49. गत वर्षों के अनुरूपी आँकड़ों को तुलना योग्य बनाने के लिए जहाँ भीं आवश्यक हुआ, पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं।

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस घोष एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखापाल
एफआरएन : 302184E/E300007

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके लिए

(सीए प्रदीप कुमार मित्रा)
साझेदार
एम. नं. 052183

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन – 08643406)

(सुब्रत सरकार)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
(डीआईएन – 08290021)

(सुचित कुमार बर्णवाल)
महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा

(अजय कुमार राय)
कंपनी सचिव
एम. नं. F5627

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 25 मई 2022

अनुसूची–III के अनुसार कंपनियों के लिए लागू अतिरिक्त सूचना

(राशि लाख ₹ में)

समूह में संस्था का नाम	निवल परिसंपत्ति अर्थात कुल परिसंपत्ति में कुल देनदारी घटाकर		लाभ या हानि में शेयर		अन्य व्यापक आय में शेयर		कुल व्यापक आय में शेयर	
	समेकित निवल परिसंपत्ति प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय % के रूप में	राशि
मूल								
एमएसटीसी लिमिटेड	64.38	42,106.49	79.59	15,848.55	(10.25)	124.97	85.45	15,973.52
सहायक कंपनी								
फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	32.47	21,237.62	20.27	4,036.44	110.24	(1,343.88)	14.40	2,692.56
संयुक्त उद्यम								
महिंद्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड	3.15	2,063.83	0.14	28.29	0.01	(0.16)	0.15	28.13
कुल	**100%**	**65,408**	**100%**	**19,913**	**100%**	**(1,219)**	**100%**	**18,694**

नोट्स

सीआईएन/ CIN : L27320WB1964GOI026211

प्रधान कार्यालय, कोलकाता, प्लॉट नंबर सीएफ–18/2, स्ट्रीट नंबर 175, एक्शन एरिया 1सी, न्यू टाउन, कोलकाता – 700156
दूरभाष : (033) 23400000/23400011/23400012/23400013
ई–मेल : mstcindia@mstcindia.in
GSTIN : 19AACCM0021E1Z4

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली, 30/31ए, जीवन विकास बिल्डिंग, पहली मंजिल, आसफ अली रोड (हमदर्द के विपरीत), नई दिल्ली – 110002
दूरभाष : (011) 2321 4201, (011) 2321 3945
ई–मेल : mstcnro@mstcindia.in
GSTIN : 07AACCM0021E1Z9

पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई, 607–608 रहेजा सेंटर, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021
दूरभाष : (022) 2288 6261 / 2288 5924
ई–मेल : mstcwro@mstcindia.in
GSTIN : 27AACCM0021E1Z7

दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई, इस्पात भवन, तीसरी मंजिल, नंबर 5, कोडंबक्कम हाई रोड, चेन्नई – 600 034
दूरभाष : 044 28285000
ई–मेल : mstcsro@mstcindia.in
GSTIN : 33AACCM0021E1ZE

पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता, प्लॉट नंबर सीएफ–18/2, स्ट्रीट नंबर 175, एक्शन एरिया 1सी, न्यू टाउन, कोलकाता – 700156
दूरभाष : 033-23400000/23400008
ई–मेल : mstcero@mstcindia.in
GSTIN : 19AACCM0021E2Z3

बैंगलौर, 19/5 और 19/6, तीसरी मंजिल, करीम टॉवर, कनिंघम रोड, बैंगलोर– 560052
दूरभाष : (080) 2225 6367, 2226 0054, 22266417
ई–मेल : mstcblr@mstcindia.in
GSTIN : 29AACCM0021E1Z3

विशाखापत्तनम, चौथी मंजिल "जीवन समृद्धि", डी नंबर 42–1–45/1/1, न्यू इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, ठिकाना रोड, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश – 530004
दूरभाष : (0891) 274 6948, 270 1066
ई–मेल : mstcvzg@mstcindia.in
GSTIN : 37AACCM0021E1Z6

वडोदरा, 21, कमलांजलि अपार्टमेंट, दूसरी मंजिल, ट्यूब कंपनी के विपरीत, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा–390 020
दूरभाष : (0265) 2960354 / 2960379 / 2960385
ई–मेल : mstcvda@mstcindia.in
GSTIN : 24AACCM0021E1ZD

भोपाल, पहली मंजिल, तिलहन संघ भवन, 1 अरेरा हिल्स एमपीओआईएलएफईडी बिल्डिंग भोपाल–462011 (मध्य प्रदेश)
दूरभाष : (0755) 2552241 / (0755) 2570664
ई–मेल : mstcbpl@mstcindia.in
GSTIN : 23AACCM0021E1ZF

हैदराबाद, एमएसटीसी लिमिटेड, नंबर 5–9–13, 7वीं मंजिल, तारामंडल कॉम्प्लेक्स, सैफाबाद, सहारा मंजिल और सम्राट कॉम्प्लेक्स के बीच, हैदराबाद, तेलंगाना 500004
दूरभाष : (040) 23301039
ई–मेल : mstchyd@mstcindia.in
GSTIN : 36AACCM0021E1Z8

लखनऊ, भूतल, सीडब्ल्यूसी क्षेत्रीय कार्यालय परिसर, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010, उत्तर प्रदेश
दूरभाष : 0522- 2236396, 4244702, 4240445
ई–मेल : mstclko@mstcindia.in
GSTIN : 09AACCM0021E1Z5

भुवनेश्वर, दूसरी मंजिल, आईपीआईसीओएल हाउस–एनेक्स बिल्डिंग, भुवनेश्वर – 751022, ओडिशा
दूरभाष : (0674)- 2544199/2950091
ई–मेल : mstcbbr@mstcindia.in
GSTIN : 21AACCM0021E1ZJ

त्रिवेंद्रम, पहली मंजिल, बीएसएनएल सीटीओ बिल्डिंग, केरल राज्य सचिवालय के विपरीत, महात्मा गांधी रोड, स्टेच्यू, तिरुवनंतपुरम –695001
दूरभाष : 0471-2326686
ई–मेल : mstctvc@mstcindia.in
GSTIN : 32AACCM0021E1ZG

रायपुर, एमएसटीसी लिमिटेड, हॉल नंबर 6 और 7, तीसरी मंजिल, उद्योग भवन, तेलीबंधा रिंग रोड 1, रायपुर, 492006
दूरभाष : 0771-2432481
ई–मेल : mstcrpr@mstcindia.in
GSTIN : 22AACCM0021E1ZH

जयपुर, कमरा नंबर 114, पहली मंजिल, बीएसएनएल बिल्डिंग, लाल कोठी, नगर निगम के पीछे, जयपुर, 302015
दूरभाष : 0141-2742208
ई–मेल : mstcjpr@mstcindia.in
GSTIN : 08AACCM0021E1Z7

रांची, एमएसटीसी लिमिटेड, एक्सप्लोरेशन बिल्डिंग, चौथी मंजिल, सीएमपीडी. आई कैंपस, गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची–834 031, झारखंड
दूरभाष : 0651-2443396
ई–मेल : mstcrnc@mstcindia.in
GSTIN : 20AACCM0021E1ZL

गुवाहाटी, एमएसटीसी लिमिटेड बीएसएनएल एक्सचेंज बिल्डिंग, बेलटोला बसिष्ठा रोड, वायरलेस गुवाहाटी, असम–781038
दूरभाष : 0361-2221199
ई–मेल : mstcghy@mstcindia.in
GSTIN : 18AACCM0021E1Z6

चंडीगढ़, एमएसटीसी लिमिटेड टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, सेक्टर–5, पंचकुला–134109
दूरभाष : 0172-2584921
ई–मेल : mstccdg@mstcindia.in
GSTIN : 06AACCM0021E1ZB

पटना, एमएसटीसी लिमिटेड, तीसरी मंजिल, डीसीएम सह एमआरटी बिल्डिंग एसबीपीडीसीएल, रोड नंबर–01, डी पी राय पथ, आर ब्लॉक के पास, पटना, बिहार, पिन–800001
दूरभाष : 0612-2506169
ई–मेल : bmpatna@mstcindia.in

नागपुर, एमएसटीसी लिमिटेड, पहली मंजिल, पूर्वी विंग, नया सचिवालय भवन, वी.सी.ए ग्राउंड के विपरीत सिविल लाइन, नागपुर, महाराष्ट्र – 440 001
दूरभाष : 07122550075
ई–मेल : bspradhan@mstcindia.co.in

एमएसटीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
MSTC Limited
(A Govt. of India Enterprise)

सीआईएन / CIN : L27320WB1964GOI026211

प्लॉट नंबर सीएफ–18/2, स्ट्रीट नंबर 175, एक्शन एरिया 1सी,
न्यू टाउन, कोलकाता – 700156, पश्चिम बंगाल

mstcindia@mstcindia.in (033) 2340 0000

www.mstcindia.co.in @mstcltd @mstcindia @mstc_india